लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

Parliament Library
24-8-90
30-7-85

सत्यमेव जयते

[खंड 34 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXXIV contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिंदी में दिये गये भाषणों आदि का हिंदी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.

53 LSS/73—1

विषय-सूची

CONTENTS

अंक 28, बुधवार, 19 दिसम्बर, 1973/28 अग्रहायण, 1895 (शक)
No. 28, Wednesday, December 19, 1973/Agrahayan 28, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	
प्रश्नो के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		पृष्ट Pages
547 तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Charges of corruption against Tamil Nadu Chief Minister	1
548 गैर-सरकारी विदेशी पूंजी के संबंध में वित्त तथा औद्योगिक विकास के केन्द्रीय मंत्रियों का वक्तव्य	Statement of Union Ministers of Finance and Industrial Development on foreign private capital	7
549 उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिये विदेशी कंपनियों में भारतीय पूंजी निवेश को शामिल करना	Indian participation in foreign companies for manufacture of consumer goods .	8
550 कालकाजी नई दिल्ली के काली के मंदिर में चोरी	Theft in the Kali temple in Kalkaji New Delhi	12
551 पांचवीं योजना पर रूसी प्रतिनिधि-मंडल के साथ बातचीत	Discussion with the Soviet Delegation on Fifth Plan	13
552 लारेंस रोड, दिल्ली में डाक घर	Post Office on Lawrence Road, Delhi .	15
557 कलकत्ता में केबलों की चोरी	Cable thefts in Calcutta	16
558 दिल्ली में नियुक्त राज्य सूचना अधि-कारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था	Provision of Quarters to State Information Officers posted at Delhi	18
प्रश्नो के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS**	
545 डाक लिफाफों तथा अंतर्देशीय-पत्रों पर टिकटों की कथित त्रुटिपूर्ण छपाई	Alleged defective printing of postage on Envelopes and Inland Letters . .	19
546 अखिल भारतीय छोटे तथा मध्यम स्तर के समाचारपत्र संघ द्वारा अधिक अखबारी कागज की मांग	Demand for more newsprint from All India Small and Medium Newspapers Federation	19
553 एडवर्ड मिल्स, ब्यावर, राजस्थान का आधुनिकीकरण	Modernisation of Edward Mills, Bewar (Rajasthan)	20
554 बिहार सर्किल में डाक तथा तार विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा	Enroachments on P & T Land in Bihar Circle	20

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
555	आक्सीजन संयंत्र की स्थापना के लिये लाइसेंस दिये जाना	Issue of Licences for setting up Oxygen Plant	21
556	परमाणु शक्ति का उत्पादन	Generation of Atomic Energy . .	21
559	समयोपरि भत्ते का भुगतान	Payment of overtime allowance . . .	22
560	आंकड़े एकत्र करने वाली मशीनों का बनाया जाना	Manufacture of Data Processing Machines	22
561	दिल्ली में हुआ अखिल भारतीय मुद्रक सम्मेलन	All India Printers Conference held in Delhi	23
562	नमक का उत्पादन और निर्यात	Production and Export of Salt .	24
563	डाक-तार कर्मचारियों को अग्रिम वेतन-वृद्धि	Advance increments to P & T employees	25
564	वास्को-डी-गामा नगर के नाम में परिवर्तन	Change in the Name of Vasco De Gama City	25
अ ता० प्र० संख्या U.S.Q. No.			
5308	दिल्ली में पेंशन के मामलों का निपटान	Disposal of pension cases in Delhi . .	25
5309	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् में कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of staff in National productivity Council	26
5310	मध्य प्रदेश को सीमेंट के लिए आयात लाइसेंस देना	Issue of Import licences for cement to M.P.	26
5311	उपभोक्ताओं के हितों की देखभाल करने के लिये केन्द्र तथा राज्यों में अलग-अलग विभाग	Separate departments at Centre and in States to look after the interests of consumers	27
5312	फिल्मों में विदेशी भू-भाग तथा स्थलों को न फिल्माने के बारे में फिल्म निर्माताओं को आदेश	Instructions to film producers to avoid filming of foreign landscape and features in the films	27
5313	साधुओं और पुजारियों की सुरक्षा के लिए योजना	Scheme for the protection of Sadhus and priests	28
5314	गोरली कोयला क्षेत्र में एक डाकघर खोलना	Opening of a Post Office in Gorli Coal field	28
5315	संयुक्त सचिव अथवा सरकारी उपक्रम में प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिये राज्य संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की सेवावधि	Tenure for IAS Officers from State cadre for appointment as Joint Secretary for Managing Director in Public Undertakings	29

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5316	मध्य प्रदेश के अनुसूचित जातियों के भूमिहीन मजदूरों को मकान निर्माण के लिये दिये गये प्लाट	Housing plots given to Scheduled Castes Landless Labourers of Madhya Pradesh	30
5317	मकानों के निर्माण के लिये बुरहानपुर के हरिजनों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Harijans of Burhanpur for construction of houses . .	31
5318	कच्चे माल की कमी के कारण मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों का बंद होना	Closure of Small Industries in Madhya Pradesh due to shortage of raw materials	31
5320	पर्यावरण योजना और समन्वय संबंधी समिति	Committee on Environmental planning and coordination	31
5321	अरुणाचल प्रदेश में विधान-सभा स्थापित करने की संभाव्यता का अध्ययन करने संबंधी समिति	Committee to study the feasibility of providing a Legislative Assembly for Arunachal Pradesh	33
5322	वृहद योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के ग्रामों में डाकघर	Post Offices in villages of M. P. under the Master Plan	33
5323	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन के प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट के लिये डिजाइन बनाने संबंधी कार्य	Design work of Kerala Newsprint Project by Trained Personnel of Hindustan Paper Corporation	33
5324	केरल में डाक तथा तार मेल मोटर सेवा	P & T Mail Motor Service in Kerala	34
5325	योजना आयोग के संयुक्त सचिव और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्य उच्च कार्यकारी अधिकारियों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चार्ज-शीट दिया जाना	Joint Secretary in Planning Commission and other top Executive in Public Sector Undertakings charge-sheeted by CBI .	34
5326	नगर निगम/जल प्रदाय तथा मल व्ययन विभाग, दिल्ली के कर्मचारियों पर भारतीय रक्षा नियमों का लागू किया जाना	Use of DIR on employees of Municipal Corporation/Water Supply and Sewage Department, Delhi	35
5327	गत तीन वर्षों में मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड द्वारा स्टेशनरी का उत्पादन	Production of Stationery by M/s. Kores India Ltd. during the last three years .	35
5328	औषध फर्मों में उत्पादन में विभिन्नता	Diversified Production in Drugs Firms .	36
5329	प्रधान मंत्री के स्वामित्व में भूमि	Land in Possession of Prime Minister .	36
5330	शेख अब्दुल्ला द्वारा दिये गये वक्तव्य	Statements made by Sheikh Abdullah .	36
5331	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के अवशेषों और सामग्री का संरक्षण	Preservation of Relies and Materials of Netaji Subhas Chandra Bose . .	37

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5332	काबुल स्थित उस मकान का संरक्षण किया जाना, जहां नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ठहरे थे	Preservation of Houses at Kabul where Netaji Subhas Chandra Bose stayed .	37
5333	बर्मा, मलयेशिया और थाईलैंड में नेता जी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा प्रयुक्त इमारतों का संरक्षण	Preservation of Buildings in Burma, Malayasia and Thailand used by Netaji Subhas Chandra Bose . . .	38
5334	विदेश नियंत्रित फर्मों में 2500 रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले भारतीय कर्मचारी	Indian Employees drawing Salary more than Rs. 2,500 P.M. in Foreign controlled Firms	38
5335	अपंग व्यक्तियों के लिये सहायक उपकरण बनाने के लिए कानपुर में एक कारखाने की स्थापना	Setting up a Factory at Kanpur to make aids for Handicapped Persons . .	38
5336	कलकत्ता में बोस स्टेटिस्टिक्स की अर्द्ध शताब्दी मनाने के लिये क्षेत्रीय समिति	Regional Committee to celebrate 50 years of Bose Statistics in Calcutta .	39
5337	आत्म-हत्या के प्रयास से संबंधित कानून में परिवर्तन	Changes in the Law relating to Attempted Suicide	40
5338	चावल की भूसि से ईंधन	Fuel from Rice Husk	41
5339	जम्मू-काश्मीर की घटनाओं में जनसंघ का हाथ होने के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष का वक्तव्य	Statement of the President of Congress Committee about the involvement of Jan Sangh in Jammu and Kashmir distarbances. .	41
5340	एक करोड़ रुपये से कम की पूंजी वाले उद्योगों को लाइसेंस	Licence for Industries less than one crore	41
5341	राज्यों में रोजगार चाहने वाले व्यक्ति	Employment seekers in States	42
5342	पंजाब सीमा पर शाहबज़के गांव के निकट पाकिस्तानी रेंजरों की घुसपैठ	Intrusion of Pakistani Rangers near Shahbazke village in Punjab Border .	42
5343	मनीपुर को सीमेंट की सप्लाई	Supply of Cement to Manipur	42
5344	मनीपुर में मोटर टायरों की मांग	Demand for Motor Tyres in Manipur .	43
5345	दादरा और नागर हवेली के लिए जस्ते तथा तांबे का कोटा	Zinc and Copper Quota for Dadra and Nagar Haveli	43
5346	औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट पर विचार	Consideration of Report of Bureau of Industrial Costs and Prices . .	44

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5347	पंजाब सरकार की रोजगार संबंधी आपात योजना	Punjab Government Emergency Scheme Employment	45
5348	डीज़ल इंजन के कारखानों का विस्तार	Expansion of Diesel Engine Factories .	46
5349	नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा करों की वसूली	Realisation of taxes by NDMC	47
5350	देश के आर्थिक विकास की धीमी गति	Slow Economic Development in the country	47
5351	कलकत्ता के बंगाल लैंप कारखाने का बन्द होना	Closure of Bengal Lamp of Calcutta .	48
5352	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभागों में काम करने वाले कर्मचारी	Employees working in Scheduled Castes and Scheduled Tribes departments .	48
5353	प्रभा टेक्सटाइल मिल्स, वीरमगांव को सरकारी नियंत्रण में लेना	Take over of Prabha Textile Mills Viramgam	48
5354	अनन्त टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद में काम की शर्तें	Working conditions in Anant Textile Mills Ahmedabad	49
5355	सरकार द्वारा टेक्सटाइल मिलें अपने नियंत्रण में लिए जाने के खिलाफ स्थगन आदेश	Stay Order against taking over Textile Mills	49
5356	आंध्र प्रदेश में रेशम का उत्पादन	Silk Production in Andhra Pradesh .	50
5357	अस्पृश्यता निवारण पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on eradication of Untouchability	50
5358	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा	Discussion on Annual Report of the Commissioner for Scheduled Castes/Tribes	51
5359	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के मैट्रिकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति देना	Post Matric Scholarship to Scheduled Caste Students from U.P. . .	51
5360	अनुसूचित जातियों के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम की स्थापना	Setting up of Andhra Pradesh State Finance Corporation for Economic Uplift of Scheduled Castes . .	52
5361	हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सराहन गांव की एक हरिजन लड़की के साथ बलात्कार	Rape of Harijan Girl of a Village Sarahan in Sirmur District of Himacha Pradesh	52

अता० प्रा० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
5362	वर्ष 1974-75 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेशों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां देना	Scholarships to S.C. and S.T. Students 1974-75 for Studies Abroad . .	53
5363	ईंधन नीति समिति के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई ऊर्जा नीति	Energy Policy Evolved by Experts in the Fuel Policy Committee . . .	53
5364	दिल्ली देहात कल्याण समिति द्वारा दिल्ली के उप-आयुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका	Petition submitted by Delhi Dehat Kalyan Samiti against the Deputy Commissioner, Delhi	54
5365	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की इंस्पैक्टरों के पदों पर पदोन्नति	Promotion of Persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Posts of Inspectors	54
5366	राज भवनों में मितव्ययता	Economy in Raj Bhavans . . .	55
5367	एडवर्ड मिल्स बयावर (राजस्थान) में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Edward Mills Beawar (Rajasthan)	55
5368	बयावर (राजस्थान) में सीमेंट का कारखाना लगाने के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Licence for setting up Cement Factory in Beawar (Rajasthan) . .	55
5369	बिहार सर्किल में अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfers of Officers in Bihar . .	56
5370	बिहार सर्किल में डाक तथा तार विभाग के औषधालय	P & T Dispensaries in Bihar Circle	56
5371	मोतीहारी टेलीफोन एक्सचेंज में विश्राम-कक्ष	Rest Room of Motihari Telephone Exchange	57
5372	औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनपत्रों पर शीघ्र निर्णय की गई प्रक्रिया पर भ्रम	Confusion over New procedure for Speedy clearance of Applications for Industrial Licences	57
5373	पटना, बिहार में शेख अब्दुल्ला का भाषण	Speech of Sheikh Abdullah at Patna, Bihar	58
5374	नंदेड व उस्मानाबाद जिलों के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना	Pension to Freedom Fighters for Nanded and Usmanbad Districts . . .	58
5375	प्रधान मंत्री सचिवालय में समायोपरि भत्ते की राशि में वृद्धि	Increase in Overtime Allowance in P.M's Secretariat	59
5376	मंत्रालय में अस्थायी कर्मचारी	Temporary Employees in the Ministry .	59
5377	आधुनिक आंकड़ा संकलन मशीनों का निर्माण और निर्यात	Manufacture and Export of Sophisticated Data Processing Machines . .	59

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5378	आकाशवाणी, राजस्थान में संस्कृत के कार्यक्रम	Sanskrit Programmes at Rajasthan Radio Stations	60
5379	अलीगढ़ तथा अन्य स्थानों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों का ढोंग करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारियां	Imposters posing as CBI officials Arrested at Aligarh and other Places	61
5380	गुजरात द्वारा ट्रक और बस टायरों का आयात किये जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र	No Objection Certificate for Import of Truck and Bus Tyres to Gujarat	61
5381	गुजरात में टायरों की मांग तथा सप्लाई	Demand and Supply of Tyres in Gujarat	62
5382	कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा-विवाद	Karnataka Maharashtra Boundary Dispute	62
5383	वाणिज्यिक टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Commercial Television Centres	62
5384	केरल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings in Kerala	63
5385	अखबारी कागज की कटौती के कारण समाचारपत्रों का बन्द होना	Closure of Newspapers due to Newsprint	63
5386	दिल्ली में 26 नवम्बर, 1973 हत्याकांड	Murders in Delhi on 26th November, 1973	64
5387	समाचारपत्रों के विज्ञापनों और संपादकीय सामग्री में पृथ्कीकरण	Distinction between Advertisements and Editorial matter in Newspapers	65
5388	हरियाणा में प्रसारण केन्द्र	Broadcasting Centre in Haryana	65
5389	जतली-सांगली टेलीफोन लाइनें	Jatli Sangli Telephone lines	65
5390	औकलखोप (महाराष्ट्र) में टेलीफोन सुविधायें	Telephone facility at Aukalkhop (Maharashtra)	66
5391	मिराज में मुख्य डाकघर खोलना	Opening a Head Post Office at Miraj	66
5392	देवास प्रिंटिंग प्रेस में डाक टिकटों का छापा जाना	Printing of Postage Stamps at Devas Printing Press	66
5393	पांच विदेशी रूपक फिल्में प्राप्त करने का प्रस्ताव	Proposal to secure Five Foreign Feature Films	67
5394	योजना आयोग का विस्तार	Expansion in Planning Commission	67
5395	थुम्बा भूमध्यवर्ती राकेट छोड़ने के केन्द्र पर समुद्र कटाव का प्रभाव	Effect of Sea erosion on Thumba Equatorial Rocket Launching Station	68
5396	राजनैतिक विरोधियों पर जासूसी करने के लिये अमरीका एवं जापान से अत्यन्त आधुनिक इलैक्ट्रानिक उपकरणों का क्रय	Purchase of sophisticated Electronic Gadgetry from USA and Japan to Spy on Political Rivals	68

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5397	उच्च पदों का 'स्पेशिलस्टों' और 'जनरलिस्टों' के बीच समान वितरण	Equitable distribution of top posts among Specialists and Generalists .	68
5398	समाचार-पत्रों में विज्ञापनों और समाचारों का अनुपात निर्धारित करने के लिए कानून	Legislation to fix the proportion of Advertisement and News in the News papers	69
5399	राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा बेची गई न्यायालय शुल्क टिकट पर ब्रिटिश शासन काल के समय का ताज अंकित होना	Crown of British period inscribed on a Court Stamp sold by Revenue Department of Rajasthan Government . .	69
5400	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम में लाइसेंसों की मंजूरी	Clearance of licences in West Bengal Bihar, Orissa and Assam . . .	69
5401	जय इंजीनियरिंग वर्क्स का विस्तार	Expansion of Jay Engineering Works.	70
5402	देश में प्राप्त विदेशी इनामों की संख्या	Number of foreign awards received in the country	71
5403	स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना	Grant of pension to Freedom Fighters .	71
5404	ताम्र पत्र प्रदान करना	Award of a Tamra Patra	72
5405	राज्यों में मंत्रालय के केन्द्रीय 'सैल'	Central Cells of the Ministry in States .	72
5406	राज्यों को उनके योजना संबंधी सामर्थ्य को बल देने में सहायता देने के लिए 'सेंट्रल सेक्टर स्कीम'	Central Sector Scheme to assist States in strengthen their planning capabilities .	72
5407	राज सहायता योजना में आंध्र प्रदेश के अडोनी तालुक को पिछड़े क्षेत्र में शामिल किया जाना	Inclusion of Adoni Taluk in Andhra Pradesh in Backward Tract in Subsidy scheme	72
5408	केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद् की बैठक	Meeting of Central Advisory Council of Industries	73
5410	देश में टेलीफोन कनेक्शनों की मांग	Demand for Telephone connections in the country	73
5411	बसंत बिहार, नई दिल्ली में चोरी	Theft in Vasant Vihar, New Delhi .	74
5412	ढोलेड़ा गुजरात में जमाकर्ताओं के खातों से रुपया निकालने के बारे में शिकायतें	Complaint regarding withdrawal of money from the account of depositors in Dholera, Gujarat . .	74
5413	अनुसंधान तथा विकास के लिए उपलब्ध जी०एन०पी० की प्रतिशतता	Percentage of GNP available for Research and Development	74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5414	पाली में टेलीफोन तथा तार विभाग के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की अदायगी	Payment of House Rent Allowance to Telephone and Telegraph Employees in Pali	75
5415	मशीनरी के आयात के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र	Pending Applications for Import of Machinery	75
5416	उद्योगों में अधिक उत्पादन	Increased production in Industries .	76
5417	पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on execution of Four Five Year Plans . . .	76
5418	पांचवीं योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व्यय	Expenditure on Minimum Needs programme during Fifth Plan . . .	76
5419	गोआ के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिये छः महीने कारावास की शर्त हटाने के लिये अभ्यावेदन	Representation for exemption of condition of Six months imprisonment for grant of pension to freedom fighters from Goa	77
5420	भारतीय फिल्मों में चुंबन	Kissing in Indian Films . .	77
5421	'केरल फिलेटलिक ब्यूरो' को सहायता	Assistance to Kerala Philatelic Bureau .	77
5422	भूतपूर्व शासकों के परिवारों के सदस्यों को सहायता	Assistance to Family Members of Former Rulers	78
5423	चमत्कारी रोटी	Miracle Roti . . .	78
5424	पूना के फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षित छात्रों के लिए विदेशों में प्रशिक्षण	Training in Foreign Countries to the students trained in Film Institute of Poona	78
5425	टेलीविजन कर्मचारियों को प्रशिक्षणार्थ विदेश भेजने का प्रस्ताव	Proposal for sending of Television Employees abroad for training . .	79
5426	केरल में पालघाट में कंट्रोल-वाल्व बनाने के लिये जापानी फर्म के साथ करार	Deal with Japanese Firm for production of Control Valves at Palghat in Kerala .	79
5427	अखबारी कागज बनाने के लिये खोई का प्रयोग	Utilisation of Bagasse for production of Newsprint	80
5428	श्री ब्रेजनेव की भारत यात्रा डाक-तार विभाग द्वारा किया गया व्यय	Expenditure by P & T Department to Cover the Visit of Mr. Brezhnev to India	80
5429	कर्नाटक राज्य में ब्रह्मावार में प्रसारण केन्द्र और मंगलौर में स्टुडियो	Broadcasting Station in Brahmavar and a Studio in Mangalore in Karnatak State	81
5430	औद्योगिक विकास निगमों को दिए गए लाइसेंस/आशय पत्र	Issue of Licences/Letters of Intent to Industrial Development Corporations .	81

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5432	जमाखोरी, चोरबाजारी करने वाले और अनाज में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Hoarders, Black Marketre and Food Adulterators . . .	82
5433	विज्ञापन जारी करने के संबंध में श्रव्यदृश्य प्रचार निदेशालय को निदेश	Directives to Directorate of Audovisual Publicity in regard to issue Advertisement	82
5434	स्थानीय समाचार-पत्रों तथा प्रादेशिक भाषाई साप्ताहिक पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ टेंडर-सूचनाएं भेजने संबंधी परिपत्र जारी करना	Issue of Circular for Releasing Tender Notices for Publication to Local Papers and Regional Weeklies . . .	82
5435	केरल जनगणना कर्मचारी संघ का अभ्यावेदन	Representation from Kerala Census Employees Association	83
5436	जनगणना प्रतिवेदन में अंकित "बिहारी" भाषी लोग	Persons enumerated as BIHARI Speaking in Census Report	83
5437	मंत्रालय द्वारा बनाई गई सलाहकार समितियां	Advisory Committees appointed by the Ministry	84
5438	बिहार सर्किल में 'लाइन स्टाफ' की मृत्यु	Deaths of Line staff in Bihar Circle	84
5439	पांचवीं योजना में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विकास की समान दर	Uniforms Growth Rate in States and Union Territories during Fifth Plan .	84
5440	टेलीफोन स्विचिंग उपकरणों की भारत को सप्लाई	Supply of Telephone Switching Equipment to India	85
5441	दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Delhi Bhubaneswar Direct Dialing	85
5442	अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा को औद्योगिक लाइसेंस जारी करना	Issue of Industrial Licences to Orissa in Comparison to other States . .	85
5443	श्री तारिक अली की कलकत्ता यात्रा	Visit of Mr. Tariq Ali to Calcutta .	86
5444	चित्रों को अधिक स्पष्ट रूप में उतारने के लिये आदर्श 'ड्रम स्केनर'	Model Drum Scanner for Improving Clarity of Pictures	86
5445	धान की भूसी से सीमेंट का उत्पादन	Manufacture of Cement from Paddy Husk	87
5446	दिल्ली में दमकल स्टेशनों के लिये भूमि का अधिग्रहण	Acquiring Land for Fire Stations in Delhi	87
5448	संयुक्त क्षेत्र के कारखानों में गैर-सरकारी पार्टियों का भाग	Share of Private Parties in Joint Sector Units	88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5449	आयकर अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर आरोप लगाना	Allegations made by Income Tax Officers against CBI	88
5450	कोल्हापुर में बगास पर आधारित अखबारी कागज का कारखाना	Bagasee based Newsprint Unit in Kolhapur	88
5451	आकाशवाणी की वाणिज्यिक सेवाओं से आय	Income from Commercial Services of AIR	88
5452	महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Projects in Backward Areas of Maharashtra	89
5453	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा लिए गए पेटेंटों का वाणिज्यिक उपयोग	Commercial Exploitation of Patents taken by CSIR	89
5454	ऋण के लिए उत्तर प्रदेश के विचाराधीन पड़े हुए आवेदनपत्र	Pending Applications from U.P. for Loans	90
5455	ठेके के कलाकारों को स्थायी बनाने का प्रस्ताव	Proposal for making Artistes on Contract Basis Permanent . . .	90
5456	औद्योगिक विकास मंत्रालय में सरकारी उपक्रमों का विस्तार कार्यक्रम	Expansion Programme of Public Undertakings in Ministry of Industrial Development	90
5457	आकाशवाणी में प्रति कार्यक्रम के लिए शास्त्रीय संगीतज्ञों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposal to increase the Amount paid to Classical Singers per Sitting in AIR .	91
5458	विदेशी मुद्रा की तस्करी करने के आरोप में एक इसरायली नागरिक की गिरफ्तारी	Arrest of a Israeli National for smuggling Foreign currency	91
5459	दूर-संचार विभाग के कर्मचारियों के लिए स्नानघरों की व्यवस्था	Provision of Bathrooms for Tele-Communication Staff	91
5460	गोलमुडी, जमशेदपुर में क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Quarters at Golmuri, Jamshedpur	92
5461	पांचवीं योजना के दौरान पंजाब में उद्योगों का विकास	Development of Industries in Punjab during Fifth Plan	92
5462	कागज के उपयोग के बारे में समाचारपत्रों और पुस्तक प्रकाशकों के लिए आचार संहिता	Code of Conduct for Newspapers and Book Publishers on the use of Paper	93
5463	राज्यों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति	Registered Unemployed in States .	93

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5464	भारत में फिल्मों का आयात करने वाली अमरीकी फर्मों द्वारा धन का अर्जन	Accumulation of Money by U.S. Firms who are Importing Films into India .	94
5465	पश्चिम बंगाल स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन का दिया जाना	Grant of Pension to Freedom Fighters from West Bengal	95
5466	रोलर फ्लोर मिलों की अधिष्ठापित क्षमता	Installed Capacity of Roller Flour Mills	96
5467	त्रिपुरा की ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं को ऋण	Loan to rural Industries project in Tripura	96
5468	उड़ीसा में ग्रामीण उद्योग परियोजना को ऋण	Loan to Rural Industries project in Orissa	97
5469	मणिपुर में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए विद्युत तथा आर्थिक सहायता की आवश्यकतायें	Requirements of Power and Finance Assistance for Small Scale Industries in Manipur	97
5470	राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पृथक विभागों का स्थापित किया जाना	Creation of Separate Departments for Development of Science and Technology in States	98
5471	पिछड़े राज्यों में छोटे समाचार पत्रों की सहायता के लिए योजना	Scheme for helping small Newspapers in the Backward States	98
5472	ब्रेजनेव के स्वागत संबंधी पोस्टरों पर प्रिंट लाइन का न होना	Brezhnev's Welcome Posters bearing No Print Lines	99
5473	प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना	Setting up of Administrative Tribunals .	101
5474	बिहार में राज्य सिविल सेवा से पदोन्नत कर भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदों को भरना	Filling up of posts of IAS cadre by Promotion from States Civil Service in Bihar	101
5475	चर्म उद्योग के लिए मशीनों का आयात	Import of machinery for leather Industry	101
5476	कोटा राजस्थान में चलता फिरता डाकघर	Mobile Post Offices in Kotah, Rajasthan	102
5477	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि	Increase in Scholarships to S.C. and S.T. Students	102
5478	नई प्रक्रिया के बाद औद्योगिक लाइसेंसों के लिए दिए गए आवेदन पत्रों का निपटान	Disposal of Applications for Industrial Licences After New Procedure . .	102

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5479	'बल्क' औषधियों के उत्पादन के लिए अनापत्ति पत्र	No objection Letters from Manufacture of Bulk Drugs	102
5480	जम्मू-काश्मीर की नई अवामी संघर्ष समिति के अध्यक्ष का वक्तव्य	Statement made by the president of New Awami Action Committee of J & K .	103
5481	अबोहर और फाजिल्का के प्रतिनिधियों की ओर से अभ्यावेदन	Representation from Representatives of Abohar and Fazilka	103
5482	जम्मू-काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ में रेडियो सेट	Radio Sets in J & K Punjab, Haryana, H.P., Delhi and Chandigarh . .	103
5483	पंजाब सर्किल में सी० ओ० और पी० सी० ओ० का खोलना	Opening of C.Os and P.C.O. in Punjab Circle	104
5484	श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा समाचार पत्रों, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाओं को विज्ञापनों के लिए दिया गया धन	Amount derived by DAVP from advertisements to Newspapers, Weeklies Monthlies etc. . .	105
5485	उड़ीसा में भूमि कब्जा आंदोलन	Land Occupation Movement in Orissa .	105
5486	एक रुपया अथवा उससे कम प्रतिदिन आय वाले व्यक्तियों की संख्या	Persons having one rupee of less income per day	105
5487	आपातकालीन स्थिति समाप्त करना	Ending the State of Emergency .	106
5488	अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों के लिये अलग स्कूल तथा होस्टल	Separate Schools and Hostels for Scheduled Castes/Tribes Students . .	106
5489	एफ०सी० ग्रेड के एल्यूमीनियम का आवंटन	Allotment of F.C. Grade Aluminium .	107
5490	हिंदी टाइपराइटरों का निर्माण	Manufacture of Hindi Typewriters .	107
5491	योजना मंत्रालय में सामान्य आदेशों का हिंदी तथा अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में जारी किया जाना	Issuing of general orders in Hindi and English in the Ministry of Planning .	108
5492	समान्य आदेशों का हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया जाना	Issue of general orders in both Hindi and English	108
5493	औद्योगिक विकास मंत्रालय में सामान्य आदेशों का हिंदी तथा अंग्रेजी-दोनों भाषाओं में जारी किया जाना	Issue of general orders in Hindi and English in Ministry of Industrial Development	109
5494	विभिन्न राज्यों के बीच देवनागरी टेलिप्रिंटर लिंक	Devanagri teleprinter link between various s tates	110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5495	कोटा, राजस्थान में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Kota, Rajasthan .	110
5496	राजस्थान में पंजायत समितियां को टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections in Panchayat Samitis in Rajasthan	110
5497	स्वतन्त्रता से पूर्व आजाद हिंद फौज के शहीदों के सिंगापुर स्थित शहीद स्मारक के टुकड़े भारत लाया जाना	Pieces of INA Martyrs Monument of Singapore brought to pre-Independent India	111
5498	दिल्ली में सीमेंट का स्टाक रखने के लिये लाइसेंस	Licence for keeping stock of cement in Delhi	111
5500	राज्यों को होमगार्डों के प्रशिक्षण के लिए निर्देश	Instructions to States for Home Guards Training	111
5501	भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी को दंड दिया जाना	IPS Officers Punished .	112
5502	उत्तराखंड की मांग	Demand for Uttarkhand . . .	112
5503	मनीपुर के आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की मांग	Demand for declaration of Tribal belts of Manipur as Scheduled Areas .	112
5504	सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिये विज्ञापन	Advertisements for recruitment of candidates to government services . .	113
5505	पश्चिम बंगाल रेशम उद्योग को केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वरहामपुर का योगदान	Contribution of central Silk board Berkampur to the West Bengal Silk Industry	113
5506	पश्चिम बंगाल में रेशम का उत्पादन	Production of Silk in West Bengal	114
5507	फिल्मों के निर्यात से आय में कमी	Decline in Export earning from Films	114
	28 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5025 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement correcting the reply to USQ No. 5025 dated 28-3-1973 . .	114
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re. Motion for Adjournment (Query) .	115
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	116
	नियम समिति	Rules Committee .	117
	कार्यवाही सारांश	Minutes	117
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	117
	35वां प्रतिवेदन	Thirty-fifth Report .	117
	31 अगस्त 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5231 के उत्तर के बार में सदस्य द्वारा वक्तव्य	Statement by Member Re. Answer to USQ No. 5231 dated 31-8-73 . .	117

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	117
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi .	119
नियम 377 के अंतर्गत मामले—	Matters Under Rule 377—	
(एक) दिल्ली के बैंकों में करोड़ों रुपयों के चैकों का समाशोधन न होना	Non clearance of cheques worth crores of Rupees in Delhi Banks . . .	123
(दो) लोको रनिंग कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के लिए भारतीय रक्षा नियमों का उपयोग	Use of DIR to arrest Loco Running Staff	123
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege . . .	124
कोंकण यात्री पोत (अर्जन) विधेयक	Konkan Passenger Ships (Acquisition) Bill	124
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . . .	124
श्री कमलापति त्रिपाठी	Shri Kamlapati Tripathi . . .	124
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate . . .	125
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	126
श्री शंकरराव सावंत	Shri Shanker Rao Savant . .	126
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	127
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi . . .	127
श्री धामनकर	Shri Dhamankar	127
श्री अजीत कुमार साहा	Shri Ajit Kumar Saha . . .	128
श्री बी०वी० नायक	Shri B.V. Naik . . .	128
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . . .	129
श्री एस० एल० पेजे	Shri S. L. Peje . . .	129
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	130
श्री एन० के० पी० साल्वे	Shri N.K.P. Salve . . .	130
खंड 2 से 20 और 1	Clauses 2 to 20 and 1	132
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass . .	132
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	133
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	134
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1971-72	Demands for Excess Grants (General) 1971-72	134
तथा	And	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1973-74	Supplementary Demands for Grants (General) 1973-74	134
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	134
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	135
एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee .	136
श्री एन० टोंबी सिंह	Shri N. Tombi Singh .	137
डा० लक्ष्मी नारायण पांडे	Dr. Laxminarain Pandeya .	138
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	139
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . .	140
श्री सरजू पांडे .	Shri Sarjoo Pandey .	140
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra .	140
श्री के० आर० गणेश .	Shri K.R. Ganesh	141
विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1973-पुरःस्थापित तथा पारित	Appropriation (No. 4) Bill, 1973—Introduced and passed	145
विनियोग (संख्या 5) विधेयक 1973-पुरःस्थापित	Appropriation (No. 5) Bill 1973—Introduced	146
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	146
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	146
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	146
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 . .	147
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
अनुदानों की अनुपुरक मांगें (उड़ीसा) 1973-74	Supplementary Demands for Grants (Orissa) 1973-74	147
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagdish Bhattacharyya . .	148
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banmali Patnaik . .	149
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda	150
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi . .	151
श्री सुरेंद्र महन्ती .	Shri Surendra Mohanty .	152
श्री हुकुम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai .	152
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	153

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 19 दिसम्बर, 1973/28 अग्रहायण, 1895 (शक)

Wednesday, December 19, 1973/Agrahayana 28, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at Two minutes past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

*547. **श्री वयालार रवि :**

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महीने पहले श्री एम० जी० रामचन्द्र तथा श्री एम० कल्याण सुन्दरम्, संसद् सदस्यों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था जिसमें तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का सारांश क्या है और उसके सत्यापन तथा अन्य सम्बद्ध जांच कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तथा (ख) सर्वश्री एम० जी० रामचन्द्रन् तथा एम० कल्याण सुन्दरम् द्वारा क्रमशः दिनांक 6 तथा 7 नवम्बर, 1972 को दो अलग-अलग ज्ञापन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए थे जिनमें तामिलनाडु के मुख्य मंत्री तथा कुछ अन्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कतिपय आरोप लगाए गए थे। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुपात से अधिक परिसम्पत्तियां जमा करने, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ

बेनामी संबंध रखने, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, शक्ति के दुरुपयोग, पक्षपात, कदाचार आदि से संबंधित आरोप सन्निहित थे और इन आरोपों की जांच पड़ताल करने के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति की मांग की गई थी।

इन अभ्यावेदकों की मांग पर विचार करने के लिए, इन ज्ञापनों में लगाए गए आरोपों के संबंध में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री की टिप्पणियां प्राप्त की गई थीं। इसके बाद मुख्य मंत्री द्वारा दी गई टिप्पणियों के संबंध में, सर्वश्री रामचन्द्रन् तथा कल्याण सुन्दरम् ने प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए। श्री कल्याण सुन्दरम् ने एक टिप्पणी भी प्रस्तुत की जिसमें कुछ और भी आरोप सम्मिलित थे। प्रत्युत्तरों में उठाए गए प्रश्नों तथा श्री कल्याण सुन्दरम् की आगे की टिप्पणी में सम्मिलित आरोपों के संबंध में अब मुख्य मंत्री की टिप्पणियां भी प्राप्त कर ली गई हैं और मामले की जांच की गई थी। इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने आवश्यक समझे गए थे। इन्हें मुख्य मंत्री से मांगा गया है और उनकी प्रतिक्षा है।

श्री बयालार रवि : विवरण से यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में सरकार करना क्या चाहती है और आरोप क्या-क्या है। यह एक ऐसा आरोप है जिसे गत वर्ष से लगाया जा रहा है। निस्संदेह यह सरकार कई वर्षों से सत्तारूढ़ है और ज्ञापन से भी यह लक्षित हो रहा है कि तथ्यों को केन्द्रीय सरकार के समक्ष रख दिया गया है, किन्तु केन्द्रीय सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है और इसने यह धारणा पैदा कर दी है कि सरकार इस विषय को टाल रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का कब जांच कराने का विचार है? वह तुरन्त क्या कार्यवाही करेगी?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमान् जी यह बात सच है कि ज्ञापन नवम्बर, 1972 में प्राप्त हुये थे। हमने उस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया है। कारण यह है कि हमने इन ज्ञापनों को मुख्य मंत्री के पास उनकी टिप्पणी के लिये भेजा था। उन्होंने कुछ टिप्पणियां भेजी थीं। उन्होंने उन टिप्पणियों की प्रतियों को राज्य विधान सभा के पटल पर भी रखा था। उसके पश्चात् कुछ और प्रत्युत्तर हमें प्राप्त हुये। इन प्रत्युत्तरों को भी मुख्य मंत्री के पास उनकी टिप्पणी के लिये भेजा गया। जब तक सभी आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त न हो जायें, तब तक यह बताना संभव नहीं है कि कब तक इन पर निर्णय ले लिया जायेगा। किन्तु, हम इस मामले पर जोर दे रहे हैं और हम मुख्य मंत्री से अपने नवीनतम पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसमें कुछ बातों के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गये हैं।

श्री बयालार रवि : केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यवाही न किये जाने के कारण ही निगम में 8 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार को एक अन्य ज्वलंत उदाहरण का समाचार मिला है.....

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री बयालार रवि : मुझे अपना प्रश्न पूछ लेने दीजिये। सरकार गत कई वर्षों से निगम और सत्तारूढ़ दल का समर्थन कर रही है।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : क्योंकि वह इसे हटाकर वहां अपनी सरकार नहीं बना सके। वैसा करना आप के लिये संभव नहीं है।

श्री बयालार रवि : सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपा करके अपना प्रश्न पूछिये। इसमें आप अपना भाग मत जोड़िये।

श्री बयालार रवि : मैं तो केवल अकर्मयता का एक उदाहरण ही दे रहा हूं....

श्री सेझियान : वह एक सामूहिक ज्ञापन दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब एक संसद् सदस्य द्वारा किसी एक नागरिक के विरूद्ध कोई आरोप लगाना होता है तो उसके लिये एक प्रक्रिया बनी हुयी है। आरोप ऐसे अव्यवस्थित ढंग से नहीं लगाया जा सकता। मैं आप के कथन के उस भाग की ओर ध्यान दे रहा हूं, जो संगत नहीं है। आप सीधा प्रश्न पूछिये।

श्री बयालार रवि : मद्रास निगम में क्या हो रहा है। मैंने केवल यह कहा है कि इसका भी अतिक्रमण किया गया है। यही कुछ वहां हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ज्ञापन के बारे में ही पूछें, तो अधिक अच्छा होगा आप अपनी ओर से कुछ मत जोड़िये।

श्री वयालार रवि : मैंने ज्ञापन के बारे में पूछा था कि क्या सरकार को श्री कल्याण सुन्दरम् तथा श्री रामचन्द्रन् से मद्रास निगम में मुख्य मंत्री के अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्री मोहनराज कलिंगारायर : तमिलनाडु की हमारी सरकार को इस संबंध में बधायी दी जानी चाहिये कि वह इन सब वर्षों में सत्तारूढ़ रही है।

श्री राम निवास मिर्धा : हमें निगम के मामलों के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : श्रीमान् जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार से मांगे गये स्पष्टीकरण प्राप्त हो गये हैं ? सरकार ने तमिलनाडु सरकार से उत्तर प्राप्त करने के लिये क्या किया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमान् जी, अनेक ज्ञापन प्राप्त हुये थे। पहला ज्ञापन 6 नवम्बर, 1972 को प्राप्त हुआ था। अन्य व्यक्तियों द्वारा और एक ज्ञापन भी भेजा गया। हमने दिनांक 13 दिसम्बर, 1973 का अद्यतम पत्र तमिलनाडु के मुख्य मंत्री को भेजा है और हम इसके उत्तर की प्रतिक्षा कर रहे हैं।

श्री थानकिरूतिनन : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि तथा-कथित आरोपों का उत्तर तैयार कर लिया गया है, क्या इसे तमिलनाडु विधान सभा के पटल पर रखा गया था और क्या यह भी सच है कि इसे भारत सरकार के पास भजा गया है ? इस के अतिरिक्त, इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने स्वयं ही बता दिया है कि मुख्य मंत्री की टिप्पणियों को, जो भेजी गयी थीं तमिलनाडु विधान सभा के पटल पर भी रख दिया था। उसके पश्चात्, चूंकि वे इसे सार्वजनिक रूप से बता रहे थे, इसलिये हमें कुछ और प्रत्युत्तर प्राप्त हुये जिनमें विधान सभा के पटल पर रखे गये मुख्य मंत्री के उत्तर पर टिप्पणियां दी गयी थीं। उस पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि मेंने बताया है, हमने 13 दिसम्बर को अपना उद्यतम पत्र भेजा था और हम तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री के० नारायण राव : मैं यह जान सकता हूं कि क्या तमिल नाडु के मुख्य मंत्री ने कोई सांविधानिक मामला उठाया है और यदि हां, तो उसका ठीक स्वरूप क्या है और उसके प्रति अपने प्रत्युत्तर के रूप में केन्द्रीय सरकार ने क्या रुख अपनाया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न के संदर्भ में कैसे उठता है?

श्री के० नारायण राव : भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाये गये हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में तमिल नाडु के मुख्य मंत्री ने कोई सांविधानिक मामला उठाया है और यदि हां, तो उसका ठीक स्वरूप क्या है और इसके प्रति अपने प्रत्युत्तर के रूप में केन्द्रीय सरकार ने क्या रुख अपनाया है? यदि उन्होंने कोई मामला नहीं उठाया है, तो मामला यहीं समाप्त हो जाता है।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं इस बारे में पूरे विवरण नहीं दूंगा कि मुख्य मंत्री ने क्या कहा है। हम सामान्यतया ऐसा नहीं करते हैं। आपकी अनुमति से मैं यह नहीं बताना चाहूंगा कि उन्होंने इन आरोपों के विरुद्ध क्या कहा है और आरोप क्या हैं। जब समूचे मामले के बारे में निर्णय हो जायेगा, तो हम इस बारे में कोई रुख अपना सकते हैं कि इन्हें सार्वजनिक रूप से बताया जाये अथवा नहीं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या उनका यह विचार है कि इस मामले में पर्याप्त समय बीत चुका है जबसे पहली बार यह मामला सरकार की जानकारी में आया था? क्या ऐसे महत्वपूर्ण मामलों को कुछ शीघ्रता से नहीं निपटाया जाना चाहिये? उनके विचार में कब तक सरकार इस मामले के संबंध में अंतिम दृष्टिकोण अपनाने की स्थिति में हो जायेगी?

श्री राम निवास मिर्धा : अंतिम निर्णय लेना पूर्ण रूप से केवल हम पर भी निर्भर नहीं करता। जैसा कि में कह चुका हूं, पहली बार ज्ञापन नवम्बर 1972 में प्राप्त हुआ था। मुख्य मंत्री के नाम हमारा अंतिम पत्र 13 दिसम्बर को भेजा गया।

श्री एच० एम० पटेल : इस बीच स्थिति क्या रही? कब कब इसके संबंध में कार्यवाही की गई है......

श्री राम निवास मिर्धा : मेरे पास एक दूसरे को लिखे गये पत्रों और मांगे गये स्पष्टीकरणों और प्राप्त प्रत्युत्तरों आदि की सूची है। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि हम ऐसे मामले में शीघ्रता से कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं? यह बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण मामला है। जब तक हम कुछ बातों के संबंध में पूरे स्पष्टीकरण प्राप्त न कर लें, तब तक हम जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना पसंद नहीं करेंगे।

श्री एच० एम० पटेल : क्या यह जल्दबाजी करने की बात है कि एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है? किस तारीख को उन्हें मुख्य मंत्री से पहला उत्तर प्राप्त हुआ था? उन्होंने बताया है कि प्रथम ज्ञापन 1972 में प्राप्त हुआ था। मुख्य मंत्री से उस ज्ञापन का उत्तर कब प्राप्त हुआ था? उसके पश्चात् कब प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ था? यदि वह हमें ये तिथियां बता सकें, तो हम यह समझने में समर्थ हो जायेंगे कि इस बारे में उचित गति से कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम निवास मिर्धा : प्रथम ज्ञापन हमें 6 नवम्बर, 1972 को प्राप्त हुआ था। हमने दिनांक 6 नवम्बर के दो ज्ञापनों के संबंध में मुख्य मंत्री को 15 नवम्बर, 1972 को एक पत्र लिखा था। जैसा कि मैंने बताया था, उसके बाद उन्होंने हमें कुछ टिप्पणियां भेजीं जिन्हें उन्होंने तमिलनाडु विधान सभा के पटल पर रखा था।

श्री एच० एम० पटेल : किस तिथि को? क्या वह तिथियां बता सकते हैं?

श्री राम निवास मिर्धा : सर्वश्री रामचन्द्रन् और कल्याण सुन्दरम् के ज्ञापनों पर उनकी टिप्पणियों को प्रेषित करने वाला पत्र तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को 14 दिसम्बर, 1972 को भेजा गया था।

श्री एच० एम० पटेल : यह कार्यवाही तो शीघ्रता से की गयी ।

श्री राम निवास मिर्धा : 20 दिसम्बर, 1972 को श्री कल्याण सुन्दरम द्वारा प्रधान मंत्री को कुछ और तथ्यों का विवरण दिया गया और कुछ और आरोपों के बारे में लिखा गया । अन्य तिथियां ये हैं :--श्री कल्याण सुन्दरम् द्वारा प्रधान मंत्री को मुख्य मंत्री की टिप्पणियों का प्रत्युत्तर : 5 जनवरी, 1973; श्री एस० डी० सोम सुन्दरम्, संसद सदस्य के माध्यम से श्री रामचन्द्रन् द्वारा प्रधान मंत्री को मुख्य मंत्री की टिप्पणियों का प्रत्युत्तर : 11 जनवरी, 1973; श्री कल्याण सुन्दरम् द्वारा भेजे गये और विवरणों तथा उनके प्रत्युत्तर एंव तमिलनाडु के मुख्य मंत्री को उनकी टिप्पणियों हेतु प्रधान मंत्री द्वारा भेजे गये श्री रामचन्द्रन् के प्रत्युत्तर की प्रतियां. 17 फरवरी, 1973; तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा भेजा गया अन्तरिम उत्तर : 28 फरवरी, 1973; मुख्य मंत्री को प्रत्युत्तर तथा उक्त पत्र के संबंध में उन्हें अपने टिप्पणियों को शीघ्र भेजने के लिये भेजा गया स्मरण पत्र : 9 अप्रैल, 1973; मुख्य मंत्री द्वारा स्मरण पत्र का अन्तरिम उत्तर : 2 अप्रैल, 1973 में भेजा गया और उनकी टिप्पणियां 28 मई, 1973 को प्राप्त हुई । इसके अतिरिक्त अन्ना द्रमुक की ओर से मदुराई हवाई अड्डे पर सर्वश्री एम० सी० बालान तथा श्री के० माया तेवर द्वारा प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन जिसमें तमिलनाडु सरकार के कथित कदाचारों की जांच करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति करने की मांग को पुनः दोहराया गया : 19 सितम्बर, 1973 । जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं अंतिम पत्र की तिथि 13 दिसम्बर, 1973 है ।

श्री एच० एम० पटेल : प्रत्युत्तरों का उत्तर देते हुये मुख्य मंत्री की टिप्पणियां मई में किसी समय प्राप्त हुयी थीं । ऐसा मालूम होता है कि मई के पश्चात् इस मामले पर कोई विचार नहीं किया गया, क्योंकि सितम्बर तक कुछ नहीं किया गया जबकि मामले की सभी बातों पर निर्णय लेने के लिये आप के पास मई और सितम्बर के बीच काफी समय था । अतः, इस संबंध में काफी विलम्ब हुआ है । मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के मामलों में ऐसा विलम्ब वांछणीय नहीं है । क्या मंत्री महोदय इस संबंध में कुछ बतायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक पक्ष से टिप्पणियों का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री एच० एम० पटेल : यह महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री के० लकप्पा : माननीय मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के संबंध में कार्यवाही करने के लिये कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिये, चाहे किसी राजनीतिक दल अथवा किसी व्यक्ति का इससे संबंध हो, ताकि प्रशासन से भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके । यह मद्रास के मुख्य मंत्री के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मामला ही नहीं है; यह राज्य के लोग हैं....

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये । आप अपनी राय मत बतायें ।

श्री के० लकप्पा : इस बात को बार-बार उठाया गया है । राजनीतिक व्यक्तियों तथा नेताओं के विरुद्ध बड़े पैमाने पर लगाये गये इन आरोपों को देखते हुए क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने किसी पद्धति अथवा तंत्र को लागू किया है ताकि इस देश से सार्वजनिक जीवन से इस प्रकार के भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा सके और हमारे सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाया जा सके ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं इस प्रकार की स्थिति के लिये किसी नयी प्रक्रिया अथवा नये कानून की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं जिसकी कल्पना माननीय सदस्य ने की है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं यह जान सकता हूं कि क्या भारत के राष्ट्रपति तथा भारत सरकार को कोई ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंसी लाल के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये हैं? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है? क्या इस बारे में कोई पग उठाये गये हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से संबद्ध नहीं है, जो एक राज्य के मुख्य मंत्री के विरुद्ध श्री रामचन्द्रन तथा श्री कल्याण सुन्दरम द्वारा दिये गये ज्ञापन से संबंधित विशेष प्रश्न है।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या मैं यह जान सकता हूं कि भेजे गये ज्ञापन के आधार पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अथवा तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने से स्वायतत्ता के सिद्धान्त का उल्लंघन होता है इसके अतिरिक्त इस मामले में तमिलनाडु सरकार का क्या विचार है?

श्री राम निवास मिर्धा : इस संबंध में स्वायत्तता का उल्लंघन करने का प्रश्न ही नहीं है। कानून के अन्तर्गत हमें इस संबंध में एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है, यदि हम ऐसा करना उचित समझें तो।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : इस प्रकार का आरोप राज्यों के प्रत्येक मुख्य मंत्री और केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध लगाया जाता है। कांग्रेसी सदस्य गैर-कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों के कार्यों में बहुत रुचि रखते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

एक माननीय सदस्य : गलत आरोप।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : कृपया कुछ धीरज रखिये। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या तमिलनाडु सरकार ने ऐसे व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए तमिलनाडु विधान सभा में विधेयक पारित किया है जो अपने अधिकार, प्रभाव और अन्य बातों का प्रयोग करके भ्रष्टाचार और अन्य प्रकार के कदाचारों को करते हैं और यदि हां, तो क्या उन्होंने यह विधेयक भारत सरकार को राष्ट्रपति और भारत सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा है और केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

श्री राम निवास मिर्धा : इस प्रश्न के लिए पहले नोटिस दिया जाना चाहिये।

श्री जगन्नाथ राव : मंत्री महोदय ने यह कहा है कि ज्ञापन और प्रत्युत्तर पत्र तमिलनाडु विधान-सभा के पटल पर रखे जाते हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि ये कागजात इस समय के सभा-पटल पर क्यों नहीं रखे जाते, क्योंकि ये आरोप इस सदन के एक सदस्य, श्री कल्याण सुन्दरम् और तमिलनाडु में एक अन्ना द्रमुक के सदस्य द्वारा लगाये गये हैं? कागजातों को इस सदन के सभा-पटल पर रखने में क्या कठिनाई है?

श्री राम निवास मिर्धा : हमारी नीति यह है कि ऐसे मामलों में प्राप्त ज्ञापन अथवा शिकायत के पत्रों के ब्यौरे को जाहिर न किया जाय। अगर वे कागजात सभा-पटल पर रखे जाते हैं, तो इसकी जानकारी हर एक व्यक्ति को हो जाती है। इसलिए, हम इसका प्रचार नहीं करना चाहते अथवा इस स्थिति में सभा-पटल पर नहीं रखना चाहते।

गैर-सरकारी विदेशी पूंजी के संबंध में वित्त तथा औद्योगिक विकास के केन्द्रीय मंत्रियों के वक्तव्य

*548. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री बक्शी नायक :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन्होंने हाल में अमरीका में कहा था कि भारत सरकार देश में उद्योग कारखाने लगाने के लिये गैर-सरकारी विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देगी;

(ख) क्या इसके विपरीत वित्त मंत्री ने कहा था कि भारत देश में विदेशी पूंजी लगाये जाने का इच्छुक नहीं है; और

(ग) क्या सरकार इन दो केन्द्रीय मंत्रियों के परस्पर विरोधी वक्तव्यों के संदर्भ में स्पष्ट करेगी कि क्या वह गैर-सरकारी विदेशी पूंजी निवेश के पक्ष में है या नहीं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) औद्योगिक विकास मंत्री के हाल ही के अमरीका के दौरे में न्यूयार्क स्थित इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर ने विचारों के सामान्य आदान-प्रदान हेतु प्रमुख अमरीकी निवेशकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया था। बैठक में भारत में विदेशी निवेश के विनियमन तथा सहयोग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों जिन्हें प्रकाशित किया जा चुका है, कि व्याख्या की गई थी तथा तकनोलौजिकल कार्यकलाप के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता सम्बन्धी अपनी योजनाओं के विकास करने का उल्लेख किया गया था। यह भी स्पष्ट किया गया था कि अपने औद्योगिक कार्यक्रमों में भारत विदेशी सहयोग तथा निवेश की अनुमति प्रदान करने में एक अति चयनात्मक ढंग अपनाता रहेगा तथा इस नीति के अन्तर्गत विदेशी उद्यमकर्ताओं को भारत में निवेश करने दिया जायेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारत के उद्योगों में विदेशी गैर-सरकारी निवेश के सम्बन्ध में सरकार की नीति चयनात्मक रहेगी तथा अर्थ व्यवस्था में प्राथमिकता वाले जटिल प्रकार के ऐसे उद्योग क्षेत्रों में जिनमें भारत में जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, विदेशी इक्विटी की सहभागिता पर विचार किया जायेगा। इस प्रकार के मामलों में भी सामान्य तौर पर विदेशी इक्विटी की सहभागिता 40 प्रतिशत की सीमा तक ही होगी।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : सभा पटल पर रखे गये विवरण पत्र का मैंने अध्ययन किया है और मुझे उससे पता चलता है कि औद्योगिक विकास मंत्री ने जब संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की थी, तो वहां भारतीय विनियोजन केन्द्र ने अमरीकी निवेशकर्ताओ के साथ एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें अमरीकी निवेशकर्ताओं से भारत में पूंजी निवेश करने के लिये अनुरोध किया गया था। उसी समय, दिल्ली में वित्तीय लेखक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये, प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय ने यह कहा कि विदेशी पूंजी को आमन्त्रित करना भारत के हित में नहीं है। मैं मंत्री महोदय से इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि उनकी नीति में फर्क क्यों है।

औद्योगिक विकास और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : भारत सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है कि बहुत ही सीमित क्षेत्रों में, जहां अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आवश्यक है और

जिसके साम्य सहयोग के अलावा अन्य किसी प्रकार से प्राप्त होने की सम्भावना नहीं हैं, वहां हम साम्य सहयोग की मंजूरी देते हैं, और इसलिए यह एक खुले हुए घर की तरह नहीं है जहां कोई भी आकर पूंजी निवेश कर सके, लेकिन पूंजी निवेश हो सकता है, कुछ सीमित क्षेत्रों में और वह भी सरकार की नीति के अनुसार। यही सरकार की नीति है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या मैं मंत्री महोदय का ध्यान संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित भारत के राजदूत श्री टी० एन० कौल के इस कथित प्रयास की ओर दिला सकता हूं कि उन्होंने बहुत से राष्ट्रों में सक्रिय निगमों को भारत में पूंजी निवेश के लिये आमन्त्रित किया था और मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह हमारी औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के विरुद्ध नहीं है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं इस प्रकार के विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति औद्योगिक नीति संकल्प के अन्तर्गत ही दी जाती है। विदेशियों को यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई है कि उन्हें केवल उन्हीं क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति दी जायेगी, जिनके बारे में विदेशियों को साम्य पूंजी विनियोजन की अनुमति देने के बारे में भारत सरकार ने निर्णय कर लिया है।

श्री समर मुखर्जी : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच नहीं है कि श्री एल० के० झा ने, जो बहुत से देशों में क्रियाशील निगमों के बारे में जांच करने सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किये गये थे, उक्त निगमों को भारत में पूंजी निवेश करने के लिये आमन्त्रित किया है ? जब श्री भाटिया ने उन से प्रश्न किया कि उन्होंने इसका स्वागत किया है अथवा नहीं, तो उनका उत्तर था कि उन्हें सरकारी नीति के ढांचे के अन्तर्गत पूंजी निवेश की अनुमति दी गई। उत्तर तो यह होना चाहिये कि उन्होंने स्वागत किया या नहीं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जिस सीमा तक हम सहयोग चाहते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं और किसी अन्य क्षेत्र में नहीं।

श्री समर मुखर्जी : मुझे सामान्य उत्तर नहीं चाहिये। यह एक ठोस मामला है, इसका स्वागत किया गया है अथवा नहीं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जहां भी हम सहयोग चाहते हैं, हम निश्चित रूप से उसका स्वागत करते हैं क्योंकि जब हम सहयोग चाहते हैं तो हम उनसे यह नहीं कह सकते कि हम उनका सहयोग नहीं चाहते। आप दोनों बातें नहीं कर सकते।

जहां तक श्री एल० के० झा के वक्तव्य का सवाल है, मुझे उनके द्वारा जारी किये गये किसी आमन्त्रण की जानकारी नहीं है। परन्तु कोई भी आमन्त्रित करे अथवा उसका स्वागत करे, यह भारत सरकार द्वारा पहले से ही निर्धारित नीति के अन्तर्गत ही हो सकता है, हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते।

उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए विदेशी कम्पनियों में भारतीय पूंजी निवेश को शामिल करना

*549. **श्री नवल किशोर सिंह :**

श्री सतपाल कपूर :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रही विदेशी कंपनियों की शाखाओं तथा 100 प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश वाली कंपनियों को, विशेषकर शृंगार सामग्री, मद्यरहित पेय और टूथ पेस्ट जैसी उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाली कंम्पनियों को भारतीय पूंजी निवेश शामिल करने के लिये विवश करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा कि वे विदेशी कंपनियां जो ऐसी वस्तुयें बना रही हैं जिनके लिये उनके पास न तो लाइसेंस प्राप्त क्षमता है और न ही उन वस्तुओं का पूर्ण विवरण है, अपनी विदेशी पूंजी को कम करके 40 प्रतिशत अथवा उससे कम करें ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अनुसार 40% से अधिक विदेशी इक्विटी वाली सभी कम्पनियों को अपना व्यापारिक कार्यकलाप चलाते रहने के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। उत्पादन रत कम्पनियां और व्यापार कार्यों में लगी विदेशी कम्पनियों को भारतीय कम्पनियों में बदलने वाली कम्पनियां सहित उपयुक्त मामलों में विदेशी स्वामित्व को कम करने हेतु तत्सम्बन्धी धारा को लागू करने के प्रयोजन से मार्ग दर्शी सिद्धान्त बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री नवल किशोर सिंह : वे कौन से उचित मामले हैं जिनका मंत्री महोदय ने उल्लेख किया? इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन करने वाली कितनी और किन किन विदेशी कम्पनियों के नाम को मंत्रालय ने सूची में रखा है और क्या उनके लाइसेंसों की क्षमता में प्रति वर्ष स्वतः वृद्धि हो जायेगी और यदि हां, तो कितनी वृद्धि होगी ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : कई कम्पनियां विभिन्न प्रकार की उपयोक्ता सामग्री के निर्माण में संलग्न है। अगर माननीय सदस्य रुचि रखते हैं, तो वे इस प्रकार हैं, उदाहरणार्थ, मैसर्स कालगेट पामआलिव, सिबा आदि, शीतल पेय के मामले में मैसर्स कोका कोला; दुग्धहार के मामले में मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर, फूड स्पेशलिटीज, ग्लक्सो; सिगरेटों के मामले में मैसर्स इण्डिया टोबेको, वजीर सुलतान, गाडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लि०। जहां तक कारखानों का सम्बन्ध हैं, ये लाइसेंस शुदा कारखाने थे और इनकी क्षमताओं पर विचार किया जा रहा है और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधान इन पर 1 जनवरी, 1974 से लागू हो जायेंगे। जहां तक पंजीकृत कारखानों का सम्बन्ध है, औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के नवीनतम संशोधन उनकी क्षमता के बारे में लागू होंगे।

श्री नवल किशोर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन विदेशी कम्पनियों में से किसी कम्पनी ने भारतीय सहयोग लेने से अब तक इन्कार किया है और यदि हां, तो क्या उन कम्पनियों से भारत में अपने व्यापार को समाप्त करने के लिये कहा जायेगा? विदेशी फर्मों का भारतीयकरण करने और विदेशी पूंजी की मात्रा को न्यूनतम स्तर तक कम करने के लिये क्या निश्चित उपाय किये जा रहे हैं ? उपभोक्ता सामग्री सम्बन्धी भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : इनमें से कुछ क्षेत्रों को विशेष रूप से लघु क्षेत्र और भारतीय निर्माताओं के लिये सुरक्षित रखा गया है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के लागू हो जाने के बाद, 40 प्रतिशत से अधिक साम्य पूंजी वाली कम्पनियों को अपना व्यापार चालू रखने के लिये सरकार की अनुमति लेनी होगी। निश्चित रूप से प्रत्येक मामले पर ध्यान दिया जायेगा। अनुमति देते समय इस बात पर ध्यान दिया जायेगा कि इसमें किस प्रकार से भारतीयकरण किया जा सकता है।

श्री नवल किशोर सिंह : यह प्रैस नोट वित्त मंत्रालय द्वारा 19 फरवरी, 1972 को जारी किया गया था। वह वर्ष समाप्त हो गया। 1973 भी समाप्त हो गया। वही उत्तर बार बार दिया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर मैं उन्हें ठीक ठीक समझा हूं, तो मंत्री महोदय का यह कहना है कि अब भी कुछ ऐसी विदेशी फर्में हैं जिनमें भारतीयों का कोई सहयोग नहीं है। पिछले प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि आधुनिक उद्योगों के मामले में विदेशी उद्यमकर्त्ताओं को अनुमति दी जायेगी। यह भी कहा गया था कि विदेशी पूंजी सहयोग चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। अगर सरकार की यह औद्योगिक नीति है, तो उपभोक्ता सामग्री के मामले में ऐसी कार्यवाही क्यों नहीं की जाती जिससे इस देश के ऐसे उद्योगों में विदेशी सहयोग चालीस प्रतिशत से अधिक न हो? अन्यथा, प्रौद्योगिकी इंजीनियरी कम्पनियों और उपभोक्ता सामग्री का निर्माण करने वाली कम्पनियों के बारे में वे अपनी नीति में किस प्रकार सन्तुलन करेंगे? इसे रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम पहले से लागू है और यह काफी व्यापक अधिनियम है, जो इस बारे में लागू होगा। उपभोक्ता सामग्री उद्योग की रक्षा करने के लिये औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम में संशोधन किये गये थे। ये दोनों विधाई उपाये इस क्षेत्र के लिये किये गये हैं। विशेष रूप से, उपभोक्ता सामग्री उद्योग में कुछ क्षेत्र अनिवार्यतः लघु उद्योग क्षेत्र और भारतीय कम्पनियों के लिये सुरक्षित कर दिये गये हैं। इन क्षेत्रों में विदेशी नियन्त्रण कम्पनियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जो कम्पनियां पहले से ही हैं उनकी क्या स्थिति है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में दो बातें पूछी हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि चालीस प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी वाली वर्तमान कम्पनियों के बारे में क्या कार्यवाही की जाती है। इन कम्पनियों पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम लागू होता है, जिसके अन्तर्गत इन कम्पनियों को अपनी गतिविधियां चालू रखने के लिये रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी पड़ती है। वे इस पूंजी सहयोग को कम करने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित कर रहे हैं। भविष्य के लिये यह पहले से ही निर्धारित है कि सरकार 40 प्रतिशत से अधिक पूंजी सहयोग की अनुमति नहीं देगी। इसलिये, लाइसेंस नीति ही इस बारे में स्थिति को सही दिशा में ले जायेगी।

Shri Madhu Limaye : These were two parts of the question. One was regarding the foreign Companies and the other was regarding their Branches. But the honourable Minister has mixed up both these questions and so far as Branch Companies are concerned, no reply has so far been given. After all, will the questions be repplied to in this manner? How the questions could be asked like that? Would you kindly give your willing about this? My question is...............

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : क्या मैं इस प्रश्न पर उत्तर दे सकता हूं? मुझे इसका पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन...

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I have addressed you. Every question is being answered like that.

How the subsidaries like colgate Palmolive, cheese Bra Pond, of the foreign Companies are being checked, because there is no question of equity participation? Colgate Palmolive was started with a capital of Rs. one lakh and it has repatriated a sum of Rs. 58 lakhs only during the last year. The Coca Cola had invested only Rs. 6 lakhs and it has repatriated a sum of Rs. 6 Crores. In the jungle of laws no body knows about the case of licenced Capacity, Registered Capacity and C.O.B. etc. This should be explained.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि जहां तक विदेशी कंपनियों की शाखाओं का सवाल है, हम उनसे बचने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः अधिनियम काफी व्यापक है। उपबन्ध में बताया गया है कि "विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 (1) के उपबन्धों के विपरीत प्रभाव के बिना तथा कम्पनी अधिनियम की धारा 47 में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी, भारत से बाहर रहने वाला, व्यक्ति, चाहे वह भारत का नागरिक हो अथवा नहीं अथवा ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है परन्तु भारत में रह रहा है, अथवा बैंकिंग कम्पनी के अतिरिक्त कोई कम्पनी जिसका भारत में किसी कानून के अन्तर्गत उल्लेख नहीं हैं, अथवा जिसमें अनिवास ब्याज 40 प्रतिशत से अधिक है अथवा ऐसी कम्पनी कोई भी व्यक्ति, रिजर्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना, ऐसा नहीं कर सकेगा....."

अतः कम्पनियों के अतिरिक्त शाखायें इसके अन्तर्गत आ जाती हैं। इसका ध्यान रखा जायेगा। उत्तर में कोई कमी नहीं है क्योंकि उसके अन्तर्गत दोनों ही आती हैं।

Shri Madhu Limaye : May I know the steps the Government are taking to exercise control over it? I am not concerned with provisions they have made.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : अधिनियम अभीपारित हुआ है और सभी वर्गों की कम्पनियों के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये जा रहे हैं। यदि मुझे ठीक तरह याद है, ये 1 जनवरी, 1974 से लागू होगा। सदन द्वारा प्रस्त पहले ही निर्धारित कर दिये गये विनियमों के अनुसार सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

Shri Satpal Kapur : May I know the purpose underlying the discretion they exercise in respect of certain companies? Why a uniform policy is not adopted for all the cases?

There are certain foreign companies in consumer good industry also. We have got national talents; we can manufacture these things indigenously since this type of manufacture does not require complicated technical know-how. May I know the reasons as to why the government intend to retain these companies in consumer goods?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : पहला प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान कम्पनियों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाता है। इस सम्बन्ध में हमने एक अधिनियम बनाया है और उसे हम लागू करते हैं। यह एक नीति निर्णय की बात है उनका हम अधिग्रहण करें अथवा राष्ट्रीयकरण करें; यह नीति का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में मैं उत्तर नहीं दे सकूंगा।

जहां तक उन चीजों पर नियंत्रण की बात है इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। स्वविवेक से कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। मार्गदर्शी सिद्धान्त उद्योगों के प्रकारों तथा उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जायेगा इस सम्बन्ध में विशिष्ट होंगे। जैसे ही मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार हो जायेंगे उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा। मुझे बताया गया है कि ये आज या कल में ही बहुत शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिये जायेंगे। मार्गदर्शी सिद्धान्त आ जाने पर उनका अनुसरण किया जायेगा। स्वविवेक का प्रश्न ही नहीं रह जाता।

Theft In The Kali Temple In Kalkaji, New Delhi

550* Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Bhagirath Bhanwar :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whther a theft worth about Rs. 12,000 was committed in the historic temple of Kali in Kalkaji, New Delhi;

(b) whether the bad-characters have started making the general religious places in Delhi their targets;

(c) whether the Delhi Police has failed in arresting them; and

(d) the steps being taken to end the resentment prevailing among the people?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) According to information received from Delhi Administration a theft occurred in the temple in the night between 23rd and 24th November, 1973 and property worth about Rs. 3,000/- was stolen. The case is under investigation.

(b), (c) and (d) : There has been some increase, in the current year, in the number of cases reported of thefts from places of worship as compared to the last year. The police have undertaken investigation of all these cases and where the investigation has been successful, put up the cases for trial in court. As part of the steps taken by the Police to check and control crime, suspicious characters are kept under surveillance and, where necessary also arrested under preventive sections. Patrolling in areas where places of worship are located has been intensified.

Shri Shiv Kumar Shastri : The answer is quite unsatisfactory and incomplete. The hon. Minister has said that the inquiry is going on. He should have given at least the details regarding the persons arrested. May I know the time by which inquiry will be completed and whether the persons working in the temples have also been found involved in those cases of the theft in temples for which inquiries have already been completed and arrests made?

श्री एफ० एच० मोहसिन : जैसा कि मैंने बताया है, जांच चल रही है पुलिस ने 24 व्यक्तियों के बयान लिये हैं। परन्तु, दुर्भाग्यवश कोई सुराग नहीं मिला है। पहले पुलिस को मन्दिर के समीपवर्ती गांव निवासियों पर सन्देह था। गांव के बहुत से संदेहास्पद व्यक्तियों की तलाशी ली गई। ऐसे 7 व्यक्तियों के घरों की तलाशी ली जा चुकी है परन्तु अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। जांच चल रही है। जहां तक इस अपराध में कुछ व्यक्तियों के लिप्त होने की बात है हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इस समय मैं इससे अधिक बताने की स्थिति में नहीं हूं। जांच अभी चल रही है।

Shri Bhagirath Bhanwar : The hon. Minister in reply to parts (b), (c) and (d) of the question has said that there has been an increase in the current year in such cases as compared to the last year. Thisi ncrease he has specifically mentioned about religious places. May I know whether there is any increase in the incidences of thefts, robberies, loots, cheating and kidnapping at other places also and if so the reasons therefor, and the arrangements

government propose to make in this regard? Sir, one thing more. Last year there was a theft in my flat. The thief was arrested and the articles which he had stolen were recovered from him.

Mr. Speaker : The Question is about the Temples.

Shri Bhagirath Bhanwar : Sir, I have submitted that the thief was arrested and the articles were recovered but the same have not been handed over to me by the police. My typewriter was stolen. The thief had committed his crime and the typewriter was recovered from him. May I know the action being taken by the government to check the increase in such cases.

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह प्रश्न धार्मिक स्थानों पर चोरी के बारे में था......

अध्यक्ष महोदय : घर भी मन्दिर है।

श्री एफ० एच० मोहसिन: और धार्मिक स्थानों पर चोरी के प्रश्न का उत्तर दे दिया गया। यह ठीक है कि चोरी की सामान्य घटनाओं में वृद्धि हो रही है, केवल धार्मिक स्थानों पर ही नहीं अपितु दूसरे स्थानों पर भी। यदि सदन की रुचि है तो मैं आंकड़े भी बता सकता हूं। सामान्य रूप से विगत एक, दो वर्षों से चोरी की घटना बढ़ती हैं, धार्मिक, पूजा के स्थानों पर आपराधिक मामले तुलनात्मक रूप में बढ़ रहे हैं......

एक माननीय सदस्य : इसके क्या कारण है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : कारण स्पष्ट है। आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसके साथ ही, विशेषकर दिल्ली में, जनसंख्या भी बढ़ी है, औद्योगीकरण बढ़ा है और पुलिस स्टेशन जाकर अपराध के मामले को दर्ज कराने की चेतना में भी वृद्धि हुई है।

Mr. Speaker : He has not asked about such details.

Shri Satpal Kapur : What about his typewriter, will he get it or not?

श्री एफ० एच० मोहसिन : हमें पता नहीं कि उन्होंने शिकायत भी दर्ज करायी है कि नहीं। हम पता लगाने का प्रयास करेंगे।

Shri Bhagirath Bhanwar : Complaint has been registered. The Police have arrested the thief.

Mr. Speaker: I do not know whether the articles stolen from the temple will be recovered or not but you will definitely get your typewriter.

पांचवी योजना पर रूसी प्रतिनिधिमण्डल के साथ बातचीत

*55। **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री वी० मायावन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत नेता के साथ आये प्रतिनिधिमण्डल के साथ उनकी बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सोवियत सरकार भारत को किन क्षेत्रों में सहायता देगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस (यू० एस० एस० आर०) भारत को जिन मुख्य क्षेत्रों में सहायता देगा वे हैं: भिलाई और बोकारों में इस्पात और लोहे के उत्पादन में विस्तार, मथुरा

में तेल रिफायनरी का निर्माण, प्रतिजीवी तथा सांश्लेषिक औषधी का अधिक माला में उत्पादन, कलकत्ता भूमिगत रेलवे का निर्माण, कच्चे ताम्बे की खानों की खुदाई और मलजखंड में कापर कन्सेंट्रेटर का निर्माण, चुने हुये क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, कोयले का अधिक उत्पादन, देश में रूस की सहायता से चलने वाली परियोजनाओं में उत्पादन अधिकतम बढ़ाना और बिजली के उत्पादन तथा पारेषण में वृद्धि करना। इसके अलावा रूस हमारे इंजीनियरों तथा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने में तकनीकी सहायता देगा और बिजली घरों के निर्माण व चालू करने के काम में शीघ्रता से पूरा करने, रखरखाव तथा संचालन में सहायता देने के लिये अपने विशेषज्ञों को भेजेगा।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रूस के नेताओं ने सहायता की माला के बारे में कुछ बताया है जो अमरीका के कठोर दृष्टिकोण अपनाने के कारण पंच-वर्षीय योजना के लिये कमी को पूरा करने के लिये दी जायगी?

श्री मोहन धारिया : इन सब बातों का अध्ययन किया जा रहा है और इसके आंकड़े निकाले जायेंगे। इस समय सहायता की सही माला के बारे में बता सकना संभव नहीं है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या सरकार अन्य देशों से भी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है और किन-किन देशों से?

अध्यक्ष महोदय : यह यहां किस प्रकार सम्बद्ध है। आपका प्रश्न किसी प्रतिनिधिमंडल से बात चीत के बारे में था।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : यह हमें मिलने वाली सहायता के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। अब आप समस्त विश्व की बात कर रहे हैं। आप मूल प्रश्न से उठने वाला एक प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई नहीं।

श्री मायावन : मैंने उन्हें बहुत दिन से नहीं देखा है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मंत्री महोदय ने विभिन्न क्षेत्रों की जो परियोजनायें बताई हैं उनका सही पता लगाने के लिये क्या संयुक्त अध्ययन दल जो भारत रूस संधि के अन्तर्गत बनाया जा चुका है, ही इनका पता लगायेगा अथवा वह कौन सी एजेन्सी होगी जो विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनायें बनायेगी?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : भारत और रूस का एक संयुक्त आयोग है जिसे सब मामलों का पता है और जो विभिन्न क्षेत्रों के विकास से संबंधित है और वह आयोग परियोजना बनाने का कार्य कर रहा है। यह आयोग रूसी तथा भारतीय प्रतिनिधि मंडलों के बीच हुये विचारों के आदान प्रदान के सम्बन्ध में भी कदम उठायेगा?

Shri Bibhuti Mishra : The scheme of planning was intimated by Russia and so far as my knowledge goes, they, trust of all emphasised the generation of power. May I know whether the government have reached any agreement with Russia regarding the maximum generation of power so that the agriculture and the industries of the company may get power supply in adequate quantity and there is no shortage of power in the country?

Mr. Speaker : He has told every thing about the government.

Shri Mohan Dharia : I have already said that we had a detailed discussion with them regarding generation of power. The discussions are still in progress about our requirements in this regard.

Shri Bibhuti Mishra : What is our requirement and the question of their assistance?

श्री मोहन धारिया : जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया है, जनरेटर्स, टरबाइन्स तथा अन्य वस्तुयें मंगाने के प्रश्न का अध्ययन संयुक्त आयोग द्वारा किया जा रहा है और इसी के आधार पर हम आगे बातचीत करेंगे और आवश्यक सहायता प्राप्त करेंगे।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : तेल की खोज के सम्बन्ध में रूस ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के साथ देश में तेल की खोज करने के लिये क्या सहायता अथवा सहयोग देने की पेशकश की तथा किन शर्तों पर?

श्री डी० पी० धर : निश्चित शर्तें अभी तय की जानी हैं । परन्तु सामान्य रूपरेखा के रूप में मैं यह बता सकता हूं कि सर्वेक्षण करने, खोज कार्य करने तथा भूगर्भीय सर्वेक्षण और तेल का पता लगाने के लिये आवश्यक उपकरणों का आयात करने के मामले में जहां हमें कठिनाइयां आएंगी हमें रूसी सहायता उपलब्ध होगी ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय के उत्तर को ध्यान में रखते हुये कि कलकत्ता भूमिगत रेल परियोजना पर भी रूस के साथ बातचीत हुई थी, मैं यह जानना चाहता हूं कि बात चीत किस सम्बन्ध में हुई क्या यह कच्चा माल सप्लाई करने के बारे में हुई अथवा रूस से तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के सम्बन्ध में हुई।

श्री डी० पी० धर : कलकत्ता भूमिगत रेलवे के बारे में रूस की सहायता से एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था और हमें आशा है कि इस परियोजना को पूरा करने के लिये उन से कच्चा माल, उपकरण और विशेषज्ञ सलाह मिलेगी और हमें यह भी आशा है कि इस परियोजना के लिये अपेक्षित बड़े पुर्जे तथा उपकरणों का निर्माण देश में ही करने के लिये रूस से सहायता मिलेगी ।

Post Office on Lawrence Road, Delhi

*552. **Chaudhary Dalip Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is no Post Office in A-1 or any other Pocket, Lawrence Road, Delhi-35;

(b) whether any representation has been received from the residents of A-1 Pocket Lawrence Road requesting for opening a Post Office in that area; and

(c) if so, what action has been taken by Government in the matter?

The Minister of Communications (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The Post Office was sanctioned in March 1972. The area being within the housing scheme of the Delhi Development Authority, no accommodation could be secured for the Post Office as the Delhi Development Authority does not permit hiring of accommodation in residential area for any other purpose. Such restrictions do not apply to the Community Centre which is now coming up in the colony. Efforts are being made to obtain a suitable accommodation in this Community Centre and the P.O. will be opened as soon as the accommodation is made available.

Shri Dalip Singh : The D.D.A. earmarks plots for facilities like Police Stations, hospitals of the time at developing lands. I want to know whether any plot has been earmarked for Post Office? If the plot has been earmarked then will he try to open post office there and if the plot is not available then will he intimate the specific date when the Post Office will be opened?

Shri Raj Bahadur : There is restriction in the residential colonies for giving accommodation for Post Office. But where Community Centre comes up, such facility is provided there and we are trying for it.

Shri Dalip Singh : The hon. Minister has not stated the specific date of opening the Post Office. Since the population has increased around 25 to 30 thousands and the people have to go upto two miles for getting a Post Card, will he send a mobile Post Office there till the Post office is opened there?

Shri Raj Bahadur: The fact that a Post Office was sanctioned in March, 1972, tells. our anxiety for the same and as I have stated in my reply that as soon as the land is available we will construct a building. So far as the mobile Post Office is concerned, I will get the matter looked into.

Shri H.K.L. Bhagat : May I know whether permission was sought from D.D.A. for any particular house. The hon. Minister knows it because if permission is sought in residential colonies for Public Services then it is given. I want to know whether permission was sought for, any particular house in this matter or not or it has been presumed that permission will not be given?

Shri Raj Bahadur : I cannot say whether permission was sought for any particular house or not but it is certain that if our department does not respect the restriction of D.D.A. then who will observe it **(Interruptions)**. I will be happy if the hon. Member uses his influence on them.

कलकत्ता में केबल की चोरी

*557. **श्री एम० सुदर्शनम् :**

श्री सी० के चन्द्रप्पन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन को केबल की चोरी से प्रतिवर्ष 6 लाख रुपये का कथित नुकसान हो रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या उपचारात्मक उपाय अपनाने का विचार है?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कलकत्ता टेलीफोन्स के केबुलों की चोरी के कारण सालाना कुछ हानि होती रही है। वर्ष 1972-73 के दौरान 6 लाख रुपये से अधिक की हानि हुई थी।

(ख) (i) इस प्रकार होने वाली चोरी की घटनाओं को कम करने में मदद मिल सके, इस दृष्टि से (पश्चिम बंगाल के पुलिस विभाग की ओर से) अनेक क्षेत्रों में विलेज रेजिस्टेंस ग्रुप्स स्थापित किये गये हैं।

(ii) दूर संचार सामग्री की चोरी की रोकथाम के लिये डाक तार महानिदेशक ने पश्चिम बंगाल के सी० आई० डी० के अधीन आजमायशी तौर पर एक विशेष खुफिया सेल स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।

(iii) इस समस्या पर काबू पाने के लिये पश्चिम बंगाल राज्य की पुलिस के साथ निकट संपर्क रखा जा रहा है।

श्री एम० सुदर्शनम : मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या चोरियों की रोकथाम के लिये भूमिगत केबल्स बिछाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री राज बहादुर : इस बारे में एक नियमित कार्यक्रम है, हमने को-एक्सल केबल्स बिछाये हैं तथा माइक्रोवेव प्रणाली भी स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त ताबों के तारों के स्थान पर हम तांबें का मुलम्मा चढ़ाये हुये ऐल्युमीनियम के तारों का प्रयोग कर रहे हैं तथा तारों की चोरियों को कम करने के लिये अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं,

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि तारों की चोरियां केवल कलकत्ता टेलीफोन विभाग में ही नहीं होती हैं अपितु देश के अन्य भागों में भी होती हैं? क्या मंत्री महोदय इसके बारे में जानते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न केवल केबलों की चोरियों के बारे में हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जी हां, क्योंकि इसके कारण टेलीफोनों को नुकसान पहुंचता है मेरा प्रश्न है कि क्या यह सच है कि कलकत्ता टेलीफोन विभाग को खराब माल सप्लाई किया जाता है जिसके कारण ग्राहकों को भी हानि उठानी पड़ती है?

श्री राज बहादुर : किसी सेवा को बेहतर और संतोषजनक बनाने के लिये व्यक्ति, उपकरण तथा प्रबन्धक को मिलकर काम करना होता है, जब मैं व्यक्ति शब्द का प्रयोग करता हूं तो इसका तात्पर्य सभी वर्ग के लोगों से है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जान सकता हूं कि क्या कलकत्ता टेलीफोन को इसके कारण भी हानि होती है? इसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को हर रोज टेलीफोन प्रणाली में खराबी के कारण परेशान होना पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले आप मुझे बताइये कि यह इस प्रश्न से कैसे संबंधित है।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : केबलों की चोरियों के कारण इस विभाग को प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ता है, यह केवल कलकत्ता में हीं नहीं हो रहा है । देश के अन्य भागों में भी ऐसा हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन बड़े व्यापारियों को, जिन्हें चोरी किये गये केवल बहुत ही कम मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, भी गिरफ्तार किया गया है ?

श्री राज बहादुर : इसको किसी दूसरी जगह भी बेचा गया होगा ।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : क्या आपको इसके बारे में कोई विशेष जानकारी है?

श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूंगा यदि वे मुझे इसके बारे में जानकारी दें।

श्री मोहन राज कलिंगारायर : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है जो केबलों की चोरी और उन्हें बहुत कम मूल्य पर व्यापारियों को बेचें जाने के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। ये प्रश्न केबलों की चोरियों को रोकने के सम्बन्ध में उपाय बताने के बारे में है। आप कह रहे हैं कि केबलों को भूमिगत किया जा रहे हैं ।

श्री राज बहादुर : जी नहीं, मैंने बताया है कि यह एक उपाय है जिसके लिये हम सतर्कता द्वारा अर्थात् विशेष प्रकार के तारों को बिछाकर इसकी रोकथाम करने के लिये कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई अपराधी गिरफ्तार किया गया है? प्रश्न यह है कि क्या कोई अपराधी गिरफ्तार किया गया है?

श्री राज बहादुर : मुझे जानकारी एकत्रित करनी है। इस बारे में कुछ मामले हो सकते हैं ।

दिल्ली में नियुक्त राज्य सूचना अधिकारियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था

*558. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री दिनांक 25 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1972 में हुये राज्यों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि दिल्ली में नियुक्त राज्य सूचना अधिकारियों को केन्द्रीय पूल में से क्वार्टर दिये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां । निर्माण और आवास मंत्रालय, जिसके साथ पहले मामला उठाया गया था, ने सूचित किया था कि अधिकांश राज्यों ने भारत सरकार के साथ पारस्परिक प्रबन्ध किये हैं और इस करार के अन्तर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिल्ली/नई दिल्ली में यथासंभव सीमा तक रिहायशी स्थान दिये जा रहे हैं ।

श्री अर्जुन सेठी : यद्यपि मंत्री महोदय का उत्तर हां में है, परन्तु फिर भी अनेक राज्यों के अधिकारियों को क्वार्टर नहीं दिए जा रहे हैं।

इस संदर्भ में, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन राज्यों के नाम क्या हैं और अधिकारियों को क्वार्टर न देने के क्या कारण हैं, इस बारे में मैं उड़ीसा का उल्लेख करूंगा। इसके क्या कारण हैं ?

श्री धर्मवीर सिंह : यह प्रश्न मूलतः निर्माण, आवास तथा नागरिक विकास मंत्रालय से संबंधित है। जहां तक उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी का संबंध है, हम इस संबंध में निर्माण, आवास तथा नागरिक विकास मंत्रालय से बात करेंगे ।

Shri Ramavtar Shastri : I want to know the members of the State Information Officers of which live in Delhi and how many of them have been provided with quarters and how many of them have applied for quarters?

श्री धर्मवीर सिंह : यह सूचना निर्माण और आवास मंत्रालय से एकत्रित करनी होगी । हमारे पास राज्य सूचना अधिकारी एसोसिएशन के सदस्यों की सूची है और मेरे विचार में इसमें 18 सदस्य हैं। जहां तक आवेदन करने वालों और जिनको क्वार्टर मिल गए हैं उनके बारे में जानकारी का प्रश्न है, यह निर्माण तथा आवास मंत्रालय से एकत्रित की जाएगी अथवा यह प्रश्न उनको भेजा जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWER TO QUESTION

डाक-लिफाफों तथा अन्तर्देशीय-पत्रों पर टिकटों की कथित त्रुटिपूर्ण छपाई

*545. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के प्रेस समाचारों की ओर दिलाया गया है कि डाक लिफाफों और अन्तर्देशीय पत्रों पर टिकटों की छपाई त्रुटिपूर्ण है अर्थात केसरिया रंग के स्थान पर लाल रंग है, धर्म चक्र के स्पोक टूटे हुए हैं और वे भी संख्या में 24 नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसमें सुधार करने और भारतीय डाक टिकटों में ऐसी अन्य त्रुटियां को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक अन्तर्देशीय पत्र कार्ड और एम्बास किए हुए लिफाफों का प्रश्न है, हालांकि इनकी छपाई में हर स्तर पर बड़ी सावधानी बरती जाती है, फिर भी यदा कदा एम्बास किए हुए लिफाफों और अन्र्देशीय पत्र कार्डों की छपाई में रंग में फर्क और दो बार क्रीजिंग आदि की भूल-चूक हो ही जाती है।

'शहीदों को श्रद्धांजलि' डाक टिकट बहुरंगी छपा था और राष्ट्रीयध्वज की केसरिया रंग की पट्टी में लाल रंग का हल्का पुट आ गया था। यह डाक टिकट बहुत जल्दी में निकालना पड़ा था। इसलिए रंग का मामूली फर्क निगाह में नहीं आ सका।

जहां तक धर्म चक्र के स्पोकों का प्रश्न है, इस संबंध में सिर्फ ऐसी रिपोर्ट मिली है कि राष्ट्रपति अंग रक्षक की दो सौवीं वर्षगांठ के संबंध में जारी किए गए प्रथम दिवस आवरण और वर्ष 1970 में निकाले गए सोविनिर फोल्डरों में स्पोकें ठीक संख्या में नहीं दिखाई गई थीं। इस चक्र का आकर छोटा होने के कारण स्पोकों की संख्या की विसंगति पकड़ में नहीं आ सकी।

(ग) डाक टिकटों, अन्तर्देशीय पत्र कार्डों आदि के रंग, डिजाइन आदि की बड़ी सावधानी से छानबीन करने के लिए कड़ी हिदायतें जारी कर दी गई हैं ताकि भविष्य में ऐसी गल्तियां न हों।

अखिल भारतीय छोटे तथा मध्यम स्तर के समाचार-पत्र संघ द्वारा अधिक अखबारी कागज की मांग

*546. **श्री पी० ए० सामिनाथन्** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे समाचार-पत्रों ने अधिक अखबारी कागज की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय छोटे तथा मध्यम स्तर के समाचार-पत्र संघ ने बड़े समाचार-पत्रों को दिए जाने वाले अखबारी कागज में और कटौती करने तथा छोटे तथा मध्यम स्तर के समाचार-पत्रों को पर्याप्त अखबारी कागज देने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) जी, हां। तथापि, अखबारी कागज के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना संभाव नहीं है। उपलब्धता में अत्यन्त कमी होने के कारण 1973-74 वर्ष के लिए समाचार पत्रों की अखबारी कागज की हकदारी में 30 प्रतिशत की एक समान कटौती करना जरूरी हो गया। जिन छोटे तथा मंझोले समाचार पत्रों की खपत संख्या 8 पृष्ठ स्तर की 15,000 प्रतियों तक हो, उनको, आवेदन करने पर, इस कटौती से छूट दी जाती है।

एडवर्ड मिल्स, ब्यावर, राजस्थान का आधुनिकीकरण

*553. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडवर्ड मिल्स, ब्यावर (राजस्थान), जिसे 1972 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, चालू हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो मशीनों के आधुनीकरण पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ग) आधुनीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि मिल ठीक प्रकार से चले, पर्याप्त कार्यकारी पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) 34.41 लाख रुपये की राशि मिल का आधुनिकरण करने के लिए स्वीकृत की गई है; इसमें राष्ट्रीय वस्त्र निगम का भाग 17.55 लाख रुपये और राज्य सरकार का भाग 16.86 लाख रुपये है। मिल ने स्वीकृत आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है जिसकी राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा जांच की जा रही है। इसी बीच, तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 2 लाख रुपये की राशि मिल को दी है।

(ग) अनुमान है कि आधुनीकरण कार्यक्रम मशीनरी के लिए क्रयादेश देने की तिथि से 18 से 24 महीने की अवधि में क्रियान्वित किया जायेगा।

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा मिल को कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त धनराशि (मार्जिन मनी) के रूप में 7.90 लाख रुपये दिये गये हैं।

बिहार सर्किल में डाक तथा तार विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा

*554. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सर्किल तथा पटना टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में किन-किन स्थानों पर अनधिकृत व्यक्तियों ने डाक तथा तार विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है ;

(ख) ऐसे अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा जिस भूमि पर कब्जा किया गया है उसका क्षेत्रफल कितना है;

(ग) क्या बिहार के एक विधायक तथा भूतपूर्व मंत्री ने किदवई-पुरी, पटना में डाक तथा तार विभाग की भूमि पर कब्जा कर रखा है हालांकि भूतपूर्व संचार मंत्री ने उस भूमि को उनसे खाली करवाने का आश्वासन दिया था; और

(घ) क्या सरकार ने अनधिकृत कब्जा धारियों से भूमि खाली करवाने के लिए कोई कार्य-वाही की है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जिन स्थानों पर अनधिकृत व्यक्तियों ने डाकतार विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

बिहार सर्किल

(i) जमशेदपुर, नवादा, कादिरगंज, वारसली गंज, बेतिया, लेसलीगंज, सुपौल, कनौली बाजार, कूचलिया, ढोली, दरभंगा और मधुबनी ।

(ii) **पटना टेलिफोन जिला**
किदवईपुरी, पटना ।

(ख) (i) बिहार सर्किल में लगभग 0.90 एकड़ और

(ii) पटना टेलीफोन जिले में 15960 वर्गफुट (लगभग 0.36 एकड़)

(ग) जी हां ।

(घ) अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम, 1971 (एक्विशन आफ अनथराइज्ड आकुपैंटस ऐक्ट, 1971) के अधीन सभी अनधिकृत अधिभोगिये से जमीन बेदखल कराने के लिए कार्रवाई शुरु कर दी गई है ।

आक्सीजन संयंत्र की स्थापना के लिए लाइसेंस दिए जाना

*555. **श्री के० पी० उड्डयन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में आक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए दिए गए बहुत से लाइसेंसों का स्वदेशी मशीनों की अनुपलब्धता तथा उनको आयात किए जाने में कठिनाइयों के कारण उपयोग नहीं किया जा सका ; और

(ख) यदि हां तो इन संयंत्रों को आरंभ करने के लिए उन्हें आवश्यक मशीनों का आयात करने की अनुमति देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :(क) और (ख) विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के कारण, सरकार ने तुरन्त आवश्यकताओं के लिए संयंत्र और मशीनरी का केवल सीमित आयात करने की स्वीकृति दी है। देश में इस समय आक्सीजन संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए यह सोचा गया कि आक्सीजन की अतिरिक्त आवश्यकता को नियमतः स्वदेशी संयत्रों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए और आयात की स्वीकृति विशेष परिस्थितियों में ही देनी चाहिए ।]

Generation of Atomic Energy

*556. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) the initial target fixed and programme chalked out in regard to the generation of atomic energy in the country;

(b) the progress made in this regard so far and the results achieved; and

(c) the future scheme in this regard?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c) The Profile for the development of atomic energy during the decade 1970-80, proposals for which had been made in 1968 though the Profile.

was itself finalised in 1970, envisaged the commissioning of 2700 MWe of nuclear power by 1980, 1000 MWe capacity of which was to be from units already set up or in the process of being set up and the balance of 1700 MWe was to be from three new units of 235 MWe each and two new units of 500 MWe each, construction on which was to be started during the Fourth Plan period. In addition to 420 MWe already installed at Tarapur, a further generating capacity of 870 MWe from two units of 200 MWe at Rajasthan Atomic Power Project and two units of 235 MWe each at Madras Atomic Power Project is expected to be added during the Fifth Plan period. During the Fifth Plan, work on one more CANDU power station (Narora) with a total generating capacity of 470 MWe with an improved and economic design is expected to be taken up. The delay in achieving the target is due to certain problems and constrains which have developed since the Profile was formulated. The revised Profile is almost ready.

Payment of Overtime Allowance

*559. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that amount of Overtime Allowance paid during the financial year 1972-73 to the employees working in his Ministry has considerably increased as against the amount paid during the years 1970-71 and 1971-72; and

(b) if so, the year-wise amount of expenditure incurred on Overtime Allowance during the above financial years?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) No, Sir.

(b) The expenditure incurred in this regard is as given below :—

	Rs.
1970-71	5,97,684
1971-72	5,39,400
1972-73	5,30,162

आंकड़े एकत्र करने वाली मशीनों का बनाया जाना

*560. **श्री के० बालकृष्णन** : क्या **इलैक्ट्रोनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में गत तीन वर्षों में कितने मूल्य के आंकड़े एकत्र करने वाली मशीनें बनायी गयीं ;

(ख) क्या इन मशीनों में प्रयुक्त प्रोफैशनल ग्रेड कम्प्यूटर भी भारत में बनाये जा रहे हैं;

(ग) इस क्षेत्र में आयात की जाने वाली मशीनों का स्थान लेने के लिए कितनी देशी मशीनों का विकास किया गया है ;

(घ) आंकड़े एकत्र करने वाली मशीनों के लिए कितने कारखाने उपकरण तैयार कर रहे हैं और इन उपकरणों की मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं ; और

(ङ) क्या इन उपकरणों के विकास से अन्य उद्योगों में भी इनका प्रयोग आरम्भ होगा।

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत में निर्मित डाटा प्रोसैसिंग मशीन के कुल मूल्य का पता लगाया जा रहा है ।

(ख) तथा (ग) : कम्प्यूटरों के निर्माण में प्रयोग आने वाले व्यावसायिक श्रेणी के औजारों की विविध किस्में जैसे सिल्कन डायोड्स, रेक्टीफायर्स, कैपिसिटर्स, रेसिस्टर्स, प्रिंटिंग सर्किट्स, रिलेज, आदि जो पहले आयात की जाती थी अब वे देश में ही तैयार की जा रही हैं।

(घ) कम्प्यूटर के निर्माणकर्ता बहुत से सप्लाई कर्त्ताओं से औजार खरीदते हैं। कम्प्यूटर निर्माणकर्त्ताओं की मुख्य किस्मों के औजार सप्लाई करने वाली यूनिटों की संख्या से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ङ) कम्प्यूटर के निर्माण में प्रयोग आने वाले व्यावसायिक किस्म के औजार दूर-संचार औद्योगिक नियंत्रणों और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले अन्य व्यावसायिक उपकरणों में भी उपयोग में आते हैं।

दिल्ली में हुआ अखिल भारतीय मुद्रक सम्मेलन

*561. **श्री अमर सिंह चौधरी :**

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय मुद्रक सम्मेलन में यह कहा था कि अखबारी कागज और छपाई के कागज की कमी कुछ और समय तक बनी रहने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो भाषण का सारांश क्या है और उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ;

(ग) क्या बहुत से छापाखानों के मालिक विदेशों से पुरानी और घटिया छपाई मशीनों का आयात कर रहे हैं, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस उद्योग को छपाई की नई मशीनें खरीदने हेतु वित्तीय सहायता और विदेशी मुद्रा की सुविधा प्रदान करेगी, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भाषण का सारांश नीचे दिया गया है :––

अखबारी कागज तथा छपाई के कागज की कमी काफी अर्से तक बनी रहने की संभावना है। मुद्रकों को छपाई के कागज के उपयोग में किफायत बरतनी चाहिए। किफायत बरतने का एक तरीका विचारों को थोड़े शब्दों में प्रकट करना हो सकता है। विदेशों से छपाई की पुरानी तथा घटियां मशीनें आयात करना वांछनीय नहीं होगा। ऐसी मशीनों के लिए आयात की नीति गलत है। यदि छपाई की मशीनें आयात करनी ही हैं तो वे आधुनिक माडल की होनी चाहिए। समाचारपत्रों को अखबारी कागज, उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार आवंटित किया जाता है।

छपाई तथा लिखाई के कागज से संबंधित सभी मामले औद्योगिक विकास मंत्रालय से संबंध रखते हैं ।

(घ) समाचार पत्रों को अन्य बातों के साथ-साथ छपाई की मशीनें खरीदने हेतु आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने के लिए समाचार पत्र वित्त निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है। छपाई की मशीनों के लिए आयात लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पत्रों पर विदेशी मुद्रा की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विचार किया जायेगा।

नमक का उत्पादन और निर्यात

⊃562. श्री बेकारिया :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1971-72 और 1972-73 में, राज्यवार नमक का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कुल कितनी मात्रा में नमक का निर्यात किया गाया ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) 1 और 2 विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं।

विवरण I

('000 मी० टनों में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1971-72 में हुआ नमक का उत्पादन	1972-73 में हुआ नमक का उत्पादन
1	2	3	4
1.	राजस्थान	521.2	615.8
2.	गुजरात	3328.2	3976.3
3.	महाराष्ट्र	460.0	590.5
4.	मैसूर	16.0	16.6
5.	केरल .	0.2	—
6.	तमिलनाडु .	1118.3	1069.8
7.	आन्ध्र प्रदेश	259.1	391.8
8.	उड़ीसा	24.8	86.7
9.	पश्चिम बंगाल	2.9	15.2
10.	हिमाचल प्रदेश	4.4	4.6
11.	गोवा, दिव और दमन .	9.0	12.4
12.	पांडिचेरी	—	0.8
	योग .	5744.1	6780.5

विवरण 2

क्रम सं०	राज्य का नाम	निर्यात की मात्रा (मी० टनों में)	
		1971-72	1972-73
1	2	3	4
1.	गुजरात	3,57,097	3,68,680
2.	तमिलनाडु	15,597	10,280
3.	राजस्थान	3,883	21,012
	योग .	3,76,557	3,99,972

डाक-तार कर्मचारियों को अग्रिम वेतन-वृद्धियां

*563. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रिम वेतन-वृद्धियां देने का लाभ अभी तक डाक-तार विभाग के आशुलिपिकों को नहीं दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को मद्दे नजर रखते हुए सरकार डाक-तार विभाग में काम कर रहे आशुलिपिकों को अग्रिम वेतन वृद्धियां देने के प्रश्न की जांच कर रही है।

वास्को-डी-गामा नगर के नाम में परिवर्तन

*564. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमण और दीव की सरकार ने वास्को-डि-गामा नगर का नाम बदल कर सांभाजी नगर रखने का प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने वास्को-डि-गामा का नाम बदल कर सांभाजी रखने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

दिल्ली में पेंशन के मामलों का निपटान

5308. **श्री के० मालन्ना :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के खजाने में पेंशन के मामलों के निपटान पर अन्य सब स्थानों से बहुत अधिक समय लगता है ;

(ख) यदि हां, तो पेंशन के कितने मामले छः मास से अन्तिम निपटान के लिए अभी भी लम्बित हैं; और

(ग) उन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली के खजानों में पेंशन के मामलों का निपटान प्रायः समय पर ही कर दिया जाता है।

(ख) दिल्ली के खजानों में कोई मामला छः मास से अधिक लम्बित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् में कर्मचारियों को पदोन्नति

5309. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नई दिल्ली के अधिकांश कर्मचारियों की पिछले 13 वर्षों से कोई पदोन्नति नहीं हुई, जबकि उसी अवधि में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के वर्तमान सचिव की छः बार पदोन्नति हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि नव सृजित पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के कर्मचारियों को पदोन्नति की जाती है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने नये पद बनाये गये और उनमें से कितने पदों को विभागीय उम्मीदवारों से भरा गया ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) विगत तीन वर्षों में नव सृजित तथा दर्जा बढ़ाये गये पदों की संख्या 32 थी तथा ये सभी पद विभागीय प्रत्याशियों द्वारा भरे गये थे। अधिकारियों को छोड़कर कर्मचारियों के 50 प्रतिशत से अधिक नवसृजित पद राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा दिये गये हैं। यह सही नहीं है कि विगत 13 वर्षों में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के अधिकांश कर्मचारियों की कोई पदोन्नति नहीं की गई है । कुल 150 कर्मचारियों में से (अधिकारियों को छोड़कर) 31 मार्च 1973 तक विगत पांच वर्षों में कर्मचारियों को 40 पदोन्नतियां की गई हैं। यह तो सही है कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के वर्तमान सचिव की विगत 13 वर्षों में 6 पदवृत्तियां हुई हैं।

Issue of import licences for cement to M.P.

5310. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether in view of the bottle-necks created in making progress in irrigation works due to inadequate and delayed supply of cement to Madhya Pradesh, the Central Government are prepared to grant import licences to Madhya Pradesh Government; and

(b) if not, whether the Government of India propose to take certain other steps with a view to making adequate and timely supply of cement to Madhya Pradesh?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Kumar Pranab Mukherjee) : (a) and (b) Against average monthly desptaches of 62,000 tonnes of cement made to the state of Madhya Pradesh during 1972, the average monthly despatches made during January to October, 1973 were 55,000 tonnes. The short-fall in supplies to Madhya Pradesh was part of overall shortage of cemet in the country because of severe power-cuts,

inadequate availability of coal and labour strikes in some factories during first half of the current year. At present, the import of cement is not considered necessary. Efforts are being made to increase production of cement in the country. Within the over-alls availability of cement in the country, timely supplies are made to the States.

उपभोक्ताओं के हितों की देखभाल करने के लिये केन्द्र तथा राज्यों में अलग-अलग विभाग

5311. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं के हितों की देखभाल करने के लिए केन्द्र तथा राज्यों में अलग-अलग विभागों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिर गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फिल्मों में विदेशी भू-भाग तथा स्थलों को न फिल्माने के बारे में फिल्म निर्माताओं को आदेश

5312. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की बचत के लिए फिल्म निर्माताओं को विदेशी भू-भाग तथा स्थलों को अपनी फिल्मों में न फिल्माए जाने वाले तथा केवल भारतीय भू-भाग तथा स्थलों को ही फिल्माने के बारे में क्योंकि देश में ही विविध प्रकार के स्थल उपलब्ध हैं कोई निदेश जारी किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय फिल्म निर्माताओं को 1972-73 और 1973-74 में विदेशों में फिल्में बनाने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई तथा फिल्मों और उन फिल्म निर्माताओं संबंधी ब्योरा क्या है जिनको विदेशी मुद्रा दी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, विदेशी मुद्रा रिलीज करने के लिए सिफारिशें करने से पूर्व विदेशी स्थलों पर शूटिंग करने की आवश्यकता की स्वीकृत राशि से पांच गुना आय अर्जित करने का वचन दिए जाने पर जांच की जाती है।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	उस प्रोड्यूसर/कम्पनी का नाम जिसको विदेशी मुद्रा रिलीज की गई	फिल्म का नाम	सरकार द्वारा स्वीकृत राशि
1	2	3	4
	1972		
1.	मैसर्स फिल्म फील्ड, बम्बई . .	'दयारे-मदीना'	£5,832
2.	मैसर्स सुचित्रा कला मन्दिर, मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स	'रूप तेरा मस्ताना'	£2,000
3.	मैसर्स स्नेह फिल्म, बम्बई . .	'हिन्दुस्तान की कसम'	£2,500
4.	मैसर्स नवकेतन इंटरनेशनल फिल्म प्रा० लि०, बम्बई	'हीरा पन्ना'	£1,000

1	2	3	4
	1973		
1.	मैसर्स रासी एंटरप्राइजेज, मद्रास	'अवन्नन मनितन'	रु० 21,000
2.	मैसर्स शिव प्रोडक्शंस, बम्बई	'अंगार'	£5,000
3.	मैसर्स आर० के० इंटरनेशनल, बम्बई	'धर्मात्मा'	रु० 75,000
4.	मैसर्स पिक्स इन्टरनेशनल, बम्बई	'शाका'	£2,000

Scheme for the Protection of Sadhus and Priests

5313. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating any scheme for the protection of sadhus and priests;

(b) whether an inter-State conspiracy has been discovered behind it; and

(c) if so, whether Government have found out the gangs involved therein?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) (a) No, Sir. There is no particular scheme under consideration of the Central Government in this regard. However, State Governments take necessary action to protect all the citizens living in their area.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

गोरली कोयला क्षेत्र में एक डाकघर खोलना

5314. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंधी जिले में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के गोरली कोयला क्षेत्र में एक नये डाकघर खोलने के लिए अपेक्षित धनराशि काफी पहले जमा करा दी गई है ;

(ख) क्या इस धनराशि के जमा कराने के बावजूद वहां पर अभी तक कोई डाकघर नहीं खोला गया है ; और

(ग) इस विलम्ब के क्या कारण हैं और यह सुविधा कब तक प्रदान की जाएगी ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) से (ग) पहली बार यह रकम नकद जमा नहीं कराई गई थी बल्कि तारीख 1-9-73 को चैक के जरिए जमा कराई गई थी । बाद में यह रकम नकद जमा करा दी गयी थी और तारीख 28-11-73 को डाकघर खोल दिया गया था ।

संयुक्त सचिव अथवा सरकारी उपक्रम में प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के लिये राज्य संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की सेवावधि

5315. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सचिव अथवा सरकारी उपक्रम अथवा सांविधिक निगम में **प्रबन्ध निदेशक** जैसे पद पर नियुक्ति के लिये राज्य संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकायियों के लिये कोई सेवावधि निर्धारित की गई है ; और यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) उड़ीसा संवर्ग के उन भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के नाम क्या हैं जो इस समय केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों/निगमों में गत तीन वर्षों से अधिक समय से संयुक्त सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं ;

(ग) उनकी प्रतिनियुक्ति की प्रारम्भिक अवधि क्या थी और उनमें से प्रत्येक की सेवावधि कितनी बार बढ़ाई गई ; और

(घ) उनकी बढ़ाई गई वर्तमान सेवावधि अथवा प्रारम्भिक सेवावधि के समाप्त होने पर उन्हें सम्बद्ध राज्यों को अब तक वापिस भेजे जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमन्। सामान्यतः केन्द्र में संयुक्त सचिव के स्तर के पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को 5 वर्ष की सेवावधि तक रखा जाता है । किन्तु, इस अवधि को प्रत्येक मामले पर उचित विचार करने के बाद लोकहित में बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है ।

विद्यमान आदेशों के अधीन, केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों / निगमों के प्रबन्ध निदेशकों को जो इस स्तर के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं, सामान्यतः 2 वर्ष की अवधि दी जाती है, जिसके दौरान उन्हें संबंधित उद्यम में स्थायी रूप से विलय हो जाने अथवा अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित हो जाने में से किसी एक का विकल्प देना होता है । आपवादिक परिस्थितियों में, जहां लोकहित में आवश्यक हो, विकल्प देने की अनुमत्त अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

(ख) से (ग) उड़ीसा संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो गत तीन वर्षों तथा उससे अधिक समय से केन्द्र में संयुक्त सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक के प ों पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहें हैं

नाम तथा पद का नाम	केन्द्र में किस तारीख से सेवा कर रहे हैं।	स्वीकृति सेवावधि में वृद्धि (वृद्धिया)	वर्तमान सेवावधि की समाप्ति की तारीख
1	2	3	4
1—केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में			
1—श्री के० एस० रघुपति (1945) संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय । .	28-9-1951*	1-6-1973 से 31-3-1974 तक	31-3-1974
2—श्री प्रमोद सिंह (47) सदस्य टेरिफ कमीशन बम्बई । . . .	27-4-1970	—	13-1-1975 को सेवा निवृत होंगे।

1	2	3	4
3–श्री के० एस० बावा (1951) संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग ।	28-5-1970	—	27-5-1975
4–श्री वी० ग्रार० पटेल (1951) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	21-9-1970	—	20-9-1975
5–श्री वी० नटराजन (1951) सचिव, बड़े ग्रौद्योगिक गृहों के संबंध में जांच ग्रायोग।	4-7-1970	—	3-7-1975
II––केन्द्रीय सरकार के सरकारी उपक्रमों/निगमों में			
1–श्री जे० ए० दवे (1946) प्रबन्ध-निदेशक, भारतीय खाद्य निगम ।	20-3-1957*	दिनांक 4-11-1968 को भारतीय खाद्य निगम में प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए। दिनांक 3-11-1971 से 5-12-1971 तक ग्रवकाश पर रहे। दिनांक 6-12-1971 से भारतीय खाद्य निगम में प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त किए गए।	उपयुक्त उत्तराधिकारी का चयन होने तक ।

*सामान्य सेवावधि नियम लागू नहीं होता था, क्योंकि ग्रधिकारी का नाम भूतपूर्व केन्द्रीय प्रशासन पूल में नियुक्ति के लिये पृथक रखा गया था । दिसम्बर, 1972 के पूल की समाप्ति पर, दिनांक 1-6-1973 से ग्रधिकारी पुन: सेवावधि नियम के ग्रध्यधीन हो गए ।

Housing Plots given to Scheduled Castes Landless Labourers of Madhya Pradesh

5316. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of plots for constructing houses given to the landless labourers of Scheduled Castes of Madhya Pradesh during the period of Fourth Five Year Plan so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

Allotment of Land to Harijans of Burhanpur for Construction of Houses

5317. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether any land has been allotted to Harijans of Burhanpur Tehsil in East Nimar District of Madhya Pradesh for construction of houses;

(b) if so, the acreage thereof; and

(c) whether any register showing the details regarding acquisition and allottment of this land in the said district has been prepared?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) to (c): The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

Closure of Small Industries in Madhya Pradesh due to shortage of raw materials

5318. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether there is a great shortage of raw materials for small scale industry in Madhya Pradesh;

(b) whether many industries have been closed down due to non-availability of raw materials; and

(c) if so, the steps being taken by Government to ensure adequate supply thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) There is a general shortage in the country of certain categories of steel and non-ferrous metals and chemicals like plastic raw materials.

(b) The information is being collected from the Madhya Pradesh Government and will be laid on the Table of the House.

(c) Efforts are being made to increase allocation of raw materials depending upon their availability.

पर्यावरण योजना और समन्वय संबंधी समिति

5320. **श्री अरविंद एम० पटेल** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण योजना और समन्वय संबंधी समिति का गठन किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देश पद क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

राष्ट्रीय पर्यावरणीय आयोजना एवं समन्वय समिति के वचारार्थ विषय

(1) देश के आर्थिक विकास, जनसंख्या की वृद्धि और जनसंख्या के फैलाव के सन्दर्भ में देश के मानव-पर्यवरण संबंधी समस्याओं के अभिज्ञान व अनुसंधान द्वारा उसे श्रेष्ठ बनना तथा उसका आरक्षण करना ।

(2) उन नीतियों एवं कार्यक्रमों पर पुनर्विचार जिनका वातावरण के गुण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, तथा सरकारी अधिकारियों, संबंधित उद्योगों के पर्यावरण के दुष्प्रभाव तथा समीचीन पर्यावरणीय प्रबन्ध के मामलों, गतिविधियों, नीतियों और कार्यक्रमों पर परामर्श देना ।

(3) पर्यावरण-व्यवस्था के लिये उत्तरदायी प्रशासन तंत्र, नियम और वर्तमान सरकारी कानूनों पर पुनर्विचार करके संबंधित अधिकारी वर्ग को आवश्यक परिवर्तन के लिये सलाह देना ।

(4) यथासंभव सभी संगत बातों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण विषयक समस्याओं के हल सुझाना ।

(5) पर्यावरण-नीतियां, इस दिशा में उठाए कदम, इस सब का आर्थिक नीतियों के साथ तालमेल बैठ सके इसके निश्चय के लिये तथा आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु तथा नियोजन के विस्तृत ढ़ांचे में वातावरण विषयक खोज और अनुसंधान के भरपूर उपयोग को पक्का करना ।

(6) प्रकृति विषयक ज्ञान के संवर्द्धन के उद्देश्य से प्रकृति के सभी पक्षों के संरक्षण पर सलाह देना, लोगों में प्रकृति प्रेम को जागृत करना तथा भविष्य के लिये देश में प्रकृति की घनी विरासत को सुरक्षित करना ।

(7) पर्यावरणीय समस्याओं में अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा जहां भी आवश्यक हो अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

(8) शैक्षिक ढांचे में विभिन्न स्तरों पर पर्यावरणीय शिक्षा को दृढ़ करना तथा बढ़ावां देना ।

(9) पर्यावरण की समस्याओं के विषय में जन रुचि को जागृत करने तथा, बढ़ावा देने के लिय कान्फ्रेन्स, सम्मेलनों, सेमिनार, गोष्ठियों तथा अन्य साधनों का आयोजन ।

(10) सार्वभौमिक महत्व के पर्यावरणीय मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ सहयोग करना तथा इस क्षेत्र में अन्य देशों में हुई प्रगति से निकट सम्पर्क बनाए रखना ।

समिति की अवधि दो वर्ष होगी ।

इस समिति की सेवाएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान की जायेंगी जिसके अन्तर्गत पर्यावरण संबंधी मामलों के लिये एक पर्यावरणीय आयोजन तथा समन्वय कार्यालय खोलने का निर्णय किया गया है । यह कार्यालय समिति के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेगा ।

अरुणाचल प्रदेश में विधान-सभा स्थापित करने की सम्भाव्यता का अध्ययन करने संबंधी समिति

5321. **श्री यमुना प्रसाद मंडल**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में विधान सभा स्थापित करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए सरकार ने कोई समिति गठित की है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् । अधिकारियों का एक अध्ययन दल गठित किया गया है जिसमें गृह मंत्रालय का एक संयुक्त सचिव, पिछड़े वर्गों के कल्याण महानिदेशक तथा चुनाव आयोग व वित्त मंत्रालय का एक-एक प्रतिनिधि हैं ।

वृहद योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के ग्रामों में डाकघर

5322. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृहद योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने ग्रामों में डाकघर खोले जायेंगे ; और

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों के बारे में विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा मध्य प्रदेश में ऐसे कितने ग्राम हैं जिनमें डाकघर नहीं हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पांचवीं पंच वर्षीय योजना को जब अन्तिम रूप दे दिया जाएगा तब यह निर्णय किया जाएगा कि इस योजना की अवधि के दौरान राज्यवार कितने डाकघर खोले जायेंगे ।

(ख) पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान जिन आदिवासी इलाकों को बहुत पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है, वहां या पहाड़ी इलाकों में डाकघर खोलने के बारे में विशेषरूप से विचार किया जायेगा ।

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कितने गांवों में डाकघर हैं और कितने गांवों में डाकघर नहीं हैं, यह सूचना एकत्र की जा रही है और यह सूचना शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा केरल न्यजप्रिंट प्रौजेक्ट के लिये डिजाइन बनाने संबंधी कार्य

5323. **श्री वयालार रवि :**

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल अखबारी कागज परियोजना का डिजाइन कार्य आरम्भ करने के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के अधीन प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है जिसके परिणामस्वरूप इस कार्य के पूरा करने में बहुत विलम्ब होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को आरम्भ करने तथा शीघ्र पूरा कराने के लिये हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन को न सौंपने के क्या कारण हैं जिसमें पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण तथा अर्हता प्राप्त कर्मचारी हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के कागज तथा अखबारी कागज उद्योग के संबंध में परामर्श हेतु कुछ कर्मचारियों वर्ग प्रशिक्षित किया है तथा जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी इसे और सुदृढ़ बनाया जायेगा ।

केरल में डाक तथा तार मेल मोटर सेवा

5324. **श्री वयालार रवि** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सर्किल में 1965 में आरम्भ की गई डाक तथा तार मेल मोटर सेवा को अभी तक स्थाई नहीं किया गया जिससे बेचारे कर्मचारियों को बहुत से न्यायसंगत अधिकार नहीं मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केरल सर्किल में वर्ष 1965 में डाक-तार मेल मोटर सेवा को जितनी भी यूनिटें आरम्भ की गई थीं, उन सब को तारीख 1-3-73 से स्थायी कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

योजना आयोग के संयुक्त सचिव और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्य उच्च कार्यकारी अधिकारियों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चार्ज शीट दिया जाना

5325. **श्री शशि भूषण** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय की दृष्टि से गैर-आनुपातिक आस्तियां रखने के कारण योजना मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आरोप पत्र दिया है ;

(ख) संबद्ध व्यक्ति का नाम क्या है और उसकी आस्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह व्यक्ति पहले फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि०, ट्रावनकोर का प्रबन्ध-निदेशक था ; और

(घ) सरकारी उपक्रमों के कितने अन्य भूतपूर्व उच्च कार्यकारी अधिकारियों को अब तक दोषी पाया गया है और उन्हें गैर-आनुपातिक आस्तियां रखने के कारण चार्ज शीट दी गई ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिनांक 20 सितम्बर, 1973 को श्री एम० के० के० नायर, आई० ए० एस०, (जो अपने निलम्बन से पहले योजना आयोग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे और इसके पूर्व अलवाय की मैसर्स फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि० ट्रावनकौर के प्रबन्ध-निदेशक थे), के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश, एर्नाकुलम की अदालत में इस आरोप की एक जार्ज-शीट दायर की है कि दिनांक 30 जून, 1969 को उनके पास उनके अपने नाम पर तथा अन्यों के नाम पर जो रु० 2,43,298.02 की सीमा तक की संपत्ति तथा धन-संबंधी साधन थे, उन्हें उनकी आय के ज्ञात स्त्रोतों की तुलना में गैर-आनुपातिक बताया जाता है ।

(घ) सरकारी उपक्रमों के कार्यकारी अधिकारियों के विरुद्ध ऐसे अन्य भी मामले हैं, जिनमें केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने गैर-आनुपातिक आस्तियां रखने के आरोप में चार्जशीट दायर की है, किन्तु ये कार्यकारी अधिकारी इस स्तर के नहीं हैं कि उन्हें उक्त उपक्रमों का उच्च कार्यकारी अधिकारी माना जाए।

नगर निगम/जल प्रदाय तथा मल व्ययन विभाग, दिल्ली के कर्मचारियों पर भारतीय रक्षा नियमों का लागू किया जाना

5326. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवम्बर, 1973 में नगर निगम अथवा जल प्रदाय तथा मलन व्यय विभाग, दिल्ली के कर्मचारियों पर भारतीय रक्षा नियमों को लागू किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं तथा उसके परिणाम क्या रहे; और

(ग) क्या सरकार की योजना दिल्ली के जल, विद्युत, जल व्ययन तथा फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये भारतीय रक्षा नियमों तथा ऐसे ही अन्य नियमों और अधिनियमों को स्थायी रूप से लागू करने की है तथा यदि हां, तो इसे किस प्रकार तथा कब लागू किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान, नवम्बर, 1973 के मास में दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आगामी हड़ताल की धमकी के कारण, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक ने विभाग से संबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को समुदाय के जीवन के लिये अनिवार्य सेवाओं के रूप में घोषित कर दिया था ।

विभाग के कर्मचारियों द्वारा नवम्बर के महीने में दो बार केवल आंशिक हड़ताल की गई थी ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

गत तीन वर्षों में मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड द्वारा स्टेशनरी का उत्पादन

5327. **श्री विद्याधर बाजपेयी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 1970-71 से 1972-73 तक वर्ष वार स्टेशनरी की कौन कौन सी कितने कितने मूल्य की वस्तुएं बनायीं ;

(ख) वर्ष 1968-69 में उत्पादन की तुलना में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) इस वृद्धि अथवा कमी से सरकार, जनता अर्थव्यवस्था निर्यात तथा आयात पर क्या प्रभाव पड़े हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6059/73]

(ग) कम्पनी द्वारा अधिक उत्पादन किये जाने से 1969-70 से 1971-72 तक के वर्षों में विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्रियों की कीमतों में कुछ सीमा तक स्थिरता आई है । यह भी कहा गया है कि कंपनी इन लेखन सामग्रियों का अपने कुल उत्पादन के 10% के बराबर का निर्यात भी करती है । इस समय इन वस्तुओं का आयात करने की अनुमति नहीं है ।

औषध फर्मों में उत्पादन में विभिन्नता

5328. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन औषध निर्माण फर्मों ने 1966-70 की अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के कुछ उपबन्धों से उद्योगों को छूट देने वाले आदेशों के अधीन छूट का दावा करते हुए अपने उत्पादन में विभिन्नता लाई ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Land in Possession of Prime Minister

5329. **Shri Jagannathrao Joshi**: Will the Prime Minister be pleased to state the acreage of land she owns in Delhi and whether that land is agricultural land according to the Master Plan?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : The Prime Minister owns agricultural land measuring 4.71 acres in village Sultanpur, Delhi. This is agricultural land according to the Master Plan.

शेख अब्दुल्ला द्वारा दिये गये वक्तव्य

5330. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :

श्री वी० मायावन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अब्दुल्ला तथा उसके अनुयायियों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में भारत सरकार के पास कोई प्रमाण है ;

(ख) क्या उसकी रिहाई के बाद उसकी परस्पर विरोधी वक्तव्यों ने जम्मू तथा काश्मीर की व्यवस्था को अस्तव्यस्त कर दिया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से शेख अब्दुल्ला को पूरी सुविधाएं दिये जाने का अनुरोध किया है ;

(घ) क्या सरकार ने गत छः महीनों में दिये गये उसके विभिन्न वक्तव्यों की जांच की है तथा क्या वे सभी भारत-विरोधी हैं ;

(ङ) क्या इस रवैये से राज्य में शांति भंग हुई है तथा राज्य में गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिये पाकिस्तानी तत्वों को प्रोत्साहन मिला है; और

(च) क्या पाकिस्तानी तत्वों द्वारा राज्य की तोड़फोड़ की स्थिति से बचाने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकार उसकी गति विधियों पर पुनः रोक लगाने पर विचार कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (च) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि शेख अब्दुल्ला तथा उनके अनुयायियों की गतिविधियों के कारण जम्मू व काश्मीर राज्य में दंगे हुए अथवा शेख के वक्तव्यो के परिणामस्वरूप प्रशासनिक परेशानी हुई । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से शेख अब्दुल्ला को विशेष सुविधायें देने के लियें नहीं कहा है ।

सरकार द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण राजनैतिक नेताओं की व्याख्यानों समेत गतिविधियों की समीक्षा की जाती है । शेख अब्दुल्ला के व्याख्यानों तथा राज्य में कुछ पाकिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों समेत हाल के दंगों के बीच स्पष्ट रूप से कोई संबंध नहीं है । शेख की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अवशेषों और सामग्री का संरक्षण

5331. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और उनकी आजाद हिन्द फौज के सभी ऐतिहासिक अवशषों और सामग्री का संरक्षण करने और उन्हें सम्मान देने के कार्य को सरकार राष्ट्रीय कर्तव्य समझती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या (i) सिंगापुर स्थित आजद हिन्द फौज के स्मारक का पुर्ननिमण करने, जिसे द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर शहर पर फिर से कब्जा होने पर ब्रिटिश फौज ने ध्वस्त कर दिया था और (ii) एतिहासिक अवशेषों के रूप में संरक्षण करने के लिये सिंगापुर स्थित उन दो इमारतों का अधिग्रहण करने के लिए सरकार ने पुनः प्रयास किया है, जिन्हें (ए) नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिन्द सरकार ने मुख्यालय और (बी) नेताजी के निवास स्थान के रूप में इस्तेमाल किया गया था ;

(ग) क्या उक्त मामलों के बारे में सिंगापुर की मित्र सरकार से पुनः कोई अनुरोध किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ एच० मोहसिन) : (क) से (घ) सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति अमर बनाने के लिय भारत में अनेक उपाय किए हैं । जहां तक अन्य देशों का संबंध है, जब कभी उन देशों में इस संबंध में कोई कार्यवाहीं आरम्भ की जायगी, तो सरकार को सहयोग करने में प्रसन्नता होगी ।

काबुल स्थित उस मकान का संरक्षण किया जना, जहां नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ठहरे थे

5332. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काबुल स्थित उन मकानों का संरक्षण करने के लिय अफगानिस्तान की मित्र-सरकार से अनुरोध किया है अथवा करने का विचार है, जिनमें ब्रिटिश भारत से जर्मनी जाते हुए लगभग एक महीने के लिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ठहरे थे; और

(ख) क्या काबुल के सीमा-पर क्षेत्र में नेताजी की यात्रा के विभिन्न महत्वपूर्ण मार्गों पर इस प्रयोजनार्थ पट्टिकायें लगाई जायेंगी और यदि हां, तो इस बारे में अफगास्तिान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) क्योंकि अफगानिस्तान सरकार विदेशी विभूतियों के स्मारक स्थापित करने में अनिच्छुक थी इसलिए मामले पर आगे बातचीत नहीं की गई थी ।

बर्मा, मलेशिया और थाईलैण्ड में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा प्रयुक्त इमारतों का संरक्षण

5333. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और उनकी आजाद हिन्द फौज द्वारा इस्तेमाल में लाई गई इमारतों और अन्य सामग्री के संरक्षण के लिए (i) बर्मा, (ii) मलेशिया और (iii) थाईलैंड की मित्र सरकारों से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या नेताजी के नेतृत्व के अन्तर्गत आजाद हिन्द स्वाधीनता संग्राम के इतिहास से संबद्ध महत्वपूर्ण स्थानों में पट्टिकायें लगाने की अनुमति देने के लिय भी इन सरकारों से अनुरोध किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) यदि विदेश में इस संबंध में कोई कार्यवाही आरम्भ की जाती है तो सरकार सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही करेगी ।

विदेश नियंत्रित फर्मों में 2500 रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले भारतीय कर्मचारी

5334. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में विदेश नियंत्रित फर्मों में ऐसे भारतीय कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो 2500 रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन पा रहे हैं; और

(ख) सरकारी उद्योगों में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के विचार से गैर-सरकारी उद्यमों में दिये जाने वाले वेतनों को उसी स्तर पर लाने के लिये जो की सरकारी उपक्रमों में दिये जाते हैं, सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) स्वैच्छिक आधार पर एकत्र किये गये आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 1972 को विदेशी स्वामित्व/नियंत्रण वाली कम्पनियों में काम करने वाले ऐसे भारतीयों की संख्या लगभग 10,155 थी जो 2,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन ले रहे थे । 2500 रु० से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों के बारे में इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) सरकारी उपक्रमों में उपयुक्त कार्मिकों को आकर्षित करने का प्रश्न अलग है इसमें अन्य कारणों के साथ, प्रेरणा और 'जिम्मेदारी' भी शामिल होती है फिर भी, सरकार प्रतिभाशाली व्यक्तियों को गैर सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र के लिये आकर्षित करने में सफल हुई है। ऐसा करने से कभी कभी संबंधित व्यक्ति को कुछ आर्थिक त्याग करना पड़ा है ।

अपंग व्यक्तियों के लिये सहायक उपकरण बनाने के लिये कानपुर में एक कारखाने की स्थापना

5335. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपंग व्यक्तियों के लिये सहायक उपकरण बनाने के लिये कानपुर में एक कारखाना लगाने का निश्चय किया है: और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जीं, हां ।

(ख) विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार 'आर्टिफिशियल लिमस मैन्युफैक्चिरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया' कानपुर नामक एक कृत्रिम अंग निर्माण संयंत्र की स्थापना कर रही है । जिसमें नवीनतम डिजाइनों के विविध प्रकार के कृत्रिम अंगों, ब्रेसों तथा पुनः स्थापन संबंधी अन्य सहायक उपकरणों का निर्माण किया जायेगा । इस संयंत्र के उत्पादों से बहुत बड़ी संख्या में विकलांग और अंगभंग व्यक्तियों को समाज का सक्रिय कार्यकर्त्ता और उपयोगी सदस्य बनाने में सहायता मिलेगी । इस परियोजना के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा कोष से धन मिला है । इस परियोजना की निम्नलिखित विशेषताएं होंगी :—

(1) ये संयंत्र नेशनल इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया जा रहा है जिसकी प्रमुख विशेषता यह होगी कि रक्षा सेवाओं में अपंग हुए बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों को विभिन्न कार्यों और व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर रोजगार देने का सुनिश्चय किया जा सकेगा । संयंत्र में 1,260 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा जिनमें काफी संख्या अपंग व्यक्तियों की होगी ।

(2) हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्राकसन लि०, कलकत्ता इस संयंत्र का निर्माण और मशीनें लगाने का काम करेगा ।

(3) संयंत्र में अप्रैल, 1975 तक उत्पादन शुरु हो जाने की आशा है ।

(4) इस संयंत्र में लगभग प्रतिवर्ष 6 लाख संख्या में ब्रेसेज और स्प्लिन्ट्स 1 लाख कृत्रिम अंग और 18,000 पुनः स्थाप उपकरण जैसे मोटर से चलने वाली ट्राइसिकिलें, पहिये वाली कुर्सियां और बैसाखियां तैयार करने का आयोजन किया गया है ।

(5) इस संयंत्र में बनाई जाने वाली सभी वस्तुओं की वार्षिक उत्पादन लागत 330 लाख रु होगी जबकि यदि इस प्रकार की वस्तुओं का आयात किया जाये तो उसकी लागत 600 लाख रु० के बराबर होगी ।

(6) इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालांजी, कानपुर के समीप होने से बयो-इंजीनियरी तथा पुनः स्थापन इंजीनियरी के क्षेत्र का उपयोग करने में परस्पर सहयोग मिलेंगा ।

(7) कानपुर के विद्यमान उद्योगों से सहायक सामान आसानी से मिलने का सुनिश्चिय किया जा सकेगा ।

(8) इस परियोजना पर लगभग 3.6 करोड़ रुपये लागत आयेगी ।

कलकत्ता में बोस स्टेटिस्टिक्स की अर्द्ध शताब्दी मनाने के लिये क्षेत्रीय समिति

5336. **श्री समर गुह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में बोस स्टेटिक्सि की अर्ध शताब्दी मनाने के लिये क्षेत्रीय समिति गठित की गई है और यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या प्रख्यात राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान की गोष्ठियों और बोस स्टेटिस्टक्स संबंधी निबन्धों और मूलभूत लेखों एवं प्रो० एस० एन० बोस के अन्य योगदानों के प्रकाशन की व्यापक

योजना तैयार की गई है और यदि हां तो कार्यक्रम के मुख्य विषय क्या हैं तथा उन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं जिनको आमन्त्रित किया जायेगा ;

(ग) क्या समिति कलकत्ता में प्रो० एस० एन० बोस की 80 वीं जयन्ती भी मनायेगी ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये सरकार वित्तीय और अन्य सहायता देगी, और

(ङ) यदि हां, तो क्या सहायता दी गई अथवा देने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री के संरक्षण और औद्योगिकी विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में "बोस स्टेटिस्टिक्स" की अर्द्ध शताब्दी के संबंध में एक राष्ट्रीय संयोजन समिति का गठन किया गया है। कलकत्ता में भी एक स्थानीय समिति का गठन किया गया है लेकिन इसके कार्यकलाप उक्त राष्ट्रीय संयोजन समिति के अन्तर्गत नहीं हैं।

(घ) और (ङ) 24 अक्तूबर, 1973 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राष्ट्रीय संयोजन समिति की पहली बैठक में यह निश्चय किया गया कि समिति के दो सदस्य कलकत्ता की क्षेत्रीय समिति को प्रदान की जाने योग्य सम्भव वित्तीय सहायता का मूल्यांकन करने के लिये कलकत्ता जाएं। सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

आत्म-हत्या के प्रयास से संबंधित कानून में परिवर्तन

5337. **श्री कमल मिश्र मधुकर :**

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मनोविकार सोसायटी ने आत्म-हत्या के प्रयास से संबंधित वर्तमान कानून में उपयुक्त परिवर्तन करने के लिये एक प्रस्ताव भेजा है और क्या इस संबंध में कोई संशोधन विधि आयोग के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ; और

(घ) आत्म-हत्या किए जाने के संबंध में विश्व-विख्यात मनोरोग चिकित्सक, डा० ए० बैंकबोआ राव के विचार क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (घ) सरकार ने भारतीय मनोविकार सोसायटी के प्रस्ताव और डा० ए० वैन्कोबा राव के विचार नहीं देखें हैं। इस प्रश्न पर कि आत्महत्या का प्रयास दण्डनीय है अथवा नहीं, विधि आयोग ने विचार किया था और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 पर अपनी 42वीं रिपोर्ट में इसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309, जिससे आत्म-हत्या करने के प्रयास पर दण्ड दिया जाता है, को रद्द करने की सिफारिश की थी। सरकार ने सिफारिश स्वीकार की थी और भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 में उक्त धारा को निकालने के उपबन्ध को शमिल किया था जो इस समय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के विचाराधीन है।

चावल की भूसी से ईंधन

5338. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री राम भगत पासवान :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की भूसी से ईंधन के आविष्कार के बारे में सरकार अवगत है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे देश में इस बारे में कोई तजुर्बा किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) हाईड्रोजनीकरण द्वारा फार्म के बेकार पदार्थ—चावल की भूसी को तेल में परिवर्तन करने से संबंधित कार्य का कार्यान्वयन केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी० एफ० आर० आई०) जियेलगोरा में किया जा रहा है ।

Statement of the President of Congress Committee about the Involvement of Jan Sangh in Jammu and Kashmir disturbances

5339. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by the Congress President Dr. Shankar Dayal Sharma, as published in a local Hindi Daily dated the 1st November, 1973 charging the Jan Sangh Party with siding with Pakistan and not with India during the disturbance in Jammu and Kashmir; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dikshit): (a) Government are not aware of the news report referred to by the Hon'ble Member. Government have, however, seen the report in the daily 'Hindustan' of New Delhi dated the 18th November, 1973, about the statement reported to have been made by Dr. Shankar Dayal Sharma, the Congress President, with reference to the recent disturbances in J & K.

(b) Government view with concern such disturbances in sensitive areas and have taken note of the misgiving expressed in this regard.

एक करोड़ रुपये से कम की पूंजी वाले उद्योगों को लाइसेंस

5340. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु इस्पात संयंत्र, इस्पात पुनर्विलन, लोहे और इस्पात के पाइप आदि जैसी अनेक वस्तुओं को, जिनके निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये से कम पूंजी की जरूरत होती थी और जिन्हें पहले लाइसेंस लेने से छूट प्राप्त थी, अब पुनः लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत ले आया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) यह ज्ञात होने पर कि या तो इन वस्तुओं के कच्चे माल की कमी है या पर्याप्त क्षमता विद्यमान है अथवा अधिष्ठापित की जा रही है । इन वस्तुओं को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन उनका अग्रेतर विकास विनियमित करने के विचार से पुनः लाइसेंसिंग के अधीन कर दिया गया है ।

राज्यों में रोजगार चाहने वाले व्यक्ति

5341. **श्री वसन्त साठे** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए बेरोजगार संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार रोजगार संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में रोजगार चाहने वालों के विभिन्न वर्गों की स्थिति के बारे में बेरोज-गारी की नवीनतम स्थिति क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन० एस० एस० ओ०) ने अक्तूबर, 1972 में आरम्भ किए गए अपने सर्वेक्षण के सताइसवें दौर से संबंधित समय-सारिणी बनाते समय दांतेवाला समिति द्वारा की गई सिफारिशों जिन पर बेरोजगार संबंधी समिति ने फिर अपनी रिपोर्ट पर बल दिया था, को पहले से ही ध्यान में रखा है। समिति की सिफारिशों में संकल्पना तथा रीति विधान संबंधी जो अन्य मुद्दे उठाए गए हैं उन पर जनगणना संगठन, रोजगार व प्रशिक्षण का महानिदेशालय तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जैसे आंकड़े इकट्ठे करने वाले अभिकरण भी विचार कर रहे हैं।

(ग) व्यापक व्यावसायिक वर्गों के अनुसार 30-6-1973 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों का राज्य-वार वितरण अनुबन्ध में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6060/73]

पंजाब सीमा पर शाहबज के गांव के निकट पाकिस्तानी रेंजरों की घुसपैठ

5342. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 सितम्बर, 1973 को पंजाब सीमा के अन्दर शाहबज के गांव के निकट लगभग 200 मीटर तक पाकिस्तानी रेंजर घुस आये थे और 31 मवेशियों को ले गए थे ;

(ख) क्या घुसपैठ की कुछ और घटनाएं भी हुई हैं और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या पीड़ित व्यक्तियों को कुछ मुआवजा दिया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ग) जी हां, श्रीमान पटना भारतीय सीमा बाह्य चौकी नाथासिंघवाला के समीप घटी थी। एक पशु को छोड़ कर, जो पाकिस्तान में मर गया था, सभी पशु झंडा बैठक के परिणामस्वरूप उनके मालिकों को लौटा दिये गये हैं ?

(ख) दिल्ली में हाल में हुए भारत-पाकिस्तान समझौते के बाद पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा इस प्रकार के घुसपैठ के किसी दूसरे मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है।

मनीपुर को सीमेंट की सप्लाई

5343. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर के लिए अलाट किया गया सीमेंट मनीपुर नहीं पहुंचा, चाहे इसका कारण रेलवे के माल डिब्बों की कमी हो या प्राथमिकता के मामले में उसकी

अवहेलना की गई हो, और इसके परिणामस्वरूप सरकार के तथा प्राइवेट सभी निर्माण-कार्य रूक गये हैं ।

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार मनीपुर जैसे क्षेत्रों के लिए कोई विशेष उपाय करने जा रही है और यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) यद्यपि फरक्का के आगे उपर्याप्त रेलवे लाइन के कारण मणिपुर को दी जाने वाली सीमेंट की सप्लाई पर कभी-कभी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है फिर भी जब कभी भी यातायात द्वारा सम्भव होता है मणिपुर को सीमेंट की सप्लाई का सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस पर बराबर निगरानी रखी जाती है । इसके परिणामस्वरूप 1973 में मणिपुर राज्य को की गई सप्लाई इसके पहले के वर्षों में की गई सप्लाई से पहले ही अधिक हो गई है । 1972 में संभरण की गई 1943 मी० टन सीमेंट के मुकाबिले 1 जनवरी से 30 नवम्बर, 1973 तक 22716 मी० टन सीमेंट की सप्लाई की जा चुकी है ।

मनीपुर में मोटर टायरों की मांग

5344. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनीपुर सरकार और प्राइवेट उपभोक्ताओं द्वारा अधिक संख्या में मोटर टायरों की सप्लाई के लिए जोरदार मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर की जनता को मोटर टायरों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें यातायात के लिए मोटर गाड़ियों पर ही निर्भर करना पड़ता है ;

(घ) यदि हां, तो मनीपुर की जनता की कठिनाइयां दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ; और

(ङ) गत तीन वर्षों में मनीपुर को वर्षवार कितने मोटर टायर सप्लाई किए गये ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) अप्रैल से सितम्बर, 1973 की अवधि के लिए राज्य सरकार को 424 टायरों के वायदे पर 432 टायरों की आपूर्ति करने की उद्योग ने सूचना दी है । उद्योग से कुल उपलब्धता के अन्दर ही 1,000 टायरों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है । इसे एकट्ठा किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दादरा और नगर हवेली के लिए जस्ते तथा तांबे का कोटा

5345. श्री आर० आर० पटेल :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा और नागर हवेली के लिए जस्ते तथा तांबे का कुल वार्षिक कोटा क्या है ;

(ख) वहां कारखानों को गत तीन वर्षों में वर्षवार तथा कारखाना वार कितना कितना कोटा दिया गया ;

(ग) क्या सप्लाई की गई सामग्री का उचित उपयोग किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई जांच करने का विचार कर रही है

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ज़ियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) दादरा और नागर हवेली को अक्तूबर, 1973 से मार्च 1974 तक की अवधि में 4.36 मी० टन जस्ता आवंटित किया गया है । यह मात्रा आयानित मात्रा से अतिरिक्त है जिसके लिए आयात नीति के अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं को स्वीकृति दी जा रही है । तांबा स्वदेश में उपलब्ध नहीं है और आयात नीति के अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा आयात किया जाना है ।

(ख) से (घ) जानकारी एकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट पर विचार

5346. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां । औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने कई रिपोर्ट (संलग्न सूची के अनुसार) प्रस्तुत की हैं ।

(ख) ब्यूरो की रिपोर्ट गोपनीय होती है और रिपोर्टों पर यथोचित विचार करके और ब्यूरो की सिफारिशों के पश्चात् सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है ।

विवरण

औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा सरकार को पेश की गई रिपोर्टों की सूची

क्रम संख्या	शीर्षक	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि
1	2	3
1.	कोयलों के मूल्यों पर रिपोर्ट	26-5-1971
2.	–वही–	25-2-1972
3.	ट्रेक्टरों तथा ट्रेक्टरों फिटिंग के लिए मुल्य रिपोर्ट	28-6-1971
	इंजिम के उचित विक्रय मूल्यों पर रिपोर्ट पूरक .	22-1-1972
4.	साइसेट्रिक एसिड के लागत मूल्य संबंधों के अध्ययन पर पत्र .	13-10-1971
5.	क्रायोलाइट तथा एल्यूमीनियम फ्लोराइड के उचित विक्रय मूल्यों पर रिपोर्ट	23-11-1971

1	2	3
	6. सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के उचित विक्रय मूल्यों पर रिपोर्ट	23-11-1971
	7. जस्ते के उचित विक्रय मूल्यों पर रिपोर्ट	24-1-1972
	8. साबुनों (टायलेट तथा लांडरी) पर रिपोर्ट	27-5-1972
	9. सेफ्टी रेजर के ब्लेडों पर रिपोर्ट . . .	27-5-1972
	10. सूती वस्त्र (कपड़े की निश्चित किस्मों) पर अन्तरिम रिपोर्ट	12-9-1972
	11. औषधि तथा भेषज के उचित विक्रय मूल्यों पर रिपोर्ट*	
	(1) रिपोर्ट का भाग 1, 12 मुख्य प्रपूंज औषधियों से संबंधित	25-4-1972
	(2) रिपोर्ट का भाग 2, 8 प्रपूंज औषधियों से संबंधित	15-5-1972
	(3) रिपोर्ट का भाग (3), 3 प्रपूंज औषधियों और ग्लेटाइन केप्सूल से संबंधित	16-6-1972
	(4) रिपोर्ट का भाग 4 फार्मयुलेशन से संबंधित	6-10-1972
	12. पिकोलाइन्स तथा पैरीडोन बैसिज . . .	19-1-1973
	13. सूती वस्त्र अंतिम रिपोर्ट . .	7-6-1973
	14. फार्मेलडिहाइडे, हैक्सामिन और मैथानाल पर रिपोर्ट	17-11-1973
	15. मोटर गाड़ियों के टायर तथा ट्यूबों पर रिपोर्ट	5-12-1973

अध्यक्ष के पास है ।

*वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट, ग्रुप का अध्यक्ष होने के नाते औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट अध्यक्ष के पास है ।

पंजाब सरकार की रोजगार संबंधी आपात योजना

5347. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पंजाब में 8,000 शिक्षित और 5,000 अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करने के लिए पंजाब सरकार ने 9 लाख रु० लागत की एक आपात योजना को अन्तिम रूप दिया है ;

(ख) क्या उक्त योजनाओं और पहले से ही चालू योजनाओं के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 1972 को राज्य के रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में दर्ज सभी 50,000 शिक्षित और 40,000 अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कर दिया जायेगा ;

(ग) क्या यह आपात योजना केन्द्र प्रायोजित है अथवा राज्य की अपनी योजना है ; और

(घ) क्या अन्य राज्य सरकारों से भी यह योजना लागू करने का अनुरोध किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) योजना आयोग को पंजाब सरकार द्वारा तैयार की गई ऐसी किसी आपातकालीन स्कीम के विषय में जानकारी नहीं है जिसमें 3,000 शिक्षित और 5,000 अशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 9.00 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई हो । किन्तु विभिन्न विकास क्षेत्रों में ऐसे योजना कार्यक्रमों के अलावा, जिनमें रोजगार पर अधिक जोर दिया गया है तथा जिससे राज्य में शिक्षित

तथा अशिक्षित लोगों को अधिक मात्रा में रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है, केन्द्र द्वारा प्रतिपादित कुछ विशेष रोजगार कार्यक्रम हैं जैसे कि (1) 1971–72 में प्रारम्भ की गई ग्रामीण रोजगार से संबंधित त्वरित रोजगार स्कीम ; (2) इंजीनियरों तथा तकनीकी विशेषज्ञों सहित शिक्षित बेरोजगारों के रोजगार से संबंधित कार्यक्रम जो 1971–72 में प्रारम्भ किया गया था और (3) रज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए 1972–73 में शुरू किया गया विशेष रोजगार कार्यक्रम ; जिनसे इस प्रकार की श्रेणियों के व्यक्तियों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान होंगे । इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 5 लाख लोगों को रोजगार दिलाने से संबंधित कार्यक्रम पंजाब सहित रज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में आरम्भ किया गया है । पंजाब राज्य में 220 लाख रुपए की निर्धारित सीमा तथा 15,000 शिक्षित लोगों को रोजगार दिलाने के लक्ष्य के मुकाबले योजना आयोग द्वारा अब तक 19,819 शिक्षित लोगों को रोजगार देने की क्षमता वाली 215.03 लाख रुपए लागत की स्कीम स्वीकार की जा चुकी है । योजना कार्यक्रमों और विभिन्न विशेष रोजगार कार्यक्रमों, जिनमें 5 लाख लोगों को रोजगार देने का भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया कार्यक्रम भी शामिल है, के परिणाम स्वरूप राज्य में चालू वर्ष के दौरान शिक्षित तथा अशिक्षित लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिलने की आशा है ।

Expansion of Diesel Engine Factories

5358. **Shri Onkar Lal Barwa :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government propose to expand the diesel engine factories ;

(b) if so, the production of diesel engines at present; and

(c) the extent to which the capacity is proposed to be increased ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (c) The production of Diesel engines of the units in the organised sector has been roughly of the following order:—

1971 — 84,000 Nos. valued at Rs. 326 Million.

1972 — 79,000 Nos. valued at Rs. 355 Million.

1973 — 1,30,000 Nos. valued at Rs. 550 Million.

In the range below 20 HP there is sufficient production capacity to meet the requirements. However, a change of technology towards high speed light weight engines will be in the right direction. This could be achieved by the existing manufacturers diversifying into this category of engines. As regards engines in the range of 20 HP and above, there is no scope as at present anticipated for additional independent units. The capacity could be met by and large, by diversification. The need for creating additional capacity is kept under review from time to time.

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा करों की वसूली

5349. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारी अपने कुछ किरायेदारों से समय पर किराया वसूल करते हैं और कुछ के साथ रियायत करते हैं और उन्हें वर्षों तक कर का भुगतान किए बिना नई दिल्ली नगर-पालिका की सम्पत्ति का प्रयोग करने देते हैं ;

(ख) वर्ष 1972–73 में नई दिल्ली नगर-पालिका को कुल वार्षिक आय कितनी हुई और वर्ष 1972–73 की अभी वसूल की जाने वाली बकाया राशि कितनी है ; और

(ग) नई दिल्ली नगर-पालिका में कर वसूल करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, किरायदारों की संख्या कितनी है, उनके द्वारा प्रतिवर्ष कुल कितना भुगतान किया जाता है और वर्ष 1972–73 की कितनी राशि अभी वसूल की जानी है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । एलाटी से लाइसेंस शुल्क की वसूली के संबंध में एक जैसी कार्य प्रणाली अपनाई जाती है ।

(ख) 1972–73 के दौरान कुल आय—1,32,75,560.16 रु०

31–3–73 को वसूली की बाकी राशि—31,26,574.07 रु०

(ग)	वसूली करने वाले कर्मचारी	—29
	संपदा एकक	—3577
	वार्षिक देय की कुल राशि	—1,37,25,309.64 रु०

31–3–73 को वसूली की बाकी राशि 31,26,574.07 रु०

देश के आर्थिक विकास की धीमी गति

5350. **श्री पी० वेंकटसुब्बैया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारभ से ही विकास की दर विषम रही है । पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं तथा तीन वार्षिक योजनाओं (1966–69) के दौरान विकास की औसत वार्षिक दर क्रमशः लगभग 3.5 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत थी । चौथी योजना के पहले दो वर्षों के दौरान विकास की दर कमोबेश लक्ष्यों के अनुसार 5.2 प्रतिशत तथा 4.2 प्रतिशत थी । परन्तु बाद के दो वर्षों में अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा और राष्ट्रीय आय में क्रमशः 1.7 प्रतिशत तथा 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । सापेक्ष धीमे विकास के अनेक कारण हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं : सूखा तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं का होना, जिससे कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा, पड़ोसी देशों के साथ युद्ध, निष्पादन में कमियां या महत्वपूर्ण योजनागत परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में देरी, पूंजी निर्माण बहुत ही कम दर पर होना, अर्थ व्यवस्था उत्पादन क्षमता का कम उपयोग और औद्योगिक अशांति आदि हैं ।

(ग) पांचवी योजना अवधि में (1974—79) 5.5 प्रतिशत वार्षिक विकास की दर प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इस सबंध में अपनाई जाने वाली कार्यनीति पांचवी योजना दस्तावेज में बताई गई है।

कलकत्ता के बंगाल लैम्प कारखाने का बन्द होना

5351. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के कारण बंगाल लेम्प कारखाना बन्द होने की स्थिति में आ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार को मिली सूचना के अनुसार कारखाने में उत्पादन दुर्गापुर से टाउन गैस न मिलने के कारण ठप्प हो गया था। बताया जाता है अब इस कारखाने में 5 दिसम्बर, 1973 से तालाबन्दी हो गई है।

Employees working in Scheduled Castes and Scheduled Tribes Department

5352. **Shri Nathuram Ahirwar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of officers and employees working in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Department of the Central Government ; and

(b) the category-wise number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees among them ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b) The work relating to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is handled is the Central Government by a Division in the Ministry of Home Affairs and its attached and subordinate offices and a Section in the Department of Personnel & Administrative Reforms. These consist of the following : —

	Total No. of employees	No. of Scheduled Castes	No. of Scheduled Tribes
Gazetted :	43	6	2
Non-Gazetted	216	52	18

प्रभा टैक्सटाइल मिल्स, वीरमगांव को सरकारी नियंत्रण में लेना

5353. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में वीरमगांव स्थित प्रभा टेक्सटाइल मिल्स दस वर्ष से अधिक अवधि से बन्द पड़ी है ;

(ख) क्या सरकार ने कुछ समय पूर्व राज्य कपड़ा निगम को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय किया था ;

(ग) क्या संकटग्रस्त मिलों को अपने नियंत्रण में लेने के सरकार के निर्णय के अन्तर्गत यह मिल आता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मिल के प्रबन्ध को सरकार ने संकट ग्रस्त वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध को हाथ में लेना) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अपने अधिकार में ले लिया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनन्त टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद में काम की शर्तें

5354. **श्री सोम चंद सोलंकी : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य कपड़ा निगम, गुजरात ने अन्नत टेक्सटाइल, मिल्स अहमदाबाद को अपने नियंत्रण में ले लिया है ;

(ख) क्या इस मिल में काम करने वाले क्लर्कों और अधिकारियों को आठ घण्टे से अधिक समय तक काम करने के लिये मजबूर किया जाता है और उन्हें गत दो वर्षों से मंहगाई भत्ता नहीं दिया गया है ; और

(ग) क्या मजदूर यूनियन और मिल मालिक के बीच कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता न दिए जाने के बारे में कोई समझौता हुआ है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) दि अनन्त टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद का गुजरात राज्य टेक्सटाइल निगम द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) चूंकि मिल गैर सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत है अतः सरकार को इन मामलों की जानकारी नहीं है ।

सरकार द्वारा टेक्सटाइल मिलें अपने नियन्त्रण में लिए जाने के खिलाफ स्थगन आदेश

5355. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संकटग्रस्त मिलों के नाम क्या हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा दिए गए रोक आदेशों के कारण सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में नहीं लिया जा सकता ; और

(ख) सरकार की कार्यवाही शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि इन मिलों को नुकसान न होता रहे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) स्थगन आदेशों के उठवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

विवरण

क्रमांक वे कपड़ा मिलें जिनके बारे में न्यायालयों ने आदेश जारी किये थे, तथा जो सरकार द्वारा हाथ में ला गई हैं उनके नाम :—

1. अदोनी काटन मिल्स, अलूर रोड, अदोनी (आंध्र प्रदेश) ।

2. फाइन निटिंग मिल्स, चामुण्डमाता के समीप, असारवा रोड अहमदाबाद ।

3 कालीस्वरार मिल्स 'बी' यूनिट कलयनार कायल (डिस्ट्रिक्ट रामनाड) ।

4. खरार टेक्सटाइल मिल्स, खरार, चंडीगढ़ के समीप।

5. पानीपत वुलन मिल्स, खरार चंडीगढ़ के समीप।

6. तिरुपति काटन मिल्स, रेनीगुन्टा (आंध्र प्रदेश)।

आन्ध्र प्रदेश में रेशम का उत्पादन

5356. **श्री के० कोड्डा रामी रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 से लेकर आंध्र प्रदेश में प्रतिवर्ष किन-किन स्थानों पर और कितना-कितना रेशम का उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या राज्य में रेशम की उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है और क्या इन कार्यवाहियों से कोई परिणाम निकला है और यदि हां, तो उसके आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) राज्य में रेशम उत्पादन को बढ़ाने के लिए भावी कार्यक्रमों की क्या योजना बनायी गयी है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) आंध्र प्रदेश में चौथी योजनावधि में रेशम के कीड़ों के विकास कार्य क्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

विवरण

मलबरी सिल्क का उत्पादन अनन्तपुर, चितूर और विजाग जिलों में तथा टसर सिल्क का उत्पादन आदिलाबाद, करीमनगर, वंगाल, खमाम और महबूबनगर जिलों में किया जाता है । चौथी योजनावधि में आंध्र प्रदेश में विभिन्न प्रकार की विकासशील योजनाओं के क्रियान्वित हो जाने पर रेशम के कार्यों के उत्पादन में 1969-70 की अपेक्षा 1972-73 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । जो निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है :—

वर्ष	मलबरी रेशम के कोये (किलो ग्राम)	(रौ) कच्ची सिल्क (कि०ग्रा०)	टसर रेशम के कोये (कहन)	(रौ) कच्चा सिल्क (कि० ग्रा०)
1969-70 .	73632	107	202	488
1970-71 . .	161972	128	665	364
1971-72 . .	182742	77	2123	329
1972-73 . .	182819	53	1227	768

Expenditure incurred on Eradication of Untouchability

5357. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred by the Central Government during the last 3 years on the eradication of untouchability ; and

(b) the amount, out of it, spent on the employees engaged in this work and the amount that actually reached the untouchability ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b) There is no Central or Centrally sponsored Programme in the Fourth Five Year Plan undertaken directly for eradication of untouchability. However, the following grants have been given to voluntary organisations for propaganda for removal of untouchability :—

(i) 1970-71	4,71,820
(ii) 1971-72	4,15,650
(iii) 1972-73	4,03,250
TOTAL	12,90,720

Discussion on Annual Report of the Commissioner for Scheduled Castes/Tribes

5358. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Annual Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is discussed in Parliament after two to three years and no action is taken on the complaints and recommendations made therein ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) (a) No, Sir, The report is discussed in Parliament as expeditiously as feasible. Necessary action is taken on the recommendations contained and the deficiencies pointed out in the Report.

(b) Does not arise.

Post-Matric Scholarship to Scheduled Caste Students from U.P.

5359. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Central Government have been indifferent in granting post-matric scholarship to the Scheduled Castes students of Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the facts thereof and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) (a) and (b) No, Sir, All Scheduled Castes students who qualify are given post-matric scholarships in Uttar Pradesh. The trend is towards increase as evidenced by the following figures :

Year	No. of scholarships awarded to Scheduled Castes
1970-71	49,930
1971-72	55,330
1972-73	63,750

अनुसूचित जातियों के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम की स्थापना

5360. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार अनुसूचित जातियों के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये राज्य वित्त निगम स्थापित कर रही है ;

(ख) कौन से विशिष्ट कार्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे और किन क्षेत्रों में ; और

(ग) कितनी धनराशि खर्च होगी और उसे किन साधनों से जुटाया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों के लिये एक वित्त निगम स्थापित करने पर विचार कर रही है किन्तु अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सराहम गांव की एक हरिजन लड़की के साथ बलात्कार

5361. **श्री वी० मायावन :.**

श्री पी० ए० सामिनाथन्

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सराहम गांव की एक हरिजन लड़की के साथ एक बूढ़े व्यक्ति ने बलात्कार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में राज्य सरकार के साथ बातचीत की है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मामले में की गई कार्यवाही से उस क्षेत्र में हरिजनों में किस हद तक विश्वास पैदा हुआ है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला सिरमौर में पुलिस थाना पछाड़के क्षेत्र ~धिकार के अन्तर्गत एक गांव की एक हरिजन लड़की कुमारी कमलेश कुमारी को, जो अपने घर से जुलाई, 1973 में गायब हो गयी थी, पुलिस ने 28-10-73 को ढूंढ़ लिया था । उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने 31 अक्तूबर, 1973 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसका बयान दर्ज किया । अपने बयान में उसने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति कुछ माह पूर्व उसे बलपूर्वक ले गया था और उसके साथ बलात्कार भी किया । पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और जांच हो रही है ।

राज्य सरकार द्वारा कानून के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई है और अगली कार्यवाही के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ सम्पर्क बनाये हुए है ।

वर्ष 1974-75 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेशों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां देना

5362. **श्री राज देव सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना बनाई है कि वर्ष 1974-75 में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों को विदेशों में अध्ययन करने के लिए 36 छात्रवृत्तियां दी जायेंगी; और

(ख) क्या ऐसे विषयों का स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान करने के लिए ये छात्रवृत्तिया दी जायेंगी जिनके लिए भारत में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

इन जातियों के छात्रों के लिए विदेशों में अध्ययन के लिए निम्नलिखित 36 छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं :—

1 अनुसूचित जातियां	. 13
2 अनुसूचित जनजातियां . . .	. 12
3 विमुक्त, खानाबदोश तथा अर्धखानाबदोश जनजातियां	. 2
4 आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्ग . .	. 9
	36

इन 36 छात्रवृत्तियों में से 21 छात्रवृत्तियां 1974-75 के वर्ष के लिए हैं तथा 15 छात्रवृत्तियां 1972-73 और 1973-74 से अग्रेनीत की गई है। इन छात्रवृत्तियों के लिए शर्तों और योग्यताओं की एक प्रतिलिपी संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी- 6060 ए/73]

इंधन नीति समिति के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई ऊर्जा नीति

5363. **श्री देवेन्द्र सिंह : (गरचा)** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली संकट के निरन्तर जारी रहने की आशंका के पश्चात् ईंधन नीति समिति के विशेषज्ञों ने एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में उर्जा नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी नीति का व्यौरा क्या है और इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) ईंधन नीति समिति आर्थिक विकास की वांछित दर बनाये रखने के लिए मांग और ऊर्जा के विभिन्न संसाधनों से प्राप्त होने वाली अधिकतम मात्रा का दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार कर रही है। ईंधन नीति के बारे में अल्प-कालीन उपाय सरकार को मई 1972 में मिल गये थे जबकि ईंधन नीति समिति ने 1970 के दशक में इंधन नीति के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। इस समति की सिफारिशें 10-8-1972 को लोक सभा में रखी गई थी।

ईंधन नीति समिति, जो कि आन्तरिक तेल की स्थित और अन्य सम्बद्ध घटकों का ध्यान रखेगी और अन्तिम रिपोर्ट सरकार को आगामी कुछ सप्ताहों में प्रस्तुत की जाने की संभावना है।

दिल्ली देहात कल्याण समिति द्वारा दिल्ली के उप-आयुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका

5364. **श्री मधु दंडवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली देहात कल्याण समिति के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के उप-आयुक्त के विरुद्ध एक याचिका प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त शिकायत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली के बादली गांव के किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : दिल्ली देहात कल्याण समिति ने बादली गांव के निवासियों की एक याचिका भेजी थी। याचिका में यह आरोप था कि उप-आयुक्त दिल्ली, के कहने पर भूमि अर्जन कलेक्टर, दिल्ली ने गांव की उपजाऊ भूमि के अर्जन के लिए सख्त रुख अपनाया था।

(ग) दिल्ली नगर निगम के अनुरोध पर तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की सहमति से, बादली गांव की लगभग 302 बीघा भूमि एक वाटर ट्रिटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए अर्जित की गई थी। मामले पर कई बार विचार किया गया था तथा प्लांट के स्थान को दूसरी जगह बदलना संभव नहीं पाया गया। गांव बादली का सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र दिल्ली के मास्टर प्लान के अन्तर्गत आवास के लिए निश्चित किया गया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को इंस्पैक्टरों के पदों पर पदोन्नति

5365. **श्री सतपाल कपूर :**

श्री नवल किशोर सिंह :

क्या गृह मंत्री 2 मई, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 926 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर के पदों पर पदोन्नति करने के लिए सब इन्सपैक्टरों की संशोधित सूची इस बीच तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो सूची में कितने व्यक्तियों के नाम हैं और उनमें से अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग कितने हैं; और

(ग) क्या दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तथा इस संबंध में सरकारी निदेशों का उलंघन कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सूची में 84 सब इन्सपैक्टरों के नाम हैं जिनमें अनुसूचित जातियों के 6 व्यक्ति हैं तथा अनुसूचित जन जातियों का कोई व्यक्ति नहीं है।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के भरने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं।

राज भवनों में मितव्ययता

5366. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नर ने कहा है कि राज भवनों में मितव्ययता संभव नहीं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसके लिए उनके क्या तर्क है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्यपालों से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एडवर्ड मिल्स, बयावर (राजस्थान) में कोयले की कमी

5367. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम को एडवर्ड मिल्स (बयावर) राजस्थान से कोयले की सप्लाई में कमी के बारे में कोई पत्र मिला है, और

(ख) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने मिल को सामान्य मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) संबंधित प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया गया है।

बयावर (राजस्थान) में सीमेंट का कारखाना लगाने के लिये लाइसेंस जारी करना

5368. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहू कैण्ड अथवा अन्य किसी फर्म को बयावर (राजस्थान) में सीमेंट का कारखाना लगाने और चूना पत्थर के लिए कोई लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को और उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या इतने वर्षों के बाद भी सीमेंट का कारखाना लगाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सीमेंट उद्योग 13 मई 1966 से 18 फरवरी 1970 तक की अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के लाइसेंसिग उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया था। 18 फरवरी, 1970 से इस उद्योग पर लाइसेंसिंग पुनः लागू कर दिया गया जब लाइसेंसिग पुनः लागू कर दिया गया तब लाइसेंस मुक्त अवधि में जिन उद्योगों ने क्षमता स्थापित कर ली थी वे इसी आधार पर कार्य चालू रखने (सी०ओ० बी०) के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अर्ह थे। जयपुर उद्योग लि० को बयावर राजस्थान में प्रतिवर्ष 6 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले एक संयंत्र के लिए एक सी० ओ० बी० का लाइसेंस दिया गया था।

पार्टी ने पूर्वकल्पनास्थ पानी की अनुपलब्धता को तथा बढ़ी हुई क्षमता लागत के परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजना के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को परियोजना के पूरी होने में विलम्ब का कारण ठहराया है।

बिहार सर्किल में अधिकारियों का स्थानान्तरण

5369. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रेणी I और II के उन अधिकारियों (राजपत्रित) की संख्या कितनी है जिन्हें बिहार सर्किल (पोस्टल, आर०एम०एस० टेलीग्राफ ट्रेफिक और टेलीग्राफ इंजीनियरिंग के अलग-अलग सर्किल) से बाहर कभी भी स्थानान्तरित नहीं किया गया;

(ख) बिहार राज्य के कितने अधिकारियों को बिहार सर्किल से बाहर भेजा गया है;

(ग) बिहार राज्य के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो बिहार सर्किल से बाहर काम कर रहे हैं और जो बिहार सर्किल में काम करना चाहते हैं; और

(घ) बिहार सर्किल में अधिकारियों को 8-10 वर्ष से अधिक अवधि तक रखे जाने और उन्हें सर्किल के बाहर न भेजे जाने के कारण क्या हैं ताकि बाहर काम करने के बाद बिहार सर्किल में वापिस आने के इच्छुक अधिकारी बिहार सर्किल में आ सकें ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

बिहार सर्किल में डाक तथा तार विभाग के औषधालय

5370. **श्री के० एम० मधुकर :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सर्किल में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां डाक तथा तार विभाग के औषधालय खोलने का प्रस्ताव है और उनके नाम क्या हैं जहां इस समय ऐसे औषधालय मौजूद हैं;

(ख) उपरोक्त स्थानों पर ऐसे औषधालय किस तारीख तक खोले जाएंगे;

(ग) चिकित्सा अधिकारियों, तकनीशियनों, अन्य कर्मचारियों को भर्ती और औषधियों की खरीद तथा भंडार बनाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(घ) इन औषधालयों में अनुमानतः किस तारीख तक काम का आरम्भ हो जायेगा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बिहार सर्किल के जिन स्थानों पर डाक-तार औषधालय खोलने के प्रस्ताव हैं उनके नाम हैं---मुजफ्फरपुर, रांची, गया, धनबाद, दरभंगा और छपरा। इस सर्किल में पटना में दो पूरे समय काम करने वाले डाक-तार औषधालय पहले से ही चल रहे हैं। इनके अलावा दरभंगा में प्रशिक्षार्थियों के वास्ते एक अंशकालिक औषधालय भी चल रहा है।

(ख) से (घ) ये प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं। चिकित्सा अधिकारियों तथा दूसरे कर्मचारियों की भर्ती, और दवायें वगैरह मंगाने के लिए कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है, जब इस संबंध में अंतिम रूप से फैसला कर लिया जायेगा। इसलिए इस स्थिति में यह पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है कि ये चिकित्सालय किस तारीख तक वास्तव में काम करना शुरू कर देंगे।

मोतीहारी टेलीफोन एक्सचेंज में विश्राम कक्ष

5371. **श्री के० एम० मधुकर :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोतीहारी टेलीफोन एक्सचेंज का विश्राम कक्ष कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए खाली कर दिया गया था क्योंकि पहले एस० डी० ग्रो० टेलीग्राफ, मोतीहारी ने सरकार के स्थायी निदेशों के खिलाफ विश्राम कक्ष को कार्यालय के काम के लिए बदल दिया था;

(ख) क्या कर्मचारियों को परेशान करने ग्रौर उन्हें उक्त कमरे को विश्राम कक्ष के रूप में इस्तेमाल न करने देने के लिए उक्त कमरे में इंजन जेनरेटर ग्रौर टुंगर रेक्टेफाइट संयंत्र स्थापित कर दिये गये थे; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो ऐसे ग्रधिकारी के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिसने कर्मचारियों के हित के खिलाफ ग्रौर सरकार के स्थायी ग्रादेशों के विरुद्ध कार्यवाही की है ?

संचार तथा पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ग्रौर (ख) यह विश्राम कक्ष मूल रूप में मोतीहारी टेलीफोन एक्सचेंज का पावर रूम था ग्रौर इसे विश्राम कक्ष बनाने के लिए ग्रधिकांश उपस्कर को हटाकर दूसरी जगह ले जाया गया था। कोई दूसरी जगह न मिल पाने के कारण एक इंजन ग्रल्टर्नेटर कुछ दिनों तक इसी कमरे में रखा गया था। ग्रब इसे वहां से हटा दिया गया है। इस कमरे के एक कोने में एक रेक्टिफायर प्लांट ग्रभी भी लगा हुग्रा है। यह प्लांट थोड़ी सी जगह घेरे हुए है। इस प्लांट को भी वहां से हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(ग) इसमें सरकारी ग्रादेशों का कोई उल्लंघन नहीं हुग्रा है। इसलिए किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रौद्योगिक लाइसेंसों के ग्रावेदन पत्रों पर शीघ्र निर्णय की गई प्रक्रिया पर भ्रम

5372. **श्री एम० सुदर्शनम :** क्या **ग्रौद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई से प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र में प्रकाशित इस ग्राशय के समाचार की ग्रोर दिलाया गया है कि ग्रौद्योगिक क्षेत्र, ग्रौद्योगिक लाइसेंसों के ग्रावेदनपत्रों पर शीघ्र निर्णय करने सम्बन्धी नई संशोधित प्रक्रिया पर ग्रभी भी भ्रम में हैं; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रौद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) ग्रौर (ख) सरकार का ध्यान 22 नवम्बर, 1973 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 'लाइसेंसिंग प्रोसीजर कन्फ्यूजिंग' शीर्षक के ग्रन्तर्गत प्रकाशित सूचना की ग्रोर दिलाया गया है। सूचना के ग्रनुसार उद्योग क्षेत्रों में इस बात पर कुछ भ्रम फैला हुग्रा है कि क्या उन मामलों में जिनमें निवेश 1 करोड़ रुपये से कम है किन्तु जहां निवेश के 10 प्रतिशत से ग्रधिक की मशीनों तथा उपकरणों ग्रथवा 5 लाख रुपये, जो भी ग्रधिक हो, के लिए विदेशी मुद्रा ग्रपेक्षित है, ग्रौद्योगिक लाइसेंस लेना ग्रावश्यक होगा। इस संबंध में वस्तु स्थिति 31 ग्रक्तूबर, 1973 के प्रैस टिप्पणी में (प्रति संलग्न है) स्पष्ट कर दी गई है जिससे किसी भी भ्रम का कारण नहीं रह जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6061/73]**

पटना, बिहार में शेख अब्दुल्ला का भाषण

5373. **श्री एम० सुदर्शनम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान शेख अब्दुल्ला के पटना में 17 नवम्बर, 1973 के कथित भाषण की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) माननीय सदस्य शायद राममोहन राय सेमिनरी, पटना में हुए अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान 17 नवम्बर, 1973 को शेख अब्दुल्ला द्वारा दिये गये व्याख्यान का उल्लेख कर रहे हैं।

(ख) सरकार शेख अब्दुल्ला के प्रकाशित व्याख्यान का, जहां तक उशका संबंध धर्मनिरपेक्षता, शांति तथा मित्रता बनाये रखने से है, स्वागत करती है।

नंदेड़ व उस्मानाबाद जिलों के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना

5374. **श्री आर० वी० बड़े :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नंदेड़ और उस्मानाबाद जिलों के स्वतन्त्रता सेनानियों से पेंशन के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने आवेदन-पत्रों को पेंशन के लिए स्वीकृत किया गया है और कितने विचाराधीन हैं या अस्वीकृत किये गये हैं; और

(ग) इन आवेदन-पत्रों को अस्वीकृति किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

नंदेड़ तथा उस्मानाबाद जिलों के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में प्राप्त किये गये, स्वीकृत किये गये तथा अस्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रों की संख्या का विवरण :—

जिले का नाम	प्राप्त किये गये आवेदन-पत्रों की संख्या	वे मामले जिनमें पेंशन स्वीकृत की गई।	विचाराधीन मामलों की संख्या	अस्वीकृत मामलों की संख्या
नंदेड़ .	391	79	274	38
उस्मानाबाद . .	762	370	336	56

निम्नलिखित एक अथवा अधिक कारणों से आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये जाते हैं :—

(क) आवेदक की वार्षिक आय 5000 रु० से अधिक है।

(ख) स्वतंत्रता सेनानी द्वारा काटी गई सजा 6 माह से कम हैं।

(ग) पात्र योजना की निर्धारित श्रेणियों में नहीं आता।

(घ) मृतक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का पात्र सदस्य न होना, आदि।

Increase in overtime Allowance in P.M's Secretariat.

5375. **Shri Hukam Chand Kachawai** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the amount of Overtime Allowance paid during the financial year 1972-73 to the employees working in her Secretariat has considerably increased as against the amount paid during the year 1970-71 and 1971-72 ; and

(b) if not, the year-wise , amount of expenditure incurred on Over-Time Allowance during the above financial years ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) (a) and (b) The expenditure incurred on over-time Allowance paid to the staff working in the Prime Minister's Secretariat during the last three years was :—

year	Rs.
1970-71	1,29,768.00
1971-72	1,37,246.00
1972-73	1,43,278.00

The comparatively small increase was mainly due to annual increments and enhanced rates of Dearness Allowance which resulted in higher slabs of OTA rates.

Temporary Employees in the Ministry

5376. **Shri Hukam Chand Kachwai : ** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of employees in his Ministry at present who are still temporary even after rendering more than 5 years of Service ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आधुनिक आंकड़ा संकलन मशीनों का निर्माण और निर्यात

5377. **श्री के० बालकृष्णन : ** क्या **इलैक्ट्रोनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत आधुनिक आंकड़ा संकलन मशीनों का निर्माण करता है जिन का प्रयोग संगणक-व्यवस्था में भी होता है, यदि हां, तो ये मशीनें मुख्यतः किन किन किस्मों की हैं;

(ख) क्या इन भारत निर्मित मशीनों का निर्यात किया जा रहा है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन में भारत निर्मित आंकड़ा संकलन कशीनों का इस्तेमाल होता है;

(घ) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में कितने मूल्य के प्रमुख किस्मों की भारत निर्मित आंकड़ा संकलन मशनों का निर्यात किया गया; और

(ङ) भारत से इन मशीनों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) कम्प्यूटर सिस्टम की विविध किस्में और उससे संबंधित अन्य उपकरण सरकारी और गैर सरकारी

दोनों ही क्षेत्रों में तैयार किये जा रहे हैं। इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (पूर्णतया केन्द्रीय सरकार का प्राधिकरण), हैदराबाद, टी० डी० सी०-12 और टी० डी० सी०-312 सिस्टम तैयार करता है जबकि इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स लि० (आई० सी० एल०) 1901-ए सिस्टम्स का निर्माण करता है तथा उसके अन्य परिवृत्तीय जैसे कार्ड-रीडर्स, लाईन-प्रिंटर्स और टेप-ट्रान्सपोर्ट्स तैयार करता है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे यन्त्र जैसे, 'की-पंचिज' और 'सार्टर्ज' आदि भी आई० सी० एल० और आई० बी० एम० (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा देश में ही निर्मित किये जा रहे हैं।

(ख) की-पंचिज और यूनिट रिकोर्ड मशीनें जैसे पंचिज, वैरीफायर्स, सार्टर्ज आदि निर्यात किये जा रहे हैं।

(ग) बहुत सारे देशों को निर्यात किया जा रहा है जिनमें जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड थाईलैंड, फ्रांस, वियतनाम, इण्डोनिशिया, सिंगापुर, जर्मनी, स्वीडन, इटली, स्वीटजरलैण्ड, बेल्जियम, फिलीपाइन्ज़, मलयेशिया, नैपाल आदि सम्मिलित हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों में निर्यात का मूल्य (लाख रुपयों में) इस प्रकार है :—

1970-71	1971-72	1972-73
198.41	170.70	204.98

(ङ) निर्यात के लिए उपलब्ध व्यापक प्रोत्साहन को और बढ़ाकर डाटा प्रोसेसिंग उपकरण तक भी प्रदान किया है। कुछ देशों के साथ किये गये व्यापार संलेख समझौतों की मदों में, 'सोफ्टवेयर,' कम्प्यूटर का निर्यात भी सम्मिलित है। इसके अलावा, एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो अलग से इलैक्ट्रोनिक्स की मदों के लिए होगा, बम्बई के निकट शान्ता क्रुज में स्थापित किया जा रहा है।

आकाशवाणी राजस्थान से संस्कृत के कार्यक्रम

5378. **श्री अमर सिंह चौधरी :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 नवम्बर, 1973 की प्रेस रिपोर्ट की ओर गया है जिसमें बताया गया है कि बीकानेर के कुछ संस्कृत पंडितों ने केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान आकाशवाणी, राजस्थान से संस्कृत कार्यक्रमों के प्रति अन्याय तथा उपेक्षापूर्ण व्यवहार की ओर दिलाया है;

(ख) क्या उन्होंने इस मामले की पूरी जांच की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी नहीं। परन्तु हिन्दी दैनिक 'हिन्दुस्तान' के 5-12-1973 के डाक संस्करण में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार, संस्कृत सम्मेलन की राजस्थान शाखा ने ये सुझाव दिये हैं कि (1) संस्कृत में पाक्षिक समाचार समीक्षा का प्रसारण पुनः चालू किया जाये, (2) संस्कृत के अनुभवी आर्टिस्टों को प्रसारण के अवसर प्रदान किये जायें, तथा (3) संस्कृत कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए एक समिति बनाई जाए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) (1) जयपुर केन्द्र से संस्कृत में पाक्षिक समाचार समीक्षा का प्रसारण पुनः चालू करने का विचार नहीं है, क्योंकि इसको सुनने वाला शायद ही कोई हो।

(2) जयपुर में संस्कृत के कार्यक्रमों के लिए बुकिंग आर्टिस्टों के एक पैनल में से बारी-बारी की जाती है जिसमें इस समय 54 आर्टिस्ट हैं।

(3) संस्कृत के लिए पहले ही एक केन्द्रीय कार्यक्रम सलाहकार समिति है।

अलीगढ़ तथा अन्य स्थानों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों का ढोंग करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारियां

5379. **श्री अमर सिंह चौधरी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ तथा देश के अन्य भागों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों का ढोंग करने वाले कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो, उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उन की तलाशी लेने पर उनके पास से केन्द्रीय जांच ब्यूरो से संबंधित विभिन्न प्रकार के फार्म और स्टैम्प भी प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कुछ कर्मचारी भी इस संबंध में उनके साथ सक्रिय हैं और यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को जड़ से समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) सूचना एकत्रि की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

गुजरात द्वारा ट्रक और बस टायरों का आयात किये जाने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र

5380. **श्री वेकरिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में टायरों की कमी को पूरा करने के लिए मोटर गाड़ी कलपुर्जा लाइसेंस के आधार पर ट्रकों और बसों के टायरों का आयात करने हेतु 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि मोटर गाड़ी के हिस्से-पुर्जों के लाइसेंसों पर बसों और ट्रकों के टायरों तथा ट्यूबों को आयात करने की अनुमति देने के लिए राज्य परिवहन उपक्रमों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाये और लाइसेंसों के मूल्य के 25 प्रतिशत तक आयात करने की अनुमति दी जाये। राज्य सरकार के आयात के अनुरोध पर अनापत्ति दे दी गई है।

गुजरात में टायरों की मांग तथा सप्लाई

5381. **श्री वेकरिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, कुल कितने बसों तथा ट्रकों के टायरों की मांग की है;

(ख) उक्त अवधि में कितने टायर सप्लाई करने का वचन दिया गया;

(ग) वास्तव में कितने टायर सप्लाई किये गये; और

(घ) कम सप्लाई के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है, सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद

5382. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र एकीकरण समिति का एक नेता प्रधान मंत्री से मिला था और 21 नवम्बर, 1973 को आरम्भ किये जाने वाले आन्दोलन को इस दृष्टि से स्थगित करने का आश्वासन दिया था कि प्रधान मंत्री को महाराष्ट्र के विधायकों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद कर्नाटक–महाराष्ट्र सीमा विवाद का हल निकालने का समय मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) हाल में महाराष्ट्र एकीकरण समिति का कोई नेता प्रधान मंत्री से नहीं मिला है। समिति के सेक्रेटरी से एक तार दिनांक 20 नवम्बर, 1973 को मिला था जिसमें लिखा गया था कि उन्होंने सत्याग्रह स्थगित कर दिया है। पहले अतारांकित प्रश्न संख्या 593 के उत्तर में दिनांक 14-11-1973 को सदन में बताया गया था कि 3 नवम्बर, 1973 को महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री से मिला था और महाराष्ट्र–कर्नाटक विवाद पर विचार विमर्श किया गया था। प्रधान मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को सूचित किया था कि इस विवाद को एक ऐसा संतोषजनक हल ढूढना होगा जिससे भविष्य में कोई कटुता अथवा मतभेद के लिए कोई स्थान न रहे। इस दिशा में प्रयत्न चल रहे हैं।

वाणिज्यिक टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना

5383. **श्री वेकरिया :**

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यिक टेलीविजन आरम्भ करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने वाणिज्यिक टेलीविजन से होने वाले वार्षिक आय निकाली है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार टेलीविजन पर वाणिज्यिक कार्यक्रम शुरू करने के बारे में विचार नहीं कर रही है क्योंकि इसका मुख्य रूप से शैक्षिक तथा विकास उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

5384. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने यह सुझाव दिया है कि राज्य में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों की स्थापना की जाये;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केरल सरकार द्वारा दिये गये सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) योजना आयोग को केरल ने पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो प्रयास प्रारूप रूपरेखा प्रस्तुत की है, उसमें सुझाव दिया गया है कि पांचवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य में निम्नांकित औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित की जाय :—

(1) अखबारी कागज

(2) प्रेसिजन इन्सट्रूमेंटस।

(3) हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड की एक एकक।

(4) पैट्रो-कैमिकल कम्पलैक्स।

(5) जर्कोनियम और उसके योगिकों का निर्माण।

(6) भारतीय टेलीफोन उद्योग की एक एकक।

(7) भूमिगत कैबलों/को-ऐक्सियल कैबलों का निर्माण।

(8) भारत एलोक्ट्रोनिक्स की एक एकक।

(9) आर्डिनेंस फैक्टरी।

(10) वाल और रौलर वियरिंगस मैनुफैक्चरिंग यूनिट।

(11) राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला।

(12) इंडियन रियर अर्थ्स, मार्डन बेकरीज, इंडियन ड्रग्स और फार्मस्यूटिकल्स आदि की एककें, विस्तार।

(ग) अंतिम निर्णय अभी विचाराधीन है।

अखबारी कागज की कटौती के कारण समाचार-पत्रों का बन्द होना

5385. **श्री पी० जी० मावलंकर :**
श्री मधु लिमये :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न भारतीय भाषाओं के कौन-कौन से समाचारपत्रों को अखबारी कागज की बहुत अधिक कमी के कारण बन्द होने को बाध्य होना पड़ा है; और

(ख) कटौती को बहाल करने के लिए सरकार क्या तत्काल उपाय कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) ऐसा कोई पत्र जानकारी में नहीं है जिसको अखबारी कागज का कोटा मिलता हो और वह अखबारी कागज की कमी के कारण स्थायी रूप से बन्द हो गया हो। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार 13 दिसम्बर, 1973 के दिन की स्थिति के अनुसार भारतीय भाषाओं के निम्नलिखित समाचारपत्रों का थोड़े समय के लिए प्रकाशन बन्द रहा :—

(1) 'नूतन सौराष्ट्र' गुजराती दैनिक, राजकोट।

(2) 'राजस्थान पत्रिका', हिन्दी दैनिक, जयपुर।

(3) 'नव भारत' हिन्दी दैनिक, भोपाल।

(4) 'अमर उजाला' हिन्दी दैनिक, आगरा।

(5) 'अमर उजाला' हिन्दी दैनिक, बरेली।

(6) 'थानिनारम' मलयालम दैनिक, कालीकट।

(ख) जुलाई, 1973 में घोषित अखबारी कागज आवन्टन नीति में देश के समाचार पत्रों के अखबारी कागज के कोटे में 30 प्रतिशत की कटौती की गई, क्योंकि आवन्टन के लिए उपलब्ध कागज में इतनी ही मात्रा में कमी हो गई थी। क्योंकि 1973-74 वर्ष के दौरान अखबारी कागज की कल उपलब्धि में कोई सुधार नहीं हुआ है, इसलिए कटौती को बहाल करने का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में 26 नवम्बर, 1973 को हत्याकांड

5386. **श्री वी० मायावन :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 26 नवम्बर, 1973 को चार हत्याएं हुई; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन कौन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं। फिर भी 25-11-73 को दिल्ली पुलिस को हत्या के चार मामलों की सूचना दी गई थी।

(ख) 25 नवम्बर, 1973 को सूचित किये गये चार मामलों में गिरफ्तार व्यक्ति इस प्रकार थे :—

(1) प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 743—पुलिस स्टेशन दिल्ली कैन्ट।

(i) मेजर हरचरण सिंह

(2) प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 1266—पुलिस स्टेशन सदर बाजार, दिल्ली

(i) भगवान सिंह

(ii) गोपाल

(3) प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 712–पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस, दिल्ली।

(i) मेहर सिंह

(ii) मुस्की राम

(iii) गुरचरण सिंह

(iv) चानन सिंह

(4) प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 1148–पुलिस स्टेशन पहाड़गंज, दिल्ली।

(i) कश्मीरी लाल

समाचारपत्रों में विज्ञापनों और सम्पादकीय सामग्री में पृथकीकरण

5387. **श्री डी० बी० चन्द्रगोड़ा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रेस काउंसिल आफ इंडिया ने उद्घोषणा की है कि पत्रकारिता के औचित्य के अनुसार समाचार-पत्रों में विज्ञापन सम्पादकीय सामग्री से स्पष्ट रूप से पृथककरणीय होने चाहिए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : जी हां। इस विषय पर भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट की एक प्रति संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6062/73]

हरियाणा में प्रसारण केन्द्र

5388. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हरियाणा में कोई प्रसारण केन्द्र नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो वहां ऐसा केन्द्र कब तक स्थापित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) फिलहाल कोई नहीं। तथापि, चौथी योजना की एक परियोजना के रूप में रोहतक में आकाशवाणी का एक केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। ट्रांसमिटर 1974 में और स्टूडियो 1975 में तैयार हो जाने की आशा की जाती है। तथापि, ट्रांसमिटर के तैयार होते ही केन्द्र चालू कर दिया जायेगा।

जतली-सांगली टेलीफोन लाइनें

5389. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के तहसील मुख्यालय जतली और जिला मुख्यालय सांगली के बीच सीधे टेली सम्पर्क की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है;

(ख) यह कब से अनिर्णीत पड़ा है; और

(ग) क्या प्रस्ताव मंजूर हो गया है और यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य जिस स्थान के बारे में कह रहे हैं उस स्थान का नाम जतली नहीं है बल्कि जठ है। जठ और सांगली के बीच एक सीधी लाइन लगाने के प्रश्न की पहले ही जांच की जा चुकी है।

जांच करने पर यह पाया गया कि इन दोनों जगहों के बीच जितना ट्रंक ट्राफिक है, उसके आधार पर सीधी लाइन लगाने का औचित्य सिद्ध नहीं होता। तथापि, डाक-तार विभाग ने सांगली अटनी, बीजापुर और जठ के बीच ट्रंक यातायात में सुधार लाने के लिए उचित कदम उठाए हैं।

औकलखोप (महाराष्ट्र) में टेलीफोन सुविधाएं

5390. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सांगली जिले के औकलखोप में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव छोटे मोटे कारणों से पड़ा है;

(ख) इसके कब तक मंजूर किये जाने की आशा है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। कुछ जरूरी साज-सामान जैसे जमींनोज केबुल, लाइन और तार, बैटरियों और टेलीफोन यंत्रों की कमी है। इनकी सप्लाई कम होने के कारण महाराष्ट्र के सांगली जिले में औकलखोप स्थान में एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का काम रुका हुआ है।

(ख) और (ग) 50 लाइनों का एक छोटा आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए परियोजना का प्राक्कलन तारीख 19-6-73 को स्वीकृत किया गया था। उम्मीद है कि यह कार्य तारीख 31-3-74 तक पूरा हो जाएगा।

मिराज में मुख्य डाकघर खोलना

5391. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सांघी पोस्टल डिवीजन के अन्तर्गत मिराज में मुख्य डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या मिराज में मुख्य डाकधर खोलने के उद्देश्य से प्राथमिक प्रवन्ध अथवा सर्वेक्षण किये गये; और यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या इसका स्थान परिवर्तन किया जाता है और यदि हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रस्ताव की जांच की गई थी। प्रशासनिक और वित्तीय आधार पर यह प्रस्ताव उचित नही पाया गया, इसलिए इसको अनुमति नहीं दी जा सकी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

देवास प्रिंटिंग प्रेस में डाक टिकटों का छापा जाना

5392. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के सम्मुख ऐसा प्रस्ताव रखा है कि वे मध्य प्रदेश के देवास में नोट छापने वाली अपनी प्रस्तावित प्रेस की क्षमता का कुछ भाग उन्हें आवंटित कर दें;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव उत्तम किस्म के डाक टिकट छापने के विचार से रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इंटेग्लियों प्रक्रिया के जरिए स्मारक डाक टिकटों की छपाई के स्तर में सुधार लाने के विचार से यह प्रस्ताव किया गया है। तथापि, वित्त मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि देवास के छापे खाने में स्थापित मशीनों की क्षमता इतनी नहीं है कि वे बैंक और करेंसी नोटों की छपाई के अलावा डाक टिकटों की छपाई का काम भी करना शुरू कर दें।

पांच विदेशी रूपक फ़िल्में प्राप्त करने का प्रस्ताव

5393. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पांच विदेशी रूपक फिल्में प्राप्त करने के प्रयास प्रारम्भ किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दो वर्ष पूर्व अमरीका की मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसियेशन द्वारा हालीवुड फिल्मों के वितरण के एकाधिकार के समाप्त होने के साथ ही विदेशी फिल्मों का आयात रुक गया था; और

(ग) क्या विधान के माध्यम से एक स्थायी सेंसरशिप बोर्ड स्थापित किया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अन्तरिम उपाय के रूप में, राष्ट्रीय फिल्म निगम की स्थापना होने तक, विभिन्न विदेशी विक्रेताओं से प्राप्त पेशकशों की जांच गुण-दोष के आधार पर एक अनौपचारिक सलाहकार पैनल की सहायता से की गई है। किसी भी फिल्म के बारे में कोई पक्का निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) जी, हां। परन्तु चुनी हुई फिल्मों को प्राप्त करने हेतु बातचीत करने का काम फिल्म वित्त निगम अपने हाथ में ले रहा है जिसे सरकार ने फिल्म आयातों के लिए एक कैनेलाइजिंग एजेंसी घोषित कर दिया है।

(ग) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन संसद् द्वारा चल-चित्र (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 पास किए जाने के बाद किया जायेगा।

योजना आयोग का विस्तार

5394. **श्री पी० वेंकटासुब्बैया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विस्तार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं। इस समय योजना आयोग के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

थुम्बा भूमध्यवर्ती राकेट छोड़ने के केन्द्र पर समुद्री कटाव का प्रभाव

5395. **श्री सी० जनार्दनन् :**
श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :

क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि समुद्री कटाव के कारण थुम्बा भूमध्यवर्ती, राकेट छोड़ने के केन्द्र से राकेट छोड़ने के स्थल को खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कटाव की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) सन् 1973 के मानसून के दौरान हुए असाधारण समुद्री कटाव के कारण थुम्बा भू-मध्यवर्ती राकेट छोड़ने के केन्द्र के नियंत्रण केन्द्र भवन को जो खतरा उत्पन्न हो गया था उसकी सरकार को जानकारी है। थुम्बा के राकेट छोड़ने के केन्द्र के निकट रेत-अवरोध की संरक्षा हेतु तत्काल कार्यवाही की गई थी। किसी भावी कटाव की रोकथाम के लिये स्थायी उपाय करने सम्बन्धी जांच की जा रही है।

राजनैतिक विरोधियों पर जासूसी करने के लिये अमरीका एवं जापान से अत्यन्त आधुनिक इलैक्ट्रानिक उपकरणों का क्रय

5396. **श्री मधु लिमये :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "फार इस्टर्न इकानामिक रिव्यू" दिनांक 6 अगस्त, 1973 में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया था कि सरकार ने देश के भीतर राजनैतिक विरोधियों पर जासूसी करने हेतु अत्यन्त आधुनिक इलैक्ट्रानिक उपकरणों की खरीद के लिये जापान और अमरीका में बहुत अधिक नकद धनराशि खर्च की है;

(ख) क्या अनुसन्धान और विश्लेषण विंग सहित किसी आसूचना अभिकरण के लिये वास्तव में इस प्रकार का कोई उपकरण खरीदा गया है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का और उस पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) यह सूचना देना जनहित में नहीं है ।

उच्च पदों का 'स्पेशिलस्टों' और 'जनरलिस्टों' के बीच समान वितरण

5397. **श्री मधु लिमये :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तकनीकी सेवाओं में इस तथ्य को लेकर फैले असंतोष का पता है कि भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी, जो कि सरकार के अधीन श्रेणी-I के अधिकारियों में से केवल 10 प्रतिशत हैं, संयुक्त सचिव तथा उपर के पदों में से अधिकांश पदों पर आसीन हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार चुनाव और पदोन्नति नीतियों का पुनरावलोकन करने और 'स्पेशिलस्टों' और 'जनरलिस्टों' के बीच उच्च पदों के अधिक समीचीन वितरण का सिद्धांत अपनाने का है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) कतिपय गैर-तकनीकी सेवाओं के वेतनमानों तथा पदोन्नति के अवसरों की तुलना में तकनीकी अधिकारियों में अपने वेतनमानों तथा पदोन्नति के अवसरों को लेकर फैली शिकायत की भावना से सरकार अवगत है। तृतीय वेतन आयोग ने इस संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं और इनकी जांच की जा रही है।

सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां व्यवसाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तकनीकी और साथ ही गैर-तकनीकी सेवाओं के पात्र अधिकारियों में से गुणदोष के आधार पर चयन द्वारा की जाती है। अतः विद्यमान नीति के पुनरावलोकन की कोई आवयश्कता नहीं है।

समाचार-पत्रों में विज्ञापनों और समाचारों का अनुपात निर्धारित करने के लिए कानून

5398. **श्री मधु लिमये :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अखबारी कागज के कोटे में कटौती करने के कारण बड़े-बड़े समाचार-पत्रों में समाचारों और विज्ञापनों के लिए स्थान के अनुपात में विज्ञापनों को अधिक स्थान दिया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार यह अनुपात कानूनी तौर पर निर्धारण करने के लिए कानून लागू करेगी ताकि समाचार-पत्र के कुल स्थान में से विज्ञापनों को 30 प्रतिशत से अधिक स्थान न दिया जाये और समाचारों तथा विचारों को 70 प्रतिशत से कम स्थान न दिया जाये; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) समाचारपत्रों में विज्ञापनों के लिए दिए जाने वाले स्थान को कानूनी रूप से परिसीमित करना संभव नहीं है।

Crown of British Period inscribed on a court stamp sold by revenue department of Rajasthan Government

5399. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether he has received a complaint to the effect that the Crown of British period is inscribed on the four-rupee court stamp being sold by the Revenue Department of Rajasthan Government; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) A report in the matter has been called for from the Government of Rajasthan.

पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम में लाइसेंसों की मन्जूरी

5400. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा अब तक जारी किये गये कुल लाइसेंसों से अधिकांशतः महाराष्ट्र राज्य को मदद मिली है;

(ख) यदि हां, तो अब राज्यों में क्रमशः कुल कितने प्रतिशत लाइसेंसों को मन्जूरी दी गई; और

(ग) अब तक जारी किये गये कुल लाइसेंसों में से पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम को 10 प्रतिशत से भी कम देने के मूल कारण क्या हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) वर्ष 1971 से 1973 (अगस्त 1973) तक की अवधि में (राज्यवार) प्राप्त आवेदनों के तुलनात्मक आंकड़े, जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों और आशय-पत्रों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है। उससे यह पता चलेगा कि विभिन्न राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या पर औद्योगिक लाइसेंसों और आशय-पत्रों का जारी करना निर्भर करता है। औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए आवेदन-पत्रों पर, एकक की आर्थिक विकास क्षमता तकनीकी संभाव्यता, पिछड़े क्षेत्र का विकास तथा कच्चे माल, बिजली, पानी और अन्य संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रख कर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6063/73]

जय इंजिनियरिंग वर्क्स का विस्तार

5401. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जय इंजीनियरिंग के लिए मन्जूर की गयी विस्तार योजनाओं की मुख्य बातें क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि० को वर्ष 1970, 1971 1972 और 1973 (अगस्त, 1973 तक) की अवधि में पर्याप्त विस्तार करने के लिए कोई भी औद्योगिक लाइसेंस अथवा आशय-पत्र नहीं दिया गया है। तथापि, इसी अवधि में पार्टी को कार्य जारी रखने (सी० ओ० बी०) के तीन लाइसेन्स दिये गये थे। कार्य जारी रखने (सी० ओ० बी०) के इन लाइसेंसों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मै० जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को 1970 से 1973 (अगस्त, 1973 तक) की अवधि में कार्य जारी रखने (सी० ओ० बी०) के लाइसेंसों का ब्यौरा बताने वाला विवरण।

क्र० सं०	उपक्रम का नाम तथा स्थान	लाइसेंस सं० और तारीख	बनाई जाने वाली वस्तु तथा क्षमता
1	2	3	4
1.	मै० जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, कलकत्ता (प० बंगाल)	एल०/आई० ए० (3)-28/एल० ई०/71 दिनांक 13-1-1971	ग्रे आबरन कास्टिंग्स 1500 मी० टन प्रतिवर्ष
2.	मै० जय इजीनयरिंग वर्क्स लि०, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	एल०/आई० ए० (3)-32/ई० ई० आई०/71 दिनांक 29-3-1971	पेसिजन इन्वेस्टमेन्ट कास्टिंग्स 240 मी० टन प्रतिवर्ष
3.	मै० जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	एल०/9/231/73-एम० टी० दिनांक 31-5-1973	डाई ग्राइंडर्स 12,000 संख्या प्रतिवर्ष

देश में प्राप्त विदेशी इनामों की संख्या

5402. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश को गत तीन वर्षों में फिल्म निर्माताओं एवं कलाकारों के माध्यम से कितने विदेशी इनाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) उन फिल्मों एवं कलाकारों के नाम क्या हैं; और

(ग) अगले वर्ष में इनाम देने के लिये मंत्रालय ने कितनी राशि निर्धारित की है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1 दिसम्बर, 1970 से 30 नवम्बर, 1973 तक की गत तीन वर्षों की अवधि से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना दी हुई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6064/73]**

(ग) कोई राशि निर्धारित नहीं की जाती, क्योंकि विदेशी पुरस्कार सिनेमा संबंधी प्रयासों की श्रेष्ठता पर प्राप्त होते हैं।

राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के लिये वार्षिक व्यवस्था 2,51,000 रुपये (नकद पुरस्कार) की है।

Grant of Pension to Freedom Fighters

5403. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of freedom fighters who have been granted pension so far, State-wise;

(b) the number of freedom fighters whose applications are under consideration of the Central Government; and

(c) the maximum amount of pension payable and the names and particulars of the 10 persons getting maximum amount of pension.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) Information is given in the attached statement.

[Placed in Library. *See* No. LT-6065/73]

(c) No upper ceiling has been fixed. The names of 10 freedom fighters who have been given maximum pension so far are given below :—

S. No.	Name of freedom fighter	Amount per month sanctioned
		Rs.
1.	Shri S. M. Ghose, New Delhi	500
2.	Pt. Sunder Lal, Delhi	500
3.	Col. G. S. Dhillon, Shivpuri. (MP)	500
4.	Shri P. K. Khanna, Ex-MP, Shahjahanpur (MP)	400
5.	Shri Bhupendra Kr. Datta, Calcutta	450
6.	Khan Abdul Ghaffar Khan, Ambala (Haryana)	400
7.	Shri Sheel Bhadra Yajee Distt. Patna	350
8.	Shri Hans Raj Wireless Chandigarh	350
9.	Shri Ganga Prashad Avasthi, Umao (U.P.)	305
10.	K. N. Gairola, Lucknow (U.P.)	305

ताम्र पत्र प्रदान करना

5404. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि हिमाचल राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के श्री हंस राज राणा को ताम्रपत्र देने की सिफारिश की है, जिन का हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार हरिजन लड़की के साथ बलात्कार के मामले में हाथ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार से न तो कोई ऐसी सिफारिश प्राप्त हुई है और न श्री हंस राज राणा को कोई ताम्रपत्र ही दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में मंत्रालय के केन्द्रीय "सैल"

5405. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में मन्त्रालय के केन्द्रीय सैल कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन केन्द्रीय सैलों के सही-सही कृत्य क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य के सैल के सदस्य कौन-कौन हैं?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) माननीय सदस्य महोदय क्या पूछना चाहते हैं स्पष्ट नहीं है। किसी भी राज्य में "मंत्रालय का कोई केन्द्रीय सैल" नहीं है।

राज्यों को उनके योजना संबंधी सामर्थ्य को बल देने में सहायता देने के लिए सैन्ट्रल सैक्टर स्कीम

5406 **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को उनके योजना संबंधी सामर्थ्य को बल देने में सहायता देने के लिए योजना आयोग द्वारा प्रायोजित सेन्ट्रल सैक्टर स्कीम में अच्छी प्रगति हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्रगति का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने जिस व्यापक ढांचे का सुझाव दिया है, उसके अनुसार 18 राज्यों में शीर्षस्थ आयोजन संगठन कायम किए जा चुके हैं। ये राज्य हैं : असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, करनाटक, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने अपने आयोजन विभागों को सुदृढ़ करने के लिए जो सुझाव दिए है उन्हें भारत सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। आयोजन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए आन्ध्र प्रदेश ने जो प्रस्ताव भेजे हैं उनपर इस समय विचार किया जा रहा है।

राज सहायता योजना में आन्ध्र प्रदेश के अडोनी तालुक को पिछड़े क्षेत्र में शामिल किया जाना

5407. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय को आन्ध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के अडोनी तालुक के लोगों से अभ्यावेदन मिला है जिस में अडोनी तालुक को राज-सहायता योजना के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्र में शामिल करने का मंत्री महोदय से अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां तो इस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) निवेश राज्य-सहायता की केन्द्रीय स्कीम के योग्य अडोनी नगरपालिका तथा पंचायत समिति खण्ड को घोषित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) सम्बद्ध राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जिलों/क्षेत्रों को निवेश राज्य-सहायता के योग्य घोषित किया जाता है । अभ्यावेदनों को राज्य सरकार के विचारार्थ आन्ध्र प्रदेश सरकार को भेज दिया गया था ।

केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद् की बैठक

5408. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय ने 16 नवम्बर, 1973 को नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद् की बैठक की अध्यक्षता की थी ।

(ख) यदि हां, तो क्या उस बैठक में लाइसेन्स देने की नई प्रक्रिया का पुर्नविलोकन किया गया था ; और

(ग) यदि हां तो पुर्नविलोकन का क्या परिणाम निकला और उस का तथ्य क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश में टेलीफोन कनेक्शनों की मांग

5410. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नये टेलीफोन कनेक्शनों की मांग है ;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, 1973 तक टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कुल कितने व्यक्तियों के नाम थे ;

(ग) क्या उन का मंत्रालय पांचवीं योजना अवधि में टेलीफोन कनेक्शनों के विस्तार के बारे में विचार कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी लाइनों का विस्तार किया जाएगा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) देश भर में जिन आवेदकों ने नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अर्जियाँ दी हैं, 30–9–1973 को प्रतीक्षा सूची में उन की कुल संख्या 4 लाख 80 हजार थी ।

(ग) जी हां ।

(घ) पांचवीं योजना की अवधि में 7 लाख 79 हजार नए टेलीफोन कनेक्शन (सीधी एक्सचेंज लाइनें) लगाने का प्रस्ताव है ।

वसंत विहार, नई दिल्ली में चोरी

5411. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसंत विहार, नई दिल्ली में 13 अक्तूबर, 1973 को एक लाख रुपये की चोरी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गये हैं ।

ढोलेड़ा, गुजरात में जमाकर्ताओं के खातों से रुपया निकालने के बारे में शिकायतें

5412. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 अगस्त, 1973 को ढोलेड़ा, गुजरात में जमाकर्ताओं के डाक बचत बैंक खातों से जमाकर्ताओं की जानकारी के बिना रुपया निकालने के बारे में केन्द्रीय मंत्री से कोई शिकायत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय ने इस शिकायत के बारे में कोई जांच की है ; और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले और उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) ऐसा पाया गया था कि ढोलेड़ा (गुजरात) डाकघर के नायब पोस्टमास्टर ने कुछ बचत बैंक खातों से कपटपूर्ण रकम निकाल ली और जमा की जाने वाली राशि को खातों में जमा नहीं किया । इस तरह उन्होंने प्रथम दृष्ट्या धोखाधड़ी की । यह मामला मई, 1973 में जानकारी में आया था । अभियुक्त कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था । वह निलम्बित है । पुलिस की तफतीश चल रही है ।

अनुसंधान तथा विकास के लिए उपलब्ध जी० एन० पी० की प्रतिशतता

5413. **श्री मधु दंडवते :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसंधान तथा विकास के लिये कितने प्रतिशत जी० एन० पी० उपलब्ध हैं;

(ख) क्या यह आवंटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समुचित विकास के लिए पर्याप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रयोजन के लिये कम से कम कितनी आवश्यकता है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) इस समय चालू वित्तीय वर्ष के लिए जी० एन० पी० (कुल राष्ट्रीय आय) तथा अनुसंधान और विकास के कुल खर्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, 1971–72 वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास कार्य पर जी० एन० पी० का लगभग 0.54% व्यय किया गया है । अनुमान है कि चालू वर्ष के दौरान दर संख्या लगभग 0.6 प्रतिशत तक पहुंच जायेगी ।

(ख) और (ग) : विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा तैयार की गयी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की योजना के मसौदे में लागत का निर्धारण इस प्रकार दिया गया है कि पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष तक जी० एन० पी० का लगभग एक प्रतिशत अनुसंधान और विकास कार्य पर व्यय किया जा सके। फलतः वृद्धि की इस दर को भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उचित विकास के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

Payment of House Rent allowance to Telephone and Telegraph Employees in Pali

5414. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state whether the Central Government employees working in the Telephone and Telegraph Department in Pali (Rajasthan) have made a demand for the payment of House Rent Allowance and if so, since when ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : The telephone and Telegraph employees in Pali have demanded House Rent Allowance with effect from 1st November, 1972. However, based on the population of Pali as per the census figures of 1971, no such allowance is admissible to them.

Pending Applications for Import of Machinery

5415. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the various types of machinery indicating the value thereof imported during 1970, 1971 and 1972 year-wise, for industries and the number of years for which this will continue to be imported; and

(b) the time taken by the D.G.T.D. in sanctioning the applications made by the industrialists on the basis of which machines are imported by them and the total number of applications pending sanction today indicating the dates since when they have been pending ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The value of various types of machinery imported during 1970, 1971 and 1972 is given in the attached statement, which has been compiled from the Monthly Statistics of Foreign Trade of India published by the Director General of Commercial Intelligence & Statistics, Calcutta. The import of industrial machinery in the future would depend on the demand for machinery in relation to the programme of industrial development under the Fifth Five Year Plan and the implementation of the programmes of import substitution.

[Placed in Library, *See*, No. LT.-6066/73]

(b) Case studies indicate that the DGTD in the past have taken on an average 71 days in examining the applications for the import of capital goods. In accordance with the procedures for industrial approvals introduced with effect from 1-11-73, the DGTD are allowed one month to forward their comments on the essentiality and the indigenous availability of capital goods items proposed to be imported by private parties. The Secretariat for Industrial Approvals is required hereafter to convey the decision of Government on proposals for the import of capital goods within a period of 90 days of the receipts of the application.

According to the import policy, applications for the import of capital goods are to be submitted by industrial units through their sponsoring authorities. As a result no centralised information is available on pending applications. With the introduction of the revised procedures with effect from 1-11-73, applications for capital goods, depending on the value of imports, would be received in the Secretariat for Industrial Approvals and by the CCI&E. This would enable building up of a centralised information system.

Increased Production in Industries

5416. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the number of and names of the industries which had started increasing production as a result of release of a press note by Government on the 1st January 1972 to 54 specified industries for rationalisation of production pattern and modernisation of equipment indicating the quantity of production increased in each of these 54 industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : 388 industrial undertakings have so far been allowed enhanced capacities under the scheme for the fuller utilisation of installed capacity. Information is not readily available about the number of units which have actually increased their production and the extent to which they have done so.

Expenditure incurred on Execution of Four Five-Year Plans

5417. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on the execution of the last four Five-Year Plans; and

(b) whether all the allocations were utilised in a proper way and on the works for which they were meant ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) The total expenditure incurred on the four five year plans is as under :

	Rs. crores
First five year plan	1960
Second five year plan	4600
Third five year plan	8573
Annual plans 1966-69	6625
Fourth plan (three years' actual expenditure and two years' estimated expenditure)	16160
Total	37918

(b) In the context of information available in the Planning Commission the allocations broadly speaking were utilised for the works for which they were meant.

Expenditure on Minimum needs programme during Fifth Plan

5418. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the total expenditure to be incurred during the Fifth Five Year Plan period on meeting the minimum needs of the poorest people; and

(b) the items which are included in the term minimum needs and the expenditure to be incurred on each of them, indicating the manner in which this expenditure will be incurred ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) : A Statement is laid on the Table of the House.

[Placed in Library. *See* No. LT-6067/73]

गोश्रा के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए छः महीने कारावास की शर्त हटाने के लिए अभ्यावेदन

5419. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कहीं से कोई अभ्यावेदन मिला है कि गोश्रा-मुक्ति के स्वतंत्रता सेनानियों को कम से कम छः महीने कारावास की शर्त को हटा दिया जाये ताकि वे पेंशन प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र भेज सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय फ़िल्मों में चुम्बन

5420. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने खोसला आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों के आधार पर भारतीय फिल्म में चुम्बन के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) : इस विषय पर ऐसी कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं है जिस पर निर्णय लेने की आवश्यकता हो । खोसला समिति ने व्यापक सन्दर्भ में केवल एक सामान्य सिफारिश की थी ।

'केरल फिलेटलिक ब्यूरो' को सहायता

5421. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को केरल फिलेटलिक ब्यूरो के सचिव से सहायता के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है क्योंकि इस ब्यूरों को दिसम्बर, 1971 के तेलीचेरी, केरल के दुर्भाग्यपूर्ण साम्प्रदायिक दंगों में लाखों रुपयों की अमूल्य और दुर्लभ टिकटों की हानि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था ने किस प्रकार की हानि मांगी है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संस्था को हुई हानि की कोई जांच कराई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसकी हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और क्या सहायता दी गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) 21 मार्च, 1973 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 4025 के उत्तर की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है। आगजनी, जिससे टिकट संग्रह की क्षति हुई, के बारे में एक आपराधिक मुकदमे पर विचारण होना है। यह भी बताया जाता है कि केरल फिलेटलिक ब्यूरो के सचिव ने राज्य सरकार द्वारा हानि के भुगतान के लिए 10,83,000 रुपये के दावे का एक सिविल मुकदमा चलाया है।

भूतपूर्व शासकों के परिवारों के सदस्यों को सहायता

5422. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रिवी पर्स बन्द होने के बाद भूतपूर्व शासकों के परिवारों (या परिवार के सदस्यों) की सहायतार्थ उनके पुनर्वास और समायोजन में सहायता देने के लिये क्या सरकार ने कोई राशि अथवा अनुदान उन्हें दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सहायता प्राप्त करने वालों के नाम क्या हैं तथा उन्हें कितनी राशि दी गई ;

(ग) क्या सरकार यह राशि उन्हें देती रहेगी ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अभी कोई ऐसा भुगतान नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Miracle Roti

5423. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news published in the various newspapers in regard to "Chamatkari Roti" (miracle roti);

(b) if so, whether Government have got it examined scientifically; and

(c) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) Facts are being ascertained.

Training in Foreign Countries to the students trained in Film Institute of Poona

5424. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased o state :

(a) Whether none of those students trained in the Film Institute of Poona who are at present working in Television Centres have been given training in foreign countries;

(b) whether mostly the Television Procedures and Programme Executives are sent f or training to the foreign countries;

(c) whether the students trained from Film Institute of Poona are thus neglected deliberately; and

(d) the full facts in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Diploma holders from the Film and T.V. Institute of India, Poona, are also considered for training abroad provided the training courses correspond to their fields of specialisation. A cameraman trained from the Institute and at present working in the Delhi TV Centre was sent on a tour-cum-training visit to West Germany to see the TV Stations there and acquaint himself with the equipment.

(b) The selection of AIR staff for television training in foreign countries depends upon the type of training offered and the requirements of TV network. Generally, the courses offered for training abroad are in programme production and engineering.

(c) & (d) The diploma holders from the Film and T.V. Institute are mostly selected for posts of Cameraman, Sound Recordist and Film Editor in the T.V. Centres, for which relatively fewer courses are available.

Proposal for Sending of Television Employees Abroad for Training

5425. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Ministry has decided to send the Television employees of various categories abroad for training; and

(b) if so, the names of those categories and the time by which they are likely to be sent abroad?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) and (b) Programme production and engineering staff of various categories working in the T.V. Centres are sent abroad periodically for training under various technical assistance schemes, depending upon the requirements of the T.V. network.

केरल में पालघाट में कंट्रोल वाल्व बनाने के लिये जापानी फर्म के साथ करार

5426. **श्री मान सिंह भौरा :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पालघाट मे कंट्रोल वाल्व बनाने के लिये जापानी फर्म के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) भारत में सरकारी उपक्रमों के लिये जापानी फर्मों के साथ कितने करार हुए हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने पालघाट (केरल) के द्वितीय एकक में कन्ट्रोल वाल्व, सेपिटीरिलीफ वाल्व, प्रशर रिड्यूसिंग (कम करने वाले) वाल्व तथा सहबद्ध वस्तुएं बनाने हेतु मैसर्स इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा (भारत सरकार का उपक्रम) को मैसर्स यामाता के हानी-वैल, टोकियों, जपान के साथ तकनीकी सहयोग करने की एक योजना को स्वीकृति प्रदान की है । सहयोग करार पर 17 नवम्बर, 1973 को हस्ताक्षर हुए हैं । सहयोग करार की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :—

(1) मैसर्स यामाता के हानी-वैल ड्राइंग, डिजाइन प्रलेख पोषण (डाक्यूमेंटेशन) संयंत्रों तथा मशीनों अन्य उपकरणों अन्तर्वस्तुओं, औजारों आदि को प्राप्त करने में सिफारिश तथा विदेशी

विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति तथा भारतीय विशेषज्ञों के प्रशिक्षण सहित सभी अपेक्षित जानकारियां देने की व्यवस्था करेगी ।

(2) उपर्युक्त सेवाओं के हेतु सहयोगी को 6 वर्षों की अवधि में देय 8 किश्तों में 110.880 मिलियन शुद्ध फ्री येन 26,61,120.00 रुपये के बराबर तकनीकी जानकारी फीस दी जायेगी ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अखबारी कागज बनाने के लिए खोई का प्रयोग

5427. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक वर्ष पूर्व राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट ने अखबारी कागज बनाने के लिए खोई का बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो यह सिफारिश कब की गई थीं ;

(ग) क्या इस सिफारिश को लागू करने से यह आशा थी कि देश न केवल अखबारी कागज में आत्मनिर्भर हो जाएगा अपितु भारत इस कागज का सबसे कड़ा निर्यातकर्ता बन जाएगा; और

(घ) अखबारी कागज बनाने के लिए खोई का उपयोग करने हेतु पर्याप्त प्रविधि का विकास करने में क्या प्रगति हुई है और इस तरीके का व्यापारिक स्तर तक कहां तक उपयोग किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट द्वारा ऐसी कोई भी औपचारिक सिफारिश नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : पिछले कुछ समय से अखबारी कागज बनाने के लिए खोई का उपयोग करने के बारे में सरकार ध्यान दे रही है और सहकारी क्षेत्र में खोई पर आधारित कच्चे माल के अखबारी कागज बनाने की योजना के लिए सहमति दे दी गई है।

फिर भी, अखबारी कागज बनाने के लिए खोई का बड़े पैमाने पर उपयोग करने में कुछ कठिनाइयां हैं । चीनी के मिलों से लगातार खोई का मिलते रहना अनिश्चित है चूंकि वे खोई को अपनी मिलों को चलाने में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती हैं।

श्री ब्रेजनेव की भारत यात्रा पर डाक-तार विभाग द्वारा किया गया व्यय

5428. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री ब्रेजनेव की भारत यात्रा के संबंध में डाक तार विभाग ने कुल कितना व्यय किया है; और

(ख) उक्त विभाग ने क्या विशेष प्रबन्ध किए और व्यय की मुख्य मदें क्या हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)

श्री ब्रेजनेव की भारत यात्रा पर डाक-तार विभाग द्वारा किया गया व्यय

डाक सेवाएं	180 रु० 60 पैसे
दूरसंचार सेवाएं	761 रु० 15 पैसे

(ख) विशेष व्यवस्था

डाक सेवाएं:—राष्ट्रपति भवन के डाकघर के काम के घंटे निम्नलिखित रूप में बढ़ाए गए :—

26-11-1973	—तीन घंटे
27-11-73 से 29-11-73	—रोजाना चार घंटे
30-11-73	—एक घंटा

श्री ब्रेजनेव के भारत प्रवास के दौरान डाक-प्राप्ति/वितरण/प्रेषण के लिए विशेष डाक व्यवस्था की गई थी ।

दुर संचार सेवाएं :—यू० एस०एस०आर० के प्रतिनिधिमंडल के साथ आए प्रेस संवाददाताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अशोक होटल, राष्ट्रपति भवन और शास्त्री भवन में तीन कैंप कार्यालय खोले गए थे। इसी के अलावा सोवियत प्रतिनिधिमंडल की मांग के अनुसार सामान्य किराये पर नान-एक्सचेंज सर्किट पट्टे पर दिए गए थे। इस पर कोई खर्च नहीं आया।

खर्च की मुख्य मदें :

डाक सेवाए :—

कर्मचारियों की समयोपरि भत्ता	—60 रु० 60 पैसे
डाक व्यवस्था	—120 रु०

दूरसंचार सेवाएं :—

इस संबंध में फुटकर खर्च जैसे गाड़ी भाड़ा आदि हुआ था।

कर्नाटक राज्य में ब्रह्मवार में प्रसारण केन्द्र और मंगलौर में स्टूडियो

5429. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने कर्नाटक राज्य के ब्रह्मवार में एक प्रसारण केन्द्र और मंगलोर में एक स्टूडियो की स्वीकृति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्रह्मवार से प्रसारण कब तक आरंभ हो जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) मंगलोर में स्टूडियो तथा अल्प-शक्ति के एक ट्रांसमिटर सहित ब्रह्मवार के निकट उदीपी में एक ट्रांसमिटर स्थापित करने की परि-योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना की एक स्कीम के रूप में पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

(ख) परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और इसके 1975-76 में पूरा हो जाने की उम्मीद है ।

औद्योगिक विकास निगमों को दिए गए लाइसेंस/आशय पत्र

5430. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य औद्योगिक विकास निगमों को (i) कितने आशय पत्र दिए गए हैं जिन्हें लाइसेंसों में नहीं बदला गया और (ii) उन्हें कितने लाइसेंस दिए गए जिनका प्रयोग उद्योग लगाने के लिए नहीं किया गया ; और

(ख) इन आशय पत्रों और लाइसेंस का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों के औद्योगिक विकास नियमों को अब तक 171 आशय पत्र जारी किये गये हैं। इनमें से 21 को औद्योगिक लाईसंन्स में बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन निगमों को दो लाइसेन्स सीधे दिये गये हैं। इन 23 लाइसेंसों में से 6 एककों में उत्पादन शुरू हो गया है तथा बाकी क्रियान्वयन की भिन्न-भिन्न स्थितियों में हैं। एक औद्योगिक लाइसेंस के क्रियान्वित होने में करीब 3 से 4 वर्ष तक का समय लगता है।

जमाखोरों, चोरबजारी करने वालों और अनाज में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

5432. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 अगस्त, 1973 को केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए निदेशों के अनुसरण में अथवा भारत रक्षा नियमों, आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने संबंधी अधिनियम या अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा अपनी ओर से, राज्यवार कितने जमाखोर, चोर-बाजारी करने वाले और अन्न की मिलावट करने वाले बन्दी हैं या उन पर मुकदमें चल रहे हैं; और

(ख) क्या सितम्बर मास से जमाखोरों के विरुद्ध की जानेवाली कार्यवाही लगभग बन्द कर दी गई थी जिससे और अधिक मूल्य वृद्धि हुई ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विज्ञापन जारी करने के संबंध में श्रव्यदृश्य प्रचार निदेशालय को निदेश

5433. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय को इस प्रकार के निदेश जारी किये हैं कि सारी विज्ञापन सामग्री उन साप्ताहिक पत्रों को विशेष रूप से छोटे साप्ताहिक पत्रों को जारी की जाये जो उसे शहर से ही प्रकाशित हों जिस शहर में सरकारी उपक्रम स्थित है;

(ख) क्या बोकारो स्टील लि० एवं हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची द्वारा स्थानीय साप्ताहिक पत्रों को कोई विज्ञापन सामग्री जारी नहीं की जा रही; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार की यह नीति है कि विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए छोटे तथा मझोले समाचार पत्रों, विशेषकर भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वालों का वर्तमान उपयोग किया जाए। सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम अपने विज्ञापन जारी करने की व्यवस्था स्वयं करते हैं।

(ख) तथा (ग) इस विषय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है।

स्थानीय समाचार-पत्रों तथा प्रादेशिक भाषाई साप्ताहिक पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ टैण्डर-सूचनाएं भेजने संबंधी परिपत्र जारी करना

5434. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एच०ई०सी०, रांची और बोकारो स्टील, बोकारो को कोई परिपत्र भेजा है जिसमें उनसे कहा गया है कि वे प्रकाशनार्थ सभी स्थानीय महत्व की टैण्डर सूचनाएं स्थानीय समाचार-पत्रों और प्रादेशिक भाषाई साप्ताहिक पत्रिकाओं को दें; और

(ख) क्या प्रचारार्थ सभी टेंडर सूचनाएं इन उपक्रमों द्वारा छोटा नागपुर की साप्ताहिक पत्रिकाओं को दी जाएगी और यदि नहीं, तो क्यों?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सभी सरकारी उपक्रमों, स्वायत्त-शासी निकायों एवं सांविधिक निगमों के प्रमुख को एक परिपत्र भेजा गया है, जिसमें अभिप्रेरणात्मक तथा शैक्षणिक अभियानों के लिए भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों, विशेषकर छोटे और मझोले भाषाई समाचार पत्रों का वर्धमान उपयोग करने पर जोर दिया गया है।

(ख) अधिकांश सरकारी उपक्रम अपने विज्ञापन जारी करने की व्यवस्था स्वयं करते हैं। अलग-अलग विज्ञापनों के लिए समाचार पत्रों का चयन संबंधित उपक्रमों द्वारा किया जाता है।

केरल जनगणना कर्मचारी संघ का अभ्यावेदन

5435. **श्री वरके जार्ज :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय को केरल जनगणना कर्मचारी संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें उन कर्मचारियों को केरल में केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में खपा जाकर प्रस्तावित छंटनी को रोकने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारत के महापंजीकार ने विभागों के विभिन्न अध्यक्षों और राज्य सरकार को फालतू जनगणना कर्मचारियों को, जहां तक संभव हो, खपा लेने के लिए लिखा है। जनगणना कर्मचारियों को भी अनुमति दी गई है कि छटनी की जाने से पहले वे रोजगार कार्यालयों में अपने को दर्ज करा लें। इन कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत रिक्त पदों के लिये भेजे जाने हेतु रोजगार कार्यालय द्वारा III प्राथमिकता दी गई है।

जनगणना प्रतिवेदन में अंकित 'बिहारी' भाषी लोग

5436. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 की भारतीय जनगणना में लगभग दो करोड़ व्यक्ति 'बिहारी' भाषी बताए गए हैं;

(ख) क्या 'बिहारी' नाम की कोई भाषा या बोली है;

(ग) यदि हां, तो भारत के किन जिलों में यह भाषा अथवा बोली बोली जाती हैं; और

(घ) यदि नहीं, जो जनगणना में इस भाषा अथवा बोली का उल्लेख क्यों किया गया है और ऐसा करने के लिए कौन जिम्मेदार है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) सन् 1971 की जनगणना में दर्ज की गई भाषाओं/मातृ भाषाओं का अंतिम वर्गीकरण अभी सरकार के विचाराधीन है। अस्थायी आंकड़ों के अनुसार जिन्होंने इस प्रकार 'बिहारी' को अपनी मातृभाषा दर्ज कराया था, उन व्यक्तियों की कुल संख्या 23,222 है।

(ख) बिहार प्रान्त में बोली जाने वाली भाषाओं के प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय भाषा सर्वेक्षण में 'बिहारी' भाषा नाम अपनाया गया था। बिहार की सभी बोलियों को मैथिली, भोजपुरी,

तथा मागधी तीनों के प्रमुख होने के कारण इस आधार पर कि, इनमें अनेक समान भाषाई लक्षण हैं जिनका ऐतिहासिक विकास मागधी प्राकृत से हुआ है, 'बिहारी' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

इस वर्गीकरण की दृष्टि से यदि उन मातृभाषाओं के बोलने वालों को 'बिहारी' के अन्तर्गत रखा जाय तो उनकी कुल संख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 297 लाख (अस्थायी) होगी ।

(ग) सूचना सहज उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Advisory Committees Appointed by the Ministry

5437. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to bring about charges in the structures of various Advisory Committees appointed by the Ministry; and

(b) if so, the main features thereof and the time by which Government propose to implement them?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) and (b) No change has been made recently or is contemplated in respect of the structures of Regional P&T Advisory Committees and Philately Advisory Committee. In respect of Telephone Advisory Committees, the matter is being reviewed, but no decision has yet been taken.

बिहार सर्किल में 'लाइन स्टाफ' की मृत्यु

5438. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सर्किल में 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में अक्तूबर, 1973 तक दूर संचार व्यवस्था के रख-रखाव/और/या निर्माण में लगें 'लाइन स्टाफ' अथवा 'वर्कमैनों' में से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ख) क्या स्टाफ यूनियनों की शिकायतों के बावजूद उन सभी स्थानों पर "गार्ड वायर्स" नहीं लगाये गए हैं जहां दूर संचार के इंस्टालेशनों के ऊपर से बिजली के तार जा रहे हैं ;

(ग) क्या लाइन स्टाफ को 'ग्लोब', 'एप्रोन' टैस्टर आदि जैसी संरक्षण की वस्तुएं नहीं दी गई हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) "वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट" के अन्तर्गत तथा डाक तथा तार कल्याण कोष में से प्रभावित परिवारों को मुआवजा अदा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पांचवीं योजना में राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में विकास को समान दर

5439. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के प्रारूप में यह उपबन्ध है कि प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्र के विकास की दर समान होगी; और

(ख) यदि हां, तो पिछड़े राज्यों को विकसित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बराबर कैसे लाया जाएगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनधारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन स्विचिंग उपकरणों की भारत को सप्लाई

5440. **श्री राजदेव सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन की एक कंपनी से हुए प्रथम करार के अंतर्गत भारत को एल० एम० ब्रिक्सन क्रासबार टाईप का टेलीफोन स्विचिंग उपकरण दिया जाएगा ;

(ख) क्या उक्त उपकरण नई दिल्ली में लगाया जाएगा और;

(ग) इस उपकरण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और क्या हमारा टेलीफोन उद्योग जिसकी ...ार और नैनी (इलाहाबाद) में अनेक परियोजनाएं हैं, ऐसा उपकरण बनाने में असमर्थ हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) यह क्रासबार एक्सचेंज उस डिजाईन से बिल्कुल भिन्न डिजाईन का है जिसका उत्पादन बंगलौर में हो रहा है। बम्बई के भारतीय टेलीफोन उद्योग में इन उपस्करों का उत्पादन पर्याप्त संख्या में नहीं हो रहा है, इसलिए इनकी कमी को पूरा करने के लिए इन उपस्करों का आयात किया जा रहा है।

दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

5441. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था कब तक चालू करने का विचार रखती है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : आशा है कि दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की प्रणाली (एस०टी०डी०) वर्ष 1976 में चालू हो जाएगी।

अन्य राज्यों की तुलना मे उड़ीसा को औद्योगिक लाईसेंस जारी करना

5442. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1972-1973 और 1973-74 के दौरान महाराष्ट्र, पं० बंगाल, हरियाणा और पंजाब की तुलना में उड़ीसा को कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरयाणा और पंजाब की तुलना में उड़ीसा को वर्ष 1972 और 1973 (जनवरी मे अगस्त) तक जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस की संख्या बताने वाला विवरण ।

राज्य	कैलेण्डर वर्ष में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या	
	1972	1973 (जनवरी से अगस्त)
उड़ीसा	3	--
महाराष्ट्र	138	94
पश्चिम बंगाल	54	21
हरियाणा	38	12
पंजाब	16	6

श्री तारिक अली की कलकत्ता यात्रा

5443. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :**

श्री एच० एम० पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता में श्री तारिक अली के वामपंथी एकता के आह्वान की जानकारी हैं, और

(ख) क्या उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान सी०पी०आई० (एम०एल०) से सम्पर्क किया था ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट देखी है।

(ख) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

चित्रों को अधिक स्पष्ट रूप में उतारने के लिए आदेश 'ड्रम स्कैनर'

5444. **श्री आर० एन० बर्मन :**

श्री राजदेव सिंह :

क्या **विज्ञान और औद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि --

(क) क्या चित्रों को अधिक स्पष्ट रूप में उतारने के लिए बंगलौर के कुछ वैज्ञानिकों ने आदर्श "ड्रम स्कैनर" का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Manufacture of Cement from Paddy Husk

5445. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether according to the Press Reports, a Professor of Engineering science of California University has claimed that cement of good quality can be produced from paddy husk; and

(b) if so, whether Government propose to take the steps to remove the shortage o cement ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Sukramaniam) (a) The University of California Professor has reported that by burning the hulls in controlled temperature furnace he obtained certain ash with high silica content which combine readily with lime to form cement.

(b) The Cement Research Institute of India is carefully examining this subject.

Acquiring Land for Fire Stations in Delhi

5446. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Home affairs** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Administration and Delhi Development Authority failed to acquire land on permanent basis for Mathura Road, Jama Masjid and Pusa Fire Stations;

(b) whether the entire land of these areas is in dispute; and

(c) if so, the steps being taken by Government to expedite the acquisition of land?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri. F.H. Mohsin) (a) and (b) No, Sir.

(c) The land for all three fire stations has been allotted by the Delhi Development Authority . The position in respect of each fire station is as below :—

(i) **Site for Mathura Road Fire Station :** The site for construction of the main fire station building and the essential quarters has been acquired and buildings are being put up. However, a small portion of the site facing Mathura Road in which a Temple and a few private quarters exist has not yet been acquired and is under dispute. The Municipal Corporation of Delhi is taking steps to acquire this.

(ii) **Shanker Road Fire Station :** The fire station (erstwhile Pusa Road fire Station is functioning on a regular basis on a piece of land stituated at Shanker Road. This site was allotted for the prupose of construction of fire Station earlier. As this is reported to be required by the D.D.A. for some other essential use, an alternate site has been allotted to the Municipal Corporation of Delhi in Pusa complex. The cost of the site has been worked out and communicated by the D.D.A. recently to the Municipal Corporation of Delhi. The site will be taken possession of very shortly after making necessary payment.

(iii) **Jama Masjid fire Station:** This fire station is functioning on a regular basis at the temporary site near Jama Masjid at present. The site for construction of permanent fire station has been allotted adjoining the Link Road but this is occupied by repugees who are living in temporary quarters. Action to remove them and to provide them alternate accommodation is under consideration.

सयुंक्त क्षेत्र के कारखानों में गैर सरकारी पार्टियों का भाग

5448. **श्री राम भक्त पासवान :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त क्षेत्रफल के कारखानों में गैर सरकारी पार्टियों को कम से कम 25 प्रतिशत शेयर रखने की अनुमति देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का क्या औचित्य है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयकर अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर आरोप लगाना

5449. **श्री प्रबोध चन्द्र** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आयकर अधिकारियों ने अपने एक सहयोगी के खिलाफ कार्यवाही करने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो आरोप किस प्रकार के हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : जी हां, श्रीमान् । आयकर राजपत्रित सेवाएं संघ, दिल्ली, नई दिल्ली, की आम सभा ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा फैलाए गए एक जाल के परिणामस्वरूप, दिल्ली के एक आयकर अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करने की ब्यूरो की कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है । जब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही हड़ताल पूरी नहीं हो जाती है, तब तक इस अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती ।

कोल्हापुर में बगास पर आधारित अखबारी कागज का कारखाना

5450. **श्री धामनकर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी क्षेत्र में कोल्हापुर जिले में पंचगंगा सहकारी चीनी कारखाने के आस पास के क्षेत्र में बगास पर आधारित अखबारी कागज का कारखाना लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक इस संबंध में निर्णय लिए जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या इस की सम्भाव्यता संबंधी प्रारम्भिक बातों की जांच कर ली गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) मै० शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना सांगली (महाराष्ट्र) को गन्ने की खोई पर आधारित अखबारी कागज बनाने के लिए 44,500 मी० टन की क्षमता का एकक स्थापित करने के लिए आशयपत्र दिया गया है ।

(ग) अपारम्परिक प्रकार का कच्चा माल होने के कारण पार्टी ने एक विदेशी फर्म से संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया है ।

आकाशवाणी की वाणिज्यिक सेवाओं से आय

5451. **श्री के० मालन्ना** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1973 से नवम्बर, 1973 की अवधि के दौरान आकाशवाणी की वाणिज्यिक सेवाओं के द्वारा कितनी आय हुई ; और

(ख) वाणिज्यिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) इस अवधि के दौरान कुल आय लगभग 4,35,72,802/- रुपये हुई ।

(ख) "विविध भारती" सेवा की कार्यक्रम सूची की निरंतर समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक होता है वहां सुधार किये जाते हैं । स्थानीय रूचि के विभिन कार्यक्रम प्रादेशिक भाषाओं में चालू किए गये हैं । 1 जुलाई, 1973 से "विविध भारती" सेवा में कई नए कार्यक्रम भी शुरू किए गये हैं ।

महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

5452. **श्री के० मालन्ना** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र में कुछ नई परियोजनाओं की स्थापना करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्र और राज्य के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा लिये गये पेटेन्टों का वाणिज्यिक उपयोग :

5453. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अपने अनुसंधानों, खोजों एवं आविष्कारों के लिये प्राप्त पेटेन्टों के वाणिज्यिक उपयोग का गत तीन वर्षों का तुलनात्मक विवरण सभा पटल पर रखेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) :

वर्ष	पिछले तीन वर्षों में सी० एस०आइ० आर० (वैं० औ०अ०प०) द्वारा फाइल किये गये पेटेन्ट	सी० एस० आई० आर० (वै० औ० अ०) की प्रविधियों—पेटेन्ट की गई । बिना पेटेन्ट की गई के लिये प्राप्त की गई प्रीमिया/रायल्टी की राशि : (रुपये लाखों में)		
		प्रिमिया	रोयल्टी	योग
1970	148	2.73	8.26	10.99
1971	163	6.49	10.96	17.45
1972	184	2.03	17.10	19.13
	495	11.25	36.32	47.57

Pending Applications from U.P. for Loans

5454. **Shri B.S. Chowhan** : Will the Minister of Industrial Development and Science and Technology be pleased to state:

(a) whether the applications sent for approval of new industries to be set up in Uttar Pradesh during 1972 have not been considered so far;

(b) if so, the number of such applications; and

(c) the time by which a decision is likely to be taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development Shri Pranab Kumar Mukherjee : (a) and (b): Of the 261 applications received for setting up of industries in Uttar Pradesh in 1972, 70 applications are pending.

(c) Every effort is being made to dispose of these applications.

ठेके के कलाकारों को स्थायी बनाने का प्रस्ताव

5455. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेके पर काम करने वाले कलाकारों को स्थायी बनाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) स्टाफ आर्टिस्ट संविदा-विनियमित कर्मचारी हैं और औपचारिक रूप से सृजित सिविल पदों पर नहीं रखे जाते । कार्यकाल की सुरक्षा हेतु, नियमित आधार पर रखे गये स्टाफ आर्टिस्टों को, 58 वर्ष की आयु तक जो उनके संतोषजनक कार्य की स्थिति में 60 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दीर्घकालिक संविदायें दी जाती हैं ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में सरकारी उपक्रमों का विस्तार कार्यक्रम

5456. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में उनके मंत्रालय का सरकारी उपक्रमों संबंधी कोई विस्तार कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो कब से इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा ;

(ग) क्या कोई योजना तैयार की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : **(क) और (ख)** चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विस्तृत कार्यक्रमों योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पांचवी योजनावधि में शुरू की जाने वाली नई योजनाओं के संबंध में प्रारंभिक कार्यों के लिये अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) और (घ) पांचवी योजनावधि के उदिष्ट नये कार्यक्रमों/योजनाओं के विवरण तैयार किये जा रहे हैं ।

आकाशवाणीमें प्रति कार्यक्रम के लिए शास्त्रीय संगीतज्ञों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

5457. **श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में प्रति कार्यक्रम के लिए उच्च शास्त्रीय संगीतज्ञ को दी जाने वाली राशि कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) उच्च श्रेणी के शास्त्रीय गायकों को आकाशवाणी के कार्यक्रमों के लिये उपलब्ध धन को ध्यान में रखते हुए जितनी फीस देना संभव है उतनी उन्हें पहले ही दी जा रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता :

Arrest of A Israeli National] for smuggling Foreign Currency

5458. **Shri Chandulal Chandrakar :**
Shri B. S. Bahura :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether an Israeli National has been arrested for having connections with some International gang smuggling foreign currency;

(b) whether currency worth Rs. 1 lakh has also been recovered from him;

(c) whether some documents' have also been recovered from him and

(d) if so, the details thereof;

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs Shri F. H. Mohsin) (a) to (d): An | Israeli national was arrested on 18-11-1973 in New Delhi for illegal possession of Hashish. On search of his room in the hotel where he was staying, foreign exchange comprising US $ 8560, D. M. 8,400. Danish Croners 30 and Israeli £ 15 and certain documents were seized.

The foreign currency and the documents seized have been handed over to the Directorate of Enforcement for investigation.

दूर-संचार विभाग के कर्मचारियों के लिए स्नानघरों की व्यवस्था

5459. **श्री भोला मांझी :**
श्री रामवतार शास्त्री :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन एक्सचेंजों, डाकतार कैरियर स्टेशनों, को एक्सियल रिपीटर स्टेशनों और माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशनों पर तैनात दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को दिन और रात्रि के किसी भी समय ड्यूटी पर आना पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार इन कर्मचारियों के लिए एक्सचेंज तथा कैरियर स्टेशन भवनों के अन्दर ही स्नानगृहों की व्यवस्था करेगी ; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां टेलीफोन एक्सचेंजों और डाकतार कैरियर स्टेशनों के अन्दर ही कर्मचारियों के लिए स्नानगृहों की व्यवस्था है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) दूर-संचार केन्द्रों की सभी विभागीय इमारतों में बाथ रूम (वाश बेसिनों के साथ टायलेट) की व्यवस्था है । ऐसे केन्द्रों में आम तौर पर स्नान घरों की सुविधा नहीं दी जाती ।

गोलमुडी, जमशेदपुर में क्वाटरों का निर्माण

5460. **श्री भोला मांझी**

श्री रामवतार शास्त्री :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोलमुडी, जमशेदपुर में इस समय कितने क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है, उनका निर्माण कब शुरू हुआ था और उनके पूरा किये जाने का सम्भावित लक्ष्य क्या था ;

(ख) क्या उनके भवन तैयार हो चुके हैं किन्तु ठेकेदारों तथा अधिकारियों के हितों में भिन्नता होने के कारण सिविल विंग द्वारा कुछ फिटिंगस तथा बिजली का प्रबन्ध करने में जानबूझ कर विलम्ब किया जा रहा है ;

(ग) इस परियोजना पर कितना व्यय होने की संभावना है ; और

(घ) भवन को तुरन्त पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है, ताकि कर्मचारी इस का शीघ्र उपयोग कर सकें तथा सरकार को कर्मचारियों से यथाशीघ्र किराया मिलना शुरू हो जाये ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) और (ख) 20 क्वार्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है । यह कार्य तारीख 11-9-1970 को शुरू हुआ था । इमारत सभी दृष्टि से तैयार हो गई है और इलैक्ट्रिक वाइरिंग सहित सभी भीतरी फिटिंग का काम पूरा हो चुका है ।

इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने बिजली की सप्लाई की अभी मंजूरी नहीं दी है । ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच हितों में भिन्नता के कारण कोई झगड़ा नहीं है ।

(ग) 2,82,340/- रुपये

(घ) बिजली का कनेक्शन लेने के मामले पर तत्परता से कार्रवाई की जा रही है ।

पांचवीं योजना के दौरान पंजाब में उद्योगों का विकास

5461. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब पांचवी योजना में तीव्र तथा व्यापक औद्योगीकीकरण करने जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान खनिज पदार्थों को निकालने और उद्योगों की स्थापना के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ;

(ग) यह किस सीमा तक उक्त राज्य में बेरोजगारी को दूर करेगी ; और

(घ) पांचवी योजना में ग्राम उद्योगों तथा हथकरघा उद्योगों के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) राज्य योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अतः पांचवी योजना अवधि के दौरान पंजाब में औद्योगिक और खनिज विकास के लिए कितना परिव्यय नियत किया जायेगा तथा क्या कार्यक्रम होंगे, इस बारे में अभी बताना संभव नहीं है ।

कागज के उपयोग के बारे में समाचारपत्रों और पुस्तक प्रकाशकों के लिए आचार संहिता

5462. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाचारपत्रों तथा पुस्तक प्रकाशकों के हेतु एक आचार संहिता बनाने के बारे में विचार कर रही है ; क्योंकि "आगामी वर्षों में कागज संकट अनिवार्य रूप से बढ़ जायेगा"; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) अखबारी कागज की उपलब्धता में कमी होने के कारण सरकार ने समाचारपत्रों के वर्ष 1973–74 के लिए अखबारी कागज के कोटे में 30 प्रतिशत की कटौती की है । अखबारी कागज की उपलब्धि में और कमी हुई तो तदनुसार और कटौती करनी पड़ेगी । सरकार इस समय कोई आचार संहिता बनाने के बारे में विचार नहीं कर रही है, किन्तु उसको यह आशा है कि अखबारी कागज का उपयोग करने वाले आत्म संयम बरतेंगे और कागज का इस्तेमाल किफायतशारी से करेंगे ।

पुस्तकों के प्रकाशकों की कागज की आवश्यकताओं से औद्योगिक विकास मंत्रालय संबंधित है ।

राज्यों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति

5463. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे प्रथम पांच राज्य कौन कौन से हैं जो देश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या के मामले में सब से आगे हैं ;

(ख)) क्या पांचवी पंच वर्षीय योजना के दौरान उन राज्यों की ओर, जो इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं, विशेष ध्यान दिया जाएगा और यदि हां, तो क्या योजना दस्तावेजों में इस प्रयोजन के लिए नियतन की कोई योजना बनायी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) देश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या के भरने में सबसे आगे रहने वाले पांच राज्य नीचे दिए जा रहे हैं :—

राज्य का नाम	30–9–73 को कुल पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या हजार में
1. पश्चिम बंगाल .	15,37
2. बिहार . .	1122.5
3. उत्तर प्रदेश .	867.2
4. महाराष्ट्र . .	671.6
5. तमिलनाडु	577.4

(स्रोत : रोजगार और प्रशिक्षण का महानिदेशालय)

टप्पणी :—यह आवश्यक नहीं कि जिन लोगों ने रोजगार कार्यालय में रोजगार के लिए नाम लिखाये हैं वे बेरोजगार हों ।

(ख) और (ग) बेरोजगारी की समस्या देश में समस्त आर्थिक विकास से बहुत कुछ जुड़ी हुई है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में उन विभिन्न स्कीमों पर विचार किया जा रहा है। जिनमें रोजगार क्षमता विद्यमान हैं । समस्या गम्भीर होने पर ये स्कीमें राज्यों का अधिमानता प्रदान करेंगी ।

भारत में फिल्मों का आयात करने वाली अमरीकी फर्मों द्वारा धन का अर्जन

5464. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फिल्मों का आयात करने वाली 9 अमरीकी फर्मों द्वारा ब्लाक फंड में 12 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठी करली गयी है ;

(ख) क्या इस निधि में से कुछ राशि संयुक्त उद्यम की फिल्मों के निर्माण पर खर्च की गयी जिनमें कुछ के प्रदर्शन पर इस देश में प्रतिबन्ध लगा दिया गया ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी धन राशि इस प्रकार खर्च की गयी और क्या सरकार ने शेष राशि के उपयोग के लिये योजनायें तैयार की है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 30 जून, 1973 को आठ अमरीकी फर्मों के नाम में एकत्रित इस प्रकार के धन की शेष राशि 4.973 करोड़ रुपये थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इन निधियों का उपयोग वायदों की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है और प्रत्येक मामले में रिलीज का आदेश योग्यता आधार पर अर्थ कार्य विभाग द्वारा दिया जाता है ।

पश्चिम बंगाल स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन का दिया जाना

5465. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंशन के लिये पश्चिम बंगाल के स्वतन्त्रता सेनानियों से अब तक, जिलावार, कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान की गयी है और ऐसे कितने आवेदक हैं जिनके आवेदनपत्रों पर अभी विचार किया जाना बाकी है ; और

(ग) कब तक स्वतन्त्रता सेनानियों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर विचार पूरा कर लिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है ।

(ख) पेंशन स्वीकृति के लिए 7592 मामलों का अनुमोदन कर दिया गया है। 8737 आवेदनपत्र अभी विचाराधीन हैं ।

(ग) यह बताना संम्भव नहीं है कि सभी आवेदन पत्र कब तक निपटा दिये जायेंगे । उनका निपटान इस बात पर निर्भर करेगा कि जांचे जाने वाले आवेदनपत्र सभी प्रकार से कब तक पूरे होते हैं और अपूर्ण आवेदनपत्रों के मामलों में आवेदक कितनी जल्दी अपेक्षित सूचना भेजते हैं ।

विवरण

पेंशन स्वीकृति के लिए पश्चिम बंगाल स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आवेदन की संख्या का विवरण

अब तक कुल 18,313 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । इसमें भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के 41 आवेदनपत्र और 1045 दुहरे आवेदनपत्र शामिल हैं । शेष 17,227 आवेदनपत्रों के बारे में जिले-वार सूचना इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	जिले का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1.	बैंकुरा	656
2.	बीरभूमि	353
3.	बर्दवान	653
4.	कूचबिहार	178
5.	कलकत्ता	4835
6.	दार्जिलिंग	195
7.	हुगली	1092
8.	हावड़ा	914
9.	जलपाई गुड़ी	422

1	2	3
10.	मालदा	200
11.	मिदनापुर	3092
12.	मुर्शिदाबाद	320
13.	नादिया	688
14	पुलिया	495
15.	पश्चिम दीनाजपुर	537
16.	24-परगना	2597
	जोड़	7227

रोलर फ्लोर मिलों की अधिष्ठापित क्षमता

5466. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्लोर मिलों को नए लाइसेंस दिया जाना बंद कर दिया गया है ; और

(ख) रोलर फ्लोर मिलों की लाइसेंस शुदा तथा अधिष्ठापित क्षमता क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) चूंकि रोलर फ्लोर मिलों की विद्यमान क्षमता का उपयोग अत्यन्त कम हो गया है तथा राज्य सरकार को गेहूं का आवंटन कम करने से क्षमता का उपयोग और कम हो जाने की संभावना है अतः यह समझा गया है कि फ्लोर मिलों को नए लाइसेंस जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं रही ।

(ख) रोलर फ्लोर मिलों की लाइसेंस प्राप्त तथा अधिष्ठापित क्षमता क्रमशः लगभग 54.19 तथा 43.90 लाख मी० टन है ।

त्रिपुरा की ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं को ऋण

5467. **श्री ए० के० एम० इसहाक**: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत त्रिपुरा राज्य को अब तक कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया है और इस योजना के अन्तर्गत राज्य में कितने औद्योगिक कारखानों की स्थापना की गई है ; और

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान उक्त राज्य में ऐसे कितने कारखानों को स्थापित करने का प्रस्ताव है . ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) : 1963-64 से 1972-73 की अवधि में त्रिपुरा राज्य के लिए ऋण के रूप में 11 लाख रुपये दिये गये थे । ग्रामोद्योग परियोजना कार्य-क्रम के अधीन राज्य को ऋण स्वरूप 2.57 लाख रुपये दिये गये हैं । मार्च 1973 के अन्त तक राज्य में स्थापित किये जाने हेतु 63 औद्योगिक एककों

की सहायता की गई थी । 1973–74 की अवधि में कार्यक्रम के अधीन स्थापित किये जाने वाले एककों की संख्या राज्य को दिये जाने वाले केन्द्रीय ऋण की राशि वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध उधार की सुविधाएं तथा निवेश हेतु उद्यमकर्ताओं की अपनी उपलब्ध निधि पर निर्भर करेगी । राज्य को 1973–74 के लिये आवंटित 257 लाख रुपये की धनराशि को देखते हुए ऐसी आशा है कि इस क्षेत्र में लगभग 30 से 40 नये एकक स्थापित हो जायेंगें ।

उड़ीसा में ग्रामीण उद्योग परियोजना को ऋण

5468. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितना ऋण दिया गया और राज्य में उक्त योजना के अधीन कितने औद्योगिक एकक स्थापित किए गए; और

(ख) वर्ष 1973-74 में राज्य में ऐसे कितने एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) उड़ीसा सरकार को 1963-64 से 1972-73 तक की अवधि में ऋण के रूप में 54.24 लाख रुपया दिया गया है। वर्ष 1973-74 के लिये राज्य को ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम हेतु 5.14 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । मार्च 1973 के अन्त तक राज्य के 423 औद्योगिक एककों की सहायता की गई ।

(ख) कार्यक्रम के अन्तर्गत 1973-74 की अवधि में सहायता प्रदान किये जाने वाले एककों की संख्या इस राज्य को मिलने वाली केन्द्रीय ऋण की राशि, वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध होने वाली ऋण सुविधाओं तथा उद्यमियों द्वारा निवेश के लिये उपलब्ध कराई जाने वाली राशि की मात्रा पर निर्भर करेगी। पिछले रूप को देखते हुए वर्ष 1973-74 की अवधि में 50 से 60 नये एककों के स्थापित किये जाने की आशा है ।

मणिपुर में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए विद्युत तथा आर्थिक सहायता की आवश्यकताएं

5469. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **औद्योग्रिगक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के ऐसे किस-किस प्रकार के उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु मणिपुर के उद्योग निदेशक को प्रार्थना पत्र भेजे गये हैं और कितने उद्योगों के लिए यह प्रार्थना पत्र भेजे गए;

(ख) लोकटक परियोजना के चालू किये जाने से पूर्व मणिपुर में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए बिजली की कितनी आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है;

(ग) सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान छोटे पैमाने के उद्योगों के संबंध में बिजली तथा आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस क्षेत्र में औद्योगिक उत्साह को बढ़ाने के लिए मणिपुर की सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : **(क) से (घ)** राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विगास के लिए पृथक विभागों का स्थापित किया जाना

4570 श्री एन० टोम्बी सिंह: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य सरकारों के काम का मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए पृथक विभाग खोले हैं, और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का आधुनिक युग की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की ओर ध्यान देने के लिए निदेश जारी करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) से (ग) सितम्बर 1971 में सभी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र भेजा गया था जिसमें इन बातों की ओर उन का ध्यान आकृष्ट किया गया था : (1) पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों से संबंधित वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी नीतियों का निरन्तर पुनरीक्षण करने के लिए केन्द्र सरकार के "थिंक टैंक" के रूप में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति का गठन और (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का निर्माण करना जिसका कार्य अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वियन को देखना हो। यह सुझाव दिया गया कि प्रारंभिक स्तर पर, राज्य सरकारें भी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी नीति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के आधार पर मुख्य मंत्रियों के अधीन 'एपेक्स' निकायों की स्थापना कर सकती है।

उपर्युक्त सुझाव के अनुसार कुछ राज्य सरकारों जैसे महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा विहार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी 'एपेक्स' निकायों की स्थापना कर ली है और कुछ अन्य राज्य सरकारें ऐसे निकायों की स्थापना करने का विचार कर रही हैं। तामिलनाडु और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अपनी योजनाओं के मसौदे तैयार करने के लिए कार्यकारी/विशेषज्ञ दलों की स्थापना की है।

कुछ राज्य सरकारों, जिनमें उत्तर प्रदेश और तामिलनाडु उल्लेखनीय हैं, द्वारा तैयार किये गये विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के मसौदे के अनुसार उन राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्य-कलापों के प्रचुर विस्तार का सुझाव दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य सरकारों के कार्य के मूल्यांकन के प्रश्न पर विचार उपयुक्त स्तर पर किया जायेगा।

पिछड़े राज्यों में छोटे समाचार पत्रों की सहायता के लिए योजना

5471. **श्री एन० टोम्बी सिंह**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पी० टी० आई०, यू० एन० आई० और हिन्दुस्तान समाचार जैसी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से राज सहायता दरों पर टेलीप्रिन्टर से समाचार ग्रहण करने के लिए छोटे समाचार पत्रों की सहायता के लिए कार्यवाही की हुई है अथवा कार्यवाही करेगी;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों विशेष रूप से पूर्वोत्तर जोन में स्थित छोटे समाचार पत्र टेलीप्रिंटर न्यूज सेवा का लाभ नहीं उठा सकते ; और

(ग) क्या सरकार छोटे समाचार पत्रों के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से पिछड़े क्षेत्रों में छोटे समाचार पत्रों को सहायता देने के बारे में सम्बन्ध राज्य सरकारों की सलाह से एक योजना पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) **और (ख)** इम्फाल मणिपुर, अगरतल्ला, त्रिपुरा और शिलांग, मेघालय में स्थित प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो के कार्यालय, जो टेलीप्रिंटर द्वारा दिल्ली से जुड़े हुए हैं, तीन राज्यों के समाचार पत्रों विशेषकर छोटे और मझोले समाचार-पत्रों की सेवा करते हैं। पांचवी योजना में ब्यूरो का एक और शाखा कार्यालय कोहिमा में खोलने का प्रस्ताव है। समाचारपत्रों को टेलीप्रिन्टर द्वारा प्रेषित सूचना संबंधित प्रादेशिक भाषाओं में भेजी जाती हैं।

इसके अलावा, फीचर लेख, फोटो और इब्रोनाइड ब्लाक सप्लाई किये जाते हैं। उत्तर पूर्व राज्यों के छोटे समाचार पत्रों के लिए कृषि न्यूजलेटर, स्वास्थ्य न्यूजलेटर, विज्ञान न्यूजलेटर, आर्थिक न्यूजलेटर, संसद में सप्ताह, वीकली डाईजैस्ट, आदि जैसी जो अनेक विशिष्ट सेवाएं हैं वे ब्यूरो द्वारा छोटे समाचार-पत्रों को भी उपलब्ध की जाती हैं।

जहां तक पी० टी० आई०, यू० एन० आई० और हिन्दुस्तान समाचार जैसी समाचार ऐजेन्सियों की टेलीप्रिन्टर सेवाओं का संबंध है, समाचारपत्रों को संबंधित एजेंसियों से प्रबन्ध सीधे करने होते हैं। यदि पर्याप्त मांग हो, तो समाचार ऐजेंसी सेवा के विस्तार के बारे में उनके साथ बातचीत की जा सकती है।

(ग) जी, नहीं।

ब्रेजनेव के स्वागत सम्बन्धी पोस्टरों पर प्रिंट लाइन का न होना

5472. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 नवम्बर, 1973 के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया था कि सोवियत साम्यवादी दल के प्रमुख के स्वागत के लिए लगाये गये अनेक पोस्टरों पर कोई प्रिंट लाइन नहीं थी;

(ख) क्या यह प्रैस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं है और यदि हां, तो इस प्रकार उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी; और

(ग) क्या सरकार इस देश में ब्रेजनेव की यात्रा के सम्बन्ध में लगाये गये विभिन्न प्रकार के पोस्टरों का विवरण देगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां। दिल्ली प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।

(ग) एक विवरण जिसमें दिल्ली प्रशासन से प्राप्त जानकारी दी हुई है, संलग्न है।

विवरण

प्रिंट लाइन के साथ पोस्टर :

(1) लियोनिद ब्रेजनेव का 26-27 नवम्बर, 1973 को भव्य स्वागत कीजिये, चन्द्र भान खंडेलवाल और देवी प्रसार क्रमशः अध्यक्ष और महामंत्री, भारत सोवियत सांस्कृतिक समिति की जामा मस्जिद शाखा द्वारा निकाला गया। लाहौर प्रेस में छपा।

(2) 'लियोनिद ब्रेजनेव का स्वागत कीजिये' (उर्दू और हिन्दी में) श्रीमती अरुणा आसफ अली और श्रीमती विमला फारूकी, क्रमशः प्रधान और महामंत्री, नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन वीमेन, 1002, असल भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली द्वारा निकाला गया। खन्ना लिथो प्रेस दिल्ली में छपा।

(3) 'अज़ीम अक्तूबर इन्कलाब और कामरेड ब्रेजनेव का हिन्दुस्तान के दौरे के मुबारक मौके पर जबरदस्त जलसा' भारत सोवियत सांस्कृतिक सोसाइटी, 6, जमुना भवन, ए० 14/3, आसफ अली रोड, नई दिल्ली द्वारा निकाला गया। खन्ना लिथो प्रेस दिल्ली में छपा।

(4) "लियोनिद ब्रेजनेव स्वागत" अखिल भारतीय शांति और एकता संगठन, 6, जमुना भवन, ए०-14/3, आसफ-अली रोड, नई दिल्ली द्वारा निकाला गया। न्यू ऐज प्रिंटिंग प्रेस, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में छपा।

(5) "भारत यात्रा--भारत सोवियत सहयोग में एक नया कदम", "ब्रेजनेव का स्वागत कीजिये" लिट्टो घोष, वयालर रवि और हिम्मत सिंह, महामंत्री, भारत सोवियत सांस्कृतिक सोसाइटी, 6, जमुना भवन, ए०-14/3, आसफ अली रोड, नई दिल्ली द्वारा निकाला गया। न्यू ऐज प्रिंटिंग प्रेस, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में छपा।

(6) "वैलकम टु एल० आई० ब्रेजनेव फाइटर फार वर्ल्ड पीस, ट्रु फ्रैंड आफ इंडिया" 6 जमुना भवन, ए०-14/3, आसफ अली रोड, नई दिल्ली में स्थित भारत सोवियत सांस्कृतिक सोसाइटी की राष्ट्रीय परिषद द्वारा निकाला गया। न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में छपा।

(7) 1. "कलैक्टिव सिक्यूरिटी इज कलैक्टिव सरैन्डर"

2. "इंडिया इज नोट ए सोवियत सेटेलाइट-प्लीज रिमेम्बर मिस्टर ब्रेजनेव"।

3. "वी वैलकम यू मिस्टर ब्रेजनेव ऐज अवर गैस्ट, बट नौट इन्टरफियरेंस इन अवर इन्टरनल अफेयर्स"।

4. "रिकोगनाइज़ अवर फ्रन्टियर्स चेंज योर मैप्स"। (ये पोस्टर संयुक्त रूप से भूतपूर्व संसद-सदस्य प्रो० बलराज मधोक, मेजर रणजीत सिंह और श्री यू० एम० त्रिवेदी और सर्व श्री के० एस० चावड़ा, जी० आई० चौधरी, लोक नाथ मिश्र, के० सी० पण्डा, सुन्दरमणि पटेल और आर० आर० सिंह देव द्वारा निकाले गए। ये पोस्टर अलमियत प्रेस, पैरेडाइज़ प्रिंटर्स, नई दिल्ली में छपे।

(8) "रूस के बड़े नेता श्री एल० ब्रेजनेव का स्वागत" श्री राजकुमार कोहली, महामंत्री, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली द्वारा निकाला गया। "प्रिंट एन आर्ट" नई दिल्ली में छपा।

(9) "लियोनिद ब्रेजनेव मिशन आफ फ्रैंडशिप"। न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस में छपा। जिस व्यक्ति दल ने यह पोस्टर निकाला, उसका कोई संकेत नहीं है।

प्रिन्ट लाइन के बिना पोस्टर :--

(1) प्रधान मंत्री और श्री ब्रेजनेव की फोटो के साथ "खुश-आमदीद-ब्रेजनेव" दिल्ली नागरिक स्वागत समिति, 5 राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली द्वारा निकाला गया।

(2) श्री ब्रेजनेव और श्रीमती इंदिरा गांधी के फोटो के साथ "भारत सोवियत मैत्री चिरायु हो" श्री ब्रेजनेव नागरिक स्वागत समिति, 5 राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली द्वारा निकाला गया।

(3) "वैलकम ब्रेजनेव" ब्रेजनेव नागरिक स्वागत समिति, 5, राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली द्वारा निकाला गया।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना

5473. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का जनता की कठिनाई को कम करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का विचार है ।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : यदि इस संदर्भ का संबंध सिविल सेवाएं न्यायाधिकरण स्थापित किये जाने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश संख्याएं 54(1), (2), (3), (4) तथा (5) से है तो इस मामले की सरकार जांच कर रही है ।

यदि इस संदर्भ का संबंध जनता की शिकायतों पर विचार करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना किये जाने से है तो यह कहा जा सकता है कि प्राशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में, लोकपाल तथा लोकायुक्त की स्थापना किये जाने के लिए विद्यमान प्रशासनिक मशीनरी में, जो जनता के कष्टों तथा शिकायतों को दूर करने की दृष्टि से उनकी जांच करती है, सुधार लाने के लिए एक विधेयक लोक सभा में पहले ही पुरः स्थापित किया जा चुका है। लोकपाल तथा लोकायुक्तों के अधिकार-क्षेत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, आरोपों अथवा कष्टों के सम्बन्ध में जनता की शिकायतों की जांच करना होगा। इस उद्देश्य के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना किये जाने का कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है ।

बिहार में राज्य सिविल सेवा से पदोन्नत कर भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदों कि भरना

5474. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य सिविल सेवा से पदोन्नत कर कम से कम भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के 40 प्रतिशत पदों को भरने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा "कार्मिक प्रशासन" के संबंध में दी गई रिपोर्ट में उसके द्वारा की गई सिफारिश पर, जहां तक इस सिफारिश का सम्बन्ध राज्य सेवाओं से अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति से है, केन्द्रीय सरकार के एक परिपत्र में राज्य सरकारों के इस संबंध में विचार मांगे गए थे कि पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली श्रेणी में रिक्तियों के कोटे को अधिकतम 40 प्रतिशत तक, जहां विद्यमान कोटा इस प्रतिशत से कम रह जाये, बढ़ा दिया जाए।-इस परिपत्र के उत्तर में बिहार सरकार ने कहा था कि वे इस सिफारिश से सहमत हैं ।

(ख) यह मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

चर्म उद्योगों के लिए मशीनों का आयात

5475. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पहले दिये गये आश्वासनों के बावजूद चर्म उद्योग के हेतु आवश्यक मशीनों तथा उपकरण के आयात के लिए लाइसेंस देने में असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। चमड़ा उद्योग के निर्यातपूरक उद्योग होने के कारण सरकार इसके लिए मशीने आयात करने के मामले में उदार रही है। किन्तु देश में उपलब्ध मशीनों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

MOBILE POST OFFICES IN KOTAH, RAJASTHAN

5476. SHRI ONKAR LAL BERWA. Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether in view of the development of Kotah, Rajasthan Government propose to run mobile Post Offices there; and

(b) if so, when?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI RAJ BAHADUR) : (a) & (b) There is no such proposal under consideration at present.

INCREASE IN SCHOLARSHIPS TO S. C. AND S. T. STUDENTS

5477. SHRI ONKAR LAL BERWA :
SHRI DHAN SHAH PRADHAN :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to increase the amount of scholarship to be given to students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes keeping in view the rising prices; and

(b) if so, how much and when?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) : (a) & (b) Yes, Sir. It has been decided to increase the rates of Post-matric Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes by 50 % with effect from the Ist of April, 1974.

नई प्रक्रिया के बाद औद्योगिक लाइसेंसों के लिए दिए गए आवेदन पत्रों का निपटान

5478. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री 21 नवम्बर, 1973 के औद्योगिक लाइसेंस के लिए अनिर्णीत आवेदन पत्रों के बारे में तारांकित प्रश्न सं० 149 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 1 नवम्बर, 1973 तक औद्योगिक लाइसेंसों के लिए दिये गये कितने आवेदन पत्र निपटाये जा चुके हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : नवम्बर, 1973 के महीने में औद्योगिक लाइसेंसों के 562 आवेदन पत्र निपटाये गये।

बल्क औषधियों के उत्पादन के लिए अनापत्ति पत्र

5479. **श्री के० एस० चावडा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री विदेशी फर्मों के विस्तार के लिये आशय पत्र जारी करने के बारे में 14 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 438 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्क औषधियों के उत्पादन के लिए कोई अनुमति/अनापति पत्र जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो बल्क औषधि का नाम क्या है, फर्म का नाम और क्षमता आदि क्या हैं;

(ग) क्या नई बल्क औषधियों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी अपेक्षित है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि क्या बल्क औषधियों का उत्पादन अनापत्ति/अनुमति पत्रों के अन्तर्गत आता है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

STATEMENT MADE BY THE PRESIDENT OF NEW AWAMI ACTION COMMITTEE OF J & K.

5480. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of the President of New Awami Action Committee of Jammu and Kashmir that Article 370 of the Constitution is responsible for the condition of uncertainty and anarchy prevailing in Kashmir; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken by Government on the other facts mentioned in the Statement ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT): (a) Yes, Sir.

(b) The Government's views on article 370 are well known. Appropriate action will be taken as and when necessary to nullify and any activity aimed at undermining the integrity and sovereignty of India.

अबोहर और फाजिल्का के प्रतिनिधियों की ओर से अभ्यावेदन

5481. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अबोहर और फाजिल्का के प्रतिनिधियों की ओर से इन क्षेत्रों को तुरन्त हरियाणा के अन्तर्गत लाए जाने के बारे में हाल में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है;

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) फाजिल्का अबोहर के कुछ निवासियों से हाल में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 29 जनवरी, 1970 को घोषित केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार पंजाब की तहसील फाजिल्का के भाग को हरियाणा के अन्तर्गत लाये जाने के संबंध में कहा गया था।

(ख) इन क्षेत्रों का हरियाणा को स्थानान्तरण पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की वर्तमान अन्तर्राज्यीय सीमाओं के पुनः समायोजन के अन्य दावों प्रतिदावों पर विचार करने के लिए नियुक्त किये जाने वाले आयोग की सिफारिशों पर किये जाने वाले स्थानान्तरण के साथ ही साथ किया जायेगा।

जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चण्डीगढ़ में रेडियो सेट

5482. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और चण्डीगढ़ में प्रति हजार जनसंख्या के पीछे कितने रेडियो अथवा रिसीविंग सेट हैं;

(ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति हजार जनसंख्या के पीछे ऐसे सेटों की संख्या क्रमश : क्या है और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे सेटों की पृथक-पृथक संख्या क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में रेडियो सुनने की सुविधा के विस्तार के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों और संघ शासित प्रदेश दिल्ली और चण्डीगढ़ में प्रति हजार जनसंख्या के पीछे सुलभ रेडियो/रिसीविंग सेटों की संख्या इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	प्रति हजार जनसंख्या पर सुलभ रेडियो/रिसीविंग सेट
जम्मू और कश्मीर	64.53
पंजाब	56.10
हरियाणा	30.33
हिमाचल प्रदेश	33.26
दिल्ली	126.38
चण्डीगढ़	204.91

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि डाकघर देहाती और शहरी इलाकों के लिए अलग-अलग लाइसेंसों से संबंधित आंकड़े नहीं रखते ।

(ग) यह सूचना संबंधित मंत्रालय से प्राप्त की जा रही है और इसे यथा समय पर सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

पंजाब सर्किल में सी० ओ० और पी० सी० ओ० का खोलना

5483 **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में पंजाब सर्किल में (एक) सी० ओ० और (दो) पी० सी० ओ० खोलने के बारे में कितने आवेदन पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) इस अवधि में कितने प्रस्तावों को लाभप्रद पाया गया और उनकी मंजूरी दी गई और इन प्रस्तावों को मंजूरी दिये जाने के परिणामस्वरूप कितने सी० ओ०, पी० सी० ओ० खोले गये;

(ग) कितने प्रस्तावों को अलाभप्रद पाया गया और जिनमें राज्य सरकार, पंचायतों अथवा स्थानीय लोगों से किराया और गारंटी की शर्तें आमंत्रित की गई और उनमें से कितने मामलों में किराया और गारंटी की शर्तें मंजूर की गई; और कितने सी० ओ० अथवा पी० सी० ओ० मंजूर किये गये; और

(घ) ऐसे प्रस्तावों की संख्या क्या है जिनके बारे में किराया और गारंटी की शर्तें मंजूर नहीं की गई ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) पंजाब सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान संयुक्त डाक-तार घर और सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए प्राप्त आवेदनों प्रस्तावों की संख्या इस प्रकार है:--

(1) संयुक्त डाक-तार घर 33

(2) सार्वजनिक टेलीफोन घर 482

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभकर पाए गए और मंजूर किये गए प्रस्तावों तथा खोले गए संयुक्त डाक-तार घरों और सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या इस प्रकार है :--

	मंजूर किये गये	खोले गए
संयुक्त डाक-तार घर	19	11
सार्वजनिक टेलीफोन घर	72	34

(ग) (1) संयुक्त डाक-तार घर और सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के उन प्रस्तावों की संख्या जो अलाभकर पाए गए थे-111

(2) उन प्रस्तावों की संख्या जिनके लिए राज्य सरकार, पंचायत या स्थानीय जनता से किराये और गारंटी की शर्तें स्वीकार करने के लिए कहा गया था-26

(3) उन प्रस्तावों की संख्या जिनके लिए किराये और गारंटी की शर्तें मंजूर कर ली गयी थीं और ये कार्यालय खोलने की मंजूरी दी गयी थी-1

(घ) उन प्रस्तावों की संख्या जिनके लिए किराये और गारंटी की शर्तें स्वीकार नहीं की गयी थीं-25

श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा समाचारपत्रों, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाओं को विज्ञापनों के लिये दिया गया धन

5484. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा सभी भाषाओं के (एक) दैनिक समाचारपत्रों (दो) साप्ताहिक पत्रिकाओं (तीन) पाक्षिक पत्रिकाओं (चार) मासिक पत्रिकाओं (पांच) द्विमासिक (छः) त्रमासिक (सात) वार्षिक और (आठ) सोवनीरों को विज्ञापनों के लिए कितनी राशि के विज्ञापन दिये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : एक विवरण जिसमें, अपेक्षित सूचना दी गयी है, संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6068/73]

उड़ीसा में भूमि कब्जा आन्दोलन

5485. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में सरकारी बंजर भूमि कब्जा आन्दोलन के संबंध में व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों को वापस लिये जाने के बारे में कोई आदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने मामले वापस लिये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने 1972 में भूतपूर्व मंत्री श्री ब्रजमोहन मोहंती के विरुद्ध कुछ मामलों को वापस लिये जाने का आदेश दिया है और यदि हां, तो क्या भूमि पर कब्जे से संबंधित मामलों पर भी वही सिद्धांत लागू किए जाने की मांग की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एक रुपया अथवा उससे कम प्रतिदिन आय वाले व्यक्तियों की संख्या

5486. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारम्भ में और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें एक रुपया अथवा उससे भी कम प्रतिदिन आय होती है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : प्रतिदिन एक रुपया या इससे कम आय वाले व्यक्तियों की संख्या संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, प्रतिदिन एक रुपया या इससे कम उपभोक्ता व्ययवाली जनसंख्या के अनुपात के विषय में जानकारी वर्ष 1956-57, 1961-62 और 1967-68 के लिये किए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से उपलब्ध है, और वह इस प्रकार है :–

वर्ष	प्रतिशतता जनसंख्या
1956-57	92.0
1961-62	84.3
1967-68	57.5

ये प्रतिशतताएं संवद्ध वर्षों में प्रचलित भावों पर आधारित हैं।

आपातकालीन स्थिति समाप्त करना

5487. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में होने वाले उपचुनावों तथा उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए क्या आपात कालीन स्थिति को समाप्त करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) आपातकालीन स्थिति समाप्त करने के प्रश्न की सक्रिय रूप से समीक्षा की जा रही है।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों के लिये अलग स्कूल तथा होस्टल

5488. **श्री नाथूराम अहिरवार**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये विभिन्न राज्यों में स्कूल तथा होस्टल खोले हैं ; और

(ख) क्या उन स्कूलों तथा होस्टलों पर भारी धनराशि व्यय करने के बावजूद जातिवाद कम होने की बजाय बढ़ा है और जातिवाद को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्र दूसरे छात्रों के साथ सामान्य स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनके साथ संलग्न छात्रावास सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। किन्तु, जहां विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आश्रम स्कूल और छात्रावास शुरु किये जाते हैं। इन जातियों के पृथककरण को हटाने के उद्देश्य से इन संस्थाओं में भी कुछ गैर-अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है अनुसूचित जातियों/जनजातियों के विरुद्ध जातिवाद की प्रथा स्पष्टतः कम होती जा रही है।

एफ० सी० ग्रेड के ऐल्यूमीनियम का आवंटन

5489. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री राम प्रकाश :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० ए० सी० तथा ए० सी० एम० आर० कन्डक्टरों का निर्माण करने वाले तकनीकी विकास के महानिदेशालय के एककों को सरकार द्वारा एफसी ग्रेड के एलुमिनियम का आवंटन किया जा रहा है जबकि लघु उद्योग एककों को इस एफ० सी० ग्रेड के एलुमिनियम का आवंटन विभिन्न राज्यों राज्यों के उद्योग निदेशकों द्वारा किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या तकनीकी विकास के महानिदेशालय के एकको की तरह लघु उद्योगों के एककों में से विशेष कठिनाई वाले एककों की भी सरकार द्वारा आवंटन करना संभव है ?

औद्यौगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। तकनीकी विकास का महानिदेशालय जो औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, के द्वारा उनकी सूची में ए० ए० सी० तथा ए० सी० एम० आर० कन्डक्टरों के निर्माण के लिये दर्ज एककों को ई० सी० ग्रेड एलुमिनियम का आवंटन किया जा रहा है। लघु क्षेत्र के उद्योगों के मामलों में, ए० ए० सी० तथा ए० सी० एस० आर० कन्डक्टरों के निर्माण में रत कम्पनियों को विभिन्न राज्यों के उद्योग निदेशकों द्वारा ई० सी० ग्रेड एलुमिनियम का आवंटन किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं। क्योंकि लघु क्षेत्र के उद्योगों के बारे में राज्य उद्योग निदेशक ही प्रायोजित तथा नियन्त्रण करने वाला प्राधिकारी होता है।

Manufacture of Hindi Typewriters

5490. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Hindi Typewriters are being manufactured in proportion to their demand and as a result Government Offices, institutions of individuals are not gettings the these typewriters readily; and

(b) the steps being taken to increase the out-turn of Hindi type-writers and to remove their shortage?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Delays in supply of Hindi Typewriters by the manufacturers to the indenting officers have been brought to the notice of this Ministry. The supply position is being continuously reviewed and the manufacturers have been asked to furnish quarterly statements in respect of the orders placed, orders executed, yet to be executed, etc. and to bring to Government's notice the difficulties in getting import licences for type facts. A meeting with the mnufacturers was also held recently to impress upon them the necessity for timely supply of typewriters to the various identing departments.

(b) A condition has been put in the scheme that have been approved for the manufacture of typewriters that 50 % of the production should be in India languages.

Issuing of General Orders in Hindi and English in the Ministry of Planning

5491. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the arrangements made in his Ministry and its Subordinate Officers to ensure that all general orders are issued in both the languages, Hindi and English, simultaneously incompliance with the provision of the Official Languages Act;

(b) whether the persons who have been entrusted with this work are discharging their duties properly;

(c) the number of cases that have come to notice during the last quarter in which the letters, circulars and memoranda falling in the category of 'General Orders' were issued by the officers of the Ministry of subordinate Offices in English only and their Hindi versions were not issued simultaneously; and

(d) the action taken or proposed to be taken against the officers concerned?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) There is a Hindi Section in Planning Commission for looking after the implementation of Official Languages Act, 1967. The Official Languages Implementation Committee of the Planning Commission also previews the position regarding the proper implementation of the Act. Since there are no subordinate Offices of the Planning Commission, the question of making such arrangements does not arise.

(b) Yes, Sir.

(c) No such case has come to notice in the quarter 1-6-1973 to 30-9-1973.

(d) Does not arise.

Issue of General Orders in Both Hindi and English

5492. **Shri Sudhakar Pandey:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the arrangements made in his Ministry and subordinate offices to ensure that all general orders are issued in both the languages, Hindi and English, simultaneously in compliance with the provisions of the official Languages Act;

(b) whether the persons entrusted with the work on this regard are discharging their duties properly;

(c) the number of cases that have come to notice during last quarter in which the letters, circulars and memoranda falling in the category of 'general order' were issued by the Officers of the Ministry or subordinate offices in English only and their Hindi versions were not issued simultaneously; and

(d) the action taken or proposed to be taken against the officers concerned ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs: (Shri Ram Niwas Mirdha): Personnel (a) & (b): A check point has been set up in R & I Section of the Ministry with a view to ensuring that all the general orders are issued bilingually and this arrangement is working satisfactorily. The subordinate offices have also been advised from time to time ensure that the general orders are issued both in Hindi and Engish and the compliance in this behalf in respect of the offices located in Hindi speaking areas is watched through the quarterly progress reports and the position is also reviewed in the meetings of the departmental official Languages Implementation Committee of the Ministry.

(c) & (d): According to the information available 132 general orders were issued in English during the last quarter, principally by the subordinate Offices. This was either due to urgency or non-availability of adequate Hindi staff in some of the offices. In order to avoid such lapses in future authorities concerned have been asked to take steps to appoint adequate Hindi staff wherever there are any deficiencies.

Issue of general orders in Hindi and English in Ministry of Industrial Development.

5493. **Shri Shudhakar Pandey:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the arrangements made in his Ministry and its subordinate offices to ensure that all general orders are issued in both the languages, Hindi and English, simultaneously in compliance with the provision of the Official Languages Act;

(b) Whether the persons who have been entrusted with this work are discharging their duties properly;

(c) the number of cases that have come to notice during the last quarter in which the letters, circulars and memoranda falling in the category of 'General Orders' were issued by the officers of the Ministry or its subordinate Offices in English only and their Hindi versions were not issued simultaneously; and

(d) the action taken or proposed to be taken against the officers concerned?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) The instructions received from the Ministry of Home Affairs in regard to the issue of 'General Orders' in English and Hindi languages have been communicated to all officers/Sections in the Ministry as well as its Attached and Subordinate offices for compliance.

(c) and (d) : It was observed in certain cases that memoranda of general naturement for circulation in the Ministry were issued in English language only. On such lapses coming to notice, instructions were issued to defaulting sections to ensure strict compliance of the provisions of the Official Languages Act.

विभिन्न राज्यों के बीच देवनागरी टैलीप्रिन्टर लिंक

5494. **श्री सुधाकर पांडे**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी भाषी राज्यों और गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में ऐसे कितने तार घर हैं जिनमें रोमन टेलीप्रिंटर इन्टर-लिंक है किन्तु देवनागरी टेलीप्रिंटर-इंटर-लिंक नहीं है ;

(ख) क्या अक्सर ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन तारघरों में देवनागरी भाषा में दी जाने वाली या प्राप्त की जाने वाली तारों में विलम्ब होता है ; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय अपनाये गये हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जिन राज्यों का हवाला दिया गया है, उनमें रोमन टेलीप्रिंटर लिंक कुल 289 विभागीय तारघरों में हैं । इनमें से 130 संयुक्त डाक तार घर हैं, जिनमें यातायात के आधार पर देवनागरी टेलीप्रिंटर लगाने का कोई औचित्य नहीं है । 159 विभागीय तारघरों में से 90 तारघरों देवनागरी टेलीप्रिंटर पर तार पारेषित करने की सुविधा प्राप्त है । बाकी तारघरों में भी यह सुविधा देने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) देवनागरी तारों के भी निपटारे के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

Radio Station At Kota, Rajasthan

5495. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether a demand for a Radio Station at Kota, Rajasthan has been outstanding for long;

(b) if so, action taken by Government in this regard; and

(c) the time by which the above Station is likely to be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Requests have been received for setting up of a Radio Station at Kota.

(b) Kota is already served by the existing AIR stations at Ajmer and Indore. The service in Kota district will further improve on the completion of the high power transmitter at Indore which is being installed as a Fourth Plan project and which is likely to be completed during 1974-75. There is no proposal at present to set up a separate radio station at Kota.

(c) Does not arise.

Telephone Connections In Panchayat Samiti in Rajasthan

5496. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Panchyat Samitis in Rajasthan where there are no telephone connections; and

(b) the time by which they are likely to be provided?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) Eleven.

(b) Proposals for providing telephone facilities at there of those eleven Panchayat Samities have been sanctioned and these facilities will be provided after April'74 on receipt of stores. At the remaining 8 places telegraphic facilities already exists. Efforts will be made to provide telephone facilities at these 8 places also during the fifth Five Year Plan, subject to financial viability of the schemes.

स्वतन्त्रता से पूर्व आजाद हिन्द फौज के शहीदों के सिंगापुर स्थित शहीद स्मारक के टुकड़े भारत लाया जाना

5497. **श्री समर गुह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री शाहनवाज खां ने नेता जी जांच आयोग के समक्ष दिये गये अभिसाक्ष्य में कहा कि वह स्वतन्त्रता से पहले सिंगापुर से आजाद हिन्द फौज के शहीदों के स्मारकों के कुछ टुकड़े लाये थे जो कि ब्रिटिश सेना द्वारा ध्वस्त कर दिये गये थे ;

(ख) क्या उन्होंने पुनः यह भी कहा कि वह टुकड़े उनके रावलपिंडी स्थित घर में रह गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आजाद हिन्द फौज के शहीदी स्मारक के उन पवित्र टुकड़ों को भारत में वापिस लाने के लिये प्रयास करेगी ताकि उन्हें पुन: जोड़ा जा सके या उन्हें स्वतन्त्रता संघर्ष के ऐतिहासिक अवशेषों के रूप में संग्राहालय में सुरक्षित रखा जा सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) आयोग के सचिवालय से मालूम हुआ है कि आयोग के समक्ष ऐसा ब्यान दिया गया था ।

(ग) और (घ) : सुझाव पर आगे जांच करने की आवश्यकता होगी ।

Licence for keeping stock of cement in Delhi.

5498. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the number of persons issued licences for keeping stocks of cement in Delhi;

(b) the quantity of cement supplied by Government to the stockists during the last five months; and

(c) whether large scale black marketing in cement is going on in Delhi?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The number of licenced stokists in Delhi is 294.

(b) 97919 tonnes of cement was received by stockists from July to November, 1973

(c) No, Sir.

राज्यों को होमगार्डों के प्रशिक्षण के लिये निदेश

5500. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विकार राज्य सरकारों को सभी स्वस्थ युवकों तथा रुचि रखने वाली महिलाओं को होम गार्ड का प्रशिक्षण देने हेतु चरणवद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिये निदेश देने का है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । होम गार्ड एक स्वैच्छिक संगठन है तथा सभी स्वयं सेवकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है ।

भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी को दण्ड दिया जाना

5501. **श्री अनादि चरण दासः** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान कितने पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध गलती या असावधानी के विभिन्न कार्य करने के कारण कार्यवाही की गई अथवा दण्ड दिया गया ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ एच मोहसिन) : सभी राज्यों से सूचना मांगी गई है तथा प्राप्त होते ही वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तराखण्ड की मांग

5502. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तराखण्ड मांगें बल पकड़ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस मांग के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) मांग करने वालों का मुख्य तर्क क्या है ; और

(घ) सम्बद्ध क्षेत्र के लोगों की न्याय संगत शिकायतों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) समय-समय पर सुझाव दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों का, मुख्यतः इस आधार पर कि इन जिलों का आर्थिक विकास संतोषजनक नहीं हुआ है "उत्तराखण्ड" के नाम से एक अलग राज्य बनाया जाय । सरकार का विचार रहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का विकास तेज करने से उनकी समस्याओं का वास्तविक समाधान होगा न कि उन क्षेत्रों का अलग राज्य बना कर ।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पर्वतीय विकास बोर्ड का गठन किया है तथा पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है ।

मनीपुर के आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की मांग

5503. **श्री दशरथ देव** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को मणिपुर के आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने और उनके लिये प्रादेशिक समिति का गठन करने के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) इन मांगों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिये विज्ञापन

5504. **श्री दशरथ देव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित पदों पर भरती के संबंध में विज्ञापनों की प्रतियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संगठन को उपलब्ध की जाती है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या त्रिपुरा राज्य उपजाति गढ़मुक्ति परिषद् त्रिपुरा में सबसे बड़ा जनजाति संगठन है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी सेवा के जिन पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भरती की जायेगी उनके रिक्त पदों की परिषद् को पूर्व सूचना देने का है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार के तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन सभी कार्यालयों पर लागू होते हैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों को, जिनके लिये रोजगार कार्यालय के माध्यम से इन जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध न हों, भर्तीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा इस प्रयोजन के लिये मान्यताप्राप्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संगठनों की जानकारी में ला दिया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) त्रिपुरा राज्य उपजाति गढ़मुक्ति परिषद् के दर्जे के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।फिर भी, यह एसोसियेशन, उन एसोसिएशनों में से नहीं है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के अधीन आरक्षित रिक्तियों को अधिसूचित किए जाने के प्रयोजन के लिये भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है ।

पश्चिम बंगाल रेशम उद्योग को केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बरहामपुर का योगदान

5505. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैन्ट्रल सैरीकल्चर रिसर्च स्टेशन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बरहामपुर का पश्चिम बंगाल रेशम उद्योग में क्या योगदान है ?

(ख) स्थानीय जाति के कीड़ों से उत्तम तथा बढ़िया रेशम के कीड़ों की कितनी जातियां राज्य के कीड़ा पालने वालों को रिलीज़ की गई है और उससे गत तीन वर्षों में राज्य के उत्पादन में वृद्धि लाने में कितनी सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ग) अधिक उत्पादन देने वाली कितनी जातियों का विकास किया गया है एवं पश्चिम बंगाल रेशम उत्पादकों को रिलीज़ की गई है तथा उससे उत्पादन लागत में कमी लाने में कितनी सहायता मिली है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

53 LSS/73—10

पश्चिम बंगाल में रेशम का उत्पादन

5506. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में रेशम की फसल के बार-बार खराब होने के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या अनुसंधान केन्द्रों ने कोई सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया है तथा पश्चिम बंगाल में संवर्धन केन्द्रों का क्या कार्य है तथा इनसे रेशम के कीड़े पालने वालों की किस प्रकार सहायता की जा रही है; और

(ग) अपरिष्कृत रेशम के उत्पादन में पश्चिम बंगाल के निरंतर पिछड़ते जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फिल्मों के निर्यात से आय में कमी

5507. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून से नवम्बर, 1973 के दौरान भारतीय फिल्मों के निर्यात से होने वाली आय में 14 प्रतिशत की कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

28 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5025 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

Statement correcting the reply to USQ No. 5025 dated 28-3-73

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): 28 मार्च, 1973 को लोक-सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 5025 के उत्तर में निम्नलिखित जानकारी दी गयी है :

मुख्यालय के व्यय, रायल्टी तथा तकनीकी जानकारी शुल्क से सम्बन्धित कोई राशि बाहर नहीं भेजी गई थी । अन्य विभिन्न मदों के अन्तर्गत बाहर भेजी गयी राशि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । इंडिया टुबैको कम्पनी ने 'सुनाम' तथा 'ट्रेड मार्क' के सम्बन्ध में 4.90 करोड़ रुपये की कीमत के शेयर जारी किये हैं । इन शेयरों पर यदि कोई हैं, इस कम्पनी द्वारा दिये गये लाभांशों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

उपरोक्त उत्तर तब रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित था, बाद में सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई कि मैसर्स इंडिया टुबैको कम्पनी लिमिटेड द्वारा 'सुनाम' तथा 'ट्रेड मार्क' के सम्बन्ध में कोई शेयर जारी नहीं किये गये थे । रिजर्व बैंक आफ इंडिया से स्थिति की पुन: जांच कराने के पश्चात वित्त मंत्री महोदय ने भी सूचित किया है कि मैसर्स इंडिया टुबैको कम्पनी लिमिटेड ने 'सुनाम' तथा 'विदेशी व्यापार चिन्ह' के सम्बन्ध में "यू० के० प्रिंसीपल्स" को शेयर जारी नहीं किये हैं ।

उक्त प्रश्न का शुद्ध किया गया उत्तर निम्न प्रकार है :—

"मुख्यालय के व्यय, रायल्टी तथा तकनीकी जानकारी शुल्क सम्बधित कोई राशि बाहर नहीं भेजी गयी थी । उनका विभिन्न मदों के अन्तर्गत बाहर भेजी गयी राशि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । इंडिया टुबेको कं० ने 'सुनाम' तथा 'ट्रेड मार्क' के सम्बन्ध में अपने यू० के० प्रिंसिपल्स " को शेयर जारी नहीं किये हैं।"

विलम्ब के कारण :

पहले दिये गये उत्तर की गलती को तब तक सही नहीं किया जा सका जब तक वह सरकार के ध्यान में नहीं आयी, उसके पश्चात सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके इस मामले की आगे जांच की जानी थी । सही स्थिति का पता वित्त मंत्रालय से केवल 15-9-1973 को लगा ।

स्थगन प्रस्ताव के वारे में

RE. MOTION FOR ADJOURMENT

(प्रश्न)

श्री समर मुखर्जी (हावडा): : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसे आपने नामंजूर कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय किया गया है कि इस सप्ताह कोई भी स्थग न प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

श्री समर मुखर्जी : रेलवे में स्थिति बिगड़ती जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : यह स्थिति पिछले कुछ दिनों से चली आ रही है और इस पर कई बार चर्चा की जा चुकी है । आप प्रतिदिन इस विषय पर प्रस्ताव लाते हैं और मैं एक ही प्रकार का निर्णय देता हूं ।

श्री समर मुखर्जी : मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें क्योंकि आश्वासन के अपूर्ण रहने पर यह हड़ताल की गई है ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्री मती इन्दिरा गांधी) : विपक्ष के नेताओं को ऐसी हड़तालों का समर्थन नहीं करना चाहिए । जहां तक आवशसन अपूर्ण रहने का सम्बन्ध है, किसी भी करार की क्रियान्विति में समय लगता ही है । तथ्य कुछ भी हो, विपक्ष को ऐसी हड़तालों का समर्थन नहीं करना चाहिये । जिससे जनता को परेशानी होती है ।

श्री समर मुखर्जी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ......

अध्यक्ष महोदय : मैं इस के लिये अनुमति नहीं दूंगा । (अन्तर्बाधायें) आप सब बैठ जायें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : मेरे नोटिस का क्या बना ? [अन्तर्बाधायें] मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला प्रतिदिन नहीं उठाया जा सकता । नियमों के अनुसार केवल ऐसे मामले पर विचार किया जा सकता है जो अचानक पैदा हुआ हो । यह मामला पिछले कुछ समय से लगातार चला आ रहा है । इस पर कई बार चर्चा भी हो चुकी है । नियम के अनुसार यह मामला इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1974--79 का प्रारूप

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : मैं पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-79 --भाग 1 और 2 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के प्रारूप की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये [संख्या एल० टी० 6057/73]**

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के 1969--72 तक के लेखा परीक्षित लेखे और खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई का 1971-72 के लिये वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के लेखापरीक्षक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 6051/73]**

(2) (एक) खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उप धारा (3) के अन्तर्गत खादी और ग्राम उद्योग आयोग, बम्बई के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा सांख्यिकीय विवरण।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 5979/73]**

हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड जयपुर तथा सांभर साल्टस लिमिटेड, जयपुर की समीक्षायें और वार्षिक प्रतिवेदन नमक उपकर (संशोधन) नियम, 1973 तथा पटसन और नमदे पर आधारित लिनोलियम के उचित मूल्यों सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन-

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखत पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दीं तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) (क) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर 1972 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का 30 सितम्बर, 1972 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 6052/73]

(दो) (क) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर, 1972 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का 30 सितम्बर, 1972 को समाप्त हुये वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 6053/73]**

(2) नमक उपकर अधिनियम, 1953 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नमक उपकर (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2543 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6054/73]**

(3) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पटसन पर आधारित और नमदे पर आधारित लिनोलियम के उचित मूल्यों सम्बन्धी टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन (1971) हिन्दी (संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6055/73]**

भारतीय पत्रों के रजिस्टर का वर्ष 1971 का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : मैं भारत में प्रेस, 1971 पर भारतीय समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 1) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 6056/73]**

नियम समिति

RULES COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

श्री विश्वनाथ सिंह (झंझनु) : मैं नियम समिति की 3 सितम्बर और 12 दिसम्बर, 1973 को हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

35वां प्रतिवेदन

श्री जी०जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 35वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

31 अगस्त, 1973 के अतारांकित पत्र संख्या 5231 के उत्तर के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य

Statement by Member re. Answer to U.S.Q. No. 5231 dated 31-8-1973

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, Sir, I am laying the statement on the Table of the House, as it is a lengthy one.

वक्तव्य

श्रीमन्, मैंने 31 अगस्त 1973 को रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं से 550 जीपों को कांग्रेस के 1971 के चुनाव अभियान में लगाये जाने तथा न्यू इंडिया एशोरेंस कम्पनी लिमिटेड के कदाचार के

सम्बन्ध में अन्य आरोपों का मामला उठाया था। उपमंत्री ने चुनाव अभियान में जीपों के प्रयोग से सम्बन्धित मुख्य प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं दिया। प्रश्न के अन्य भागों का उत्तर उसने दिया। यह उत्तर भी ठीक नहीं था। और उसमें गुमराह करने वाली जानकारी दी गई थी;। मैं उनके उत्तर में निहित कुछ गलत बातों का उल्लेख कर रहा हूं। मुझे आशा है उप मंत्री महोदय उन्हें शुद्ध करने की कृपा करेंगे।

गलत बयानी संख्या 1

अवक्रम कम्पनियों द्वारा पहुंच न किया जाना

उपमंत्री ने बताया कि अवक्रम कम्पनियों ने वर्ष 1971 के आरम्भ में विभिन्न पार्टियों द्वारा मांगी गई जीपों के सम्बंध में अवक्रम संरक्षण आरण के लिये बीमा कर्त्ताओं के पास पहुंच की थी। यह बात गलत थी। वस्तुत: बीमाकर्त्ताओं का संघ बनाने का विचार न्यू इंडिया एंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा लाया गया था और इसने ही सर्वप्रथम अखिल भारतीय बीमा कम्पनी संघ के कुछ सदस्यों में यह योजना परिचालित की थी। बीमा कर्त्ताओं के एक विशिष्ट वर्ग द्वारा इस परियोजना के लिये सहमति दे दिये जाने के पश्चात ही न्यू इंडिया के महाप्रबन्धक ने कुछ चुनी गई अवक्रम कम्पनियों के पास इस कारोबार में भाग लेने की पेशकश की थी। फरवरी, 1971 में ज्योंही संघटक संयंत्र से जीपें बाहर निकलीं वैसे ही उनके बीमें के लिये प्रबन्ध किये गये और आवरण टिप्पणियां जारी की गई। प्रत्येक अवक्रम कम्पनी को आवंटित की जाने वाली कारों की संख्या को मार्च 1971 के बाद अन्तिम रूप दिया गया था। अत: अप्रैल 1971 से पूर्व संरक्षण आवरण की व्यवस्था करने के प्रश्न पर अवक्रम कम्पनियों द्वारा विचार ही नहीं किया जा सकता था।

गलत बयानी संख्या 2

बड़ा कारोबार नहीं, बड़ा घोटाला

उप-मंत्री ने यह भी कहा था कि यह 'बहुत बड़ा कारोबार था'। किसी अवक्रम कम्पनी विशेष और न्यू इंडिया एशोरेंस कम्पनी लिमिटेड के पिछले कारोबार के संदर्भ में यह कारोबार काफी अधिक नहीं कहा जा सकता। उक्त संघ कारोबार की अधिकता के कारण नहीं बनाया गया था। बल्कि यह घोटाले के बहुत बड़ा होने के कारण बनाया गया था ताकि घोटाले का पता लगने पर उसकी जिम्मेदारी कई कम्पनियों पर बट जायें। उक्त संघ के सदस्यों को कोई योजना परिचालित नहीं की गई थी। तथा दक्षिण भारत की और विदेशी बीमाकर्ता कम्पनियों को जानबूझकर इससे अलग रखा गया।

गलत बयानी संख्या 3

चार नहीं, एक राजनीतिक दल

उपमंत्री ने यह बताया था कि कुछ व्यक्तियों और राजनीतिक दलों को ये जीपें दी गई थीं किन्तु न्यू इंडिया के रिकार्ड से पता चलता है कि ये 500 जीपें केवल महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दी गई थीं, अन्य राजनीतिक दलों को नहीं।

गलत बयानी संख्या 4

जीपों की असामान्य तरीके से बिक्री

उपमंत्री का यह कथन भी गलत है कि महेन्द्र एण्ड महेन्द्र कम्पनी ने 548 जीपें सामान्य तरीके और सामान्य व्यापारिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार की गई। सामान्य रूप से क्रेता को जीप खरीदने के

लिये आवेदन देना पड़ता है, किसी व्यापारी विशेष से खरीदनी होती है, बीमा स्वयं कराना पड़ता है और अस्थायी नम्बर लेने पड़ते हैं। किन्तु इस मामले में यह कारोबार वाणिज्यिक सिद्धांतों और व्यवहारों के अनुरूप नहीं किया गया। उपमंत्री ने यह कहकर सभा को गुमराह किया है कि यह सौदा वाणिज्यिक सिद्धांतों और व्यवहारों के अनुसार किया गया।

गलतबयानी संख्या 5

प्रस्ताव पत्र और प्रीमियम

उपमंत्री ने यह कहा था कि 'उसने अवक्रम संरक्षण आवरणों सम्बन्धी सभी अनुरोधों पर विधिवत् विचार किया गया था। वस्तुतः न्यू इंडिया के पास अवक्रम संरक्षण आवरण के लिये कोई भी लिखित प्रस्ताव नहीं आया था। बिना प्रस्ताव प्रपत्र के आवरण टिप्पणी जारी करना भी अनियमित है, क्योंकि बीमा पालिसियों के जारी किये जाने के बाद ही आवरण टिप्पणी जारी की जाती है।

गलतबयानी संख्या 6

जोखिम का उठाने योग्य न होना

उपमंत्री ने अपने उत्तर में यह उल्लेख किया था कि आवरण टिप्पणियां मौके पर ही जारी की गईं और इसके लिये प्रस्ताव प्रपत्र पर जोर देना आवश्यक न था क्योंकि जोखिम (उठाने योग्य था) सभी मोटर गाड़ियां ऐसी होती हैं जिन पर जोखिम उठाया जा सकता है। किन्तु फिर भी सभी बीमा कम्पनियां प्रस्तात्र प्रपत्र पर जोर देती हैं क्योंकि मोटर बीमा करार के लिये यह प्रपत्र आधार होता है। प्रस्ताव प्रपत्र की प्रक्रिया से बचना अनियमित था। साथ ही, इन जीपों के लिये नियमित नम्बर प्लेट पहले से ही जारी कर दी गई थी जबकि पहले अस्थायी नम्बर दिया जाता है। प्रस्ताव न लेने का कारण यह था कि प्रस्ताव देने वाले या बीमा कराने वाले अस्तित्व में ही नहीं थे या बेनामी थे।

गलतबयानी संख्या 7

प्रीमियम का भुगतान

बीमे की राशि बीमा कराने वालों से एकत्र नहीं की गई बल्कि उसका भुगतान महेन्द्र एण्ड महेन्द्र कम्पनी ने किया। अतः उपमंत्री का कथन गलत है और उसने संसद को धोखा दिया है, गुमराह किया है।

गलतबयानी संख्या 8

केन्द्रीय करों का अपवचन

चूंकि इन जीपों का सौदा अवक्रम कम्पनियों या बीमा कम्पनियों द्वारा अन्तर्राज्यीय स्तर पर किया गया, इसलिये इस पर केन्द्रीय बिक्री कर वसूल किया जाना चाहिये था और वह राशि केन्द्रीय सरकार को दी जानी चाहिये थी।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि ये तथ्य ठीक हैं।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखती और इसमें सदस्य द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है।

वक्तव्य

प्रश्न का सम्बन्ध, अन्य बातों के साथ-साथ 500 से अधिक उन जीपों की खरीद से था जो 1971 में चुनाव के लिये, भाड़ा खरीद कम्पनियों द्वारा व्यवस्था किये गये पैसे से खरीदी गयीं थीं और जिनका इस सम्बन्ध में बीमा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सहित बीमा कम्पनियों की एक सहयोगी संस्था ने किया था। उत्तर में बताया गया था कि, न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और (भारत के जीवन बीमा निगम की उपषंगी कम्पनी) ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मिलाकर कुल 16 बीमा कम्पनियों की एक सहयोगी संस्था ने मैसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा द्वारा सामान्य तरीके से

बेची गयीं 548 जीपों के सम्बन्ध में भाड़ा-खरीद क्षतिपूर्ति बीमे की व्यवस्था की थी और ऐसा पता चला है कि ये जीपें चार राजनीतिक दलों और कुछ स्वतन्त्र उम्मीदवारों के काम के लिये भाड़ा-खरीद आधार पर खरीदी गयीं थीं। उत्तर में यह भी कहा गया था कि बीमा कम्पनियों की सहयोगी संस्था ने यह कारोबार सामान्य व्यापारिक सिद्धांतों और रिवाजों के अनुसार ही किया था।

2. माननीय सदस्य ने अपने 17 नवम्बर 1973 के नोटिस में उन मुद्दों को सूचीबद्ध किया है जो उनके अनुसार उत्तर में बड़ी गलतबयानियां हैं। माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये अतिरिक्त मुद्दों के लिहाज़ से इस मामले की भारत के विविध बीमा निगम के साथ परामर्श करके और भी जांच की गई है। यह पाया गया है कि उत्तर रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप ही है।

3. नोटिस में उठाये गये विभिन्न प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध सूचना के आधार पर नीचे दिया गया है:—

अभिकथित गलतबयानी संख्या 1

आरोप यह है **कि** "यह कहना सही नहीं है कि भाड़ा-खरीद कंपनियों ने भाड़ा-खरीद क्षतिपूर्ति बीमा यवस्था के लिये बीमा कम्पनियों को दरखवास्त की," और वास्तव में "न्यू इंडिया द्वारा पेश की गयी योजना से चुनिन्दा बीमा कम्पनियों को सहयोगी संस्था के सहमति प्रकट करने के बाद ही श्री जी०बी० कापडिया ने कुछ चुनिन्दा भाड़ा-खरीद कम्पनियों के साथ इस कारोबार में हाथ बटाने के लिए सम्पर्क स्थापित किया।"

रिकार्ड पर भाड़ा-खरीद कम्पनियों की जनवरी, 1971 में लिखी हुई चिट्ठियां मौजूद हैं जिनमें उन कम्पनियों ने जीपों सहित विभिन्न किस्म की गाड़ीयों की वित्त व्यवस्था के लिये भाड़ा-खरीद क्षतिपूर्ति बीमे की अतिरिक्त सुविधाओं के लिये प्रार्थना की है; ऐसा लगता है कि इसके पश्चात ही भारतीय बीमा कम्पनी संघ ने इस योजना को अन्तिम रूप दिया जो 21 जनवरी, 1971 को सभी सदस्य कम्पनियों के प्रमुख अधिकारियों को परिचालित की गई।

अभिकथित गलतबयानी संख्या 2

आरोप यह है कि "इस मामले में ग्रस्त कारोबार काफी बड़ा नहीं था और भारतीय बीमा कंपनी संघ ने इस योजना को अपने सभी सदस्यों के बीच परिचालित नहीं किया और दक्षिण भारत बीमा कम्पनियों को तथा लगभग सभी विदेशी बीमा कम्पनियों को जानबूझ कर योजना से बाहर रखा।"

पता चला है कि भाड़ा-खरीद कम्पनियों से लेन-देन की जो पूछताछ हुई थी उसके आधार पर कम्पनियों ने कोई 1000 के आसपास जीप-गाड़ियों की वित्तीय व्यवस्था की मांग का अनुमान लगाया था जिसमें कोई 1.6 करोड़ रुपये का भाड़ा-खरीद वित्त ग्रस्त होता था। इसके अलावा अपेक्षा थी जीप-गाड़ियों का प्रयोग गैर-व्यापारिक प्रयोजनार्थ किया जायेगा और यह अपेक्षा भी थी कि भाड़ा-खरीद सुविधाओं का लाभ ऐसे व्यक्तियों द्वारा उठाया जायेगा जो व्यापक क्षेत्र में फैले हुए थे। लगता है कि इन्हीं बातों पर से बीमा कम्पनियों ने यह निर्णय लेना जरूरी समझा कि बीमा व्यवस्था सहकारी बीमा आधार पर की जाये।

यह भी पता चला है कि भारतीय बीमा कम्पनी संघ ने अपने परिपत्र अपने सभी सदस्यों को भेजे, जिनमें दक्षिण भारत की कम्पनियां भी शामिल थीं। वस्तु स्थिति यह है कि दक्षिण भारत की एक कम्पनी ने इस योजना में भाग भी लिया। विदेशी कम्पनियों को परिपत्र इसलिये नहीं भेजे गए क्योंकि वे संघ की सदस्य नहीं थीं।

अभिकथित गलतबयानी संख्या 3

उत्तर में कहा गया था कि "पता चला है कि ये जीपें चार राजनीतिक दलों और कुछ स्वतंत्र उम्मीदवारों के प्रयोग के लिये भाड़ा-खरीद आधार पर खरीदी गयीं थीं ।" यह आरोप लगाया गया इस खरीद में केवल कांग्रेस पार्टी ग्रस्त हैं और अन्य कोई राजनीतिक दल ग्रस्त नहीं है ।

सरकार इस बात पर कायम है कि उत्तर रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर आधारित है ।

अभिकथित गलतबयानी संख्या 4

उत्तर में कहा गया था कि "कंसोरटियम ने मैसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड द्वारा बेची गयीं 548 जीपों के सम्बन्ध में हस्बमामूल तरीके से भाड़ा-खरीद क्षतिपूर्ति बीमा की व्यवस्था की ।" आरोप यह है कि यह कारोबार हस्बमामूल तरीके से नहीं किया गया था और सामान्य व्यापारिक सिद्धांतों और रिवाजों के अनुसार नहीं था ।

यह आरोप सही नहीं है । निर्माता ने तथा कंसोरटियम बनाने वाली बीमा कम्पनियों ने भी व्यापारिक सिद्धांतों और विराजों के अनुसार ही काम किया और उन्होंने अपना मूल्य आदि (charges) और प्राप्य भी बाकायदा वसूल किये थे । जहां तक बीमा कम्पनियों के व्यवहार का सम्बन्ध है, नोटिस में उल्लिखित मुद्दा संख्या (1) से (8) तक का उत्तर नीचे दिया गया है :—

(1) जैसा कि उत्तर में कहा गया है, (गाड़ियों के बीमे के लिये प्रपोजल फार्म के लिये आग्रह करना आवश्यक नहीं समझा गया, विशेषतः इसलिये कि इसमें निहित जोखिम मानक किस्म की थी । यहां यह उल्लेख कर दिया जाय कि यद्यपि रिवाज के तौर पर प्रपोजल फार्म लिये जाते हैं, परन्तु वे अनिवार्यतः प्रत्येक मामले में नहीं लिये जाते । प्रपोजल फार्म का मूल प्रयोजन है । जोखिम की किस्म और परिमाण का सही सही आंकना और देय प्रीमियम का ठीक-ठीक निर्धारण करना । प्रस्तुत मामले में जोखिम मानक किस्म की थी और प्रपोज़ल फार्म का आग्रह किये बिना ही प्रीमियम का पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता था ।

(2) अधिकांश भाड़ा-खरीद कम्पनियों को क्षतिपूर्ति बीमा सुविधाएं थीं ही, इसलिये नये प्रपोज़ल फार्म प्राप्त नहीं किये गये ।

(3) यह कहना सही नहीं है कि बीमा कम्पनियों की सहयोगी संस्था ने "सामान्य रूप से ली जाने वाली 25 प्रतिशत तत्काल अदायगी अधिकांश मामलों में प्राप्त नहीं की।" योजना में बीजक मूल्य और बिक्री-कर के न्यूनतम 20 प्रतिशत की तत्काल नकद अदायगी की व्यवस्था थी । पता चला है कि इस व्यवस्था का पालन किया गया था ।

(4) यह कारोबार भाड़ा-खरीद कम्पनियों की मार्फत मिला था, जिन्होंने एजेंटों के नाम दिये थे ।

(5) नोटिस में कहा गया है कि "क्षतिपूर्ति बीमा नोट जीप कारखानों में मौके पर कभी जारी नहीं किये जाते ।" इस मामले में यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राहकों की सुविधा के लिये किसी भी स्थान पर क्षतिपूर्ति बीमा नोट जारी करने पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है। क्षतिपूर्ति बीमा नोट सारे हिन्दुस्तान में क्षेत्रीय ट्रांस्पोर्ट अधिकारियों के दफ्तरों में भी जारी किये जाते हैं ।

(6) यह आरोप सही नहीं है कि "क्षतिपूर्ति बीमा नोटों पर इंजन का नम्बर और चेसिस का नम्बर दर्ज नहीं थे ।"

(7) योजना के अंग रूप में डी न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड कोई "प्रबंध व्यय" (हैंडलिंग चार्जिज) नहीं लेने के लिये सहमत हो गई थी।

(8) यह आरोप लगाया गया है कि भाड़ा-खरीद करारों की उन करारों की अनुसूची में उल्लिखित 12 से 18 महीने की पूरी अवधि के लिये नहीं चलने दिया। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भाड़ा-खरीद करारों को पूरी अधिकतम अवधि के लिये चलने देना अनिवार्य नहीं है।

अभिकथित गलतबयानी संख्या 5

उत्तर में कहा गया था कि कंसोरटियम ने भाड़ा-खरीद क्षतिपूर्ति बीमा के लिये प्राप्त सभी निवेदनों पर समुचित विचार किया था, परन्तु नोटिस में यह आरोप लगाया गया है कि इस संबंध में कोई लिखित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। यह पता चला है कि भाड़ा-खरीद क्षतिपूर्ति बीमा के लिये निवेदन लिखित रूप में प्राप्त हुए थे और उन पर बीमा कंपनियों ने सामान्य ढंग से ही कार्यवाही की और जहां आवश्यक था, प्रस्ताव को निदेशक बोर्ड को भी पेश किया।

जहां तक मोटर बीमा पत्र के लिये प्रपोजल फार्म का प्रश्न है, उनके लिये आग्रह नहीं करने के कारणों का उल्लेख अभिकथित गलतबयानी संख्या 4 के अन्तर्गत मुद्दा संख्या (1) में किया ही जा चुका है। माननीय सदस्य ने, एस सुब्रह्मण्यम बनाम हिन्दुस्तान जनरल इंश्योरेंस सोसायटी लिमिटेड के जिस मामले का जिक्र किया है उसका संबन्ध जोखिम के गलत विवरण देने से है जब कि प्रस्तुत मामले में जोखिम मानक किस्म की होने में ऐसी कोई संभावना नहीं थी।

अभिकथित गलतबयानी संख्या 6

माननीय सदस्य ने कहा है कि यद्यपि कारखानों से बाहर जाने वाली सभी मोटरगाड़ियों की जोखिम मानक किस्म की है, फिर भी हिन्दुस्तान में बीमा कंपनियां प्रापोजल फार्म के लिये आग्रह करती है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रपोजल फार्म कानूनी आवश्यकता नहीं है। बीमा कंपनियों जोखिम का अनुमान लगाने के लिये ही प्रपोजल फार्म मांगती है। प्रपोजल फार्म नहीं दिये जाने से बीमा कंपनियों को जोखिम का सही अनुमान लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई।

अभिकथित गलतबयानी संख्या 7

सरकार इस बात पर कायम है कि सरकार का यह कथन कि "इन पालिसियों के अधीन प्रीमियम प्रत्येक मामले में वसूल किये गये और बीमा कंपनियों को चुकाये गये" दुरुस्त है। मोटर बीमा पत्र के संबंध में प्रीमियम बीमा कंपनियों को मैसर्स महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा लिमिटेड से प्राप्त हुए थे जिन्होंने जाहिर है कि, प्रीमियम की वसूली गाड़ियों के बिक्री मूल्य के साथ की थी।

अभिकथित गलतबयानी संख्या 8

यह उत्तर में कहा ही जा चुका है कि किसी बीमा कंपनी ने कोई गाड़ी जब्त नहीं की थी, इस कारण बिक्री-कर की वसूली से बीमा कंपनियों का कोई संबंध नहीं था। इस प्रकार उनके द्वारा कोई अनियमितता नहीं हुई है।

4. यहां यह भी उल्लेख कर दिया जाय कि विचाराधीन लेन-देन प्राइवेट पार्टियों के बीच हुए थे और संबंधित बीमा कारोबार इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा, राष्ट्रीयकरण के पहले किया गया था (सरकार ने विविधि बीमा कारोबार करने वाली बीमा कंपनियों की प्रबंध व्यवस्था 13 माई 1971 को अपने हाथ में ली थी)। इसके अलावा यह भी पता चला है कि प्रस्तुत मामले में इस बीमा कारोबार से बीमा कंपनियों को कोई नुकसान नहीं हुआ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले
Matters Under Rule 377

एक दल्ली के बैंकों में करोड़ों रुपयों के चैकों का समाशोधन होना

प्रो० मधु दण्डवते (रंजापूर) : दिल्ली में क्लीयरिंग गृहों में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके परिणामस्वरूप विशेषकर बैंकिंग उद्योग के सामने गम्भीर संकट पैदा हो गया है । चैकों तथा अन्य प्रपत्रों को स्वीकार करने से इंकार किये जाने से 1,25,00,000 रुपये के चैक और प्रपत्रों को भुनाया नहीं जा सका है । ऐसी स्थिति केवल बैंक आफ बड़ौदा में ही है ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि विरोधी कार्मिक संघ संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण दिल्ली में क्लीयरिंग हाउस के कार्यकरण में बाधा उत्पन्न हो गई है । इस बारे में बैंकों के अनेक मैनेजरों ने भी शिकायत की है । विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक अनौपचारिक बैठक हुई थी । उन्होंने भी यह कहा है कि चूंकि बैंक आफ बड़ौदा कार्मिक संघ वैध रूप से स्वीकृत केवल एक माध्यम है । अतः क्लीयरिंग हाउस के मामाले में उसके प्रतिनिधि की आवाज होनी चाहिए।

बैंकिंग उद्योग को उक्त प्रतिस्पर्धा के कारण अस्तव्यस्त नहीं होने देना चाहिये।

वित्त मंत्री को स्थिति की गम्भीरता को समझना चाहिये और क्लीयरिंग हाउस के बारे में स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं वक्तव्य देने की बात मंत्री महोदय पर छोड़ता हूं । मैं उन्हें इसके लिये आदेश नहीं दे रहा हूं।

(दो) लोको रंनिंग कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के लिये भारतीय रक्षा नियमों का उपयोग

एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : मैं आपकी अनुमति से लोको कर्मचारियों की हड़ताल का मामला उठाना चाहता हूं । इस समय उनकी हड़ताल उत्तर और पश्चिम रेलवे तक ही सीमित है । यदि कर्मचारियों को भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाता है, तो अखिल भारतीय हड़ताल होने के सम्भावना है । हड़ताल का समर्थन अथवा विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं है । दुर्भाग्य से कर्मचारियों को दिये गये कुछ आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया है । लोको कर्मचारियों के नेता माननीय मंत्री से मिलने के लिए तैयार हैं । मुझे बताया गया है कि उनके विरुद्ध वारंट जारी किये गये हैं । यदि एक बार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो स्थिति बिगड़ जायेगी । दिल्ली में पहले ही गिरफ्तारियां आरम्भ हो गई हैं । प्रधान मंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये। रेल मंत्री को शीघ्र ही उनसे विचार-विमर्श करना चाहिये और इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिये।

यदि वह इस बात का आश्वासन देते हैं कि रेल भवन में बातचीत के लिये जाने पर नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा तो हम उनकी सहायता करने के लिये तैयार हैं । रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी से स्थिति और बिगड़ेगी । हम स्थिति में सुधार चाहते हैं । माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिये ।

श्रीज्योतिर्मय बसु (डायमंड हारबंर) : इंडियन एयर लाइंस में हड़ताल चल रही है, वेरेल में हड़ताल चल रही है, संचार और व्यवस्था त्रुटिपूर्ण होने के कारण डाक सेवा में भारी कमी की गई है । सरकार ने कड़ा परिश्रम करने वाले कर्मचारियों को नीचा दिखाया है यदि सरकार का रवैया कर्मचारियों के प्रति न्यायोचित होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती । रेल हड़ताल के कारण सब वस्तुओं के मूल्य और बढ़ेंगे।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
Re. Question of Privilege

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have submitted a privileged motion regarding shri Shamim's article—Hon. Members should not be arrested at the time when Lok Sabha is in session .

It is a very serious matter and I request the hon. Speaker to say something in this connection. That article is written in good humour I want to know whether you will not give any protection to the hon. Members?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा । यदि कोई पत्रकार, जो सदन् का सदस्य नहीं है, इस प्रकार का लेख लिखता है, तो क्या इन परिस्थितियों में उसे सदन से कोई सरक्षण मिलेगा ? श्री शमीम को तब तक संरक्षण प्राप्त है जब तक वह सदन में बोलते हैं । यदि वह सदन के बाहर कोई बात करते हैं तो उन्हें संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : चूंकि मैं विपक्षी दल का सदस्य हूं, सरकार मुझे गिरफ्तार करेगी । मैं राज्य सरकार पर बुरे इरादे का आरोप लगाता हूं । सरकार मुझे परेशान करने का प्रयास कर रही है । यदि आप इस लेख को पढ़ते हैं और इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरे विरुद्ध कार्यवाही बुरे इरादे से नहीं की गई है, तो मैं माफी मांगने के लिये तैयार हूं।

Mr. Speaker : First of all you write and speak outside and than ask for my protection.

श्री एस० ए० शमीम : आप उक्त लेख को पढ़ लें । मुझे गिरफ्तार होने का भय नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे पढ़ूंगा।

कोंकण यात्री पोत (अर्जन) विधेयक
Konkan Passenger Ships (Acquisition) Bill

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamlapati Tripathi) : Sir I beg to move :

"That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the Konkan passenger ships in order to serve better the needs of the maritime passengers of the Konkan coastal region and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

It is a very simple Bill. An Ordinance had been issued for acquisition of 'Konkan Sewak' and 'Sarita'—two Ships belonging to the Konkan Passenger Service and this Bill Sought to replace it.

The above mentioned Ships belonged to Chougule Company. That Compan wanted on increase of 40 per cent in the fares and had stopped the passenger service since September last. They said they would not resume the service till the Government took a decision is regard to the increase in fare. They informed on the 5th November that in case the matter was not decided immediately, they would close the service for ever and lay off the employees. Since their demand for 40 per cent increase in fare was not accepted by the Government as well as the people of Maharashtra, it could not be accepted.

The local people are facing great difficulty as the company is not prepared to resume the service. They Government issued an ordinance, on 7th November to acquire two ships which are handed over to Moghul Lines which was a public sector comapny and it was plying them since 14 November. The new C mpany has been allowed to raise the fares by 30 per cent and it is reported that they are running the service quite satisfactorily.

There is a provision in the Bill for compensation to chougule Company. Rs. 90 lakhs will be paid by way of the cost of the two ships and Rs. 8 lakhs will be paid for the survey expenses incurred by the company. So there is nothing controversial in the Bill and the House should accept it.

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। "कि कोंकण तटीय प्रदेश के समुद्रीय यात्रियों की आवश्यकता की और अच्छी प्रकार से पूर्ति के लिए कोंकण यात्री पोतों का अर्जन और अन्तरण करने का तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं कोंकण यात्री सेवा के अर्जन का स्वागत करता हूं लेकिन इसके साथ ही जिस ढंग से यह समस्या हल की गई है मैं उसकी आलोचना करता हूं। मानीय मंत्री ने चौगुले स्टीमशिप को हुए घाटे के बारे में वक्तव्य दिया था और इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े भी सभा में रखे थे। लेकिन चौगुले स्टीमशिप को यह घाटा केवल यात्री सेवा से हुआ है कम्पनी माल सेवा भी चला रही थी और उससे उसे वास्तव में काफी लाभ हुआ है। चौगुले स्टीमशिप को केन्द्रीय सरकार द्वारा 90 प्रतिशत ऋण दिया गया है। इसमें यात्रा सेवा से हुआ घाटा अलग से दिखाया गया है लेकिन माल सेवा से हुए लाभ को नहीं दिखाया है। अतः उसकी यह तीव्र इच्छा थी कि सरकार कम्पनी को अपने नियंत्रण में ले ले जिससे वह यात्री सेवा से छुटकारा पा जाये। इसके बावजूद यात्री सेवा को नियंत्रण में नहीं लिया गया है।

जनता की तीन मांगें हैं। उसकी पहली मांग यह है कि सरकार को यात्री सेवा को अपने नियंत्रण में लेना चाहिये। दूसरे, इसको सरकार द्वारा नियंत्रण में लेने के बाद इसके भाड़े में वृद्धि नहीं की जानी चाहिये। तीसरे कोंकण तट पर बन्द की गई सेवा को पुनः चालू किया जाना चाहिये।

7 नवम्बर को एक अध्यादेश जारी कर यात्री सेवा सरकार ने अपने नियंत्रण में ले ली। 14 नवम्बर को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई जिसमें सरकारी क्षेत्र में स्थित मुगल लाइन्स कम्पनी के किराये में 30 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी गई है।

चौगुले स्टीमशिप कम्पनी ने भाड़े में 40 प्रतिशत वृद्धि की मांग की है। सरकार ने कम्पनी को नियंत्रण में लेने के बाद अधिसूचना जारी कर यात्री भाड़े में 30 प्रतिशत वृद्धि की है।

सरकार ने श्री बावे की अध्यक्षता में इस बारे में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने भाड़े में केवल 20 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। लेकिन सरकार ने अधिसूचना द्वारा भाड़े में 30 प्रतिशत वृद्धि की है।

चौगुले कम्पनी के विरुद्ध हमारी शिकायत यह है कि यह कम्पनी माल और यात्री सेवा के बीच हानि और लाभ का अलग-अलग हिसाब रखती है और हम इस का एक हिसाब रखना चाहते हैं। हमारा यही आरोप वर्तमान कम्पनी के विरुद्ध भी है।

आठ करोड़ रुपए शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया का गत वर्ष का लाभ था। हर वर्ष लाभ बढ़ते रहे हैं। यदि माल भाड़े को यात्री भाड़े से जोड़ दिया जाये तो घाटे समाप्त हो जायेंगे।

सरकारी क्षेत्र को लाभ की दृष्टि से नहीं अपितु जन-हित दृष्टि से चलाना चाहिये।

कोंकण पिछड़ा क्षेत्र है जिसमें रेलवे लाइन भी नहीं ह। उनके आर्थिक विकास की ओर वही ध्यान देने की आवश्यकता है।

मालवन जैसे अनेकों हिस्सों को जो कि कुछ समय से इसके अंतर्गत नहीं आते थे, अब नयी अनुसूचियों में सम्मिलित किया गया है । नयी योजना में बृहत और लघु ज्वार भाटे सम्बन्धी समय पृथक पृथक हैं । महाराष्ट्र के एक भूतपूर्व विधायक ने यह रचनात्मक प्रस्ताव रखा था कि पणजी जाने वाले मुगल लाइन के सभी पोतों को राजकोट की खाड़ी में ठहरना चाहिये। वहां से मालवन तक एक लघु नौका सेवा आरम्भ की जानी चाहिए । इस प्रस्ताव को कार्यरूप देने से छोटे पत्तनों को बड़े पत्तनों से जोड़ा जा सकता है ।

यह बात समझ में नहीं आती कि महाराष्ट्र सरकार ने केवल कोंकण सेवा के लिये ही 'न हानि न लाभ' प्रथा आरम्भ की है । यह सिद्धान्त माल तथा यात्री दोनों सेवाओं के लिये लागू किया जाना चाहिए।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I support this Bill aiming at acquiring of two ships belonging to Chougule company. That company wanted to increase the fare by 40 per cent It is however, not understood as to why the Government has allowed the company to increase fare by 30 per cent. This increase in fare would put a heavy burden on the poor. I, therefore, oppose the proposal to raise the fare.

The Bill does not contain any thing reagrding outstanding dues of the employee. There is, however, provision for the payment of compensation amounting to 1390 lakh to the company which has suspended the service without any consideration of the inconvenience it would cause to the people. At least the Government should have recovered the dues of the employees.

In the other parts of the company where such companies were operating have also various irregularities. The government should take over all such companies.

श्री शंकर राव सावंत (कोलाबा) : इस विधेयक को शीघ्र लाने के लिये मैं नौवहन मन्त्री तथा भूतपूव नौवहन मंत्री श्री राज बहादुर जी को भी बधाई देता हूँ।

कोंकण पिछड़ा क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र का तटीय भाग है । वहाँ रेल नहीं है । अतएव लोगों को जल-यानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

पहले सिंधिया नेवीगेशन कम्पनी जहाज चलाती थी किन्तु उनकी सेवाएं नितान्त अनियमित थी अतएव जनता ने उनका विरोध किया । तब चौगुले कम्पनी आयी किन्तु अब उसकी सेवाएं भी अनियमित हो गई हैं।

चौगुले कम्पनी यात्री सेवा के साथ माल सेवा भी चलाती है । उन दोनों सेवाओं को जोड़ कर देखा जाये कि क्या उक्त कम्पनी 'न हानि न लाभ' पर यह सेवाएं चलाती है । परन्तु वस्तुथिति यह है कि यह कम्पनी यात्री सेवाओं का अलग हिसाब करती है और उसी आधार पर किराये में वृद्धि की मांग की गई है।

यात्री सेवा को अधिकार में लेना अच्छी शुरुआत है । परन्तु माल सेवाओं को भी अधिकार में लेने की आवश्यकता है ताकि लोगों को राहत मिल सके ।

कोंकण लाइन में कुछ पत्तनों में कीचड़ भर गया है । जिसके कारण वहां पर बड़े बड़े पोत नहीं जा पाते । कीचड़ निकालने के कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाये ताकि वहां पर बड़े बड़े जलपोत भी जा सकें।

श्री अनन्त राव पाटिल (रवेड़) : मैं चौगुले कम्पनी को अधिकार में लिये जाने का स्वागत करता हूं । इस कम्पनी ने यात्री किराये में 42 प्रतिशत वृद्धि का अनुरोध किया था । अभी वार्ता चल रही थी कि कम्पनी ने सूचित किया कि वें दो जहाजों की सेवा बन्द कर रहे हैं । इस कार्यवाही से जनता को बहुत असुविधा हुई । ऐसी दशा में सरकार का यह निर्णय कि उक्त सेवा को मुगल लाइन्स को सौंप दिया जाये, उचित ही है ।

अब सरकार ने मुगल लाइन्स को किराये में 30 प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति दी है । जब भावे समिति ने 20 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की, चौगुले कम्पनी ने 42 प्रतिशत वृद्धि की मांग की तब सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया । अब 30 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी गई है । इससे स्पष्ट है कि सेवा चलाने की लागत में वृद्धि हुई है ।

कोंकण लाइन पर पत्तनों का विकास नहीं हुआ है । चौगुले कम्पनी के समय जो त्रुटियां थीं वह अब भी बनी हुई हैं । बंबई तथा पणजी के बीच बहुत से पत्तनों पर जहाज नहीं जा सकते क्योंकि वहां से पिछले 20 वर्ष में कीचड़ नहीं निकाला गया । यदि सरकार तटीय क्षेत्र का सुधार करना चाहती है, तो पत्तनों का विकास किया जाये और अन्य सुविधाएं दी जायें।

यदि महाराष्ट्र सरकार इस सेवा को 'न लाभ न हानि' के आधार पर चलाना चाहती है, तो उन्हें तटीय सेवा में सुधार करना चाहिए। परन्तु अन्य सरकारी उपक्रमों जैसे रेलवे, इण्डियन एयरलाइन्स कुशल, नियमित और विश्वसनीय है । सरकार को ऐसा यत्न करना चाहिए कि मुगल लाइन्स तटीय सेवा संतोषजनक ढंग से चलाये ।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shejapur) : The plea advanced by the hon. Minister for taking over of the service is that it has been done to run it efficiently, But some hon. Members of the treasury benches have stated that there has been no improvement in the service.

The government have developed the habit of resorting to ordinances, which is not proper. This matter was pending with the Parliament since long and the Parliament was to meet very shortly. Just five days before the start of Parliament session, this ordinance was promulgated. We want to strongly oppose this practice.

So far as the fare like is concerned, the Bhave Committee had recommended 20 per cent increase. But why has the government allowed an increase in fares by 30 per cent. Was it done due to certain political considerations?

It is not enough that the service be run under a new name. The government should all the same ensure that it is run efficiently.

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। कोंकण सेवा को सरकारी अधिकार में लेने के मामले में बहुत विलम्ब किया गया है । इस सेवा के तीन माह बंद रहने से लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था ।

महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है । केन्द्रीय सरकार ने रत्नगिरि को पिछड़ा क्षेत्र स्वीकार किया है तथा उसमें प्रारम्भिक अवधि में नये उद्योग स्थापित करने के लिये कुछ रियायतें दी हैं । इस क्षेत्र में रेलें बिल्कुल नहीं हैं ।

केवल नौवहन सुविधा प्राप्त इस क्षेत्र में अब शिपिंग कारपोरेशन यह सेवा चलायेगा किन्तु यह सेवा केवल बड़े बड़े पत्तनों तक के लिये उपलब्ध होगी । परन्तु कोंकण क्षेत्र छोटे छोटे पत्तनों का क्षेत्र

है । मंत्री महोदय द्वारा इस बात का यत्न किया जाना चाहिए कि इन पत्तनों को एक वर्ष के भीतर ही उपयोग लायक बनाया जाये । बड़े जहाजों के लंगर डालने के लिये इन पत्तनों का विकास किया जाना चाहिए।

* श्री **अजीत कुमार साहा** (विष्णुपुर) : कोंकण यात्री जहाज सेवा को हाथ में लेने से संम्बधित विधेयक का समर्थन करते हुए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार केवल यात्री सेवा को ही हाथ में लेकर इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती । अतः यह आवश्यक है कि वह यात्री तथा माल सेवा दोनों को अपने हाथ में ले ।

कोंकण एक पिछड़ा क्षेत्र है । परिवहन के सभी साधनों में से जल परिवहन सस्ता है परन्तु हमें पता चला है कि 14 नवम्बर को इस सवा के अधिग्रहण के तुरन्त बाद यात्री किराये में एक अधिसूचना के माध्यम से 30 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई । इससे समाज के निर्धन वर्ग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इस कंम्पनी को 90 लाख रुपये दिये जाएंगें । जिस कम्पनी ने इतना अधिक मुनाफा कमाया है उसे यह राशि देने के कारण क्या हैं ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस कम्पनी को हाथ में लेने से पूर्व श्रमिकों को कुल कितनी राशि दी जानी थी और क्या 90 लाख रुपये देने से पहले सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक मजदूर की देय राशि दी जाये और प्रत्येक श्रमिक को उसका अंश मिले ।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कोई भी श्रमिक बेकार न होने पाये। उन्हें काम पर लगाया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आज शाम को होने वाली आधे घंटे की चर्चा स्थगित कर दी जाय ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : इसे शनिवार को ले लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अभी तक पता नहीं है।

श्री बी० वी० नायक

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री **बी० वी० नायक** (कनारा) : जहां तक संम्भव हो कोंकण नाम यथाशीघ्र बदला जाना चाहिये। यह समूचे पश्चिमी तट पर लागू होता है ।

श्री चौगूले जो जहाजरानी के बहुत बड़े व्यापारी हैं, ने एक लेख में कहा है कि गत दस वर्षों से भारतीय तटीय नौवहन की हालत बहुत खराब रही है तटीय नौवहन का टन भार चार लाख टन से कम होकर 2 1/2 लाख टन हो गया ।

श्री मधु दण्डवंते और महाराष्ट्र के मेरे अन्य सहयोगी श्री चौगुले की इस कम्पनी के सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाने पर अत्यंत संतुष्ट हैं ताकि सेवाएं पुनः आरम्भ की जा सके। मैं नौवहन मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि अब जब इस यातायात का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है तो बम्बई

* बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

से कोचीन के बीच जैसी सेवा 1960 में थी उसी प्रकार की सेवा पुनः आरम्भ की जाये और सभी महत्वपूर्ण पत्तनों पर जहाज जाने चाहियें ताकि लोगों को लाभ मिल सके। दूसरी बात यह है कि इस सेवा के लिये यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी यह सेवा जो अब तक अलाभकारी थी वह लाभकारी हो जायेगी।

मुगल लाइन्स लिमिटेड के कार्यकरण की कटु आलोचना की गई है।

माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि 1966 से मुगल लाइन्स का लाभांश बढ़ता रहा है। उसने श्रमिकों के लिये 1968 में 20 प्रतिशत बोनस की घोषणा की थी।

क्या मंत्री महोदय के लिये यह संम्भव होगा कि वह अपने जहाजरानी निगम से इस देश की जहाजरानी सम्बन्धी समुची आवश्यकताएं पूरी कर सकेंगे ?

इसका क्या कारण है कि चौगुले के प्रबन्ध को 2½ या 3 महीने तक संदिग्ध अवस्था में रखा गया ?

मैं समझता हूं कि निदेशक बोर्ड में बड़े व्यापारी हैं परन्तु इन विशेष उद्योगों में उपभोक्ताओं तथा श्रमिकों के हितों को संरक्षण मिलना चाहिए। जहाजरानी बोर्ड की तटीय उप-समिति कुछ निष्कर्ष निकालेगी। मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में इस देश में तटीय जहाजरानी की सबसे बड़ी समस्या जहाजरानी, रेल, तथा सड़क परिहन में ताल-मेल बैठाने की होगी। इसे रेल सेवा से प्रतियोगिता करना पड़ रही है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस कार्य को करें।

श्री एच० एम० पटेल : (ढंढ़ुका) जो राशि दी जा रही है वह अपर्याप्त है। 90 लाख रुपये की राशि बहुत कम है। इस मामले में और अधिक राशि दी जानी चाहिये क्योंकि इसका कार्य संचालन अकुशल ढ़ग से नहीं चल रहा था और यह आरोप गलत है कि इसका कार्य अकुशल ढ़ंग से चल रहा था और यह आरोप गलत है कि इसका कार्य अकुशल ढंग से चल रहा था कम्पनी द्वारा किराया बढ़ाये जाने से पूर्व इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया था। किराया बढ़ाने की उनकी मांग को पहले उचित माना गया था। सरकारी समिति ने भी कहा था कि 20 से 25 प्रनिशत तक वृद्धि उचित है। सरकार उस पर सहमत नहीं हुई थी। परन्तु उसे सरकारी नियंत्रण में लेने के तुरंत बाद किराये में 30 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई। सरकार को समिति के निष्कर्ष स्वीकार करवे चाहिएं थे। ऐसा नहीं किया गया।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : उसे सेवा बन्द करने को किसने कहा।

श्री एच० एम० पटेल : जब कम्पनी को अत्याधिक घाटा हो रहा हो तो उससे सेवा चालू रखने की आशा नहीं की जा सकती। भाड़े में वृधि की गई है परन्तु जैसाकि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया है, यह कम्पनी जिस क्षेत्र में जहाज चलाती है वह पिछाड़ा क्षेत्र है अतः वहां किराया कम रखा जाना चाहिये था। प्रत्येक पहलु से यह अच्छा होता यदि किराया कम रखने का प्रयत्न किया जाता। यदि इस कम्पनी को राज सहायता दी जाये तब देखना चाहिये कि इसका कार्य ठीक है अथवा नहीं।

माल सेवा से कमाये गये लाभ से यात्री सेवा चलाने में होने वाले घाटे को पूरा करना अकुशलता को छिपाने का बहुत बढ़िया तरीका है हर बार किराया बढ़ाना तो आवश्यक होगा परन्तु भविष्य में किसी भी वृद्धि पर लोग असंतोष प्रकट करेंगी। इसके लिये सीधा उपाय यह है कि मुगल लाइन्स को खुली राज सहायता दी जानी चाहिये। यदि सरकार संसद के सत्र की प्रतीक्षा करती तो क्या बिगड़ जाता।

श्री एस० एल० पेजे (रत्नागिरि) : कोंकण तटीय सेवा का राष्ट्रीयकरण करने के लिये मंत्री महोदय को मैं बधाई देता हूं। जनता दस वर्षों से इस सेवा के राष्टीयकरण की मांग कर रही थी चौगुले कम्पनी की सेवा

53 LSS/73—11

अनियमित थी और समय की पाबन्द नहीं थी । दूसरे, चौगुले कम्पनी ने यह सेवा अपने अधिकार में लेते समय महाराष्ट्र सरकार को आश्वासन दिया कि वह किराया में वृद्धि नहीं करेगी ।

10–12 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने किराये में 15 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की । परन्तु भारत सरकार ने 7 प्रतिशत वृद्धि पर सहमति प्रकट की । महाराष्ट्र सरकार ने भावे समिति नियुक्त की जिसने 20 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की । महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध किया क्योंकि कोंकण में जनता यह मांग कर रही थी कि इस सेवा का राष्ट्रीयकरण किराये में वृद्धि किए बिना किया जाये।

सरकार ने इस कम्पनी को अपने हाथ में लेने के दो कारण बताये है । एक तो यह कि इस सेवा में समय की पाबन्दी नही थी परन्तु इसके लिये इस सेवा के संचालक के हाथ में सब कुछ नहीं है, यह बात ज्वार के बहाव पर निर्भर करती है । छोटे पत्तनों की उपेक्षा की जाती रही है । इनकी देख-रेख महाराष्ट्र सरकार पर छोड़ दी गई है । राज्य सरकार ने इन पत्तनों के विकास के लिये पर्याप्त धन नहीं दिया है। सरकार को चाहिये कि इन छोटे छोटे पत्तनों को अपने अधिकार में लेकर उनमें उचित सुधार करे । यदि उन्हें राज्य सरकार को सौंप दिया जाये तो राज्य सरकार को पर्याप्त धन दिया जाना चाहिये।

हाल ही में समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है कि मुगल लाइन्स ने एक वर्ष के बच्चे का भी किराया लेना शुरू कर दिया । चौगुले कम्पनी तीन वर्ष के बच्चों का किराया लेती रही थी । मंत्री महोदय यह पता लगायें कि यह सही है या नहीं ।

छात्रों को सीजनल रियायत दी जानी चाहिए ।

यात्रियों के कल्याण की देखभाल के लिये सलाहकार समिति बनाई जानी चाहिये ।

चौगुले कम्पनी में काम करने वाले कर्मचारियों को मुगल लाइन्स में स्थानान्तरित कर दिया गया है । उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए ।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर पूर्व): इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सेवा को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना आवश्यक था । सरकार ने अच्छा निर्णय किया है । इस राष्ट्रीयकृत सेवा के कार्य-करण के साथ साथ प्रबन्ध के ढांचे में परिवर्तन किया जाना चाहिये था।

चौगुले यात्री किराये में 42 प्रतिशत वृद्धि चाहता था जबकि सरकार ने 30 प्रतिशत की स्वीकृति दी । भावे समति ने केवल 20 प्रतिशत की सिफारिश की थी । चौगुले सर्विस विश्वासनीय नही थी। लोग जाना चाहते है कि क्या राष्ट्रीकृत सेवा विश्वसनीय तथा समय के अनुसार चलने वाली होगी ? सरकार को पत्तन विकास का कार्यक्रम चलाना चाहिये अन्यथा सेवा की अनियमितता जारी रहेगी । जब कभी भी यात्री किराये में वृद्धि की जाये तो प्रबन्ध से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जाना चाहिये। मंत्री महोदय सदन को यह बताये कि ऐसा क्यों किया गया ? ऐसे कामों के लिये एक समेकित योजना होनी चाहिये। सरकार को किराया न बढ़ाये बिना इस कम्पनी को चलाने का प्रयत्न करना चाहिये था। सरकार को छोटे पत्तनों के विकास का कार्यक्रम भी हाथ में लेना चाहिये।

श्री नरेंद्र कुमार साल्वे (बेतूल) : जहां तक मैं समझ पाया हूं इस लाइन को चौगुले चला रहे थे । उन्हें बाद में ज्ञात हुआ कि यह घाटे में चल रही है । वास्तव में कार्यकुशल प्रबन्ध के लिये विभागीय लेखा परीक्षण की व्यवस्था का होना जरुरी है आपका यह पता रहना चाहिये कि आपको कितना लाभ तथा कितनी हानि हो रही है ।

लाभ अथवा हानि का पता लगाने के बाद क्या इस सर्विस को चलाने की जिम्मेवारी चौगुले की नहीं है ? उन द्वारा इन सेवाओं को समाप्त करना क्या उचित था ? यदि सरकार ने किराय में वृद्धि की मांग के बारे में कोई देरी भी की थी तो भी उन्हें तीन महीने छः महीने अथवा एक वर्ष का नोटिस देना चाहिये था कि इसके बाद सर्विस को घाटे पर नहीं चलाया जायेगा ।

श्री एच० एम० पटेल : उन्होंने नोटिस दिया ।

श्री नरेंद्र कुमार साल्वे : लेकिन यात्रियों को असुविधायें पहुंचाना कहा तक उचित है। वहां के यात्री कैसे आयेंगे अथवा जायेंगे क्योंकि एक मात्र सर्विस जो वहां थी बंद हो गयी ?

मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार को इस पर तुरंत निर्णय लेना चाहिये था। लेकिन उन्हें तो सर्विस जारी रखनी चाहिये थी ।

जो कुछ मैंने कहा वह चौगुले पर ही नहीं बल्कि मुगल लाइन्स अथवा शिपिंग कार्पोरेशन आॅफ इंडिया पर भी लागू होता है ।

मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि यह कहें कि सरकार को बिना मुआवज़े दिये किसी नागरिक की सम्पत्ति कब्जे में लेनी चाहिये। मैं समझता हूं कि जहाजों के रहन की बकाया राशि पर्याप्त मुआवजा होगा और यही बात समाप्त हो जायेगी ।

मैं अपने दल के सहयोगियों द्वारा सर्विस को पश्चिमी तट के छोटे पत्तनों तक बढ़ाने सम्बन्धी सच्ची मांग का समर्थन करता हूं ।

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamlapati Tripathi) : I am thankful to the hon. Members who have supported the take over of chowgules passenger service. The suggestion that minor ports be developed is worth considering but it is the responsibility of the states to take steps for their development. The central Government allocated some funds to the states for their development. In fact, coastal shipping cannot make any remarkable progress unless the minor ports are properly developed. Government will certainly clear it in mind.

It is correct that Chaugales got 25 crores of rupees from insurance companies but that can not be the basis for payment of compensation. The sanctioned compensation has been fixed after careful study and it is not a big compensation.

Shri Jyotirmoy Bosu : I think it is too much.

श्री कमलापति त्रिपाठी : आपका मतलब मुआवज़े से है, जो दिया जा रहा है । इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप इस बारे में एक तारांकित प्रश्न पूछें। मैं सारी सूचना दे दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस समस्या को समझने में आपकी सहायता करना चाहता हूं।

Shri Kamlapati Tripathi : As regard fare, an increase of 20 per cent has already been recommended but taking into consideration the increased fuel cost, maintanance cost, etc. another 10 per cent has been added to it chaagules gave an ultimatum that if the fares are not increased by 42 per cent, they will stop the operation of passenger service. In fact, the fares were increased in the previous year also. It was unfair on their part to suspend the service. Therefore, there was no alternative after then taking over this service.

They were asked to conduct the servey for which compensation of Rs. 8 lacs was paid.

Shri Joytirmoy Bosu : Why was so much expenditure incurred on survey?

Shri Kamlapati Tripathi : You have provided me with so much knowledge (*Interrupteаrs*)

Shri Madhu Dandavate : Fare was increased by 30 per cent without taking the parliament into confidence.

Shri Kamlapati Tripathi : Ordinance was issued to fulfil the constitutional requirements in order to take over this service.

मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि बिल को पास किया जाये।

श्री मधु दण्डवते : 14 तारीख को अधिसूचना जारी करके इस सदन को किराये वृद्धि पर चर्चा करने से वंचित किया गया। गोआ सरकार को इसके बारे क्यों नहीं पूछा गया ? क्या ईसके कारण यह है कि गोआ सरकार गैर-कांग्रेसी सरकार है जबकि महाराष्ट्र सरकार कांग्रेसी सरकार है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : आपने कहा है कि गोआ सरकार को क्यों नहीं पूछा गया क्योंकि वह एक गैर-कांग्रेसी सरकार है और महाराष्ट्र सरकार को पूछा गया क्योंकि यह कांग्रेसी सरकार है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सीधा प्रश्न यह है कि गोआ सरकार को पूछा गया है या नहीं यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री ज्योतिमय बसु: यदि गोआ सरकार को नहीं पूछा गया तो इसके क्या कारण हैं ? सरकार किरांया बढ़ाकर गरीबों पर अधिक भार क्यों डाल रही है ?

Shri Kamlapati Tripathi : It was not felt necessary to consult the Goa Government because there was no demand from this Government for taking it over.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कोंकण तटीय प्रदेश के समुद्रीय यात्रियों की आवश्यकता की ओर अच्छी प्रकार से पूर्ति के लिए कोंकण यात्री पोतों का अर्जन और अन्तरण करने का तथा उनसे सम्बधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि खंड 2 से 6 विधेयक के अंग बने".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

खंड 7

श्री मधु **दण्डवते :** मैं अपना संशोधन संख्या प्रस्तुत करता हूं ।

मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि कोंकण पैसेन्जर शिप्स के बारे में कम्पनी पहले के दायित्व के लिये स्वंय जिम्मेवार होगी लेकिन शर्त यह है कि इसका कम्पनी के कर्मचारियों के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

Shri Kamlapati Tripahti : Their facilities and rights will continue. Their interets stand protected. Therefore this amendment is not necessary.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रो० मधु दण्डवते का संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill

खण्ड 8 से 20, खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिये गये ।

Clauses 8 to 20, clause 1, the enacting formula, the preamble and the Title were added to the Bill.

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :
"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ
"कि विधेयक को पारित किया जाये" ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मंत्री महोदय ने बड़ी कुशलता से सभा को परि सम्पत्तियों की लागत और मुआवजे आदि की जानकारी से वंचित रखा है । मैंने किरायों में 30 प्रतिशत की वृद्धि के बारे में कई बार प्रश्न उठाये हैं ।

विभिन्न रेलवे लाइनों पर टिकटों की बिक्री से सरकार को उतनी भी धनराशि प्राप्त नहीं होती जितनी रेलगाड़ियां चलाये जाने पर होने वाले खर्च के बराबर हो । । केन्द्रीय सरकार द्वारा गोआ सरकार से वहां की स्टीमर लाइन के बारे में कोई विचार विमर्श न किया जाना उस सरकार की उपेक्षा किया जाना है । यदि मंत्री महोदय ने भी भारतीय रेल विभाग की नीतियों का ही अनुसरण किया होता तो उन्हें 30 प्रतिशत की यह वृद्धि करने में संकोच हुआ होता । मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिये कि किराये में इस असामान्य वृद्धि से समाज की गरीब जनता पर भारी बोझ पड़ेगा ।

हमने उनके इस आश्वासन को भी सुना है कि इस लाइन पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को डायरेक्टरों आदि को छोड़ कर शीघ्र ही रोजगार दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि अन्य वक्ताओं अथवा अपनी किसी बात को बार बार न कहा जाए । तीस प्रतिशत के बारे में अनेक बार कहा जा चुका है ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I am glad that the government has taken over this company. I don't want to say anything regarding the past poor performance of this company because it would not serve any purpose. If some relief can be given to the passengers he should consider over it. I hope the hon. Minister would fulfil the assurance given by him in regard to the adoption of the employees of this company. I suggest that certain other shipping companies should also be taken over by the government.

उपाध्यक्ष महोदाय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1971-72

तथा

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1973-74

Demands for Excess Grants (General) 1971-72

and

Supplementary Demands for grants (General) 1973-74

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) तथा अनुदानों की अनुपूरक मागों (सामान्य) पर साथ-साथ चर्चा की जाएगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डाइमंड हार्बर) : सरकार ने पुनः भारी राशि की मांग की है। मैं भारतीय खाद्य निगम का हवाला देना चाहता हूं। पृष्ठ चार पर कहा गया है कि विश्व बाजार में गेंहूं के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। इसके अतिरिक्त मूल्यों में वृद्धि के कारण आंतरिक वसूली लागत में भी वृद्धि हो गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मेरा यह कथन सच नहीं है कि गेंहूं की उत्पादन लागत कभी 50 रुपया प्रति क्विटल से अधिक नहीं रही।

भारतीय खाद्य निगम के बारे में सार्वजनकि उपक्रमों संम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि गेंहूं पर कुल ऊपरी खर्च 10.26 रुपया प्रति क्विटंल के हिसाब में आता है। पृष्ठ 25 पर कहा गया है कि पहली अप्रैल, 1967 से आयात किये गये गेंहूं पर 2.18 रुपया प्रति क्विटल के हिसाब से कुल ऊपरी खर्च हुआ है जबकि देश में वसूल किये गये गेंहू पर 9.15 रुपया प्रति क्विटल के हिसाब से खर्च हुआ है।

पृष्ठ 29 पर कहा गया है कि सरकार ने इस के उत्तर में कहा है कि भारतीय खाद्य निगम की वसूली और वितरण प्रणाली की जांच करने के लिये नियुक्त की गई उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण समस्या को शीघ्रता से न सुलझाए जाने के क्या कारण हैं तथा सभा को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है।

जहां तक भारतीय खाद्य निगम को राज्य सहायता के रूप में दी गई राशि का सम्बन्ध है उसमें प्रतिवर्ष भारी वृद्धि होती जा रही है। यह राशि, अब मांगी गई राशि सहित 366.92 करोड़ रुपये हो जाती है। सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में उस बात पर खेद व्यक्त किया है कि सरकार ने उक्त उच्चस्तरीय समिति नियुक्त करने में बहुत विलम्ब कर दिया। समिति ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया है कि निगम भाण्डागारों के बारे में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने में असफल रहा है तथा भारी मात्रा में खाद्यान्न अब भी खुले स्थानों पर पड़ा रहता है जिसमें उसकी चोरी होने तथा उसके खराब होने की आशंका रहती है।

भारतीय खाद्य निगम के वसूली सम्बन्धी कार्यकरण में कोई सुधार नहीं हुआ है । पश्चिम बंगाल में खरीफ की फसल पर केवल 1,000 टन खाद्यान्न वसूल किया गया है । सरकार ने बड़े-बड़े दावे किये हैं जिनमें कोई सार नहीं है । रिजर्व बैंक की वर्ष 1972–73 की रिपोर्ट में लोक वितरण में प्रगति के बारे में दिये गये आंकड़ों में कोई सचाई नहीं है । क्या कोई माननीय सदस्य यह स्वीकार करने को तैयार है कि क्या किसी भी भारतवासी का आज प्रतिदिन 464 ग्राम अनाज उपलब्ध है ? जैसा कि सरकार ने दावा किया है ।

भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्न वसूली अनिश्चित रही है । जहां तक चावल की वसूली का सम्बन्ध है 1970–71 यह 2112 हजार टन थी और 1971-72 में यह 2026 हजार टन हो गई । यही स्थिति गेंहूं के बारे में रही है । भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार और कदाचार किये जाने के समाचार भी मिले हैं । यह भी सुना है कि इसमें श्री इकबाल सिंह और एक भूतपूर्व मंत्री का भी हाथ था। इन बातों को देखते हुए भी सरकार अतिरिक्त राशि की मांग करती है।

उत्तर प्रदेश में (वर्ष 1971–72 और 1972–73) विभिन्न क्षेत्रों में चीनी बनानेवाली कम्पनियों के लाभ में वृद्धि हुई है । वर्ष 1971–72 में 8.4 प्रतिशत लाभ था जो वर्ष 1972–73 में 17.9 प्रतिशत हो गया । दक्षिण क्षेत्रों में भी वर्ष 1972-73 में लाभ 25.6 प्रतिशत हो गया जबकि वर्ष 1971-72 में 15.2 प्रतिशत था । चीनी मूल आवश्यकता की वस्तु है इसलिये हम चाहते है कि भारतीय खाद्य निगम इस देश में चीनी का वितरण अपने हाथ में ले ।

"न्यु स्टेटसमैन" में एक बहुत ही निराशाजनक लेख छपा है । उसमें लिखा है कि भारत एक बहुत बड़ा चोर बाजार बन गया है अर्थात् केवल चोरबाजार में ही अनाज खरीदा जा सकता है । क्या भारतीय खाद्य निगम शासक दल का खिलौना मात्र रह गया है ? क्या उसका उद्देश्य बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हितों का संरक्षण करना है ? पश्चिम बंगाल में चोकर कांड हुआ था । यह चोकर भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किये गये गेंहूं से निकाला गया था । पश्चिम बंगाल के तत्कालीन खाद्य मंत्री श्री काशी कान्त मैत्रा ने कहा था कि इस कांड की न्यायिक जांच की जानी चाहिये। परन्तु इस मामले में मुख्य मंत्री का हाथ होने के कारण न्यायिक जांच नहीं की जा रही है, हम मांग करते हैं कि चोकर कांड की पूरी-पूरी जांच की जाये इस मामले को पुलिस को सौंप देने मात्र से संतोष नहीं कर लेना चाहिये क्योंकि पुलिस सरकार का ही पक्ष लेगी । यह कहा गया है कि कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है परन्तु हम पूछना चाहते है कि कांग्रेस दल के सम्बन्धित विधायकों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया ?

भारतीय वस्त्र निगम में भी जबरदस्त घोटाला हुआ है । इस उद्योग के बड़े-बड़े सेठों ने शासक दल के लिये काफी बड़ी धन राशि दी है और शासक दल ने उन्हें मूल्यों में 30 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुमति दे दी । सूति वस्त्र उद्योग को अभूतपूर्व लाभ हुआ है । सूती कपड़ा मिलों के लिये संस्थागत पूंजी निवेश अधिकतम है । विदेशी मुद्रा के लेनदेन की जांच-पड़ताल का काम महालेखा परीक्षक जैसे प्राधिकरण को सौंपा जाना चाहिये। यदि सरकार इस प्रकार जांच-पड़ताल करने की व्यवस्था के विरुद्ध है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री एस० आर० दामणी (शोलापुर) : मैं इस मंत्रालय के अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं । इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन उपकर वसूल करती है और उस सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, जो कि अर्ध-सरकारी संस्था है, के पास जमा करवा देती है। काटन मिल्स फेडरेशन केवल धन उपलब्ध करती है और वह देश से बाहर भेजे जाने वाले कपड़े और धागे के निर्यातकर्ताओं को दिया जाता है । जापान और अन्य विकसित देशों के कड़े मुकाबिले के बावजूद हमारे कपड़े के निर्यात में वृद्धि हुई है।

यह बड़ी चिन्ता की बात है कि हमारे अनाज के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है और हमें इसका आयात करना पड़ता है । गत वर्ष कृषि उत्पादन में कमी हुई थी। सरकार को लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिये हर कीमत पर अनाज का आयात करना चाहिये ।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि न होने के कारण मूल्यों में वृद्धि हो रही है । सरकार इस स्थिति का मुकाबिला करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न कर रही है। मूल्य वृद्धि का कारण यह है कि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है परन्तु मुद्रा उपलब्धि में वृद्धि हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन मांगों के उत्तर किसी विषय पर न बोले।

श्री एस० आर० दमाणी : श्री ज्योतिर्मय बसु ने कई आरोप लगाये हैं और मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं। औद्योगिक उत्पादन की स्थिति ठीक नहीं है । विरोधी पक्षवाले बाधा डाल रहे हैं। आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है । अतः मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर) : ये अनुपूरक मांगें सभा से पारित नहीं करनी चाहिएं क्योंकि इन में वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने संबंधी अनुपूरक मांगों की राशि नहीं बताई गई है। साथ ही सभा के अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित होने से पूर्व यह बताया जाना चाहिए कि इन सिफारिशों का क्रियान्वित के आदेश सभी विभागों को दियें जायेंगे।

दूसरे मांग संख्या 7 भारतीय खाद्य निगम के बारे में है । 1973-74 की अनुपूरक मांगों के पृष्ठ 5 पर कहा गया है कि राज्य सरकारों को सैन्ट्रल पूल के लिए चावल की वसूली और डिलिवरी के लिए प्रोत्साहन बोनस देने हेतु चालू वर्ष के बजट में 9.42 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। परन्तु कर्मचारियों को कुछ भी नहीं दिया गया बल्कि उल्टे 945 लोगों की छंटनी कर दी गई। उस दिन यहां सभी दलों के लोगों ने श्री शिंदे से कहा था कि भारतीय खाद्य निगम के व्यापक हितों को देखते हुए वह उन लोगों को कार्य करते रहने दें। मैंने यह भी बताया था कि इस निगम में 7000 कर्मचारी भर्ती नियुक्तियों पर कार्य कर रहे हैं तथा उनका स्थायित्व अधिकार अन्य विभागों में है । ये लोग वापिस चले जाएं तो 945 लोगों की नौकरियां बच सकती हैं यदि अब मैं श्री के० आर० गणेश से अनुरोध करूंगा जहां राज्य सरकार को प्रोत्साहन बोनस इन 7000 कर्मचारियों को 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जा रहा है वहां इन 945 व्यक्तियों की नौकरियां क्यों समाप्त की जा रही है ।

चर्म विप्पणन तथा विकास निगम के गठन से अधिक निर्यात हो सकेगा तथा मेरे चुनाव क्षेत्र कानपुर को भी लाभ पहुंचेगा जहां समिति के लिए सबसे अधिक चमड़ा उपलब्ध होता है । परन्तु खेद है कि इस निगम का प्रबंधक बाटा का व्यक्ति बनाया जा रहा है। क्या इस पद के लिए सरकारी उपक्रम का व्यक्ति उपलब्ध नहीं है ? इसी प्रकार विप्पणन अधिकारी के पद पर भी अत्यन्त कुशल तथा योग्यता प्राप्त व्यक्तियों से साक्षात्कार करके तथा उन्हें अस्वीकार करके केवल एक मैट्रिक पास तथा किसी गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान के अनुभव के अधार पर संयुक्त कर दिया गया। राज्य व्यापार निगम का चयन करने का यही तरीका है कि उन्होंने कुशलता, प्रतिभा आदि सब की अपेक्षा कर दी ।

केरल में सैकड़ों जनगणना-कर्मचारी छंटनी के शिकार हुए। श्री गणेश ने उन्हें खपाने का यहां आश्वासन दिया था परन्तु मुझे एजेन्सी से तार प्राप्त हुआ है कि कई सौ व्यक्तियों की छंटनी की जा रही है यह छटनी रुकनी चाहिए।

मांग संख्या 3,4 तथा पांच प्रतिरक्षा सेवाओं के बारे में हैं। चार-पांच दिन पहले हमने यहां सभा में प्रश्न उठाया था कि एम०ई०एम० के लगभग 11,000 कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है

क्योंकि बजट में कटौती की गई है। फिर मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था कि उक्त छंटनी को रोकने के आदेश दे दिए गये हैं परन्तु फिर भी पश्चिमी कमांड तथा पूर्वी कमांड में छंटनी आदेश वापस नहीं लिये गये हैं। मंत्री महोदय छटनी के आदेशों को तुरन्त वापस लेने के निर्देश दें।

इन शब्दों के साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में वेतन आयोग के प्रतिवेदन को लेकर बड़ा असन्तोष व्याप्त है। वह इस संबंध में यहां एक वक्तव्य दें।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : जहां मैं इन लोगों का समर्थन करता हूं वहां अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के बारे में कुछ कहना भी चाहता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है उनसे संबंधित मांगों का विरोध तो नहीं करता परन्तु यह जरूर कहूंगा कि उन लोगों का क्षेत्र अनिश्चित परिस्थितियों का क्षेत्र है। इसलिए इस क्षेत्र के लिए कोई निश्चित नीति तथा उस नीति को कड़ाई से क्रियान्वित करने के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था-कायम की जानी चाहिए। वहां असंतुलन को दूर करने के लिए विकास की गति तेज की जानी चाहिए। इसके लिए यथासंभव अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार इस संबंध में रचनात्मक रवैया अपनाये। मेघालय, नागालैण्ड, मनीपुर, मिजोराम तथा त्रिपुरा के क्षेत्रों के आदिवासी लोग भरसक प्रयास के बाद भी देश के शेष लोगों के समक्ष जीवन-स्तर नहीं प्राप्त कर सके हैं। उन्हें पूर्ण संचार सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं क्या वे देश से कुछ अलग थलग से पड़े रहते हैं। इसलिए उन्हें देश की प्रगति के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए हमें इन आदिवासी क्षेत्रों का आर्थिक सामाजिक तथा राजनैतिक उत्थान करना होगा। अतः वर्तमान व्यवस्था में आदिवासी क्षेत्रों के लिए नियत की गई धनराशि सर्वथा कम तथा अपर्याप्त है।

मिजोराम संघ राज्य क्षेत्र वर्ष 1972 में आसाम राज्य से काट कर बनाया गया था तथा इस समय इस आदिवाशी क्षेत्र की मूल आवश्यकताओं का पूरा पता नहीं था इसके लिए सरकार ने बहुत ही थोड़ी राशि की मांग की है। माना कि यह देश के अन्य संघ राज्यों क्षेत्रों से छोटा है परन्तु यदि हम इसके एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर यात्रा करके देखें तो इसकी यात्रा संबंध कठिनाइयों को देखकर यही अनुभव होगा कि इसमें कितने दिन लगते हैं तथा जितनी जोखिम रहती है। वहां केवल अविकसित सड़कें ही हैं। मेरा अनुरोध है कि मिजोरम के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किये जायें ; अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में इसे अधिक महत्व दिया जाये क्योंकि यह क्षेत्र अनेकों वर्षों से शोषित रहा है। वहां के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में तथा विशेषकर भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इसलिए उनकी प्रतिभा का उदय करने का उन्हें अधिकाधिक अवसर देने के लिए स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। हमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तथा विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी के अध्ययन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हम उनकी प्रतिभा का विकास कर सकें।

इस क्षेत्र, विशेषकर नागालैण्ड तथा मनीपुर सैक्टरों में राष्ट्रीय राजपथों की दशा बड़ी ही दयनीय है। बताया गया है कि राज्य सरकारों को अनुदान रखने तथा उनके विकास पर व्यय करने के आदेश दिये गये हैं। अन्य राजपथों की तुलना में राजपथ संख्या 39 की दशा तो बहुत ही खराब है। विकास तथा सुधार के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों ही के प्रयास एकत्रित हों जिससे मनीपुर-नागालैण्ड क्षेत्र के इस राजपथ का उद्धार हो सके।

अनुदानों की मांग संख्या 73 तथा 74 के अधीन विदेश व्यापार में निर्यात संबर्द्धन की बात आती है जिसमें कपड़ा उत्पादों का विशेष महत्व है। मैं पुनः कहूंगा कि हथकरघा तथा खादी के वस्त्रों के निर्यात को बढाने के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

मेरा राज्य बुनकरों का राज्य है। वहां हथकरघा वस्त्रों के लिए निर्यात अभिकरण भी है। परन्तु कोई विशेष रूप से नियुक्ति एजेन्सी नहीं है कुछ वाणिज्यिक या मुनाफाखोर व्यक्ति मद्रास, बम्बई, मनीपुर, बंगाल से माल लेकर निर्यात कर देते हैं और कुछ पता नहीं लगता कि कितना निर्यात हुआ। मैंने केन्द्र सरकार से पता लगाने की कोशिश की थी कि हथकरघा तथा खादी के सामान के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय विभिन्न राज्यों को हुई परन्तु उनसे प्राप्त उत्तरों से भी कोई निश्चय नहीं हो सका। लगता है इस संबंध में कोई उचित विश्लेषण नहीं किया जा रहा। मेरा सुझाव है कि हथकरघा और खादी के वस्त्रों के निर्यात पर ज्यादा से ज्यादा ध्यानदिया जाये क्योंकि इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में बड़ी भारी मांग है।

पर्वतीय राज्यों तथा तमिलनाडु को जर्मनी से उर्वरकों की सप्लाई का जिक्र किया गया है। परन्तु यह निःशुल्क सप्लाई किसानों को बेची गई है जिसके कारण उन्हें मुफ्त सप्लाई का लाभ नहीं पहुंचा है। मैं जानना चाहता हूं कि जर्मनी से प्राप्त होने वाली इस मुफ्त सप्लाई के वितरण से प्राप्त होने वाला राशि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी ही योजनाएं लागू करने पर विचार कर रही है।

Dr. Laxminarain Pandaya (Mandsaur) : After imposing heavy taxes on the public the Government has have to come before the House with the supplementary demands of Rs. 284.81 crores for which it has given no relevant reply.

I would like to draw the attention of the Government to Demand No. 7. When the Government was thinking to take over the whole sale trade in food grains it could have purchased wheat and milo in the international market but at that time no purchase was made. As a result the Government had to pay extra money for the purchases of wheat.

I would like to say that the Government can purchase wheat and milo at higher prices in the international market but it is not prepared to give higher prices to the farmers in the country. About 7000 employees of the Food Corporation have come on deputation from other departments. These employees should be sent back to their parent departments and vacancies thus available should be filled up through competition.

About 1242 employees in the same Food Corporation have been served with reversion orders. What was the reason of this reversion?

[श्री के० एन० तिवाड़ी पीठासीन हुए]

Shri K. N. Tiwary in the Chair

It is said that the amount of bonus is likely to be spent on the subsidy to be given to the farmers so that they can grow more food when bonus money will be given to the State Governments? I had said few days ago that diesel was not available at the rate of Rs. 1.25 per litre in Madhya Pradesh.

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D. K. Barooah) : In which district?

Dr. Laxminarain Pandeya : In the districts of Ratlam and Mandsaur.

The Government has made a demand of Rs. 7 crores for D.T.C. under the Demand No. 78. The situation is that the Government is not able to streamline the functioning of the D.T.C. Now the Government has made a demand of Rs. 701.67 lakhs for the purchase of Chasis. I would like to know the number of chasis purchased during the last few months and why the delay took place in preparing the bodies of the buses?

Now I come to the item No. 11. It is said that assistance is to be given to the Indian Cotton Mills Federation. This Federation has misused the assistance previously given by the government. They cannot maintain the quality of the cloth which is exported.

In connection with the Demand No. 66, I have to say that there are 23 thousand persons who have been rendered homeless in the Chhamb Sector and 50 thousand persons have been rendered homeless in Barmer Sector. The Government has taken no definite steps to rehabilitate them. How long they will be kept as displaced persons?

Under the Demand No. 74 the Government has made a demand for the repair of the national highways. The bridge over the Chambal near Dholpur has not been repaired for the last one and a half year. There is a national highway from Delhi to Ajmer and another from Indore to Bombay. The road between Ajmer and Indore should be connected with these two national highways.

No provision has been made in these demands for the Government employees. They are severely affected by the spiralling prices. Had there been any provision made for them they would have satisfied.

Shri Madhu Limye (Banka) : The Indian Cotton Mills Federation is the most powerful body of capitalists in the country. This body continues collecting taxes without the approval of Parliament. This body is charging tax on bonus and imported cotton. It is not a voluntary levy. We cannot allow such a private body to charge tax without Parliament's approval.

Secondly, this Federation has been evading taxes for long by getting itself registered under the Indian Trade Unions Act.

This Federation gives money to the various Mills for promoting export. Secondly, it bears administrative expenses and thirdly it entertains Minister's and Officials. This Federation has purchased a building in Bombay and let that building. It should be clarified.

Countries like America and Japan import one to two lakh bales of cotton but this poor country-India imports four lakh bales of cotton and cloth made therefrom is not exported. In this way, foreign exchange worth one hundred crore of rupees is being wasted, Import of long, staple cotton should be bound.

The other demand is with regard to the Ministry of Defence. The D.G.S. & D. is under the Ministry of Supply. It places orders for getting goods for the Defence Ministry The private companies are earning profit to the time of 60 per cent on several items. The P.A.C. on the Estimates Committee should go into this matter on a separate Parliamentary Committee should be constituted for this purpose.

An Govt. Member has said that departments of Gas Transport, Electricity and water should be kept with the local bodies. But these transport corporations are facing difficulties in getting chassis. If the Government are enable to manufacture chassis, they sould ask the existing units to boost their production provide the Government get the additional production at controlled rate and they should give priority to the public undertakings.

The other difficulty being faced by the public undertakings is that they are not getting components and spare parts. I say that the Government should get the spare parts from the private companies at listed price and supply them to public transport Companies.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : I support the demands and I want to say onething. There are about 51,000 Hindu refugees, who are Sindhi, and about 21,000 refugees in the Chhamb Sector. They cannot live in India nor in Pakistan. It is the responsibility of the Government of India to rehabilitate them. The Government can levy less for rehabilitation of these refugees.

The Government is procuring foodgrains. So far as Andhra Pradesh is concerned we can sell two hundred per cent of foodgrains. But the Government is not coming forward for purchases of foodgrains.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : So far as the take-over of wholesale trade in foodgrains is concerned, it is correct but it is not being implemented properly. Not only this, the farmers are very much annoyed at the purchasing centres and they are not getting adequate price for their produce.

There is acute shortage of fertilisers, particularly in the eastern districts of U.P. There is no agency for the distirbution of fertilizers. Proper distribution of fertilizers should be done in these districts.

Although the item of electricity is not there in the demands, I want to say that there is acute shortage of power in U.P. The tube wells are not working.

I hope the hon. Minister will look into these points.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सरकार आर्थिक संकट का अनुमान नहीं लगा सकी : इसलिए वह अनुपूरक मांगें लायी हैं। वास्तव में यह एक अनुपूरक बजट है। हम संकट का सामना कर रहे हैं और संकट का बजट लाया जाना चाहिए था।

इन मांगों में से एक मांग बिहार में गंगा पुल परियोजना के लिए ऋण देने की है। मेरी यह शिकायत है कि केन्द्रीय सरकार इस के लिए बहुत कम ऋण सहयता देती है। राज्य सरकार को और अधिक सहायता दी जानी चाहिए क्योंकि उसने इस पुल के निर्माण में बहुत प्रगति की है। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह शेष व्यय भी वहन करे। यह कार्य राज्य सरकार की क्षमता से बाहर है।

सरकार राज्य सरकार की और भी सरल ढंग से सहायता कर सकती थी वह इस प्रकार कि इस पुल को राष्ट्रीय राजपथ में शामिल कर लेती जो सोनेवरसा के निकट नेपाल की सीमा तक जाता।

अब में मांग संख्या 44 का उल्लेख करना चाहता हूं 15 लाख रुपये की एक अनुपूरक मांग भारी उद्योग मंत्रालय के सचिवालय का व्यय पूरा करने के लिए है। यद्यपि यह राशि कम है तथापि इससे सरकार के प्रशासनिक व्यय के बारे में दृष्टिकोण का पता चलता है। यदि सरकार वास्तव में इस बारे में गंभीर है तो उसने एक विशेष प्रशासनिक मद पर व्यय को इतना अधिक क्यों होने दिया ? यह बात सरकार की उस घोषणा के अनुरूप नहीं है जो उसने प्रशासनिक या गैर-योजना व्यय में कमी करने के बारे में कही थी।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यहां उपस्थित नहीं है। बिटुमन विपणन निगम में पूंजी निवेश की बात है और क्या वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री इसका उत्तर दे सकेंगे ?

सभापति महोदय : हम उन्हें बुलाते हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं यह बात नोट कर लूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अच्छी बात है। ओशियानिक, पैट्रोलियम कम्पनी के साथ ठेका हुआ था वह रद्द कर दिया गया है। पहले यह ठेका कम दर पर था परन्तु अब यह ठेका उसी कम्पनी के साथ अधिक दर पर किया गया है। जिसका परिणाम यह है कि हमारे राजकोष को 15 लाख डालर की हानि उठानी पड़ेगी।

इस कम्पनी की पूंजी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। सरकार ने इस कम्पनी के साथ करार कैसे किया? यह करार क्यों किया गया? फिर इसके तुरन्त बाद ही दूसरा करार क्यों किया गया? इस करार के लिए कौन जिम्मेवार है?

इसी कम्पनी ने करार का उलंघन किया जिसके लिए इसे सजा मिलनी चाहिए थी। इसके स्थान पर सरकार ने कुछ अधिक राशि वाला दूसरा करार इस कम्पनी से किया। हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने देश को नुकसान पहुंचाकर इस कम्पनी से करार क्यों किया।

सभापति महोदय : जब बजट मांगों पर चर्चा हो रही हो तो राज्य मंत्री अथवा मंत्री को उपस्थित रहना चाहिए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या मंत्री महोदय आयेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं उन्हें सूचना पहुंचा दूंगा।

सभापति महोदय : यै ही उत्तर देंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर०गणेश) : अनुपूरक मांगों के दूसरे वर्ग में 284.81 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आता है। इसके 133.48 करोड़ रुपये राजस्व खाते की मद में, 10.61 करोड़ रुपये पूंजी खाते की मद में और 140.72 करोड़ रुपये ऋणों तथा अग्रिम राशियों के देने की मद में हैं। राजस्व खाते की मद में 121 करोड़ रुपये की मुख्य आवश्यकता भारतीय खाद्य निगम को उपभोक्ता राजसहायता के रूप में देने के लिए हैं। 130 करोड़ रुपये का वर्तमान बजट प्रावधान खाद्य निगम द्वारा इन वस्तुओं के अयात पर राजसहायता के भुगतान से भिन्न था। राजस्व खाने की अन्य महत्वपूर्ण मद 9 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को प्रोत्साहन बोनस देना है। यह केन्द्रीय सरकार को अधिकतम गेहूं की वसूली की नई योजना के अन्तर्गत है। पूंजी खाते में 10.61 करोड़ रुपये मुख्यत: आणविक ऊर्जा के विकास सम्वन्धी विभिन्न परियोजनाओं आदि पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए है। ऋणों तथा अग्रिम राशियों के भुगतान के लिए भी प्रावधान है।

वसूली मूल्य में वृद्धि की जाने की मांग की गयी है। इस कारण से तथा मुख्य मंत्रियों के निर्णय के कारण यह आवश्यक है कि वसूली मूल्य बढ़ाया जाये ताकि नियत किये गये लक्ष्य प्राप्त हों और वितरण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

खाद्य निगम को 130 करोड़ रुपये की राशि राजसहायता के रूप में देय है। यह अधिकतम खरीद करने के लिए और वितरण व्यवस्था की अपेक्षताओं को पूरा करने के लिए है। इस प्रावधान को चालू वर्ष में 251 करोड़ रुपये से बढ़ाया जायेगा। प्रोत्साहन योजना वसूली के अधिकतम सीमा तक ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है।

दिल्ली परिवहन निगम के लिए वर्तमान वर्ष के बजट में 287.67 लाख रुपये रखे गये जिनमें से 197.67 लाख रुपये बसें खरीदने के लिये थे। वर्ष 1973-74 के दौरान निगम ने 701.67 लाख रुपये रखे थे। इनमें से 291 लाख रुपये अन्यांपाय के रूप में और 410.67 लाख रुपये बसें खरीदने के लिए थे। इनके लिए आर्डर दिये जा चुके हैं। अतः 414 लाख रुपये की अनुपूरक मांग अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए है।

महानगर परिवहन सेवा के कार्यकारी ग्रुप ने चौथी योजना में 1127 बसें चलाने की सिफारिश की है। 1971-72 में 304 और 1972-73 में 294 बसें खरीदी गयीं थीं। चालू वित्त वर्ष में 75 बसें पहले ही खरीदी जा चुकी हैं और 250 बसें वर्ष समाप्त होने से पहले प्राप्त कर ली जायेंगी। चौथी योजना अवधि के अंत तक दिल्ली परिवहन निगम के पास 1850 बसें होने की आशा है। जहां तक इंडियन काटन फैडरेशन का संबंध है, यह सूती कपड़े के निर्यात के लिए नकद प्रोत्साहन देने हेतु एक स्वैच्छिक योजना का संचालन कर रही है। 1 अप्रैल 1968 से सरकार इस प्रयोजन के लिए बनाई गई फैडरेशन की निर्यात संवर्द्धन निधि में सूती कपड़े के निर्यात के नोतल निशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशता की दर से एम०डी०एफ० से अनुदान के रूप में अंशदान करती रही है। अब इस योजना को 31 मार्च 1974 तक बढ़ा दिया है। 1 जून 1972 से 31 मार्च 1973 तक की अवधि के दौरान एम०डी०एफ० का सरकारी अंशदान निर्यात का नोतन निःशुल्क मूल्य बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। ताकि युरोपीय आर्थिक समुदाय में यू०के० के प्रवेश होने के पश्चात यूरोपीय आर्थिक समुदाय को सूती कपड़े का निर्यात करने हेतु संतोषजनक कोटा प्राप्त करने की दृष्टि से गंतव्य स्थानों तक हमारे निर्यातों को अधिकतम बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए यू०के० को सूती कपड़े के निर्यात के लिए अधिक नकद प्रोत्साहन देने हेतु अतिरिक्त धन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। निर्यात संवर्धन निधि की शेष आवश्यकताएं इण्डियन काटन मिल्स फैडरेशन आयातित कपास पर स्वैच्छिक कर लगा कर पूरा करता है।

फैडरेशन समय समय पर सब स्पिनिंग तथा मिश्रित मिलों की तकुवा और करघा पारी पर तकुआ करघा कर लगा कर निधियों को बढ़ाती रहती है। नकद सहायता की दरें प्रत्येक मद तथा गंतव्य स्थानों पर भिन्न हैं और सूती कपड़ा आयुक्त की अध्यक्षता में एक पैनल द्वारा नकद सहायता का निर्धारण किया जाता है। उल्लेख किया गया है कि इंडियन काटन मिल्ज फैडरेशन आयकर और सम्पत्तिकर का भुगतान नहीं करता है। आयकर अधिनियम के कुछ विशिष्ट उपबंधों के अन्तर्गत इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन को धर्मार्थ संस्था माना गया है। चूंकि यह कानून आज भी लागू है। इसलिए इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन धर्मार्थ संस्था के अंतर्गत आता है जिसके लिए आयकर से छूट दी गई है।

श्री मधु लिमये : क्या इन्हें इंडियन ट्रेड यूनियन्ज एक्ट के अन्तर्गत कभी पंजीकृत किया गया है ?

श्री के०आर० गणेश : इन्हें 1968 के आस पास पंजीकृत किया गया था।

Shri Madhu Lamye : This is not proper.

श्री के० आर० गणेश : इस पर विचार करना पड़ेगा। वर्तमान कानून के अनुसार स्थिति यही है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : इसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चंदे के लिये घोषित किया गया है।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य हमेशा चंदे की बात सोचते हैं। लेकिन इस पर विचार किया जाना जरूरी है।

Shri Madhu Limaye : I have asked so many questions but no reply has come.

Mr. Chairman : We hope that he will write to the Ministry.

Shri Madhu Limaye : He has not clarified as to whether it will be clarified or not.

सभापति महोदय : मैं सबसे पहले अनुदानों की मांगें रखता हूं।

श्री मधु लिमये : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री श्यामनन्दनमिश्र : मेरे प्रश्नों का क्या बना ? मंत्री महोदय अब तक भी नहीं आये।

सभापति महोदय : इन्होंने कहा है कि ये मंत्री को कह देंगे।

श्री श्यामनन्दनन मिश्र : जब तक हम संतुष्ट न हों, उस समय तक हम उस पर कैसे मत दे सकते हैं ?

सभापति महोदय : आप इसके विरुद्ध मत दे सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : I want your ruling on a point of order. The Public Accounts Committee in its report has stated that every year Parliament is being presented with a fait accompli which is highly undesirable. What are your views on it?

Mr. Chairman : What is your point of order?

Shri Madhu Limaye : They have not given the particulars of excess demands.

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1971-72 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें सामान्य मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई

The following Demands for the Excess Grants (General) for the year 1971-72 were put and adopted.

मांग सं०	शीर्षक	राशि
2	रक्षा सेवाएं, सक्रिय-स्थल सेना	84,95,36,194
3	रक्षा सेवाएं-सक्रिय-नौसेना	2,09,19,266
4	रक्षा सेवाएं-सक्रिय-वायु सेना	11,48,88,770
5	रक्षा सेवाएं-निष्क्रिय	51,34,251
20	टकसाल	2,90,412
24	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,20,26,693
41	पुलिस	1,89,04,053
46	दिल्ली	96,75,441
49	आदिम जाति क्षेत्र	2,35,38,976
51क	मिजोराम	18,60,162
64	महानिदेशक खान सुरक्षा	1,20,885
66	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	31 29,00,198
74	सड़कें	2,29,75,935

1	2	3
78	इस्पात और खान मंत्रालय	12,930
86	लोक निर्माण कार्य	3,30,41,247
93	डाक और तार-सामान्य राजस्व को लाभांश, प्रारक्षित निधि में विनियोग तथा सामान्य राजस्वों से लिए गये ऋणों की वापसी अदायगी . .	14,50,03,512
107	पूर्ति विभाग का अन्य राजस्व व्यय	40,825
	II पूंजी से व्यय	
111	रक्षा पूंजी परिव्यय	15,76,38,941
125.	स्वास्थ्य और परिवार रियोजन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	3,19,20,592
126	संघीय राज्य क्षेत्रों तथा आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय . .	1,57,25,472

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1973-74 के लिए अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें सामान्य मतदान के लिय रखी गईं तथा स्वीकृत हुई

The following supplementary demands for the year 1973-74 were put and adapted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि राजस्व रुपये	राशि पूंजी रुपये
	कृषि मंत्रालय		
2	कृषि	1,000	
7	खाद्य विभाग	1,30,00,00,000	
	वाणिज्य मंत्रालय		
11	विदेशी व्यापार	4,000	135,00,00,000
	वित्त मंत्रालय		
45.	मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल		1,29,000
	भारी उद्योग मंत्रालय		
44	भारी उद्योग मंत्रालय . .	5,00,000	..
	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय		
71	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय		1,000
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
78	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन		4,14,00,000
	परमाणु उर्जा विभाग		
90	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और विकास		10,00,01,000
	अंतरिक्ष विभाग		
98	अन्तरिक्ष विभाग	3,40,00,000	60,00,000

विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1973

Appropriation (No. 4) Bill, 1973

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि मार्च, 1972 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उनके लिए उस वर्ष में मंजूर की गई रकमों से जो रकमें अधिक खर्च की गई हैं, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ धनराशियों के विनियोग के प्राधिकरण के संबंध में उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मार्च, 1972 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उनके लिए उस वर्ष में मंजूर की गई रकमों से जो रकमें अधिक खर्च की गई हैं, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ धनराशियों के विनियोग के प्राधिकरण के संबंध में उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं :

श्री के० आर० गणेशः मैं प्रस्ताव करता हूं "कि मार्च, 1972 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उनके लिए उस वर्ष में मंजूर की गई रकमों से जो रकमें अधिक खर्च की गई हैं, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ धनराशियों के विनियोग के प्राधिकरण के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है "कि मार्च, 1972 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उनके लिए उस वर्ष में मंजूर की गई रकमों से जो रकमें अधिक खर्च की गई हैं, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ धनराशियों के विनियोग के प्राधिकरण के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदयः प्रश्न यह है "खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 1, 2, 3, अनूसूचि अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses, 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेशः मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

विनियोग (संख्या 5) विधेयक 1973

Appropriation (No. 5), 1973.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि वित्तीय वर्ष 9731-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है: "कि वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री के० आर० गणेश: मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Many employees of the Food Corporation of India have been dismissed. All those who have been dismissed and arrested should be re-instated.

Maximum quantity of foodgrains should be supplied to Bihar—Arthur Butlor company and Britania Company should be taken over by the Government as their workers are without employment.

Also there should be no retrenchment in the census Department.

All those freedom fighters who participated in the Mopala agitation and Gandhi Irwin Pact and underwent more than 6 months jail should be granted pension.

Shri Madhu Limaye (Banka): The House should be informed as whether Russian Mig-23 or French Mirage is going to the adopted by the Idnian Air Force. Secondaly what is the programme for replacing the aeroplanes of the Air-Craft career 'Vikrant'.

What are the achievement of the State Trading Corporation in the field of finding new markets and increase the export trade?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): माननीय सदस्य ने जनगणना विभाग के कर्मचारियों की छंटनी के बारे में कहां है । इस मामले की जांच की जा रही है ।

उनके द्वारा उठायी गयी अन्य बातों को, जिनके बारे में मेरे पास इस समय सूचना नहीं है मैं सम्बन्धित मंत्रालयों को भेज दूंगा ।

श्री मधु लिमये ने रक्षा सम्बन्धी कुछ मामले भी उठाये हैं । ये बहुत ही नाजुक मामले हैं ...

Shri Madhu Limaye (Bnka) : This system should be changed. I can understand the difficulty of Hon'ble Minister, Shri Ganesh, as the supplementary demands belong to various ministeries. Such a system should be adopted by which all the ministers or at least Deputy ministers should be present in the House. Otherwise the routine work can be done even by the Chair.

Mr. Chairman : I have already said that when the financial or other matter is being discussed in the House, the Ministers State ministers or Deputy ministers should be present so that they can reply the point raised by the hon. Members.

श्री के० ग्रार० गणेशः किन्तु वे बातें रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित हैं, उन पर विचार किया जा रहा है । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य स्वयं भी नहीं चाहेंगे कि मैं इस ग्रोर विस्तृत रूप से विचार करूं, क्योंकि ये नाजुक मामले हैं ।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाग्रों के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय ग्रतिरिक्त राशियों के संदाय ग्रौर विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा

The motion was adopted.

सभापति महोदयः ग्रब हम खण्डवार विचार करेंगे। कोई भी संशोधन पेश नहीं किय गया है । ग्रतः, मैं इन्हें एक साथ ही सभी खण्डों को रखूंगा । प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1, 2, 3, ग्रनुसूची, ग्रधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का ग्रंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा

The motion was adopted

खंड 1, 2, 3, ग्रनुसूचि, ग्रधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० ग्रार० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा

The motion was adopted

ग्रनुदानों की ग्रनुपूरक मांगें उड़ीसा 1973-74

Supplementary Demands for Grants (Orissa), 1973-74.

सभापति महोदय : ग्रब हम 1973-74 वर्ष के लिये उड़ीसा राज्य के बजट के सम्बन्ध में ग्रनुदानों की ग्रनुपूरक मांगों पर विचार करेंगे ।

53 LSS/73—13

श्री सेझियान पीठासीन हुये

Shri Sezhian in the chair.

***श्री जगदीश भट्टाचार्य** (घाटल): उड़ीसा के प्रशासन के कुछ विभागों के सम्बन्ध में स्वीकृति प्राप्त करने के लिये अनुपूरक मांगें इस सभा के समक्ष रखी गयी हैं ।

उड़ीसा राज्य को कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो केवल उस राज्य के लिये ही विशिष्ट है । चूंकि केन्द्रीय सरकार इस समय उड़ीसा के प्रशासन को चला रही है, इसलिये उसे इन समस्याओं को हल करने के लिये पग उठाने चाहियें ।

हम पहले ही इस सभा में चर्चा कर चुके हैं कि उड़ीसा में किस प्रकार लोकतन्त्र की हत्या की गयी, किस प्रकार राज्यपाल के व्यवहार के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा आलोचना किये जाने के पश्चात् भी राज्यपाल को बर्खास्त नहीं किया गया और किस प्रकार उड़ीसा राज्य में प्रशासनिक तन्त्र को दिन प्रतिदिन अप्रभावी बनाया जा रहा है ।

उड़ीसा में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण व्याप्त है । वहां स्थिति इतनी खराब है कि प्रशासन का समर्थन करने वाले राजनीतिक दल को पुलिस की रक्षा के बिना अपनी बैठकें करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । हमें आशा है कि इस राज्य में अविलम्ब चुनाव कराये जायेंगे । उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में चुनाव एक साथ ही कराये जाने चाहिये ।

जन स्वास्थ्य के लिये पर्याप्त धनराशि निर्धारित नहीं की गयी है, क्योंकि यह बहुत ही कम है और स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये काफी नहीं है ।

हम देख रहे हैं कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत अब विषेश कल्याण योजनाओं के लिये धन का नियतन किया जा रहा है। हमारा यह अनुभव रहा है कि सत्तारूढ़ दल इस प्रकार की योजनाओं के लिये धन की स्वीकृति प्राप्त करके बाद में इस राशि का उपयोग अपने दल-गत उद्देश्यों के लिये करता है । विशेषकर चुनाव निकट होने के कारण इस धन के दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है ।

इसके अतिरिक्त तूफान से क्षतिग्रस्त वृक्षों के लिये तीन लाख रुपया रखा गया है । हमें इन वृक्षों को नीलामी द्वारा न बेच कर इस धन की बचत करनी चाहिये । मैं यह बात समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार केवल चार लाख रुपये से नगरीय विकास कार्य को ठीक प्रकार से कैसे कर पायेगी । यह प्रायः कहा जाता है कि चावल के उत्पादन के सम्बन्ध में उड़ीसा आत्म-निर्भर है । परन्तु यह विचित्र बात है कि पर्याप्त फालतू चावल होते हुये भी उड़ीसा में लोग भुखमरी से मर रहे हैं अथवा अर्ध-भुखमरी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । वितरण प्रणाली में अवश्य ही कुछ त्रुटियां और दोष हैं । निर्धन वर्गों के लोगों को समूचे वर्ष में नियमित रूप से रोजगार नहीं मिलता । इस कारण उनकी क्रय शक्ति बहुत ही कम है ।

यह सर्व विदित है कि प्रतिवर्ष बाढ़ तथा चार वर्षों में एक बार विनाशकारी तूफानों के कारण उड़ीसा की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक बन जाती है । इस सम्बन्ध में दो केन्द्रीय दल उड़ीसा में आये थे । उन द्वारा दिये गये सुझावों के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ।

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर ।

*Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Bengali.

उड़ीसा राज्य में प्रतिदिन के उपयोग की बहुत ही कमी है । इस राज्य को प्रति मास केवल 80,000 टन गेहूं ही भेजा जा रहा है जबकि इसकी आवश्यकता 20,0000 टन गेहूं की है । दालों और वनस्पति के सम्बन्ध में भी स्थिति अच्छी नहीं है । वनस्पति के प्रतिमास के कोटे को कम करके 437 टन कर दिया गया है । यद्यपि निर्माता उड़ीसा को इस न्यूनतम कोटे के अनुसार भी वनस्पति भेजने में असफल रहे हैं ।

शिशुओं के लिये दुग्धचूर्ण आदि की सप्लाई भी बहुत कम कर दी गयी है । मिट्टी के तेल, सीमेंट, टायर, कपड़ा, कोयला आदि की सप्लाई की स्थिति भी बहुत खराब है ।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि उड़ीसा में अविलम्ब चुनाव कराकर वहां प्रतिनिधि लोकप्रिय सरकार बनायी जाये, क्योंकि केवल जनता के प्रतिनिधि ही उसकी कठिनाइयों को समझ सकते हैं ।

श्री बनमाली पटनायक (पुरी): मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये बधायी देता हूं कि उन्होंने रंगाली बांध के लिये कुछ धनराशि की व्यवस्था की है । मेरे विचार में इस बांध से उड़ीसा में बाढ़ समस्या काफी सीमा तक हल हो जायेगी ।

सरकार सुवर्णरेखा परियोजना को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर चुकी है । अतः जब सुवर्णरेखा, वैतरणी तथा ब्राह्मणी इन तीनों नदियों पर नियंत्रण कर लिया जायेगा, तो उड़ीसा की बाढ़ समस्या काफी हद तक दूर हो जायेगी । चूंकि मुख्य बजट में 10 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की जा चुकी है, इसलिये इस अनुपूरक बजट में केवल तूफान और बाढ़ राहत उपायों के लिये बहुत कम राशि की व्यवस्था की गयी है ।

आवास निर्माण सम्बन्धी अनुदानों का भी उपबन्ध किया गया है । किसी व्यक्ति को आवास निर्माण के प्रयोजन के लिये केवल 10 या 15 रुपये का अनुदान पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसे लेने के लिये जाने आने में ही 10 अथवा 15 रुपये खर्च हो जाते हैं । इस बात को आवास सलाहकार समिति में उठाया गया था । यदि उनके गिरे हुये मकानों को बनाने के लिये कुछ धन की व्यवस्था करनी है, तो 1000 रुपये से 5000 रुपये तक के दीर्घकालीन ऋण दिये जाने चाहिये । इस प्रयोजन के लिये जहां 4 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, वहां केवल 50 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है जो बिल्कुल अपर्याप्त है ।

इस बजट में कृष्णा-गोदावरी विवाद के सम्बन्ध में परामर्शदात्री सेवा सम्बन्धी व्यय के लिये भी उपबन्ध किया गया है । डा० खोसला को, जो उड़ीसा के राज्यपाल रह चुके हैं, परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है, यद्यपि उनके नाम का यहां उल्लेख नहीं किया गया है और उन्होंने डी० ए० वी० ट्रस्ट की ओर से विभिन्न संस्थायें स्थापित की हैं । डी० ए० वी० ट्रस्ट को धनराशि डा० खोसला को दी जाने वाले परामर्श देने सम्बन्धी शुल्कों में से नहीं दी जानी चाहिये, अपितु सरकार को चाहिये कि इन संस्थाओं की अपनी ओर से धनराशि की व्यवस्था करे ।

चलचित्र विकास के सम्बन्ध में भी मांग रखी गयी है । यह बड़ी विचित्र बात है । इसके लिये तो चलचित्र वित्त निगम बना हुआ है । इस प्रयोजन के लिये 50 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है, यद्यपि स्टूडियो के निर्माण के लिये केवल एक लाख रुपये की ही आवश्यकता है । राज्य सरकार स्वयं स्टूडियो बना सकती है । उड़ीसा सरकार का जनसम्पर्क विभाग इसके लिये स्वयं धन की व्यवस्था

कर सकता है । इस मांग को वापस ले लिया जाना चाहिये । जब राज्य को छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये धन की अत्यधिक आवश्यकता है, तब इस के लिये 50 लाख रुपये के इस उपबन्ध की क्या आवश्यकता है ?

सभापति महोदय: यह केवल 50 लाख ही है--100 रुपये के 50,000 शेयर ।

श्री बनमाली पटनायक : यदि आप यह बात स्वीकार करते हैं, तो 50 लाख रुपया खर्च किया ही जायेगा । इस धनराशि को किसी अन्य लाभप्रद कार्यों पर लगाया जा सकता है ।

अभी हाल ही में हमने भूमि सुधार संशोधन अधिनियम बनाया है। परामर्शदात्री समिति में हमने इस विधान को पारित किया है तथा राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की है। हमने इस विधान को पारित कर लिया है, किन्तु हम देख रहे हैं कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों में इसके लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। इन भूमि सुधार सम्बन्धी विधानों के लिये उपबन्ध किये जाने चाहिये थे ताकि पृथक प्रशासनिक ढांचे की व्यवस्था की जा सके।

मैं वित्त आयोग को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उसने उड़ीसा के पिछड़ेपन को देखते हुए काफी धनराशि की व्यवस्था की है। सरकारी कालेजों के अध्यापकों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। वे सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं। उड़ीसा सरकार ने यह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंप दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे मान लिया था । इसके लिये केवल 40 या 50 हजार रुपयों की आवश्यकता है। अध्यापकों की दशा को देखते हुए यह राशि अधिक नहीं है और इस की व्यवस्था की जानी चाहिये।

हमने इस बजट में बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के कालेजों में हमने कालेज शुल्क की छूट की व्यवस्था की है। मेरी समझ में नहीं आता कि छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं। अनिश्चितता तथा आगामी चुनावों एवं राजनीतिक कारणों से कुछ लोगों ने स्थिति का लाभ उठाया है और इसके फलस्वरूप आंदोलन हुआ है।

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम पर चर्चा करते समय मंत्री महोदय ने वचन दिया था कि उन स्वर्णकारों को छूट दी जायेगी जिन्होंने ऋण लिया था। उड़ीसा सरकार तथा वहां के उद्योग विभाग के सचिव इस बात के लिये सहमत हो गये थे। किन्तु इसे बट्टे खाते में डालने के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यह बहुत छोटी सी राशि है और इसे बट्टे खाते में डाला जा सकता है। इससे काफी अधिक स्वर्णकारों को सहायता दी जा सकती है।

श्री डी०के० पंडा (भंजनगर) : पृष्ठ 2 पर बताया गया है कि विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटी परियोजनाओं की जांच करने के लिये 1.50 लाख रुपये की आवश्यकता है। गंजम जिले में कई नदियां हैं और वहां मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के साथ कुछ छोटी परियोजनाओं को शुरू किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर वहां एक मेचू धाई नदी है। उस नदी के पानी के दिशा को चेलीवेदा की ओर मोड़ा जाना है। इस प्रकार एक फुट के मार्ग को काटने से हम 12,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर सकते हैं। इसी प्रकार मुख्य सशीकुट्या नहर से हम एक और नहर निकाल सकते हैं जिससे लगभग 5,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

उड़ीसा में जलमग्न नहरें भी हैं। इन जलमग्न नहरों से लगभग 45,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है। गत 20 वर्षों से हम यह मांग करते चले आ रहे हैं कि इसे सिंचाई मंत्रालय

के अधीन किया जाना चाहिये। किन्तु अभी तक इस बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। जैसा कि श्री पटनायक ने कहा है कि फिल्म उद्योग के लिये 50 लाख रुपया क्यों रखा जा रहा है जबकि समूचा उड़ीसा राज्य संकट की स्थिति में से गुजर रहा है, क्योंकि उसे लगातार बाढ़ एवं तूफानों का सामना करना पड़ा है। समूचे राज्य की अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है। अतः इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। आवंटित धन की सीमा के अन्दर ही ये बातें की जा सकती हैं।

जहां तक बड़ी परियोजनाओं का सम्बन्ध है, बहुदा परियोजना अभी पूरी की जानी है। हीरा धरवती और बगश्रा परियोजनाओं का दूसरा चरण भी अभी पूरा किया जाना है। इसी प्रकार मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत आने वाली साल्की सालिया आदि परियोजनाओं को तुरन्त पूरा किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त गंजम ज़िले में भी अनेक छोटी परियोजनाओं को अभी पूरा किया जाना है।

उठायी सिंचाई के सम्बन्ध में हम मांग करते आ रहे हैं कि नदी घाटी के क्षेत्रों जैसे घानी गोदाहदा तथा महानदी आदि के दोनों किनारों के बारे में सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। इस काम को सुव्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिये और हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि यह काम चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के समाप्त होने से पूर्व पूरा हो जाये।

मैं मध्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में पहले ही इसी प्रकार के सुझाव दे चुका हूं। हम देख रहे हैं कि केवल 50 करोड़ रुपये की योजना ही बनायी है और इसमें 38 प्रतिशत धनराशि उठायी सिंचाई सम्बन्धी कार्यों पर खर्च की जायेगी और केवल शेष 62 प्रतिशत राशि ही कुओं के खोदने पर व्यय की जायेगी।

खोदे हुए कुएं सभी क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं। परन्तु देखना यह है कि क्या ऐसे कुओं में गरमियों में भी पानी रह सकता है अथवा नहीं।

बाढ़ों से 1,51,396 मकानों को क्षति पहुंची। 17 लाख एकड़ भूमि की फसल जलमग्न हो गई और 200 करोड़ रुपए की हानि हुई।

बालासौर जिले में बाढ़ों एवं तूफानों से इतनी अधिक हानि पहले कभी नहीं हुई। राहत के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए दिये हैं जोकि अपर्याप्त हैं। उड़ीसा में राज्यपाल का शासन है। अतएव कम से कम 23.73 करोड़ रुपए दिये जाने चाहिएं।

दीर्घकालीन उपायों के बारे में मेरा सुझाव है कि गोमई नदी और कंसबंस नदी पर खुदाई का कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् सैलीन तटबन्ध की ऊंचाई बढ़ा दी जानी चाहिए और उसकी मरम्मत की जानी चाहिए। सालंदी नदी बांध पर तत्काल रेडियम गेट लगाये जाने चाहिएं। इसके बाद पीने का पानी सप्लाई करने के लिये वहां शीघ्र नलकूप लगाए जाने चाहिएं।

जहां तक भूमिहीन किसानों के आवास का सम्बन्ध है इसके लिए 3.20 लाख रुपए की राशि बहुत कम है। उन लोगों के पास अपनी ही परत भूमि है। उनके लिए संयुक्त कृषि योजनाएं तैयार की जायें।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इन वर्षों में लगातार बाढ़ आयी है। इनकी रोकथाम के लिये दीर्घकालीन उपाय करने चाहिएं।

मांग 4 (क) के अन्तर्गत ग्रामीण इंजीनियरिंग संगठन सड़क के लिए जो बाढ़ से टूट चुका है एक करोड़ रुपए की आवश्यकता है। जहां पुलों की आवश्यकता है वहां पर पुल बनाए जाने चाहिएं।

बेघर हुए लोगों के लिए अधिकतम 50 रुपए दिये जा रहे हैं जोकि अपर्याप्त है।

मांग संख्या 34 के लोक स्वास्थ्य जांच के सब-डिवीजनल अधिकारी के कार्यालय के लिये भद्रक में एक मकान किराये पर लिया गया है जिसका 10,400 रुपए किराया देना है। कहा गया है कि वहां कोई सरकारी इमारत उपलब्ध नहीं है, जोकि ठीक नहीं है। वहां भव्य भवन खाली पड़े हैं। उनका उपयोग कर धन बचाया जा सकता है।

भीग कुण्ड में जल निकास और पानी का इकट्ठा होना एक बड़ी समस्या है। उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मैं इन अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं क्योंकि यह पूर्णतः अपर्याप्त हैं।

इन अनुदानों में 1060.19 लाख रुपए की मांग की गई है और उसमें से 1,000 लाख रुपए राहत कार्यों के लिये हैं। राज्य में इस बार पांच बार बाढ़ तथा तूफान का प्रकोप हुआ। इन प्राकृतिक प्रकोपों से 12 जिले प्रभावित हुए। 7.45 लाख एकड़ फसल नष्ट हुई तथा 63,632 मकानों को हानि पहुंची। इसके इलावा हजारों पशु मारे गये। राज्य को 27 करोड़ रुपए की मांग के स्थान पर 10 करोड़ रुपए दिये गये हैं।

मांग संख्या 16 के अन्तर्गत 95 लाख रुपये का नियतन किया गया जिसमें से सरकार केवल 21.85 लाख रुपए ही व्यय कर सकी।

मांग संख्या 5 के अन्तर्गत 62 लाख रुपए में से कुछ भी व्यय नहीं किया गया। यही स्थिति मांग संख्या 34 के 17 लाख रुपए की है। टेस्ट सहायता के लिए 170 लाख रुपये का नियतन किया गया था जिसमें से सरकार केवल 21.85 लाख रुपए ही व्यय कर पाई। इसका अर्थ है कि वहां नौकर-शाही, अकुशलता तथा भ्रष्टाचार का राज्य है।

सरकार की फिल्म विकास निगम के गठन के लिए 50 लाख रुपए लगाने की नीति उचित नहीं प्रतीत होती जबकि स्टेट बैंक भी फिल्म बनाने के लिए वित्तीय सहायता देता है।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस लोगों के दुःखों को दूर करने में विफल रही है।

सभापति महोदय : आधे घंटे की चर्चा के स्थगित होने के कारण हम 15 मिनट और ले सकते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : While supporting the Supplementary Demand for Orissa. I want to say that the people of Orissa live in poverty. Many instances of acute poverty of the State have appeared in the news papers. Money being asked for should be spent properly for the development of the State.

The State has been ignored uptil now as agricultural development is concerned. The cultivable land should be made fit for cultivation and it should be distributed among landless Harijans.

The state is backward industrially as well. The government should encourage people to set up industries in the state, so that the backwardness of the people may be removed.

The development of the state has been held up. The maney being sanctioned should be spent for the items for which it is being sanctioned. It should not be used for some other purpose.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

उड़ीसा के लिए द्वितीय अनुपूरक मांग 1897.62 लाख रुपयों की है जो राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्रदान की गई राशि से 63.1 लाख अधिक है। ये मांगें राहत कार्यों, रोजगार, विशेष कल्याण कार्य तथा मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं से सम्बन्धित हैं।

यह कहा गया है कि अनुपूरक मांगों में मांगी गई धन राशि व्यय नहीं की गई। यह ठीक नहीं है। अनुपूरक मांगों के 18.98 करोड़ रुपए में से 18.34 करोड़ रुपए पहले ही व्यय किये जा चुके हैं।

वित्त आयोग ने प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली हानि का उल्लेख किया है और इस बारे में कई सिफारिशें की हैं। जहां तक भूमि सुधार का सम्बन्ध है राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत 1,000 आदिवासियों और हरिजनों समेत 65,000 एकड़ भूमि तथा 2,000 एकड़ आवासीय भूमि 6,000 भूमिहीन लोगों में वितरित की गई है। राज्य का लक्ष्य 2 लाख एकड़ भूमि वितरित करने का था।

फिल्म विकास निगम की निन्दा की गई है। कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में उड़ीसा की उपेक्षा की गई है। इसे सहायता देने की दृष्टि से 50,000 इक्वटी शेयरों में विभाजित 50 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से एक सरकारी कम्पनी बनाई गई है। अनुदान से होने वाली बचत से इसकी पूर्ति की जानी है।

जहां तक डी०ए०वी० ट्रस्ट का सम्बन्ध है, डा० खोसला ने जिन्होंने कृष्णा गोदावरी जल विवाद के बारे में सलाहकार के रूप में कार्य किया है, अपनी इच्छा प्रकट की है कि उन्हें मिलने वाला पारिश्रमिक डी०ए०वी० ट्रस्ट को दिया जाये। राज्य सरकार ने सलाहकार की इच्छा पूरी की है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1971-72 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें उड़ीसा मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं

The following Demands for grants supplementing (Orissa) were put and adejted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
4-क	ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित व्यय	1,21,51,000
5	सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि . . .	65,92,000
9	मंत्री, असैनिक सचिवालय और वित्त विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय . .	77,000
11	शिक्षा विभाग से सम्बन्धित व्यय	40,04,000
13	भू-राजस्व	6,85,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
16	जिला प्रशासन और राजस्व विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	2,76,29,000
17	उद्योग विभाग से सम्बन्धित व्यय	19,88,000
17-क	खानें .	1,60,000
21	आदिम जाति कल्याण और ग्राम कल्याण	3,11,000
23	लोक स्वास्थ्य	11,00,000
24	सिंचाई .	2,23,01,000
24-क	उत्थान सिंचाई	20,77,000
25	लोक निर्माण कार्य .	1,72,05,000
30	परिवहन सेवाएं .	80,000
34	नगर विकास विभाग से सम्बद्ध व्यय	45,39,000
35	पशुपालन	18,70,000
37	कृषि	29,04,000
42	जमींदारी उन्मूलन के लिए मुआवजा और राजस्व विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय . .	80,00,000
43	बहु प्रयोजनी नदी, सिंचाई और बिजली योजनाएं	3,32,02,000
46	सड़क और जल परिवहन योजनाएं	5,50,000
48	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय	99,01,000
56	ग्राम विकास विभाग से सम्बद्ध पूंजीगत व्यय .	3,18,00,000

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार 29 दिसम्बर, 1973 28 अग्रहायण, 1895 के ग्यारह बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, December 20, 1973 Agrahayana 28 1895 (Saka)

MGIPRRND Sec. IV D/S.—53 LSS/73—26-4-74—490